''राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उत्तरप्रदेश 1973 सम्बन्धी न्यायिक निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण'

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

पी.एच.डी. उपाधि (शिक्षा शास्त्र)

हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

2002

निर्देशक

डॉ. डी. एस. श्रीवास्तव

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय

एवं

संयोजक पाठ्यक्रम समिति

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय

झाँसी

अन्वेषिका

श्रीमती अजन्ता शर्मा

बी.एस.सी., एम.एड.

Dr. D. S. Srivastava
Dean -Faculty of Education
Convener –Board of Studies (M. Ed., B. Ed.)

Head
Department of Teacher Education
Atarra Post Graduate Collage,
Atarra, Banda (U.P.)
Phone: (05191)244204 Collage
(05191)244290 Res

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती अजन्ता शर्मा** ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा शिक्षा विषय पर स्वीकृत **"राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश, 1973, संबंधी न्यायिक निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण"** नामक शीर्षक पर, मेरे निर्देशन में बड़े परिश्रम, लगन एवं अध्यवसाय से 200 दिनों से अधिक उपस्थित रहकर प्रस्तुत शोध प्रबंध पूर्ण किया है। यह इनका मौलिक प्रयास है, इसकी विषय सामग्री सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयोग नहीं की गई है।

यह शोध प्रबंध बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी की पी-एच.डी. परीक्षा की नियमावली के सभी उपबंधों की पूर्ति करता है। मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

Srivastava
12/12/2002

(डॉ. डी.एस.श्रीवास्तव)
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय,
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा

दिनांक 9.12.2002

श्रीपंचमी

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषित करती हूँ कि निम्नलिखित विषय पर शोध प्रबंध डॉ. डी.एस.श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के निर्देशन में पूर्ण किया गया है। यह मेरी मौलिककृति है तथा इस परीक्षा के पूर्व किसी अन्य परीक्षा अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में आंशिक या पूर्ण रूपेण किसी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं की गई है।

''राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश, 1973, संबंधी न्यायिक निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण''

अजन्ता शर्मा

(श्रीमती अजन्ता शर्मा)

अन्वेषिका

दिनांक 15.11.2002

देवोत्थानी एकादशी

अपनी बात

'पूजा मूलं गुरो पदम्' से श्रीगणेश करते हुए मैं अपना यह शोध ग्रंथ परम हंस पूज्य गुरूदेव रावत पुरा महाराज श्री को समर्पित करती हूँ।

'मंत्र मूलं गुरूर्वाक्यं' मेरा अगला विनय पूर्ण निवेदन अपने गाइड प्रो.डी.एस.श्रीवास्तव के लिये है । निरन्तर जिनकी विद्यार्थिनी रहकर बी.एड., एम.एड. और अब इस शोध ग्रंथ के सोपान पार कर रही हूँ।

'बुंदेलखंड विश्वविद्यालय' मेरे विद्यार्थी जीवन को गरिमा मय बनाने वाली मेरी विद्या भूमि है। किसी विश्वविद्यालय के आधीन एक शोध ग्रंथ लिखना अपने आप में एक दैवीय वरदान, सत्य होता, साकार होता स्वप्न होता है।

वकालत जिस परिवार की चार पीढ़ियों से एकमेव वृत्ति चली आ रही है उस परिवार की संतान हूँ मैं। मेरे बाबा पूज्य स्व.पं.राम गोपाल शर्मा उरई के लब्ध प्रतिष्ठित वकील के रूप में स्थापित रहे। इस शोध ग्रंथ की लिखित तैयारी का मूल रूप तैयार करने में मेरा मार्गदर्शन, ज्ञानदर्शन, दिशादर्शन कराते रहे। कानून के इस कठिन विषय पर कुछ भी लिखना मेरे लिये उतना ही दुश्वार कृत्य था, जितना शिशु अवस्था में एक चूल्हा उस पर दूसरा चूल्हा एक आड़ी लकीर एक खड़ी मात्रा पर माथा गूंथने वाला कृत्य मैं सम्पन्न कर चुकी थी। वह शुभ कार्य तो स्व.दादी की गोद में बैठकर दोपहर को एक खरपुरी दिखाकर करवा लिया गया होगा जो कि भारतीय परंपरा चली आ रही थी। परन्तु पूज्य बाबा ने इस शोध ग्रंथ का मूल विचार मूल रूप में परिणित करके इतने कठिन विषय पर कार्य करने की प्यारी सी प्रेरणा मेरे मन मस्तिष्क में भर दी थी। इस शोध ग्रंथ को विश्वविद्यालय को समर्पित करने से पूर्व मैं अपने बाबा स्व. पं.राम गोपाल जी शर्मा, एडवोकेट, महावीर पुरा, उरई को शत-शत बार सादर प्रणाम करने की महत्वाकांक्षा रखती हूँ।

अब इसी प्रकार से अपने शोध ग्रंथ को लिखने में अपने परम सौभाग्य पर गर्व करती हुई और एक महान विभूति को अपना श्रद्धांजलि युक्त सादर प्रणाम भेजना चाहती हूँ – स्व. जस्टिस एस.डी.अग्रवाल (इलाहाबाद हाई कोर्ट) एवं भू.पू.मुख्य न्यायाधीश पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश एवं उत्साह वर्धन इस शोध ग्रंथ की काया है। सामने बैठाकर घंटो इस विषय का परिचय, भूमिका, विस्तार और आकार प्रकार निर्धारित करना और तत्संबंधित पुस्तकें मिलने की सभी स्थितियां स्पष्ट करना क्या इस जन्म में भूली जा सकती हैं। क्या भूल जाउं कि क्या पढ़ते–पढ़ते थक गई हो गई होगी तो ठंडी लस्सी देने वाली श्रीमति निर्मला सुदर्शन दयाल अग्रवाल ताई जी को।

एक शोध ग्रंथ लिखना माँ सरस्वती के विद्या कुंड में ज्ञान की उत्ताल प्रज्जवलित आहुतियों में निरन्तर धृत आदि डालते रहने पर सम्पन्न होता है। ये एक विद्या यज्ञ है ज्ञान की ज्वाला शांत न होने पावे, प्यास बनकर बढ़ती जाये और इस यज्ञ वेदिका को निरन्तर प्रज्जवलित रखने हेतु समाज के ज्ञान भंडारों की, भंडारियों की आवश्यकता होती है। शोधार्थी तो एक गुरूकुल में पढ़ने वाले बटुक जैसा बन जाता है – बनना पड़ता है। कंधे पर झोला डाले बटुक जिस प्रकार भिक्षां–देहि, भिक्षां देहि करते हुए हर घर में रूककर कुछ प्राप्त करते थे वही हाल एक शोधार्थी का होता है ज्ञान की भिक्षा बड़े स्नेह से आदर पूर्वक भी तो मिलती है भारत वर्ष में।

अगर मेरे स्व. बाबा और स्व. एस.डी.अग्रवाल साहब का योगदान इस शोध ग्रंथ की 'काया' है तो पूज्य पं. श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं निरन्तर तीन विधान सभाओं से उ.प्र.विधान सभा के अध्यक्ष, इस ग्रंथ का 'मेरूदंड' है। न्याय की परमोच्च परंपरा का विधि सम्मत ढंग से निर्वहन करते हुए उ.प्र. की राजनीति को

अति विशिष्ट आयाम प्रदान करने का एक मेव श्रेय पं. केशरी नाथ त्रिपाठी जी को जाता है। इस शोध ग्रंथ के लिये उन्होने 'परफारमेंस बजट' एवं 'उच्च शिक्षा प्रगति वर्ष वृत्त' उपलब्ध करवाया। यह भागीरथी को धरती पर लाने जैसा एक कार्य मेरे लिये बन जाता अगर पंडित जी कृपान्वित न हुये होते। पूज्य त्रिपाठी जी को इस शोध ग्रंथ के माध्यम से सादर प्रणाम स्वीकार हो।

ज्ञान का यज्ञोपवीत एक नहीं सात लड़ी और अनगिनत कड़ियों से निर्मित होता है । सप्त लड़ियों में एक लड़ी के रूप में उ.प्र. के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विनोद स्वरूप अत्यंत ही ज्ञानमय, सुलझे हुये विद्वान अधिवक्ता के रूप में स्थापित हैं। कानून की हर पुस्तक जिनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में संचित है। आवश्यकता पड़ जावे तो पुरानी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कानू की पुस्तकें भी पीढ़ियों की परंपरागत स्थितियों की गवाह बनकर श्री विनोद स्वरूप के विधि विधान केन्द्र का प्रतीक हैं। जितना बड़ा पुस्तकों का भंडार है उतना ही ज्ञान भी है, मस्तिष्क में सुनियोजित है और एक सरल हृदय, निरभिमानी वकील हैं और मुझ शोधार्थी के लिये हर आर्शीवाद के साथ हर पुस्तक कक्ष सदैव खुला रहा।

एक वरिष्ठ स्थाई अधिवक्ता, भारत सरकार के नाम का उल्लेख यहां पर शोध सोपान में बड़े मायने रखता है ताकि मेरे बाद जो भी शोधार्थी आये वह इस सोपान से अवगत रहे श्री भूपेन्द्र नाथ सिंह एडवोकेट एक कर्मठ, निरन्तर, चरैवेती-चरैवेती के सिद्धांती कभी न रूकने वाले समय व्यर्थ न गंवाने वाले अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमुख घटक हैं। जो पुस्तक किसी वजह से अप्राप्य प्रतीत हुई वह अपनी गृहिणी भतीजी के शोध ग्रंथ हेतु उपलब्ध करवाई।

श्री सुरेन्द्र गुप्ता, एडवोकेट और शाह जी ओम प्रकाश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हर पुस्तक के कठिन शब्दों का सरल रूपांतर भी किया, समझाया भी, लिखवाया भी क्या शोध ग्रंथ समाप्त कर चुकने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन अनुभवी अधिवक्ताओं के योगदान को अपने जीवन में कभी भूल पाऊंगी ? कभी नहीं।

मेरे शोध ग्रंथ का विषय परिवार की परंपरा को ध्यान में रखकर दिया गया था एक वकीलों की चौथी पीढ़ी और परिवार की बेटी के शोध ग्रंथ का विषय पूर्ण रूपेण शुद्ध कानूनी विषय। विषय का अवलोकन मात्र आंखों के आगे दिन में तारे दिखने को काफी लगा परन्तु दिन में चमकने वाले आंखों के आगे के तारों को अपनी कठिन साधना, ज्ञान गुरूता, सहन शक्ति और अपार धैर्य के साथ शांति पूर्वक चिन्तन, मनन की सीढ़ी पर चढ़कर तोड़ लाने और ग्रंथ में ज्ञान मंडित करने का श्रेय जाता है – मेरे डैडी को। इन्द्र का ऐरावत हाथी तो युवावस्था की दहलीज पर कदम बढ़ाता अर्जुन लाया था परन्तु मेरे डैडी ने आयु के वरिष्ठतम लम्हे मेहनत से संजोकर रखे थे कि कोई उनकी संतान शोध ग्रंथ तो लिखे और फिर अपने ज्ञान गरिमा युक्त समस्त लम्हे रात और दिन , दिन और रात में मिलाकर मुझे दे दिये इस शोध ग्रंथ के रूप–स्वरूप में । मेरे डैडी श्री विजय कुमार तिवारी एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं।

शोध ग्रंथ को अधूरा छोड़कर बीच में ही मैं आ गई अपने 'हबी' के घर। और एक मधुर अंतराल ने शोध कार्य में रूकावट डाल दी। अधिक समय नहीं – बस एक तर्क संगत समय का टुकड़ा और बेटी आयुषी और बेटे अवि का आगमन होते ही पुन: शोध कार्य प्रारंभ हो गया। अब सहयोग, प्रेरणा, संबल और सहिष्णुता दिखाई हबी ने – उनका यह नया रूप आज

इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जोशी जी की पुत्री ऋचा ने मेरी जरूरतों को समझ अपनी मित्र तुहिना गांगुली से सम्पर्क करके मेरी शोध संबंधी आवश्यकता पूरी की।

शोध प्रबंध के टंकण एवं प्रतियां तैयार करने में श्री हरी प्रकाश पाण्डेय डीसेन्ट कम्प्यूटर सेन्टर की आभारी हूँ जिन्होने लगन पूर्वक कार्य करके मुझे अनुग्रहीत किया ।

अपनी समस्त शक्ति, भक्ति, विद्या और अपने समस्त सहयोगी घटकों का उपयोग नि:संकोच करके मैने अपने अतियोग्य और परिश्रमी गाइड श्री डी.एस.श्रीवास्तव साहब की देख रेख में शोध ग्रंथ पूर्ण किया है। मैं अपने गाइड का, अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करना चाहती थी हर परिस्थिति से प्रेम व आदर से लोहा लिया – सबसे लिया पर किसी को भी कष्ट के सिवाय कुछ नहीं दिया। क्योंकि धन्यवाद देकर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा अत: यूं समाप्त करती हूं कि सबको प्रणाम, सभी को धन्यवाद स्वीकृत हो। रावतपुरा महाराज की जय।

अजन्ता शर्मा

(श्रीमती अजन्ता शर्मा)

अनुक्रमणिका

अध्याय
प्रथम

अध्याय प्रथम

समस्या शोध विधि तथा योजना

1. समस्या और उसकी पृष्ठभूमि

2. शिक्षा में अधिनियमों, परिनियमो, अध्यादेश तथा विनियमों की उपादेयता

3. उच्च शिक्षा का महत्व, नियंत्रण तथा प्रशासन

4. समस्या कथन
    - अ. समस्या का परिभाषीकरण,
    - ब. समस्या का परिसीमन

5. शोध उद्देश्य

6. शैक्षिक अनुसंधान

7. प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त शोध विधि तथा उपागम ।
    - अ. ऐतिहासिक शोध विधि तथा उसकी विशेषताऐं,
    - ब. सोपान एवम् स्रोत,
        - (क) प्राथमिक स्रोत
        - (ख) गौण स्रोत
    - स. वाहय तथा आन्तरिक आलोचना

8. ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य ।

9. शोध प्रबन्ध की योजना

10. प्रस्तुत शोध का शैक्षिक निहितार्थ

समस्या और उसकी पृष्ठभूमि

राष्ट्र के उत्थान सामाजिक आर्थिक एवम् सांस्कृतिक विकास में शिक्षा व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः प्रत्येक राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक एवम् सांस्कृतिक कलेवर वहॉ के शिक्षा स्तर से आंका जा सकता हैं।

सुदृढ़ शैक्षिक व्यवस्था राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है । छात्र, शिक्षक, शिक्षाधिकारी, शिक्षा, प्रबंधक, एवम् शासन किसी शैक्षिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक होते हैं । किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये सामान्य नियमों की आवश्यकता होती है तथा जब सामान्य नियमों को व्यापक सामाजिक मान्यता दे दी जाती है तब वह विधि का रूप ले लेता है । कर्तव्यों के निर्वहन के लिये कतिपय विधि सम्मत अधिकारों की व्यवस्था होती है ।

संगठनों के व्यवस्थापक, विभागीय, अधिकारीगण (नौकरशाह) तथा न्यायालयों की कार्यशैली और वहाँ की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते समय, अधिनियम, परिनियम तथा विनिमय आदि में निहित व्यवस्थाओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । शिक्षा को प्रेरक बनाने के लिये दक्ष शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है । शिक्षण संस्थाऐं और इनकी शैक्षिक व्यवस्था सम्प्रति प्रचलित कानूनी विकृतियों से विशेष रूप से प्रभावित हुई है । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था के अभाव में शिक्षकों तथा छात्रों का मानसिक उत्पीड़न विद्यालयों की प्रबंध समितियों ने खुलकर किया है । निराश शिक्षक भयदोहन के लिये समर्पित है क्योंकि कानूनी सुरक्षा मात्र संयोग और भाग्य पर निर्भर करती है । प्रचलित कानूनी चौखटा व्यवस्थापकों तथा अधिकारियों के अनुकूल बैठता है । जिसका लाभ वे जानबूझकर अनावश्यक रूप से विवाद की रचना करने में उठाते हैं । विधि सम्मत कार्य करने की व्यवस्था में विकृति उत्पन्न करने विवाद गठन और न्याय से वंचित रखकर परपीड़न का सुख अनुभव करने वाले इन व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों के लिये स्पष्ट दण्ड, तथा संबंधित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की स्पष्ट व्यवस्था वर्तमान कानून में नहीं है । यह अभाव उनके अधिकार मद को बढ़ाने में सहायक होता है

। वह समझते है कि गलत को सही करवाने में सामान्य व्यक्ति को वर्तमान कानूनी ढांचे में एड़ी चोटी का पसीना एक करना होगा, सफलता फिर भी संदिग्ध होगी । इस लक्ष्य से वह भलीभांति परिचित है कि विवाद को न्यायालयों के चक्कर में डालकर पैरवी की सहायता से अधिक समय नष्ट किया जा सकता है । शिक्षक, छात्र, अभिभावक और साधारण कर्मचारी निराश होकर यही धैर्य खो बैठता है । प्रबन्ध समितियां भी आपस में दल बनाकर टकराती रहती हैं और मान्यता के लिये अनगिनत विवाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् न्यायालयों की मेजों पर सुरसा के मुँह की तरह बढ़ते जा रहे है ।

प्रायः शिक्षक कानूनी दांवपेंच से दूर रहता है । कानून की यह अवस्था भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है, परन्तु इस व्यवस्था से शिक्षा का क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, कारण यह है कि शिक्षा एक प्रकार से जीवन है जो कानून या शब्दों का विश्लेषण करने से नही चलता । यहाँ आस्था, अहिंसा, आदर और आंकलन जैसे तत्वों का आधार लेना पड़ता है । एक जगह कवियत्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि "जीवन तो अलिखित विधान से चलता है, और सरकार लिखित विधान से" ।

कभी शैक्षिक दृष्टि से लिया गया कठोर आचरण न्याय की भाषा में अवैध हो सकता है किन्तु उसे करना ही पड़ता है । कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की विशिष्टता को कानून की भी विशिष्टता उपलब्ध होनी चाहिऐ । शिक्षा को प्रेरक बनाने हेतु दक्ष शिक्षा व्यवस्था होना अनिवार्य है ।

उ.प्र. में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा समय–समय पर गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियमों तथा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों में शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के विशद प्रावधान है किन्तु विधि सिद्धान्त तथा प्रशासन के सिद्धान्तों में कभी–कभी परिस्थिति जन्य टकराव उत्पन्न हो जाता है । जो शिक्षा के क्षेत्र में एक त्रासदी है । आज बात–बात में न्यायालयों में चुनौतियों दी जाने लगी हैं । विगत दो दशकों में विश्वविद्यालय स्तर पर प्राध्यापकों की नियुक्ति की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है, क्योंकि कानून को ढाल बनाकर उसकी छाया में

आज अनेक प्रकार की अनियमितताओं का सृजन हो रहा है । प्रबन्ध समितियां, प्राचार्य, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा कर्मचारियों से संबंधित इतने अधिक विवाद न्यायालयों में पहुँचते हैं जिनके कारण शासन को शिक्षा विभाग के मामलों को निपटाने के लिये अलग से न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करना पड़ रहा है ।

शिक्षण संस्थाऐं और उनकी शैक्षणिक व्यवस्था सम्प्रति प्रचलित, कानूनी विकृतियों से विशेष रूप से प्रभावित हुई है । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था के अभाव में शिक्षकों का मानसिक, उत्पीड़न, खुलकर किया जा रहा है । इस समय शिक्षकों और कर्मचारियों के विभिन्न वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

अतएव वर्तमान विश्वविद्यालयीन शिक्षा का व्यापक स्वरूप न्यायिक वातावरण से परिपूर्ण होने के कारण मेरे मन में यह जिज्ञासा जाग्रत हुई कि राज्य विश्‍वविद्यालय अधिनियम पर विभिन्न वादों के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन एवं विश्लेषण करूं । महाविद्यालयों की चयन प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में प्राविधानित है । राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में 14 अध्ययन तथा 76 धाराऐं है जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रों तथा विविध क्रियाकलापों तथा कर्तव्यों पर प्रकाश डालती है । इन्ही प्रावधानों का गलत अर्थान्वियन कर प्रशासन, नियुक्तिकर्ता तथा अधिकारी नियुक्तियों में मनमानी करते हैं । जिसकी परिणति उच्च न्यायालय तक पहुँचती है । इसी प्रकार नियोजक सेवाशर्तों का दुरूपयोग कर घटनाक्रम निर्मित कर शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं । अतैव वादी, विवाद के मामले में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय पहुँचते हैं । लगभग दो सौ वर्षों की ब्रिटिश दासता के उपरान्त स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रतिफल के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ । यद्यपि संविधान सभा ने छब्बीस जनवरी 1949 को भारतीय संविधान का अनुमोदन कर दिया था परन्तु इसे छब्बीस जनवरी 1950 को लागू किया गया । भारतीय संविधान में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया ।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया तथा शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों का केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया जिससे केन्द्र तथा राज्य अपने-अपने स्तर पर शिक्षा नियोजन करके शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सकें ।

कुछ ही समय पूर्व उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयानुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार विवादित है । शिक्षा का यह अधिकार प्रारूप और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रवाहित होता है । अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति से उसके प्रारूप अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा ।

प्रायः तथा दैहिक स्वतंत्रता का यह मूल अधिकार नागरिकों को अपने जीवन को अच्छी प्रकार व सार्थक ढंग से जीने की संस्थाओं की प्रत्याभूति करता है इसकी परिधि में शिक्षा एक, अप्रमाणित अधिकार है । अनुच्छेद 21 का अर्थान्वयन अनुच्छेद 41, 45 तथा 46 के सन्दर्भ में किया जा सकता है ।

संविधान के अनुच्छेद 41(Directive Principles) में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक परिसीमा के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार के प्रसार के नियम बताने का कार्य करें । अतः राज्य की शिक्षा के प्रसार, प्रचार व प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में उक्त राज्य के विश्वविद्यालयों की नैतिक एवम् न्यायसम्मत जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

प्रजातंत्र में जाति धर्म या स्तर, आदि की परवाह किए बिना ही सबको अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करने के लिए समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए । प्रजातंत्र में संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है । समाज के सभी कामजोर वर्गों की उन्नति के प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व राज्य का है । संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य में कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शैक्षिक उन्नति के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा गया है । धार्मिक शिक्षा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 28 (1, 2 तथा 3) में प्रावधानित किया गया है ।

संविधान में अनुच्छेद 246 में केन्द्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों का स्पष्ट विवेचन किया गया है । इसके लिये संविधान के खाते की अनुसूची में तीन सूचियां बनाई गई हैं । प्रथम सूची जिसे केन्द्र सूची कहते है में दिये गये विषयों पर केन्द्र सरकार या संसद कानून बना सकती है । द्वितीय सूची में दिये गये विषयों पर राज्य सरकार या विधान सभा कानून बना सकती है । तृतीय सूची जिसे संवर्ती सूची कहते हैं में दिये गये विषयों पर केन्द्र या राज्य सरकार दोनो कानून बना सकती हैं । द्वितीय सूची में दिये गये विषयों पर विचार राज्य सरकार के विषयों पर केन्द्र सरकार और संसद कानून बना सकती है । तृतीय सूची जिसे संवर्ती सूची कहते हैं में दिये गये विषयों पर केन्द्र सरकार दोनो कानून बना सकते हैं ।

अतएव विधिवांडमय के बहुत दुरूह सिद्धान्तों के आधार "राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उत्तर प्रदेश, 1973 पर दिये गये माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण करने का क्षेत्र मैंने निम्नवत चयन किया ।

"राज्य विश्वविद्यालय" अधिनियम 1973 संबंधी न्यायिक निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण"

शिक्षा में अधिनियमों, परिनियमों अध्यादेश तथा विनिमयों की उपादेयता :—

उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय स्थापित करने मात्र से ही कार्य नहीं हो सकता था । अतः अन्य ऐसी प्रक्रियाऐं अपनाई गई जो आपस में केन्द्रीय अधिकार से परे स्वतः विभिन्न प्रक्रियाओं को जिन्हे अध्यादेश अधिनियम परिनियम और विनिमय का पररस्पर संबंध हो जाये ।

अधिनियम :—

अधिनियम विधानमण्डल द्वारा पारित कानून है जिसे कि राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी किया गया होता है । उ.प्र. के विश्वविद्यालयों के स्वरूप को एक सा बनाये रखने के लिये उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम

1973 पारित हुआ जिससे कि उससे पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये बनाये गये अधिनियम समाप्त कर दिये गये और राज्य में स्थित विश्वविद्यालय के संचालन आदि की व्यवस्था तथा ऐसा करने की शक्ति अधिनियम ही देता है । अन्य शब्दों में अधिनियम, विश्वविद्यालय के मामलों में सर्वोपरि है ।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में अब तक 166 संशोधन हो चुके हैं । इसी अधिनियम द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय नियंत्रित तथा शासित होते हैं । यद्यपि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चार ऐसे विश्वविद्यालय यथा महर्षि विश्वविद्यालय लखनऊ, विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, भारखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थापित किये गये हैं जो अभी इस अधिनियम की सीमा से परे हैं ।

परिनियमः—

वह विधिनियम है जो किसी राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है । यह जनता के द्वारा चुने गऐ प्रतिनिधियों द्वारा विधान मण्डल में पारित लिखा हुआ अधिकारिक विधि नियम है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दिया जाता है । परिनियम राज्यतंत्र में राजा द्वारा दिया विधि नियम है इस कानून को मानने के लिऐ सब बाधा है।

परिनियम बनाने की राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49, 50 में सीमित सीमा है और इस सीमा के बाद कार्यपरिषद वि.वि. के अधिकारी या अन्य विषयों पर परिनियम बनाने में सक्षम होगी, लेकिन साथ ही छोटा अंकुश कार्यपरिषद कीं इस नियम बनाने की क्षमता पर होगा कि वह ज़िनके लिये परिनियम बनायेगी उनके विचारों से अवगत होगी तथा ये परिनियम चांसलर के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होंगें ।

उच्च शिक्षा अधिनियम उ.प्र. में धारा 49 के अर्न्तगत इन विषयां का विस्तृत विवरण दिया गया है जिनके सम्बन्ध में प्रथम परिनियम में राज्य सरकार व्यवस्था करेगी । विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के स्वरूप विभिन्न अधिकारियों

की नियुक्ति एवं सेवाकाल की अवधि संबंधी आदेश निम्नतम अर्हताओं का, नियुक्ति के संबंध में स्थापना करना या प्रदान करना तथा विभिन्न विषयों के संकायों विभागों आदि के संचालन के नियम बनाना आदि शामिल है । इस प्रकार परिनियम विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं । यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि परिनियम अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करते हैं और दोनो के क्षेत्राधिकार और परस्पर शक्ति प्रयोग के लिये यह अधिनियम पर आधारित है ।

प्रथम परिनियम वि.वि. की स्थापना के साथ ही राज्य सरकार बनाऐगी जो बाद मे कार्यपरिषद परिस्थिति अनुकूल संशोधित करने की अधिकारी होगी ।

अध्यादेश :—

अध्यादेश वे नियम हैं जो स्थापित प्राधिकारी द्वारा बनाऐ जाते हैं । अध्यादेश "Ordinence" फ्रेंच भाषा का शब्द है और वह उस नियम की ओर इंगित करता है जो स्थापित प्राधिकारी द्वारा बनाया गया है । यह Permanent rule of action है । अर्थात प्रक्रियाओं के संबंध में स्थाई नियम है ।

धारा 51 उच्च शिक्षा अधिनियम 1973 के अर्न्तगत वे सब विषय विस्तार पूर्वक दिये गये हैं जिसके संबंध में अध्यादेश बनाये जा सकते हैं जो कि मुख्यतः विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश से लेकर फीस, कोर्सेज (विषय चयन), परीक्षा, छात्रावास आदि की सुविधा, परीक्षा संचालन आदि से संबंधित है ।

यह अध्यादेश कार्यकारी परिषद द्वारा बनाये जायेंगें सिवाय प्रथम अध्यादेश को छोड़कर जो कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये पूर्व अधिनियम में बनायेगये और 1973 में लागू किये गये । इस प्रकार विश्वविद्यालय के नियमित (Routine) मामलों जैसे प्रवेश, परीक्षा आदि से संबंध रखते हैं वे वि.वि. के अधिकारीगण इन अध्यादेशों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं ।

यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अध्यादेश, अधिनियम व परिनियम के अन्तर्गत कार्य करते हैं ।

विनियम (Regulation):-

ऐसा निर्देश या नियम जो वरिष्ठ प्राधिकारी उन लोगों के नियंत्रण के लिये बनाये जो खुद उन्ही के आधीन कार्य करते हों । यह विधि अनुमन्य नियम है जो अधिनियम, परिनियम, एवम् अध्यादेश के अर्न्तगत कार्यरत हैं और किसी भी प्रकार के विवाद के अर्न्तगत इसकी ऊपर की श्रेणी क्रमशः प्रभावी होगी ।

धारा 53 में वे विषय दिये गये हैं जिनके विषय में विश्वविद्यालय कोई नियम बना सकता है अथवा कोई भी ऐसा अधिकारी जिसे विनियम बनाने के लिये अधिकृत किया गया हो । अगर कोई भी किसी भी प्रकार की विसंगति होगी तो क्रमशः अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश व विनिमय प्रभावी रहेंगें ।

उच्च्व शिक्षा का महत्व :–

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद उच्च्व शिक्षा प्रारंभ होती है । उच्च्व शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विशिष्ट शिक्षा संस्थानों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में दी जाती है । प्राचीन तथा मध्यकाल में कुछ उच्च्व शिक्षा केन्द्र विश्व प्रसिद्ध थे । जिनमें अध्ययन हेतु दूर–दूर से छात्र आया करते थे । कालान्तर में यह परम्परा नष्ट हो गयी तथा विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के साथ–साथ पाश्चात्य शिक्षा उच्च्व शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी हो गये ।

स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में काफी तेजी से विस्तार हुआ फलस्वरूप छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या में तीव्रतम वृद्धि हुई है ।

सन् 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि:–

"विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता , सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है" ।

एच. हैदरिंगटन ने अपनी पुस्तक "दि सोशल फंक्शन ऑफ दि यूनिवर्सिटी" में विश्वविद्यालय का कार्य "ज्ञान के उस व्यापक रूप का अन्वेषण करना है जो मानव संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में विकास तथा उन्नति में सहायक हों"

स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्येश्य ज्ञान का संकलन खोज तथा प्रसार करना है । सत्य की खोज़ करने, पांडित्य व श्रेष्ठता की प्राप्ति तथा सृजनात्मक आलोचना के लिये आवश्यक बौद्धिक माहौल तैयार करने में विश्वविद्यालयों की अहम् भूमिका है ।

उच्च शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सफलता के लिये कुशल नागरिक तैयार किए जाते हैं, विभिन्न व्यवसायों, वाणिज्य, कृषि, उद्येश्य, राजनीति तथा प्रशासन आदि के लिये छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

उच्च शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक, तकनीशियन, शिक्षाविद तथा न्यायाधिकारी तैयार किये जाते हैं । इसी शिक्षा द्वारा समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करने का ज्ञान प्रदान किया जाता है । यह शिक्षा ही अध्यापकों तथा छात्रों में एवं उनके माध्यम से समस्त समाज में सत जीवन के लिये आवश्यक मूल्य विकसित करती है । गतिशील जीवन तथा नेतृत्व हेतु प्रतिभाशाली छात्रों में मानसिक शक्ति अभिरूचि, प्रशस्ति एवं नैतिकता विकसित करती है । इस प्रकार उच्च शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है ।

नियंत्रण तथा प्रशासन :–

भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्यों की विधायिका अथवा केन्द्र की संसद के द्वारा पारित अधिनियमों के द्वारा ही की जा सकती है । विधायिका या संसद ही अधिनियमों के द्वारा विश्वविद्यालयों के स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा कार्यों को परिभाषित करती है यद्यपि विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की जाती है तथापि इन पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार का परोक्ष नियंत्रण रहता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ भी विश्वविद्यालयों के ऊपर क्रमशः आर्थिक तथा शैक्षिक नियंत्रण रखते हैं किसी विश्वविद्यालय का आन्तरिक नियंत्रण मुख्य रूप से तीन परिवारों :–

अ. कार्यकारिणी परिषद

ब. कोर्ट

स. विद्या परिषद

के आधीन रहता है । विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी शक्ति कार्यकारिणी परिषद में, विधायी शक्ति कोर्ट में तथा शैक्षिक शक्ति विभाग में निहित रहती है इसके अतिरिक्त वित्त समिति चयन समिति, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति, अनुचित साधन प्रयोग समिति तथा विभिन्न संकाय भी विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं । विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है किसी विश्वविद्यालय के मुख्य तथा प्रमुख अधिकारी कुलाधिपति (प्रायः राज्यपाल), कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी संकाय अधिष्ठाता, पुस्तकालयाध्यक्ष, विभिन्न संस्थानों के निदेशक तथा अनुशासनाधिकारी होते हैं । शिक्षण विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष की भूमिका अहम् होती है ।

महाविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा पर मुख्य रूप से राज्य विश्वविद्यालय, प्रबन्धतंत्र तथा प्राचार्य का नियंत्रण रहता है । महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार तथा विश्वविख्यात द्वारा समय–समय पर नीति बंधनों के अधीन रहकर कार्य करना होता है । परिनियमों में दी गयी व्यवस्था बाध्यकारी होती है । आर्थिक मामलों में महाविद्यालय पूर्णतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार के नियमों का पालन भी करना पड़ता है ।

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है इस कार्य में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक उसकी सहायता करते हैं । नये महाविद्यालयों की स्थापना, प्रारंभ महाविद्यालय में कक्षाऐं खोलना, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति, वेतन वितरण अधिनियम का क्रियान्वयन, पेंशन, प्राचार्यों तथा प्राध्यापकों की पोस्टिंग आदि कार्य शिक्षा निर्देशक द्वारा ही किया जाता है । राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां भी शिक्षा निदेशक द्वारा की जाती है । उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोग प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन करते हैं ।

– शैक्षिक क्रियाकलापों तथा परीक्षा पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण रहता है विभिन्न कक्षाओं के प्रवेश के नियम (एम.ए. तथा बी.एड. को छोड़कर), प्रवेश परीक्षाऐं, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली आदि का नियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । स्वायत्तशासी महाविद्यालय उपर्युक्त भूमिकाऐं स्वयं निभाते हैं । महाविद्यालय का आंतरिक प्रशासन प्रबंध तंत्र व प्राचार्य करते हैं । प्रबंध तंत्र आवश्यक भौतिक परिलब्धियां तथा परिस्थितियां उपलब्ध कराता है तथा प्राचार्य शैक्षिक वातावरण का सृजन तथा उस पर नियंत्रण करता है ।

4. समस्या कथन :–

मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनेकों साधनों को अपनाता है यदि आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती है तब एक समस्या उत्पन्न हो जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि "आवश्यकता की संतुष्टि के साधन या मार्ग में बाधा ही समस्या है ।" जैसे समस्या समाधान के साधन खोज लिये जाते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तथा समस्या का अन्त हो जाता है । इसको अधोलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आवश्यकता – साधन = समस्या

समस्या की गम्भीरता आवश्यकता की गहनता और साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होती है । इस प्रकार आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना तीव्र होगा, समस्या उतनी ही गम्भीर होगी ।

समस्यात्मक परिस्थितियों का विवेचन जान डीवी तथा कुर्ट लिविन ने किया है और समस्याओं की परिस्थितियों को चित्रों की सहायता से प्रस्तुत किया है । शोध कार्य में व्यक्तिगत समस्या को महत्व कम दिया जाता है । जॉन सी. टारनसेण्ड के अनुसार समस्या की परिभाषा –

"समस्या तो समाधान के लिये प्रस्तावित प्रश्न है"

फ्रेड. एन. कर्लिंगर के अनुसार –

"समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसे दो या दो से अधिक चल राशियों में सह–सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है ।"

शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत समस्या को निम्नवत परिभाषित किया गया है –

समस्या का परिभाषीकरण

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम –

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से तात्पर्य "राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम सं. 10) से है ।

उच्च न्यायालय –

माननीय उच्च न्यायालय से तात्पर्य उ.प्र. में गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 109, (1915) द्वारा स्थापित "हाईकोर्ट ऑफ जूडीकेचर एट इलाहाबाद" से है ।

उच्चतम न्यायालय –

उच्चतम न्यायालय से तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय से है, जो दिल्ली में स्थापित है।

निर्णय –

निर्णय से तात्पर्य उच्चन्यायालय उ.प्र. तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम पर निर्णीत वादों के निर्णयों से है ।

विश्लेषण –

विश्लेषण से तात्पर्य माननीय उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न परिस्थितियों, घटनाक्रमों तथा विवादों पर प्रस्तुत वादों का निर्णय के पश्चात् विश्लेषण प्रक्रिया से है ।

विवेचन –

विवेचन से तात्पर्य निर्णयों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना करने से है ।

समस्या का परिसीमन –

यह शोध भारत में अवस्थित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों पर हो सकता था । परन्तु समय सीमा तथा परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत केवल राज्य अधिनियम पर ही शोध किया जा रहा है । अतः प्रस्तुत शोध राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उत्तरप्रदेश 1973 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों पर दिये गये निर्णयों तक ही सीमित है । इस शोध के अंतर्गत बनारस में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) अलीगढ़ में स्थित (अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय) तथा लखनऊ में स्थित (भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय) को अलग कर दिया गया है क्योंकि यह केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अनुशासित तथा संचालित है ।

5. **शोध उद्देश्य :–**

इस शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (1973) तथा संशोधित अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालना ।

2. महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवम् छात्रों की परिस्थितियों, घटनाक्रमों तथा विवादों पर माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना ।

3. माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित निर्णयों की समीक्षा तथा अध्ययन करना ।

4. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (1973) पर आधारित माननीय उच्च न्यायालय उ.प्र. तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का विश्लेषण एवं विवेचना करना ।

5. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवम् छात्रों के विभिन्न प्रकार के वादों की प्रकृति का अध्ययन करना ।

6. शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों, प्रबंध समितियों, कार्यपरिषद तथा कोर्ट से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत, अधिनियम को मद्देनजर रखते हुऐ ठोस सुझाव प्रस्तुत करना ।

6. शैक्षिक अनुसंधान :–

डॉ. आर.बी.भटनागर[1] के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ– शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य उस अनुसंधान से होता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है । उसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, आयामों, प्रक्रियाओं आदि के विषय में नवीन ज्ञान का सृजन, वर्तमान ज्ञान की सत्यता का परीक्षण, उसका विकास एवं भावी योजनाओं की दिशाओं का निर्धारण करना होता है ।

पाश्चात्य शिक्षा विचारकों के द्वारा शैक्षिक अनुसंधानों को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"**टेवर्स के अनुसार**[2] –शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान को विकसित करने की ओर निर्देशित होती है । इस प्रकार के विज्ञान का अंतिम लक्ष्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है, जो शिक्षक के लिये सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धतियों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्रगति करने में सहायक हो सके ।"

---

1. डॉ. आर.बी. भटनागर –
   शिक्षा अनुसंधान, पृष्ठ 27, ईगल बुक्स इंटरनेशनल, मेरठ(1995)
2. डॉ. गोविन्द तिवारी–
   शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के मूल आधार, पृष्ठ 23(1985)

"**मोनरो के अनुसार**[1]—शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिंद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना ।"

"**एफ.एल.भिटनी**[2]— के अनुसार शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उनमें योगदान करना है, जिसमें वैज्ञानिक विधि ा, दार्शनिक विधि तथा चिंतन का प्रयोग किया जाता है । वैज्ञानिक स्तर पर विशिष्ट अनुभवों का मूल्यांकन और व्यवस्था की जाती है । वैज्ञानिक स्तर पर इसके अंर्तगत परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है एवं इनकी पुष्टि से सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है । इसकी निगमन, चिंतन किया जाता है । दार्शनिक शोध विधि में व्यापक सामान्यीकरण किये जाते है जिससे सत्य एवं मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है ।"

7. प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त शोध विधि व उपागम :—

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाऐगा यह प्रलेखी डॉक्यूमेन्ट्री विधिभी कहलाती है । ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासक्रमों तथा अनुभवों का विशिष्ट अन्वेषण होता है, जिसमें अतीत से संबंधित सूचनाओं के साधनों तथा प्राप्त संतुलित विवेचना की वैधता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है ।

ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध अतीत के अनुभवों से रहता है । इसका उद्देश्य एक घटना तथा अभिवृत्ति से संबंधित अतीत की प्रवृत्तियों के अन्वेषण द्वारा अभी तक अबोध्य सामाजिक समस्याओं के लिऐ चिन्तन विधि का प्रयोग होता है । इसके द्वारा मानव विचार तथा व्यवहार के उन विकास क्रमों की खोज करना होता है, जिससे किसी एक सामाजिक गतिविधि के आधार का पता लगता है ।

---

1 एवं 2 डॉ. आर.ए.शर्मा – शिक्षा अनुसंधान, पृष्ठ 21—22, (1995)

जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार[1] –

ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण से है । इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नयी सूझ पैदा करते हैं । जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से लेता है ।

उपागमः–

ऐतिहासिक अनुसंधान के मुख्य उपागम निम्न हैं –

1. **प्रत्यक्ष उपागम –**

प्रत्यक्ष उपागम में अतीत से वर्तमान की ओर घटनाओं की अध्ययन करते हैं ।

2 **पश्चातदर्शी उपागम –**

पश्चातदर्शी उपागम में वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करना एवं उनको भूतकालीन घटनाओं की ओर अग्रसित करना होता है ।

3. **व्यक्तिगत उपागम –**

राजनैतिक व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले उपागम को व्यक्तिगत उपागम कहते हैं ।

4. **सामूहिक उपागम –**

सामाजिक वातावरण, घटना का अध्ययन करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले उपागम को सामूहिक उपागम कहते हैं ।

ऐतिहासिक विधि के सोपान एवम् स्रोत –

अपनी प्रकृति के कारण ऐतिहासिक अनुसंधान को अन्य प्रकार के अनुसंधानों के समान दृष्टिकोण अवश्य प्राप्त होना चाहिऐ और उसको साधारणतयः समान विधियों का अनुसरण करना चाहिऐ ।

---

1. जॉन.डब्लू.वेस्ट : रिसर्च इन एजूकेशन प्रेक्टिस हॉल इनकॉरपोरेशन, 93 पेज 86

इसमें अधोलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है –

(अ) समस्या की पहिचान एवम् परिभाषा करना –

यह एक कठिन कार्य है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक महत्व वाली समस्या की स्थिति मात्र से ही नहीं वरन् उपयुक्त आंकड़ों की प्राप्ति से भी संबंधित होता है ।

(ब) आंकड़ों का संकलन –

आंकड़ों का संकलन प्राचीन अवशेषों से, पुराने प्रमाणों एवम् तथ्यों की अशुद्धियों तक किसी से भी संबद्ध हो सकता है । अर्थात कभी–कभी संयोगवश दबी हुई हस्तलिपियों में तथ्य एकत्र हो गये, तथापि सर्वाधिक शैक्षिक आंकड़ें सम्भवतः सभाओं एवम् डायरियों की सूक्ष्मताओं द्वारा नियमित रीति से एकत्र करने होते हैं । इस प्रकार आंकड़े प्रमुख और गौण दो साधनों से प्राप्त किये जाते हैं ।

(स) आंकड़ों की आलोचना :–

आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिये साधारणतः दो प्रक्रियाऐं प्रयुक्त होती है, प्रथम स्रोतों की सत्यता की पुष्टि के बाद इसके तथ्यों की प्रामाणिकता या वैधता की आलोचना की जाती है ।

(द) आंकड़ों का अर्थापन :–

आंकड़ों की जो भी परिकल्पना अथवा सिद्धान्त सर्वाधिक उपयुक्तता के साथ पक्ष लेता है उसके आधार पर ही आंकड़ों का अर्थापन किया जाना चाहिऐ । यह आवश्यक है कि आंकड़ों को एक दूसरे के संबंध में विचारा जाऐ एवं एक ऐसे सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष में संश्लेषित किया जाये, जो कि सम्पूर्ण महत्व को केन्द्रित करता है ।

करलिंगर ने कहा है – "प्राथमिक स्त्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त का मूल भण्डार होता है । यह किसी एक अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा एक घटना का विवरण होता है या फिर एक छायाचित्र अथवा किसी एक संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण आदि होता है ।"

प्राथमिक स्त्रोत –

प्रस्तुत शोध में जिन प्राथमिक स्त्रोतो का प्रयोग किया गया है, इनमें विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के मूलवाद पत्र तथा माननीय उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के मूल निर्णय को उपयोग में लाया जायेगा ।

करलिंगर के अनुसार –

"एक गौण स्त्रोत एक वास्तविक इतिहास से एक या अधिक पद दूर ले जाने वाला, एक ऐतिहासिक घटना या परिस्थिति का एक लेखा जोखा या अभिलेख है ।"

गौण स्त्रोत :–

इस शोध प्रबंध में जिन गौण स्त्रोंतों का प्रयोग किया गया है, ये ऐसे व्यक्तियों द्वारा संकलित, सूचनाबद्ध या वर्णित किये गऐ हैं, जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहे किन्तु उन्होने इसका वर्णन कहीं से पढ़कर या सुनकर किया है । प्रस्तुत शोध से संबंधित गौण स्त्रोत के रूप में अनेक विधि संबंधी ग्रन्थ एवम् पुस्तकें उपयोग में ली गई हैं । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर उच्च शिक्षा के संबंध में विवरणिकायें, परफारमेन्स बजट, उत्तरप्रदेश की शिक्षा पर प्रकाशित ग्रन्थ जैसे ए इजूकेशनल, सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा यू.सी. दत्ता 'इजूकेशन इन उत्तरप्रदेश' द्वारा बलवंत सिंह स्याल तथा डिसप्लिनरी प्रोसेसिंग द्वारा नरेश दयाल आदि पुस्तकें प्रयुक्त की गई हैं । डिक्शनरी ऑफ लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सिटीस इन उत्तर प्रदेश तथा उच्च शिक्षा की दशा और दिशा में लिखित पुस्तकों आदि को भी उपयोग में लाया गया है ।

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रमुख तथा गौण स्त्रोत से संबंधित ग्रंथ व पत्रिकाऐं प्रयुक्त की गई है इस शोध में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालयों से संबंधित तथ्य, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित "परफारमेंस.बजट" (उच्च शिक्षा विभाग का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक) से लिये गये हैं । इलाहाबाद लॉ जर्नल, ऑल इंडिया रिपोर्टर, कांग्रेस नगर, नागपुर से प्रकाशित हैं । यू.पी.एल.बी.ई.सी., इंडियन पब्लिशिंग हाउस, मोरीगेट, दारागंज इलाहाबाद से प्रकाशित होती है । सुप्रीम कोर्ट केसेस, ईस्टर्न बुक कंपनी लिमिटेड, लाल बाग,

लखनऊ से प्रकाशित है । विधि शब्दावली, विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है । एजूकेशन सर्विस केसेस, मल्होत्रा लॉ हाऊस, सी.एस.पी. सिंह मार्ग हाई कोर्ट के पास, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की जाती है । उपरोक्त ग्रंथों में संप्रकाशित वाद निर्णयों का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भ के रूप में किया जाता है, अतः उपरोक्त सम्पूर्ण सामग्री प्रामाणिक है ।

बाह्य तथा आन्तरिक आलोचना –

ऐतिहासिक समीक्षा दो चरणों में सम्पन्न होती है । प्रथम स्त्रोत की प्रामाणिकता परखी जाती है । द्वितीय आधार सामग्री की विशुद्धता या उपयुक्तता मूल्यांकित की जाती है प्रथम चरण को वाह्य समीक्षा तथा द्वितीय चरण को आन्तरिक समीक्षा की संज्ञा दी जाती है ।

इस शोध में मूलवाद पत्र तथा रिट्स की प्रामाणिकता देखी जाएगी । यह देखा जाएगा कि यह रिट्स उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त होने पर अपनी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध करती है । विभिन्न पुस्तकें जिन पर केसेस छपे हैं उनके लेखक कौन है, रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग ठीक की है कि नहीं, लिखने वाले की योग्यता क्या है ? क्या वह माननीय न्यायाधीश अथवा एडवोकेट है ? न्यायिक निर्णयों की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाने के बाद यह देखा जायेगा कि जो कि न्यायिक निर्णय प्रयोग में लाये गये हैं के लेखक वास्तविक है । निर्णय देने वाले न्यायाधीश नहीं है जो निर्णय लिखे गये हैं वह यथा मूल से ही लिये गये हैं ।

इनकी वैधता परीक्षित की जाएगी ।

इस प्रकार स्त्रोत सामग्री की समीक्षा पूर्ण की जाएगी और ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाणित तथा वैध सिद्ध कर लिये जायेंगें ।

8. ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य :–

ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत की घटनाओं मात्र का विवरण प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि उन विचार धाराओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना है जो इतिहास के विभिन्न कालों में उदित तथा विकसित हुई हैं ।

ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता अतीत की पृष्ठ भूमि में विचार धाराओं की व्याख्या करता है तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करता है । इस प्रकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नीति निर्धारण के मार्ग दर्शन में वह ऐतिहासिक अनुसंधान के तथ्यों से विशेष सहायता व सुविधा प्राप्त करता है । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्य नीति निर्धारकों को अतीत की त्रुटियों के प्रति सतर्क रखते हैं तथा भविष्य के लिये भी कुशल प्रशासक सदैव अतीत के अभिलेखों व पूर्व अनुभवों के आधार पर ही नीति निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन व शैक्षिक नियोजन के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की सोचता है तथा उसमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ता है ।

9. शोध प्रबंध की योजना :—

शोध प्रबंध के **प्रथम अध्याय** में समस्या शोध विधि तथा योजना का वर्णन किया गया है ।

द्वितीयं अध्याय में समस्या से संबंधित साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता, देश, प्रदेश तथा विदेश में सम्पन्न होने वाले शोध पर प्रकाश डाला गया तथा उनकी विवेचना प्रस्तुत की गई है ।

तृतीय अध्याय में भारत वर्ष तथा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास का विस्तृत वर्णन किया गया है ।

चर्तुथ अध्याय में प्राचीन इतिहास में न्याय प्रणाली तथा वादों के निस्तारण प्रकार से वर्तमान में न्याय प्रणाली तथा वाद निस्तारण के प्रकार की विस्तृत व्याख्या करते हुये उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है ।

पंचम अध्याय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक विवेचन करते हुये संविधान के अनुच्छेद 32, 214 तथा अनुच्छेद 226 में वर्णित विशेषाधिकारों का विस्तृत वर्णन है ।

षष्ठम अध्याय में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में आये शैक्षणिक वादों का विवेचन तथा विश्लेषण सारणीयन के माध्यम से व्यक्त किया गया है ।

सप्तम अध्याय में गहन अध्ययन के उद्देश्य से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के न्यायिक प्रकरणों के वृत्तिक इतिहास की विवेचना करते हुये अब तक हुये वादों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।

अष्टम अध्याय में निष्कर्ष व सुझावों पर प्रकाश डाला गया है तथा प्रस्तावित भावी शोध हेतु सुझाव तथा शोध की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है ।

10. प्रस्तुत शोध का शैक्षिक निहितार्थ –

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है वर्तमान किसी भी लोकतंत्र की सफलता, उसके नागरिकों के स्वस्थ मानसिक विकास एवं चरित्र पर निर्भर करती है, और यह गुण केवल उच्च शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं । शिक्षा संचालन तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है अर्थात –

प्राथमिक शिक्षा,

माध्यमिक शिक्षा,

एवं उच्च शिक्षा

इनमें से प्रथम दो प्रकार की शिक्षा का संचालन शासन द्वारा किया जाता है और तीसरी प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है । उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का व्यापक प्रभाव उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर दृष्टिगोचर होता है ।

विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्थान है, उसमें की गयी नियुक्तियां सार्वजनिक नियुक्तियों की परिभाषा में आती है । संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों अथवा उनमें अधीनस्थ महाविद्यालयों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकें, यदि वह उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यताऐं एवम् अर्हताऐं रखता है ।

उपरोक्त अधिनियम द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रमुख आधार शिक्षक की योग्यता एवम् उसका अनुभव माना गया है और उसके निर्धारण हेतु चयन समिति के गठन और उसकी संस्कृति की अनिवार्यता का प्रावधान किया जाना, इस अधिनियम की विशेषता है, और यही विशेष प्रावधान शिक्षा पर इस अधिनियम की विवक्षा (implication) कही जा सकती है । क्योंकि चयन समिति में विशेषज्ञों का किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो योग्यता का निर्णय करने में सक्षम है ।

प्रस्तुत शोध कार्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षामंत्रियों, शिक्षा सचिव, कुलपति, जनपद न्यायालयों के सुयोग्य अधिवक्ताओं, विश्वविद्यालय अधिकारियों, प्रबन्धतन्त्रों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानकारी में सहायक होगा तथा ऐसे ठोस सुझाव प्रस्तुत करेगा जो अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद कर सकेगा तथा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के आधार पर उच्च शिक्षा में निर्मित की जाने वाली नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा ।

अध्याय
द्वितीय

द्वितीय अध्याय

1. संबंधित साहित्य का अर्थ, कार्यक्षेत्र

2. संबंधित साहित्य के अध्ययन की उपादेयता

3. समस्या से संबंधित शोध
    1. देश
    2. प्रदेश
    3. विदेश में

4. सामग्री का विवेचन तथा प्रस्तुत शोध से तुलना

समस्या से संबद्ध साहित्य :–

शोध विषय से संबंधित ऐसा साहित्य विषय के किसी पक्ष अथवा सम्पूर्ण विषय पर विचार व्यक्त किये गये हों, संबद्ध साहित्य कहलाता है ।

1.संबंधित साहित्य का अर्थ

संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार के ग्रंथों, ज्ञानकोषों, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों, शोध प्रपत्रों तथा पत्र–पत्रिकाओं आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अनुसंधान कार्य की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है ।

ब्रूस. डब्लू.टकमैन[1]

ने पुनर्निरीक्षण के निम्नलिखित उद्येश्य बतलायें हैं :–

1. महत्वपूर्ण चरों को खोजना ।
2. जो अनुसंधान हो चुका है उससे, जो करने की आवश्यकता है, उसे पृथक करना ।
3. शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिये प्राप्त अध्ययनों का संकलन करना ।
4. समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका संबंध और प्राप्त अध्ययनों में इसके अंतर निर्धारित करना ।

(2) संबंधित साहित्य, सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र :–

संबंधित साहित्य सर्वेक्षण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं :–

(1) संबंधित साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समस्या के किन पक्षों को पहले ही अनुसंधान कार्य किया जा चुका है तथा अनुसंधान के लिये चयन किये गये क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का कार्य हो चुका है ।

---

1. ब्रूस. डब्लू. टकमैन "कन्डक्टिंग एजूकेशनल रिसर्च", न्यूयार्क, हरकोर्ट बेस जोनेवोविच, 1972

(2) समस्या के परिसीमन, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में संबंधित साहित्य का अध्ययन सहायक होता है ।

(3) समस्यागत परिकल्पनाओं के निर्माण में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण आवश्यक होता है ।

(4) शोध सामग्री एकत्र करने के उपयुक्त साधनों, उपकरणों, विधियों एवं परीक्षाओं को खोजने में भी सहायता करता है ।

(5) शोध सामग्री का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करने की अनेक विधियां हैं । समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से ये जानकारी होती है कि किन विधियों का प्रयोग पूर्व में शोध कर्ताओं ने किया है, शोध की सामग्री का विश्लेषण करने के लिये किसी विधि का प्रयोग करना उचित होगा ।

(6) लिये गये अनुसंधानों की सफलता तथा उसकी उपयोगिता के संबंध में पूर्वानुमान होता है ।

(7) प्राप्त निष्कर्षों के विश्लेषण के लिये सूझ पैदा करता है और समर्थन के लिये आधार प्रस्तुत कर अनुसंधान कर्ताओं में आत्म विश्वास विकसित करता है ।

(8) सर्वेक्षण साहित्य से ही ज्ञात होता है कि कौन से पक्ष ऐसे हैं जो शोधकार्य हेतु अभी तक अछूते रह गये हैं ।

2. संबंधित साहित्य के अध्ययन की उपादेयता

संबंधित साहित्य के अध्ययन की निम्न उपादेयता है :–

(1) ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिये आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात हो कि ज्ञान की वर्तमान सीमा कहां पर है ? वर्तमान ज्ञान की जानकारी संबंधित साहित्य के गहन अध्ययन से ही हो सकती है ।

(2) अब तक उस क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है ।

(3) संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण न करने से ये संभावना रहती है कि जो अनुसंधान कार्य पहले अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जा चुका है वो पुनः किया जा सकता है । अनेक बार एक ही क्षेत्र में कई अनुसंधान कार्य होते हैं, जो समय, श्रम व धन के अपव्यय मात्र हैं । संबद्ध साहित्य के अध्ययन से अनावश्यक पुनरावृत्ति की भूल से बचत होती है ।

(4) यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होता है ।

(5) यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है ।

(6) अनुसंधानकर्ता के समय की बचत करता है ।

(7) समस्या के सीमांकन में सहायक होता है ।

(8) अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करने एवं उसमें लगने वाले श्रम की बचत करता है ।

(9) पूर्व के अनुसंधानकर्ताओं ने जिस विधि का उपयोग किया है और जो परिणाम आये हैं उनकी परस्पर तुलना करके नये विधि के उपयोग की सूझ उत्पन्न होती है ।

(10) पूर्व में.किये गये कुछ अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों से प्रस्तावित शोध में प्राप्त निष्कर्ष का सत्यापन हो सकता है ।

(11) अनुसंधानकर्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाता है ।

(12) पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है और अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के प्रतिवेदन के अंत में सुझाव के रूप में नवीन समस्याओं को प्रस्तुत कर सकता है ।

संबंधित साहित्य की उपादेयता को पाश्चात्य मनीषियों ने निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया है :–

"किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है । यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते हैं तो हमारे कार्य के प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की संभावना है अथवा यह पुनरावृत्ति भी हो सकती है।"

बोर्ज. डब्लू.आर.

"मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी अर्थ पूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्रोत का द्वार खोल देती हैं तथा समस्या के परिभाषीकरण, अध्ययन के विधि के चुनाव तथ प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है । वास्तव में रचनात्मकता, मौलिकता तथा चिन्तन के विकास हेतु विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन आवश्यक है ।"

चार्टर.बी.गुड.

3.समस्या से संबंधित शोध

1. देश में
2. प्रदेश में
3. विदेश में

मैने देश, प्रदेश तथा विदेश से प्रकाशित होने वाले उन सभी संदर्भों का सूक्ष्मतम अध्ययन किया है । उन सभी शोध संदर्भों का अवलोकन तथा परीक्षण

किया है जो भारत में उपलब्ध है । 1961 में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित "एजूकेशनल इनवेस्टिगेशन इन इंडिया" (यूनिवर्सिटी कोष) में 1939 से 1961 तक का भी अध्ययन किया है । इसके साथ ही प्रोफेसर एम.एस.यादव की "एजूकेशनल रिसर्चेस इन इडिया" का भी अध्ययन किया है ।

प्रोफेसर एम.बी.बुच द्वारा संकलित शोध सर्वेक्षण के पांचों खंडों का, जिसमें भारत में 1935 से 1998 तक के मध्य किये गये शोध कार्यों का सम्पूर्ण संग्रह है, का भी विधिवत अध्ययन किया है तथा उनकी समीक्षा भी की है । आई.सी.एस.आई.आर. द्वारा "इंडियन डिजरट्रेशन एब्सट्रेक्ट" को भी देखा है, परन्तु किसी में भी यह नहीं पाया कि इस समस्या पर कोई शोध कार्य हुआ है ।

इंटरनेट पर भी शोध संदर्भों का अध्ययन किया है लेकिन इस समस्या पर कहीं भी और किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है ।

शोधकर्ती ने "लीगल एजूकेशनल आस्पेक्टस" पर प्रथम बार यह प्रयास किया है । इस शोध में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है तथा प्रपत्रों का संकलन, प्राथमिक एवं गौण स्रोतों द्वारा किया गया है ।

4.सामग्री का विवेचन तथा प्रस्तुत शोध से तुलना

संविधान की धारा 45 पर डॉ. दिनेश चंद्र मिश्र, कानपुर विश्वविद्यालय (1982) तथा डॉ. रामलखन विश्वकर्मा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (1984) द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका इस शोध से कोई संबंध नहीं है । अतः इनकी तुलना और विवेचना करना यहां समीचीन प्रतीत नहीं होता है ।

अतः यह प्रामाणिक है कि प्ररस्तुत शोध समस्या सर्वथा नवीन है तथा इस प्रकार का शोध कार्य प्रथम बार ही किया जा रहा है ।

अध्याय
तृतीय

तृतीय अध्याय

1. उच्च शिक्षा से अभिप्राय
2. यूनिवर्सिटी अधिनियम 1887
3. यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904
4. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिनियम 1921
5. उत्तरप्रदेश में उच्च शिक्षा
    1. विश्वविद्यालयों की प्रगति
        (a) विश्वविद्यालयों की योजनानुसार प्रगति
        (b) नामांकन
        (c) प्राध्यापक
        (d) कर्मचारी
    2. महाविद्यालयों की प्रगति
        () योजनानुसार महाविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि
        (b) नामांकन
        (c) प्राध्यापक
        (d) कर्मचारी
    3. राजकीय महाविद्यालयों की प्रगति
        (a) योजनानुसार राजकीय महाविद्यालयों में संख्यात्मक वृद्धि
        (b) नामांकन
        (c) प्राध्यापक
        (d) कर्मचारी

6. उच्च शिक्षा के विधिक आधार
    (a) राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम
    (b) शिक्षा संहिता
    (c) विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावली
    (d) उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम

1. उच्च शिक्षा से अभिप्रायः–

उच्च का शाब्दिक अर्थ है – ऊंची, श्रेष्ठ । तब उच्च शिक्षा का सामान्य अर्थ हुआ, ऊंची शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सामान्य शिक्षा से ऊंचे स्तर की हो । हमारे देश में उच्च शिक्षा की परंपरा वैदिक काल से ही रही है । उस समय उच्च शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के बाद की गुरूकुलीय शिक्षा से था । इसकी अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की थी ।

भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा का श्री गणेश यूरोपीय ईसाई मिशनरियों द्वारा हुआ । यहां सर्वप्रथम पुर्तगाली ईसाई मिशनरी आये जिन्होने प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा हेतु गोवा, कोचीन, चाल एवं बांद्रा में उच्च शिक्षा केन्द्र स्थापित किये । यहां लेटिन, पुर्तगाली, व्याकरण, संगीत और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी । परन्तु इनका स्वरूप आधुनिक उच्च शिक्षा से भिन्न था । सही अर्थों में भारत में उच्च शिक्षा का पर्दापण ईस्ट कंपनी के साथ हुआ । इसमें सर्वप्रथम 1781 में 'कलकत्ता मदरसा' की स्थापना की । 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी में बनारस में 'बनारस संस्कृत कॉलेज' की स्थापना की, तत्पश्चात् 1800 ईश्वी में कलकत्ता में केवल इंग्लैंड की उच्च शिक्षा प्रणाली पर आधारित 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना की ।

प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को और विस्तृत एवं विविध बनाने का सुझाव दिया । इसके बाद 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' 1917 में विश्वविद्यालयों में कृषि, कानून, आर्युविज्ञान, इंजीनियरिंग और शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया । परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ ।

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ । इसने उच्च शिक्षा के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय करने का सुझाव दिया परन्तु उस समय कुछ ही प्रांतों में इसे स्वीकार किया गया । 1964 में 'कोठारी आयोग' का गठन हुआ, इसने देश भर के लिये 10+2+3 शिक्षा

संरचना प्रस्तावित की । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने इसे लागू करने पर बल दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसे अनिवार्य कर दिया ।

भारत में उच्च शिक्षा से अभिप्राय व इसके उद्देश्य :–

भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्व प्रथम वुड के घोषणा पत्र 1854 में किया गया । राधा कृष्णन आयोग (1948) के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किये जा सकते हैं –

1. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हों ।

2. व्यक्ति के आनुवांशिक गुणों को ज्ञात कर उनका विकास करना ।

3. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें ।

4. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हों और समाज सुधार के अर्थों में सहयोग दे सकें ।

5. ऐसे विवेकशील नागरिक तैयार करना जो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिये, शिक्षा का प्रसार करें, ज्ञान की सदैव खोज करें, व्यवसाय का प्रबंध करें और देश में भौतिक अभावों की पूर्ति करें ।

6. ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करे, उसमें योगदान दें ।

7. विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना ।

8. विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों यथा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।

9. विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना ।

10. विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंर्तराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना ।

11. विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास करना ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में कहा गया है कि, उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान की प्राप्ति और नवीन ज्ञान की खोज, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विशेषज्ञों की तैयारी, युवकों में विस्तृत दृष्टिकोण के विकास और राष्ट्र के बहुमुखी विकास का साधन है । आज भारत में उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन्हे हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं :–

1. युवकों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना और उन्हे नये ज्ञान की खोज करने और सत्य की पहचान करने योग्य बनाना ।

2. राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विशेषज्ञों – प्रशासक, संगठनकर्ता, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन आदि का निर्माण करना ।

3. युवकों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की कुशलता और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता का विकास करना ।

4. युवकों में विस्तृत दृष्टिकोण – सामाजिक समानता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करना ।

5. युवकों को राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिये तैयार करना ।

2. यूनिवर्सिटी अधिनियम 1887–

शिक्षा को लेकर ईस्ट इंडिया कम्पनी के विभिन्न मत रहे तथा कम्पनी के डायरेक्टर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को ही आगे बढ़ाना चाहते थे । मुगल साम्राज्य का अभी भी प्रभाव इन क्षेत्रों में भी था जहां पर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पैर पसारने

शुरू कर दिये अतैव वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ते में एक मदरसा कायम किया जिसमें इस्लामिक शिक्षा के साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भी Introduce करने का प्रयास किया गया । प्रायः उसी समय में जॉन डंकन ने जो बनारस का रहने वाला था, बनारस में एक विद्यालय हिन्दुओं की संस्कृति व साहित्य को बचाने के लिऐ स्थापित किया । ईस्ट इंडिया कम्पनी का अधिकारी चार्ल्स ग्रांट, राजाराममोहन राय के साथ मिलकर एक हिन्दू कॉलेज की स्थापना कलकत्ते में कर चुका था जो बाद में प्रेसीडेंसी कॉलेज का मूल बिन्दु बना इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तथा मध्य तक यही मंथन चलता रहा कि किस प्रकार पूर्व की सभ्यता, बुद्धिमता, साहित्य एवं ज्ञान को पाश्चात्य प्रणाली के अनुरूप ढालकर धीरे–धीरे पश्चिम की सभ्यता को प्रश्रय देते हुऐ नई शिक्षा पद्धति बनाई जाऐ । ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रभुत्व के क्षेत्रों में कानून आदि बनाने की भी अनुमति दे दी गई थी । जिसके चलते 1857 में Legislative Council ने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु तीनों प्रेसीडेंसी नगरों में तीन अधिनियम विश्वविद्यालय स्थापना हेतु किये जो क्रमशः Calcutta University act II (1857)], University of B'bay Act XXII(1857) तथा मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट XXVII-(1857) थे ।

इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का मूल उद्येश्य ब्रिटेन की महारानी के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिऐ एक नियमित एवं उदार शिक्षा की प्रणाली इस उद्येश्य से लाई गई कि परीक्षा के माध्यम से यह तय किया जा सके कि यह वर्ग और समूह महिला, विज्ञान एवम् आर्टस Proficiency में हो गई है या नहीं और वे अपने ज्ञान की श्रेणीवार शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने योग्य है". अथवा नहीं ? उत्तर भारत में फोर्टविलियम स्थित कम्पनी मुख्यालय से कलकत्ता वि.वि. का प्रचार प्रसार कम्पनी के बढ़ते प्रभावी क्षेत्रों में बढ़ता रहा ओर उत्तर–पश्चिमोत्तर प्रांत तक बढ़ता गया । अतः भौगोलिक तथा प्रशासनिक कारणों से यह आवश्यक समझा गया कि 2 नये वि.वि. लाहौर एवम् इलाहाबाद में स्थापित किऐ जाये अतः **पंजाब यूनी. एक्ट (1982)** द्वारा लाहौर में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तथा उसके 5 वर्ष बाद **इला.यूनि. एक्ट** XVIII, (1887) द्वारा इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत Hon'ble Sir John II., Chief Justice of the High Court of Judicature for the North, Western pravineces, को इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया ।

3. यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 :–

सन् 1987 से सन् 1904 के मध्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अवध राजपूताना एवं मध्य के प्रांतों में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता रहा । तत्पश्चात् ब्रिटिश इंडिया में स्थापित विभिन्न, विश्वविद्यालयों का स्तर एक समान करने हेतु **इंडियन यूनिवर्सिटी अधि. 1904** पारित किया गया और इसी के द्वारा 1860 और 1884 के **इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्रीज एक्ट (1860)** तथा इंडियन यूनिवर्सिटीज Honerary degrees Act. (1884) को निर्सन (Repeal) कर दिया गया । इस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जों 1904 के अधिनियम द्वारा संशोधन किऐ गये वे सन् 1921 तक प्रभावी रहे ।

लार्डकर्जन के सभापतित्व में (1901) में शिमला में एक Educatioanl conference में एक हुई । जिसकी अनुशंसा पर लार्ड कर्जन ने (1902) में **यूनिवर्सिटीज कमीशन** स्थापित किया । इसके महत्वपूर्ण प्रस्तावों में विश्वविद्यालयों के मूल स्वरूप को ही बदल दिया गया । यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एवं शोध के केन्द्र होने चाहिये । जिसके लिये वे अपने प्रवक्ता और दूसरे शिक्षक वर्ग को नियुक्त करे, पुस्तकालय बनायें तथा प्रयोग शालाऐं स्थापित करें इस प्रकार (1904) के दीक्षांत समारोह में लार्डकर्जन ने इस बात को दोहराया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तथा वि.वि. उस ज्ञानार्जन एवं सृजन में केन्द्र बने रहेंगें ।

4. यूनिवर्सिटी अधिनियम 1921 :–

सन् 1904 के Indian Universities Act में पांचो विश्वविद्यालयों के स्वरूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया और उच्च शिक्षा के केन्द्रों में परिवर्तित करने का कार्य किया । जनवरी 1921 तक विभिन्न गर्वनर शासित प्रांतों में (Local Legislature) स्थानीय विधान मंडल अस्तित्व में आ चुके थे और शिक्षा, प्रांतीय विधान मंडलों का विषय बन चुकी थी । तब Allahabad Universitty Act. (1921) (U.P. Act. No. III of 1921) प्रांतीय विधान मंडल ने पारित किया जिसके फलस्वरूप 1887 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा चुका था, वह निर्वसित (Reapeal) हो गया और उसका स्थान प्रांतीय विध ान मंडल द्वारा पारित नये अधिनियम ने ले लिया । वाद में जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार होता रहा उसी प्रकार नये–नये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आये और उच्च

शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में एक उन्नत कदम बनकर ज्ञान के विभिन्न केन्द्रों को स्थापित करते रहे ।

5. उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा :–

1. प्रदेश के विश्वविद्यालयों की संख्या,

अ. 1999–2000 22

ब. 2000–2001 18

स. 2001–2002 18

2. डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या

अ. 1999–2000 05

ब. 2000–2001 05

स. 2001–2002 06

2. योजनानुसार महाविद्यालयों की प्रगति

(अ.) महाविद्यालयों की संख्या

1. सहशिक्षा

अ. 1999–2000 587

ब. 2000–2001 580

स. 2001–2002 643

2. महिला

अ. 1999–2000 176

ब. 2000–2001 178

स. 2001–2002 192

(ब.) महाविद्यालयों में छात्र संख्या

1. छात्र

अ. 1999–2000 690684

ब. 2000–2001 627667*

स. 2001–2002 650248*

2. छात्राऐं

अ. 1999–2000 428494

ब. 2000–2001 360619*

स. 2001–2002 390680*

(स.) महाविद्यालयों में अध्यापक संख्या

1. पुरूष

अ. 1999–2000 12145

ब. 2000–2001 10779

स. 2001–2002 10805

2. महिला

अ. 1999–2000 3710

ब. 2000–2001 3430

स. 2001–2002 3449

3. योजनानुसार राजकीय महाविद्यालयों की प्रगति :–

1. शासकीय

अ. 1999–2000 132

ब. 2000–2001 102

स. 2001–2002 103

2. अशासकीय

अ. 1999–2000 631

ब. 2000–2001 656

स. 2001–2002 732

अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या :–

अ. 1999–2000 356

ब. 2000–2001 341

स. 2001–2002 345

अनुदानित / स्ववित्तपोषीय अशासकीय महाविद्यालयों की संख्याः–

अ.	1999–2000	725
ब.	2000–2001	315
स.	2001–2002	387

6. उच्च शिक्षा के विधिक आधार :–

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा गुरूकुल की प्रणाली पर आधारित है । गुरूकुल के प्रधान यह तय करते थे कि किस विद्यार्थी को विद्या की कौन सी विधा में पारंगत किया जाये यह गुरूकुल पूर्णतयः समाज के आश्रय एवम् प्रश्रय में थी । मध्यकालीन युग में भी यह चलते रहे परन्तु इनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया क्योंकि तत्कालीन राजा एवं धनाड्य वर्ग भी अनुदान की सहायता अवश्य करने लगे और समाजिक मूल्यों के परिवर्तन के कारण वे इस सहायता के प्रतिरूप में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने लगे । मुगलकालीन साम्राज्य में शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन आया तथा समाज में एक नये धर्म का प्रवेश हुआ जो पूर्णतयः विभिन्न स्वरूप लिये हुये था । अरबी, फारसी की पढ़ाई तथा विदेशी संस्कृति का यह हस्ताक्षेप उच्च शिक्षा को भी अपने प्रभाव से अछूता नहीं छोड़ सका । इस मिश्रित बदलते हुए राजनैतिक एवम् सामाजिक परिवर्तनों को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू किये तब बहुत कमजोर पाया तथा लाभ उठाकर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को प्रचारित एवं प्रसारित किया ।

शिक्षा का यह प्रचार एवं प्रसार पहले शुद्ध व्यापारिक कंपनी द्वारा किया गया और बाद में इन्हे ब्रितानवी सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ यह संरक्षण अपरोक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी था परन्तु देश पर अपना शिंकजा कसने के पश्चात् प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करके बकायदा विधिक आधार लेकर शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया गया । इंग्लैंड तथा फोर्टविलियम में विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित की गई जो समय–समय पर शिक्षा संबंधी नीति निर्देश जारी करती रही । धीरे–धीरे 1857–1862 के मध्य तीन प्रेसीडेन्सी टाउन्स में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये जो पूर्णतः विधि द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रेरित थे और इस छोटे से कदम को लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के साथ–साथ पाश्चात्य सभ्यता का प्रथम कदम भारत में पसारा था ।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम :–

उच्च शिक्षा हेतु ब्रिटिश प्रणाली को लागू करते समय 1857 में Lagislative council ने तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की ।

- ❋ कलकत्ता विश्वविद्यालय
- ❋ बम्बई विश्वविद्यालय
- ❋ मद्रास विश्वविद्यालय

समय के साथ–साथ जैसे–जैसे ब्रितानवी प्रभुत्व देश में फैलता गया शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के बहाने, पाश्चात्य सभ्यता एवं आंग्ल भाषा की भी जड़ जमायी जाने लगी इस प्रकार बढ़ते हुये क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना एक के बाद एक होती गयी । जैसे–जैसे अनुभव बढ़ता गया विश्वविद्यालय अधिनियम में एकरूपता लाने के लिये संशोधन होते रहे इस दिशा में पहला प्रभावकारी कदम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में आया जिसने विश्वविद्यालयों में विद्यमान अनेको विसंगतियों का निराकरण किया । उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता पश्चात विश्वविद्यालयों का उच्च स्तर बनाये रखते हुये कई नये विश्वविद्यालय 60 व 70 के दशक में स्थापित किये गये इनमें तकनीकी विश्वविद्यालय भी शामिल थे । जिन्हे बाद में केन्द्र सरकार की तकनीकी परामर्श दात्री समिति की अनुशंसा पर अलग तकनीकी विश्वविद्यालयों की अधिनियमों के अंर्तगत ले आया गया ।

उ.प्र. में विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली की विस्तृत विवेचना के पश्चात यह समझा गया कि अधिकतर विश्वविद्यालय राज्य से अनुदान पाकर ही चल पा रहे हैं । तो विश्वविद्यालय का स्वतंत्र रूप बनाये रखते हुये उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुये सरकार का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयों की आय–व्यय कार्य आदि पर बना रहा । जहां पहले विश्वविद्यालय लगभग आंतरिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्र थे वे 1973 के अधिनियम के उपरांत सीमित स्वतंत्रता के दायरे में सिमट गये । कहने को तो विश्वविद्यालयों में शिक्षा संबंधी नीतियां निर्धारित करने का कार्य शिक्षा परिषद व कार्य परिषद को ही है किन्तु वास्तविक रूप में अप्रत्यक्ष प्रभाव का प्रयोग करते हुये राज्य की सरकार विश्वविद्यालय की आंतरिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है ।

इस पृष्ठ भूमि में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधि. 1973 विशेष क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहायक होता है और राज्य सरकार को ऐसा अधिकार भी देता है राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के विभिन्न अध्यायों में तथा अनेक धाराओं में विश्वविद्यालय संचालन, प्रवेश व परीक्षा लेने, तथा छात्रावास कोर्स को तय करना तथा विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर बनाये रखने के लिये नीति निर्देश भी देता है ।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 जब उ.प्र. में लागू हुआ तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था अतः 18 जून 1973 से अध्यादेश द्वारा गर्वनर ने इसे प्रख्यापित (Promulgate) किया उसके पश्चात् राज्य में जब राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ तब उत्तरप्रदेश की विधानसभा ने इसको पुनः कुछ संशोधनों के साथ पारित किया और यह उत्तर प्रदेश के विशेष गजट में 25 सितम्बर 1974 को प्रकाशित हुआ तथा इसका नाम उ.प्र. यूनिवर्सिटीज (reenectment and amendment) एक्ट 1974 (U.P.Act. No. 29 of 1974) हुआ इसकी धारा 1 में सुस्पष्ट किया गया कि **उ.प्र. स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973** के नाम से जाना जायेगा ।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम को अधिनियमित करने के कारण प्रथमतः उ. प्र. में उच्च शिक्षा के स्तर को तथा वित्तीय प्रशासन की आवश्यकता के कारण किया गया था । जिसको कि विश्वविद्यालय के संबंध में अनेक गठित समितियों तथा कुलपतियों के अधिवेशनों में की गयी । अनुसंशाओं एवं प्रस्तावनाओं को पूर्व दृष्टि में रखकर किया गया है । विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं प्रवेश समितियों के गठन के बारे में इस बिल में प्रावधान बनाये गये (Secutiry of service) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा संबद्ध महाविद्यालयों की सेवा सुरक्षा चयन समितियां अवैतनिक कोषाध्यक्ष की जगह वित्तीय अधिकारी, पत्राचार द्वारा शिक्षा कोर्स के बारे में प्रावधान करना, सहयोगी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षाओं की स्थापना करना, स्वायत्तशासी महाविद्यालयों या कार्यरत पुरूष महाविद्यालय की स्थापना करना परीक्षा संबंधी हुये हादसों में घायल अथवा मृतक शिक्षक को अनुदान देना, कार्य परिषद एवं शिक्षा परिषद का कसा हुआ गठन (Compact), कार्यपरिषद के सुचारू रूप से कार्य न कर

पाने पर अधिक्रांतित करना, व्यक्तिगत स्वार्थ/हित होने पर कार्यपरिषद की बैठकों में सदस्यों का भाग न लेना, छात्रों की विश्वविद्यालय प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना, स्नातक महाविद्यालय के प्रशासन को सुचारू रूप से नियंत्रित करना तथा विद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रवेश के समय अतिरिक्त धनराशि का संकलन करना, अपराधिक कार्यवाही माना जाना तथा विश्वविद्यालय के रोजमर्रा के कार्यों में दीवानी न्यायालयों द्वारा हस्ताक्षेप को प्रतिबंधित करना आदि मुख्य बिन्दु हैं ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सन् 1973 के अधिनियम का आधार विधायिकी द्वारा प्रदत्त शक्तियां ही हैं । उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में अब तक कुल 166 संशोधन हो चुके हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1.	प्रेसीडेन्ट एक्ट नं. 90, 1973	: राष्ट्रपति द्वारा 2.9.1975 को
2.	उ.प्र. अधिनियम 29 (1974)	: संशोधित तथा उ.प्र. अधिनियम 29(1974) द्वारा (re-enacted)"
3.	उ.प्र. अधिनियम 21(1975) धारा 2	: संशोधित धारा 1(3)
4.	उ.प्र.अधिनियम 29(1974)	: संशोधन धारा 1(4) (b)
5.	उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा	: संशोधन धारा 2(4)
6.	उ.प्र. एक्ट 20(1994) धारा 2	: धारा 2(5–A) अंतः स्थापित
7.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996) धारा 2(ए)	: धारा 2(5–B) अंतः स्थापित
8.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996) धारा 2(बी)	: धारा 2(6–ए) अंतः स्थापित
9.	प्रेसीडेन्ट एक्ट 4(1996) धारा 2(सी)	: धारा 2(8) अंतः स्थापित आगरा वि.वि. का नाम बदलकर "डॉ भीमराव अम्बेडर विश्वविद्यालय, आगरा" किया गया w.e.f. 23.09.95
10.	उ.प्र.एक्ट 18(1997) धारा 2	: धारा 2(8) अंतः स्थापित, नाम दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर वि.वि. w.e.f. 16.08.97

11.	उ.प्र. एक्ट 12(1997) धारा2	: धारा 2(8) अंतः स्थापित नाम श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर w.e.f. 24-09-95
12.	उ.प्र. एक्ट 5 (1994) धारा2	: धारा 2(8) अंतः स्थापित नाम श्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ w.e.f. 17-01-94
13.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996) धारा 2 (D)	: धारा 2 (9–ए) अंतः स्थापित w.e.f. 11-07-95
14.	उ.प्र. एक्ट 12(1998) धारा 2	: धारा 2(13) अंतःस्थापित प्रोवाइजो
15.	उ.प्र. एक्ट29 (1974) धारा 5	: धारा 2(18) Substituted mostly
16.	उ.प्र. एक्ट 26(1989) धारा 2	: धारा 4(1) अंतःस्थापित नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो 25 अप्रेल 1989 से प्रभावी हुआ ।
17.	उ.प्र. एक्ट 29(1974) धारा 6	: धारा 4 (1–ए) अंतः स्थापित
18.	राष्ट्रपति अधि.4(1996) धारा 3(ए)	: धारा 4 (1–ए) (बी) वैकल्पिक नाम डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजावाद 18.6.94 तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजावाद w.e.f. 11.07.95
19.	उ.प्र. एक्ट19 (1987)	: धारा 4 (1–ए) (बी) ओमिटेड लास्ट वर्ड
20.	उ.प्र. एक्ट18 (1997) धारा 3	: धारा 4 (1–ए) (सी) अंतः स्थापित नाम महात्मा ज्योति बाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली w.e.f. 16.8.1997
21.	उ.प्र. एक्ट11 (1999) धारा 2	: धारा 4(1–ए) (डी) वैकल्पिक वीरबहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर w.e.f. 8.1.1999
22.	उ.प्र. एक्ट12 (1978) धारा 3	: सबस्टीट्यूटेड धारा 4 (1–बी) (बी)
23.	उ.प्र. एक्ट19 (1987)	: धारा 4(1–बी) (वी) डिलीटेड वर्ड

24.	उ.प्र. एक्ट19 (1987)	: धारा 4(1–बी) (बी) सबस्टीट्यूटेड लास्ट लाइन
25.	उ.प्र. एक्ट 5 (1977) धारा 2	: धारा 4(1–बी) (बी) अंतः स्थापित प्रोवाइजो तथा 4 (1–बी) (सी)
26.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996) धारा 3(बी)	: धारा 4 (2) अंतः स्थापित नाम महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी w.e.f. 11.7.95
27.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996) धारा 4(ए)	: धारा 5(4) सबस्टीट्यूटेड श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय को आर्युर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित (समस्त उ.प्र. की) शक्ति प्रदान करती है ।
28.	उ.प्र. एक्ट12 (1997) धारा 3	: प्रतिस्थापित करती है । श्री शब्द छत्रपति धारा 5(4) w.e.f. 23.9.95
29.	उ.प्र. एक्ट14 (1977) धारा 9 एवं प्रेसीडेन्ट एक्ट–4 (1996) धारा 4 (बी)	: धारा 5 (5) अंतः स्थापित सम्पूर्ण उ.प्र. के होम्यौपैथिक चिकित्सा पद्धति के समस्त अधिकार या शक्ति प्रदान करता है डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा तथा छत्रपति एस.एम. विश्वविद्यालय कानपुर को ।
30.	प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996) धारा 4 (सी)	: धारा 5 (6) अंतः स्थापित w.e.f. 25.8.1995
31.	उ.प्र. एक्ट 20 (1994) धारा 4	: परांतुक प्रोवाइजो, धारा 6 प्रतिस्थापित w.e.f. 15.07.94
32.	उ.प्र. एक्ट 14 (1977) धारा 10	: धारा 7–ए अंतः स्थापित
33.	प्रेसीडेंट्स एक्ट 4(1996)धारा 5	: डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं छत्रपति एस.एम.
	उ.प्र.एक्ट 12(1997)धारा 3	: विश्वविद्यालय कानपुर का नाम प्रतिस्थापित करता है धारा 7–ए में w.e.f. 23.09.95
34.	उ.प्र. एक्ट 5 (1977) धारा 3	: धारा 8(3) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धाराएं प्रतिस्थापित करता हैं ।

35.	उ.प्र. एक्ट14 (1995) धारा 2	: धारा 9 (ff) अंतःस्थापित w.e.f. 25.2.95
36.	उ.प्र. एक्ट5 (1977) धारा 4	: धारा 12(2) (ए) अंतःस्थापित विशिष्ठ समयावधि रिक्ति (period specifying vacancy)
37.	उ.प्र. एक्ट 5 (1977) धारा 4	: धारा 12(2) (सी) परांतुक अंतःस्थापित
38.	उ.प्र. एक्ट 5 (1977) धारा 4	: धारा 12(5) अंतःस्थापित
39.	उ.प्र. एक्ट21 (1975) धारा 3	: धारा 12 (9) परांतुक अंतःस्थापित
40.	उ.प्र. एक्ट20 (1994) धारा 5	: धारा 12(12) एवं 12(13) अंतःस्थापित w.e.f. 15.7.94
41.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 5	: धारा 13(1) (ई) अंतःस्थापित
42.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 7	: धारा 13(4)अंश में प्रतिस्थापित
43.	उ.प्र.एक्ट 1(1992) धारा 2	: धारा 13(6) प्रथम पंक्ति में अंतःस्थापित w.e.f. 22.11.97
44.	उ.प्र.एक्ट 1(1992) धारा 2	: धारा 13 (8) द्वितीय पंक्ति में छःशब्द छोड़ दिये जायें (omitted six words) w.e.f.25-2-95
45.	उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 3	: धारा 16 (4) तृतीय पंक्ति में सात शब्द प्रतिस्थिपित किये जायें लागू की होने की तिथि 25.02.195
46.	उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 3	: धारा 16 (4) परांतुक छोड़ दिये जायें (Proviso omitted) w.e.f. 25.02.95
47.	उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 4	: धारा 16–ए अंतःस्थापित 25.02.95
48.	उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 4	: धारा 16–बी अंतःस्थापित w.e.f. 25.02.95
49.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 6	: धारा 17 (1) परांतु अंतःस्थापित
50.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 8	: धारा 17(2) कुछ शब्द प्रतिस्थापित
51.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 6	: धारा 17(3) परांतुक अंतःस्थापित
52.	उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 5	: धारा 18 कुछ शब्द प्रतिस्थापित w.e.f. 25.02.95

53. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996)धारा 6: अध्याय 4ए अंतः स्थापित w.e.f. 11.07.95

54. उ.प्र.एक्ट 20(1999) धारा 2 : धारा 20 (1) (डी) से 20(1) (डीडी) प्रतिस्थापित

55. उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 6 : धारा 20(1) (एच) अंतःस्थापित

56 उ.प्र.एक्ट 9(1988) धारा 2 : धारा 20(1) (एच) परांतुक अंतःस्थापित w.e.f.15.1.88

57. उ.प्र.एक्ट 10(1982) : धारा 20 (2) प्रतिस्थापित 8.7.1981

58. उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 6 : धारा 20 (2) (3) प्रतिस्थापित क्लॉजेज 25.2.95

59. उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 6 : धारा 20(3) प्रतिस्थापित एक शब्द 25.02.95

60. उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 8 : धारा 21 () ओमिटेड वर्डस

61. उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 8 : धारा 21() अंतःस्थापित छः शब्द

62. उ.प्र.एक्ट 21(1975) धारा 4 : धारा 21(3) अंतिम दो पंक्तियां अंतः स्थापित

63. उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 8 : धारा 21 (3–ए) एवं परांतुक अंतःस्थापित

64. उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 10 : धारा 22(1) () छोड़ दी जाये ।

65. उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 5 : धारा 25(3) 60 की जगह 65 प्रतिस्थापित

66. प्रेसीडेन्टस एक्ट4(1996) धारा 8(ए) : धारा 26 (1) (एए) एवं (एएए) अंतः स्थापित 11.07.95

67. उ.प्र.एक्ट 14(1995) धारा 7 : धारा 26(1) (ईई) अंतःस्थापित 25.02.95

68 प्रेसीडेंटस एक्ट 4(1996) धारा8(b) : धारा 26(1–ए) अंतःस्थापित 11.07.95

69. प्रेसीडेंटस एक्ट 4(1996) धारा8(e) : धारा 26(4) अंतःस्थापित 11.07.95

70. उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 11 : धारा 27(4) प्रथम परांतुक प्रतिस्थापित

71. उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 10 : धारा 27(4) तृतीय परांतुक प्रतिस्थापित

72. उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 11 : धारा 27(6) परांतुक सहित प्रतिस्थापित

73. उ.प्र.एक्ट 21(1974) धारा 5 : धारा 28(4) शब्द अंतःस्थापित

74. उ.प्र.एक्ट 20(1994) धारा 6 : धारा 28(5) तथा (5–ए) प्रतिस्थापित 15.7.94

75.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 11	:	धारा 29(4) अंतः स्थापित
76.	उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 10	:	धारा 31(1) शब्द छोड़ दिया जाय तथा
77.	उ.प्र.एक्ट 1(1992) धारा 3	:	धारा 31(1) अंतिम पंक्ति अंतः स्थापित 22.11.91
78.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(2) द्वितीय व तृतीय परांतुक अंतःस्थापित
79.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(3) (बी) दोनो परांतुक के साथ प्रतिस्थापित
80.	उ.प्र.एक्ट 1(1992) धारा 3	:	धारा 31(3) (ई) अंतःस्थापित 22.11.91
81.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(4) (ए) (2) द्वितीय परांतुक अंतःस्थापित
82.	उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 10	:	धारा 31(4) (ई) शब्द छोड़ दिया जाए
83.	उ.प्र.एक्ट 12(1978)	:	धारा 31(4) (ई) (2) अंतः स्थापित
84.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(4) (ई) तृतीय परांतुक अंतःस्थापित
85.	उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 10	:	धारा 31(4) (डी) शब्द छोड़ दिया जाये
86.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 12	:	धारा 31(4) (डी) परांतुक अंतःस्थापित
87.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 12	:	धारा 31(5) (डी) अंतःस्थापित
88.	उ.प्र.एक्ट 4(1995) धारा 2	:	धारा 31(7) परांतुक अंतःस्थापित 17.12.94
89.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 12	:	धारा 31(7—ए) अंतःस्थापित
90.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(8)(ए) परांतुक अंतःस्थापित
91.	उ.प्र.एक्ट 4(1995) धारा 2	:	धारा 31(8) (एए) परांतुक के साथ अंतःस्थापित प्रभावी हुआ 17.12.94
92.	उ.प्र.एक्ट 5(1977) धारा 12	:	धारा 31(2) एवं (12) प्रतिस्थापित
93.	उ.प्र.एक्ट 10(1983)	:	धारा 31(13) छोड़ दिया जाए प्रभावी हुआ 18.7.1981
94.	उ.प्र.एक्ट 9(1985)	:	धारा 31—ए अंतःस्थापित प्रभावी तिथि 10.10.84

95.	प्रेसीडेंटस एक्ट 4(1996) धारा 9	:	धारा 31–ए दो पंक्तियों प्रतिस्थापित 11.7.95
96.	उ.प्र.एक्ट 9(1998) धारा 2	:	धारा 31–एए अंतःस्थापित प्रभावी हुआ 19.9.97
97.	उ.प्र.एक्ट 21(1999) धारा 2	:	धारा 31–एए (3) अंतःस्थापित
98.	उ.प्र.एक्ट 9(1998) धारा 3	:	धारा 31–बी अंतःस्थापित
99.	उ.प्र.एक्ट 21(1975) धारा 6	:	धारा 33 तृतीय पंक्ति प्रतिस्थापित
100.	उ.प्र.एक्ट 29(1974) धारा 13	:	धारा 34 (1) चर्तुथ पंक्ति में आठ शब्द छोड़ दिये जायें ।
101.	उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 10	:	धारा 35(1) शब्द छोड़ दिए जायें ।
102.	उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 7	:	धारा 37(2) परांतुक छोड़ दिये जायें ।
103.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977), धारा 13	:	धारा 37(9) अंतःस्थापित
104.	उ.प्र.एक्ट 19(1987) धारा 14	:	धारा 38(8) प्रतिस्थापित
105.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 15	:	धारा 46 पंक्ति 6 से 8छोड़ दिए जायें ।
106.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 16	:	धारा 46–ए अंतःस्थापित
107.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 16	:	धारा 49(डी) तथा (ई) प्रतिस्थापित
108.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 16	:	धारा 49(0) प्रतिस्थापित
109.	उ.प्र.एक्ट 29(1977) धारा 15	:	धारा 50(1–ए) अंतःस्थापित
110.	उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 17 तथा उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 4 "1978" प्रतिस्थापित हुआ एक्ट 15 (1980) से तथा उ.प्र.एक्ट 9 (1988) तक	:	दिसम्बर 31, 1990 तक प्रतिस्थापित द्वारा उ.प्र. एक्ट नं. 9 (1988) धारा 3 प्रभावी तिथि 1.1.1988
111.	उ.प्र.एक्ट 5 (1987)	:	धारा 50(1–बी) अंतःस्थापित
112.	उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा 15 नोट–31 दिसमबर 1980 के बाद उ.प्र.एक्ट 9 (1988) द्वारा, प्रभावी तिथि 1.1.1988	:	धारा 50(2) प्रतिस्थापित

113. उ.प्र.एक्ट 4 (1995) धारा 3	:	धारा 50(6) अंतःस्थापित प्रभावी तिथि 17.12.1994
114. उ.प्र.एक्ट 9 (1998) धारा 3	:	धारा 50(6) प्रतिस्थापित प्रभावी 19.9.97
115. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 18	:	धारा 51 (2) (आई) प्रतिस्थापित
116. उ.प्र.एक्ट 19 (1987) धारा	:	धारा 52 (2–ए) अंतःस्थापित
117. उ.प्र.एक्ट 12 (1978) धारा 5	:	धारा 55 (8) (बी) प्रतिस्थापित
118. उ.प्र.एक्ट 12 (1977) धारा 6	:	धारा 55–ए अंतःस्थापित
119. उ.प्र.एक्ट 9 (1998) धारा 5	:	धारा 57 (आईआई) अंतःस्थापित प्रभावी तिथि 19.9.97
120. उ.प्र.एक्ट 4 (1983)	:	धारा 58 (1) परांतुक को प्रतिस्थापित किया से प्रभावी होने की तिथि 25.06. 1982
121. उ.प्र.एक्ट 4 (1983)	:	धारा 58(1) द्वितीय परांतुक प्रतिस्थापित प्रभावी होने की तिथि 25.06.82
122. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 9	:	अध्याय 11–ए अंतःस्थापित
123. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 19	:	धारा 60–CC अंतःस्थापित
124. उ.प्र.एक्ट 9 (1998) धारा 6	:	धारा 65(2) शब्द छोड़ दिये जायें प्रभावी होने की तिथि 19.7.97
125. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 10	:	धारा 68 चर्तुथ पंक्ति अंतःस्थापित
126. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 20	:	धारा 68 द्वितीय परांतुक क्लोज(सी) छोड़ दिये जायें
127. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 21	:	धारा 68–ए अंतःस्थापित
128. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 11	:	धारा 69 प्रतिस्थापित
129. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 12	:	धारा 72(1) प्रतिस्थापित
130. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 22 एवं उ.प्र.एक्ट 12(1978) धारा 7	:	धारा 72 (2) परांतुक प्रतिस्थापित
131. उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा 16	:	धारा 72–ए अंतःस्थापित
132. उ.प्र.एक्ट 12 (1978) धारा 8	:	धारा 72–ए (सी) एवं (डी) प्रतिस्थापित

133. उ.प्र.एक्ट 15 (1980)	:	1978 प्रतिस्थापित 1981 से प्रभावी होने की तिथि 1.1.1979
134. उ.प्र.एक्ट 26 (1989) धारा 3	:	धारा 72–बी अंतःस्थापित प्रभावी होने की तिथि 24.4.89
135. उ.प्र.एक्ट 5 (1994) धारा 3	:	धारा 72–सी अंतःस्थापित प्रभावी तिथि 17.1.94 से
136. उ.प्र.एक्ट 20 (1994) धारा 7	:	धारा 72–डी अंतःस्थापित प्रभावी तिथि 18.6.1994 से
137. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996)धारा10	:	धारा 72–डी (1) प्रभावी दिनांक 11.7. 1995 से
138. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996) धारा10	:	धारा 72–डी(2) अंतःस्थापित प्रभावी दिनांक 11.7.1995 से
139.प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996)धारा11ए	:	धारा 72–ई अंतःस्थापित प्रभावी दिनांक 11.7.95 से
140. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996) धारा11बी	:	धारा 72–एफ अंतःस्थापित प्रभावी दिनांक 23.9.1995 से
141. उ.प्र.एक्ट 12 (1997) धारा 4	:	धारा 72–एफ अंतःस्थापित
142. उ.प्र.एक्ट 12 (1997) धारा 4	:	धारा 72–एफ (2)अंतःस्थापित
143. उ.प्र.एक्ट 18 (1997) धारा 4	:	धारा 72–जी अंतःस्थापित
144. उ.प्र.एक्ट 11 (1999) धारा 3	:	धारा 72–एच अंतःस्थापित प्रभावी दिनांक 8.1.1999 से
145. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 4 एवं उ.प्र.एक्ट 12 (1978) धारा 9	:	धारा 73 (1) परांतुक प्रतिस्थापित
146. उ.प्र.एक्ट 15 (1980) उ.प्र.एक्ट 25 (1982) 1982	:	1978 प्रतिस्थापित द्वारा 1981 प्रभावी दिनांक 1.1.79 से 1981 प्रतिस्थापित द्वारा प्रभावी दिनांक 23.12.1981 से
147. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 13	:	धारा 74 (2) प्रतिस्थापित
148. उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा 17	:	धारा 74 (3) (ए) छोड़ दिया जाये
149. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 25	:	धारा 74 (3) (बी) छोड़ दिया जाये

144

150. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 13 : धारा 74 (3) (डी) परांतुक अंतःस्थापित सदैव स्वायत्तशासी

151. उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा 17 : धारा 74 (3) (जी) एवं (आर) अंतःस्थापित

152. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 13 : धारा 74 (3) (जी) (3) अंतःस्थापित 1976

153. उ.प्र.एक्ट 5 (1977) धारा 25 अनुसूची : धारा 74 (3) (1) एवं (जे) अंतःस्थापित

154. उ.प्र.एक्ट 29 (1974) धारा 18 : इन्ट्री 3 से 11

155. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4(1996) धारा12एः इन्ट्री 3 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा

156. उ.प्र.एक्ट 19 (1987) : इन्ट्री 4 प्रतिस्थापित

157. उ.प्र.एक्ट 18 (1987) धारा 5 : इन्ट्री 4 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

158. उ.प्र.एक्ट 21 (1975) धारा 14 : इन्ट्री 5 प्रतिस्थापित

159. प्रेसीडेन्टस एक्ट 4 (1996) धारा12 : इन्ट्री 5 श्री साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर प्रतिस्थापित

160. उ.प्र.एक्ट 12 (1997) धारा 5 : इन्ट्री 5 श्री शब्द छत्रपति से प्रतिस्थापित

161. उ.प्र.एक्ट 5 (1974) धारा 4 : इन्ट्री 6 प्रतिस्थापित नाम चौधरी चरणसिंह प्रभावी 17.1.94 से

162. उ.प्र.एक्ट 26 (1979) धारा 4 : इन्ट्री 8 प्रतिस्थापित नाम हेमावतीनंदन बहुगुणा प्रभावी दिनांक 19.4.89 से

163. उ.प्र.एक्ट 4 (1996) धारा 12 बी : इन्ट्री 10 नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रतिस्थापित दिनांक 11.7.95 से

164. उ.प्र.एक्ट 18 (1997) धारा 5 : इन्ट्री 11 नाम महात्मा ज्योति बा फुले प्रतिस्थापित

165. उ.प्र.एक्ट 19 (1987) : इन्ट्री 12 अंतःस्थापित

166. उ.प्र.एक्ट 11 (1999) धारा 4 : इन्ट्री 12 नाम वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी प्रभावी दिनांक 8.1.1999

अभी तक के संशोधित अधिनियमों की सूची :–

1. उ.प्र.एक्ट नम्बर 29 : (1974)
2. उ.प्र.एक्ट नम्बर 21 : (1975)
3. उ.प्र.एक्ट नम्बर 5 : (1977)
4. उ.प्र.एक्ट नम्बर 12 : (1978)
5. उ.प्र.एक्ट नम्बर 15 : (1980)
6. उ.प्र.एक्ट नम्बर 10 : (1982)
7. उ.प्र.एक्ट नम्बर 25 : (1982)
8. उ.प्र.एक्ट नम्बर 4 : (1983)
9. उ.प्र.एक्ट नम्बर 10 : (1983)
10. उ.प्र.एक्ट नम्बर 9 : (1985)
11. उ.प्र.एक्ट नम्बर 14 : (1987)
12. उ.प्र.एक्ट नम्बर 19 : (1988)
13. उ.प्र.एक्ट नम्बर 9 : (1989)
14. उ.प्र.एक्ट नम्बर 26 : (1992)
15. उ.प्र.एक्ट नम्बर 1 : (1994)
16. उ.प्र.एक्ट नम्बर 5 : (1994)
17. उ.प्र.एक्ट नम्बर 20 : (1995)
18. उ.प्र.एक्ट नम्बर 4 : (1995)
19. उ.प्र.एक्ट नम्बर 14 : (1996)
20. प्रेसीडेंट्स एक्ट नम्बर 4 : (1996)
21. उ.प्र.एक्ट नम्बर 12 : (1997)
22. उ.प्र.एक्ट नम्बर 18 : (1997)
23. उ.प्र.एक्ट नम्बर 9 : (1998)
24. उ.प्र.एक्ट नम्बर 11 : (1999)
25. उ.प्र.एक्ट नम्बर 20 : (1999)

शिक्षा संहिता :–

राज्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के संवंध में दिये गये दिशा निर्देश शासनादेशों या अधिसूचनाओं के रूप में संकलित राज्य शिक्षा संहिता कहलाते हैं इनमें विभिन्न स्तरों पर बनाई गयी आरक्षण नीति सेवा नियमावलियां स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर के प्रवेश नियमावली अन्य शिक्षणेत्तर सेवाओं के अधिकार एवं उससे संबंधित ग्रेच्युटी, पेंशन, नियम आदि का संकलित समूह आदि का प्रावधान किया गया है इससे इन सबका एक जगह मिल जाना शिक्षा संबंधी नीति निर्देश का अनुपालन करने में सहायक होते हैं ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियां :–

क्र.	विश्वविद्यालय	परिनियमावली की तिथि	प्रभावी होने की तिथि	आंशिक परिवर्तन संशोधन एवं प्रभावी तिथि
1.	आगरा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	30 जून 1977	15 जुलाई 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1978 :238.78 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 12.6.1979 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 29.9.80 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980 :1.10.80 पंचम संशोधन परिनियमावली 1981 : 10.2.81
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1976	15 जुलाई 1976	1 अगस्त 1976	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1977 : 15.4.77 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.4.1977 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1977 : चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1977 :20.6.77 पंचम संशोधन परिनियमावली 1977 : षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1978 : 19.7.78 सप्तम संशोधन परिनियमावली 1978 : 21.8.78 अष्टम संशोधन परिनियमावली 1979 : 17.5.79 नवम संशोधन परिनियमावली 1980 : 20.06.80 दशम् संशोधन परिनियमावली 1980 : 1.10.80 एकादश संशोधन परिनियमावली 1980: 21.11.80

3.	अवध विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली	1 अप्रेल 1978	15 अप्रेल 1978	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1979 : 29.5.79 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 09.10.80
4.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	15 अक्टूबर 1977	22 अक्टूबर 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.1978 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1978 : 27.12.78 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 24.5.79 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980 : 09.10.80
5.	गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1978	25 जून 1978	1 जुलाई 1978	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1978 1979 : 15.11.79 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 6.10.80 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 13.11.80 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1981 : 20.01.81
6.	गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	12 जनवरी 1977	26 जनवरी 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 11.05.77 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.6.77 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1977 : 31.10.77 पंचम संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78 षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.11.78 सप्तम संशोधन परिनियमावली 1979 : 19.5.79

				अष्टम संशोधन परिनियमावली 1980 : 21.2.80 नवम् संशोधन परिनियमावली 1980 : 1.10.1980 दशम् संशोधन परिनियमावली 1980 : 17.11.80
7.	कानपुर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	15 जून 1977	1 जुलाई 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.6.77 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 10.10.79 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980: 1.10.80 पंचम संशोधन परिनियमावली 1980 : 6.10.1980 षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1981 : 20.1.81
8.	काशी विद्यापीठ प्रथम परिनियमावली 1977	2 मई 1977	15 मई 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 19.11.79 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 08.10.80 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980 : 17.11.80
9.	कुमायू विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	7 नवम्बर 1977	20 नवम्बर 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 5.11.79 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980 : 30.9.1980

				पंचम संशोधन परिनियमावली 1980 : 6.10.80 षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1981 : 20.1.81
10.	रौहिलखंड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	20 दिसंबर 1977	26 दिसंबर 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1978: 25.11.78 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1979 : 22.05.79 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1980 : 09.10.80 पंचम संशोधन परिनियमावली 1980 : 27.12.80
11.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली 1978,	20 दिसम्बर 1978	26 दिसम्बर 1978	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1980 : 8.10.80 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1980 : 02.12.80
12.	लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली	22 दिसम्बर 1975	1 जनवरी 1976	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1977 : 15.4.77 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.04.77 तृतीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 11.5.77 चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.06.77 पंचम संशोधन परिनियमावली 1977 : 15.4.77 षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.8.77 सप्तम संशोधन परिनियमावली 1978: 15.4.78 अष्टम संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.8.78

				नवम् संशोधन परिनियमावली 1978 : 28.10.78 दशम् संशोधन परिनियमावली 1978 : 23.11.78 एकादश संशोधन परिनियमावली 1979 : 14.5.79 द्वादश संशोधन परिनियमावली 1979 : 5.6.79 तेरहवां संशोधन परिनियमावली 1980 : 15.1.80 चौदहवां संशोधन परिनियमावली 1980 : 30.5.80 पंद्रहवां संशोधन परिनियमावली 1980 : 1.10.80 सोलहवां संशोधन परिनियमावली 1980 : 13.11.80 सत्रहवां संशोधन परिनियमावली 1981 : 21.11.80
13.	मेरठ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1977	20 अप्रेल 1977	1 मई 1977	प्रथम संशोधन परिनियमावली 1977 : 11.5.77 द्वितीय संशोधन परिनियमावली 1977 : 20.6.77 तृतीय संशोधन परिनियमावली चतुर्थ संशोधन परिनियमावली 1979 : 12.6.79 पंचम संशोधन परिनियमावली 1980 : 9.9.80 षष्ठ संशोधन परिनियमावली 1980 : 6.10.80 सप्तम संशोधन परिनियमावली 1980 : 25.11.80

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम–1980 :–

सन् 1975 में कुलपतियों की कान्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया था कि शासन को यह अनुसंश की जाये कि सन् 1973 की उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के लागू हो जाने के बाद संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया में उत्पन्न बाधाओं के निराकरण हेतु एक सेवा आयोग बनाया जाये जो महाविद्यालयों के शिक्षकों की एकसारता से नियुक्ति करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी यह संस्तुति पहले भी की थी, कि संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु ऐसा आयोग गठित किया जाये जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हो तथा 1973 के अधिनियम से नियंत्रित होता हो । इस प्रकार उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 1979, उ.प्र.विधान सभा में 4.9.1979 को पेश किया गया ।

इस विधेयक को 18 जनवरी 1980 को विधान परिषद द्वारा अपनी चयन समिति को भेज दिया गया जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 6 फरवरी 1980 को विधेयक के स्वरूप में संशोधित किया गया । लेकिन विधान परिषद में संशोधन के पूर्व ही विधान सभा भंग कर दी गई अतैव इस विधेयक को पुनः विधान सभा में प्रस्तुत किया गया और यह 21 अगस्त 1980 से प्रभावी हुआ ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यह आयोग एक स्वतंत्र, स्वशासी कानूनी निकाय है । यह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के आधीन नहीं है और न ही उसके किसी आदेशों का अनुपालन करने को बाध्य है । यह चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र रूप से महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के चयन हेतु है । (राम गोपाल, अध्यक्ष उ.प्र.शिक्षा आयोग एवं अन्य प्रति राज्य सरकार एवं अन्य, 1999, यू.पी.एल.बी.ई.सी., (2), 825) ।

इस आयोग के अस्तित्व में आने के पहले हर महाविद्यालय अपनी चयन समिति नियुक्त करता था जिसमें विश्वविद्यालय के भी नामित सदस्य होते थे । जिनका कि अक्सर एक साथ एकत्रित होना संभव नहीं हो पाता था, अतएव चयन की प्रक्रिया अत्यंत मंहगी एवं अनिश्चित होती थी जो कि आयोग गठित होने के पश्चात समाप्त हो गई ।

इस अधिनियम के अंर्तगत नियुक्तियों को प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में विशेष प्रावधान दिये गये ।

अध्याय
चतुर्थ

चतुर्थ अध्याय

प्राचीन काल व मध्य काल में न्यायायिक प्रक्रिया एवं वाद

1. न्याय, वैदिक काल

2. सूत्र काल (सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी पूर्व तक)

3. एपिक काल(900 वर्ष ईसा पूर्व से 200 वर्ष ईसा पूर्व तक)

4. धर्म शास्त्र काल

5. प्राचीन भारत

6. मौर्य काल (300वीं ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व)

7. गुप्त काल (320 ए.डी. से 6 वीं ए.डी. के अंत तक)

8. हर्षवर्धन काल (606 ए.डी. से 647 ए.डी.)

9. ब्रिटिश काल में न्यायायिक प्रक्रिया ।

न्यायिक प्रक्रिया व शैक्षिक बाद

1. प्राचीन काल व मध्य काल में न्यायिक प्रक्रिया

(1) न्याय, वैदिक काल :–

इस काल में न्याय व्यवस्था की प्रचुर साक्ष्य सामग्री उपलब्ध नहीं है । इस काल में मृतक के आश्रितों को प्रतिभार प्रदान करने की प्रथा थी । रक्त स्राव की स्थिति में रक्त का प्रतिकर सौ सिक्के निश्चित किया गया था, लेकिन कम दाम देने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता था और शत्रु को माफ कर दिये जाने की परिस्थिति कम ही बन पाती थी । प्रतिकर का इस तरह का निर्धारण किया जाना आदि काल के रक्त के बदले रक्त के सिद्धांत की तुलना में न्यायिक विकास ही समझा जाना चाहिए । उग्र एवं जीव ग्रिव शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि पुलिस प्रणाली भी धीरे–धीरे अपना रूप ले रही थी क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि अपराधी जीवित ही पकड़ा गया है ।

विवाद तय करने वाले पंच को **"मध्यमा–सी"** एवं ग्राम न्यायाधीश को "ग्राम–वादिन" नाम से जाना जाता था । विधि एवं रूढ़ि के लिये ऋग्वेद में **"धर्मन"** शब्द का प्रयोग किया गया है । चोरी लूट, राजमार्ग पर लूट और छल इस काल के प्रचलित अपराध थे । रात्रि को पशुओं का चुराया जाना सामान्य था । अपराधी को काठ मारना प्रचलित दंड था, फरसे या कुल्हाड़ी को लाल तप्त करके अपराधी को दागना भी उस समय का प्रचलित दंड था । कर्जदार को महाजन एक खंबे से बांधकर अपने ऋण की अदायगी के लिये दबाब डाल सकता था ।

(2) सूत्र काल (सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी पूर्व तक)

धर्म सूत्र के अनुसार राजा न्याय या विधि का स्रोत नहीं था, वरन न्याय एवं विधि का पालन कर्ता था । गौतम के अनुसार न्याय व्यवस्था वेद, धर्मसूत्र, वेदांग, पुराण और उपवेद द्वारा संचालित की जाती थी । राजा का धर्म, वर्ण व्यवस्था एवं जीवन की विभिन्न विधाओं को संरक्षित करना था । विभिन्न समूहों जैसे कृषक, व्यवसायी, व्यापारी एवं श्रमिकों को अपनी गतिविधियों को

संचालित करने वाली विधि के विधायन का अधिकार था । यहां पर इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक हो जाता है कि इस काल में औरतों को अधिकार प्राप्त नहीं था, यहां तक की विधवाओं को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार तक नहीं था । इस काल में मुख्यतः हमला करना, जार कर्म एवं चोरी, तीन अपराधों का जिक्र है, तथा दंड व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी ।

(3) एपिक काल (900 वर्ष ईशा पूर्व से 200 वर्ष ईशा पूर्व तक):–

इस काल की न्याय व्यवस्था, राजा, एक मंत्री एवं चारो वर्णों के सलाहकार परिषद द्वारा संचालित एवं नियंत्रित करता था । साक्षियों की प्रति परीक्षा दोनो पक्षकारों द्वारा की जाती थी तथा सत्य की परीक्षा के लिये अग्नि परीक्षा, तेल परीक्षा एवं जल परीक्षा का प्रचलन था । दोषी पाये जाने पर धनवान लोगों पर अर्थदंड तथा गरीबों को कारागार में डाल दिये जाने की प्रथा थी । ज्यूरी के सदस्यों का चयन पास पड़ोस के लोगों से किया जाता था तथा प्लीडर की कोई व्यवस्था नहीं थी । मध्यस्थम व्यवस्था अपने चर्मोत्कर्ष पर थी, रिश्वत लेना पाप समझा जाता था तथा अपराधी को दंडित करना राजा का दायित्व था । चोरी के अपराध के लिये कठोरतम दंड दिया जाता था ।

(4) धर्म शास्त्र काल :–

इस काल में मनु स्मृति की रचना हुई थी जो बाद में हिन्दु न्याय शास्त्र का आधार बना इस काल में राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी एवं जनता का संरक्षक था । राज्य की व्यवस्था करने में जो लोग उसकी सहायता करते थे वे **'सहयास'** के नाम से जाने जाते थे । राजा एक सलाहकार परिषद की राय भी लेता था तथा इस परिषद का मुखिया **'महामात्य'** कहा जाता था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था । राजा विधि का विधायन नहीं कर सकता था, वह केवल विधि का पालन करता था । विधि के स्रोत वेद एवं धर्मशास्त्र आदि थे । इस संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय, विशेषज्ञों की परिषद की सहायता से किया जाता था । जाति, कुल, श्रेणी एवं जनपद को अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिये उचित विधि के विधायन का अधिकार था, तथा राजा द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना राजा का ही दायित्व था ।

(5) प्राचीन भारत –

इसी काल में उत्तर भारत में एक विकसित एवं विशिष्ट न्यायिक व्यवस्था अस्तित्व में आई । 16 स्वतंत्र राज्य थे जिनको षोडष महाजनपद के नाम से जाना था । राजा न्याय का प्रमुख स्रोत था तथा स्थानीय प्रथाओं के अनुसार न्याय को सुनिश्चित करना उसका धर्म था । न्यायालयों की कई कोटियां एवं राजा स्वयं उच्चतम न्यायालय की भूमिका में था । हर स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया अलग–अलग थी । न्याय व्यवस्था में जाति, परिवार तथा परिक्षेत्र प्रमुख भूमिका रखते थे । प्राचीन भारत में न्यायाधीशों को सभ्यास कहते थे ये राजा के द्वारा नियुक्त तो होते थे पर ये राजा के मातहत नहीं होते थे । मनु एवं कौटिल्य के अनुसार राजा भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे । यह न्यायिक व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ युगों युगों तक चलती रही, लेकिन मूल आधार या मूल सिद्धांतों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुये । जहां तक न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है अवध क्षेत्र में राजा श्रीराम के समय से अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निष्कासन 1856 ईश्वी तक न्यायिक व्यवस्था लगभग एक सी रही ।

(6) मौर्यकाल (320बी ईशा पूर्व से 184 ईशा पूर्व)

मौयकाल की न्यायिक व्यवस्था वर्तमान न्यायिक व्यवस्था की जननी कही जा सकती है । न्याय प्रणाली व्यवहार न्यायालय जिसे **'धर्म स्थीय'** न्यायालय कहते थे जिसमें व्यवहारिक वाद यथा जैसे विक्रय, उपहार, धन संपदा, विवाह, उत्तराधिकार एवं संविदा से उत्पन्न विवादों का निस्तारण होता था । अपराध न्यायालय **'कंटक शोधन'** न्यायालय कहलाते थे जिनमें चोरी लूट, हत्या तथा यौन अपराध से संबंधित वादों का निरस्तारण किया जाता था । यदि पक्षकार निचले न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते थे तो वे उच्च न्यायालय से अपील कर सकते थे । सर्वोच्च न्यायालय राजा तथा परिषद होते थे । अकेला राजा सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता था । सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था । प्रांतों में प्रांतीय अपीलीय न्यायालय तथा जनपदों में जनपद न्यायालय हुआ करते थे । मौर्य दंड व संहिता बहुत कठोर थी जिसमें शारीरिक यातना, अंगभंग

एवं अग्नि परीक्षा, खौलते हुये तेल में परीक्षा की व्यवस्था थी । उनके गलत कामों के लिये वे सजा पाने के अधिकारी होते थे प्राचीन भारत में फौजदारी के न्यायालयों को कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था न्यायपालिका की विशिष्ट संहिता प्रक्रिया एवं प्रणाली थी अद्भुत बात ये है कि उस समय भी **वृत्तिक अधिवक्ता** होते थे जो अपने कार्य के लिये फीस लेते थे । ये अधिवक्ता **"धम्य परिकास या रूप दक्षस तथा प्रतिनिधि"** के नाम से जाने जाते थे ।

(7) गुप्त काल (320 ए.डी. से 6वीं ए.डी. के अंत तक)

गुप्त काल की न्याय व्यवस्था मौर्यकालिक न्याय व्यवस्था अनुरूप ही थी । गुप्त काल की न्याय व्यवस्था में पुलिस पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गई थी, तथा आधुनिक पुलिस व्यवस्था की तरह आरोपित व्यक्ति को न्याय मिलने तक पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता था । गुप्त काल की न्याय व्यवस्था में मृत्यु दंड की व्यवस्था केवल राजद्रोह के जैसे अपराध के लिये ही थी । बार–बार अपराध करने वालों का दाहिना हाथ या नाक–कान काटकर जंगल में छोड़ देने की व्यवस्था थी । राजद्रोह जैसे अपराध में न केवल मृत्युदंड की व्यवस्था थी वरन् मृत्युदंड इस तरह दिया जाता था कि कोई सामान्य जन इसको देखकर ऐसा करने का साहस न कर सके । राजद्रोह के अपराधी को डुग्गी पीटते हुये सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा कर उसका नाम तथा उसका अपराध जन सामान्य को बताते हुये वधस्थल तक ले जाते थे तथा बहुत ही डरावने, उत्पीड़क ढंग जैसे मस्त हाथी दबवा देना जैसे तरीकों से मृत्युदंड दिया जाता था । सामान्य अपराधों में अग्नि परीक्षा, खौलते तेल में परीक्षा तथा विष परीक्षा का दंड था जिसके पीछे यह मान्यता थी कि यदि कोई निर्दोष है तो वह बच जायेगा और यदि दोषी है तो मर जायेगा । यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गुप्त काल में दंड विधान लोगों में अपराध के प्रति भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया गया था न कि अपराधियों को सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया था ।

(8) हर्षवर्धनकाल (606 ए.डी. से 647 ए.डी.)

हर्षवर्धनकाल में न्याय व्यवस्था मौर्य काल या गुप्त काल जैसी ही थी पर गुप्त काल की दंड व्यवस्था से उदार दंड व्यवस्था कही जा सकती है । हर्षवर्धन काल में मृत्युदंड राजा द्वारा नहीं दिया जाता था वरन् ऐसे अपराधी को समाज से वहिष्कृत कर दिया जाता था जहां वह अपने ढंग से अपने जीवन जीने का प्रयास करता या अभाव में मर जाता था । बहुत कठोर अपराध में ही नाक, कान काटकर जंगल में छोडा जाता था । यहां पर यह कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन काल में न्याय व्यवस्था कुछ अर्थों में सुधारात्मक हो गई थी । और यही व्यवस्था हर्षवर्धन के बाद में आने वाले काफी समय तक चलती रही ।

(9) ब्रिटिश काल में न्यायिक प्रक्रिया –

भारत वर्ष में अंग्रेजी शासन का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन् 1600 ईश्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट द्वारा प्राप्त कतिपय व्यापारी सुविधाओं से हुआ था । मुगल साम्राज्य की नित्य प्रति घटती शक्ति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी शनैः–शनैः अधिकाधिक प्रभावित होती चली गई और उसने शासन के लगभग सभी अंगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में उ.प्र. में, जो उस समय **"नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस"** कहलाता था न्यायिक प्रक्रिया का संचालन **सदर दीवानी अदालत** एवं **सदर निजामत अदालत** द्वारा किया जाता था । ये क्रमशः व्यवहार तथा फौजदारी के मामलों का निर्णय करती थी । उक्त अदालतों में विभिन्न न्यायाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती थी तथा ये न्यायाधिकारी स्वयं में पृथक सत्ता रखते थे तथा इनके कार्यालय स्वतंत्र व पृथक हुआ करते थे । अदालत की भाषा हिन्दुस्तानी होती थी ।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले व्यवहार एवं फौजदारी वादों में कोई अधिवक्ता नहीं होता था परन्तु कोई भी जानकार व्यक्ति संबधित पक्षकार की ओर से अभिकर्ता के रूप में पैरवी कर सकता था । वादों के निस्तारण हेतु कोई अवधि निश्चित न होने तथा प्रत्येक अदालत के स्वतंत्र रूप से कार्यरत होने के

फलस्वरूप अनिर्णित लंबित वादों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई तथा उनके निस्तारण में अनपेक्षित विलंब होने लगा ।

फलतः तत्कालीन ब्रिटिश शासन तंत्र ने एक नियमित न्याय प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस की और ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया के चार्टर द्वारा, भारत वर्ष में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना बंगाल, बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी के नगरों में सन् 1857 में की गई, उक्त चार्टर के अंतर्गत **"नार्थ वेस्र्टन प्रोवेंस"** जो सम्प्रति में **उत्तर प्रदेश** कहलाता है में उच्च न्यायालय की स्थापना 13 जून सन् 1866 में की गई । जिसका मुख्य मुख्यालय आगरा नगर में नियत किया गया । उक्त उच्च न्यायालय ने सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत का स्थान ग्रहण किया और न्यायिक प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुये उसे एक स्थायित्व प्रदान किया । उपरोक्त उच्च न्यायालय का मुख्यालय सन् 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया ।

सन् 1902 में अवध प्रांत को आगरा प्रांत में सम्मिलित कर दिये जाने के फलस्वरूप "नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस" का नाम **"यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध"** कर दिया गया और उच्च न्यायालय इसी नाम से जाना जाने लगा ।

सन् 1919 में इस प्रदेश का नाम **उत्तर प्रदेश** कर दिया गया जिस नाम से वह आज भी विख्यात है प्रदेश का शासन समय–समय पर प्रसारित गर्वनमेंट ऑफ इंडिया अधिनियमों के आधीन किया जाता रहा जिससे उच्च न्यायालयों की कार्यविधि भी प्रभावित होती थी ।

अध्याय
पंचम

पंचम अध्याय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक विवेचन

1. पूर्व स्वरूप

2. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915

3. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935

4. उच्चन्यायालय की स्थापना, उददेंश्य

5. उच्चतम न्यायालय –:
   - अ. स्थापना
   - ब. उद्देश्य

6. संविधान का अनुच्छेद 214

7. संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्चन्यायालय के विशेषाधिकार ।

8. संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकार ।

9. याचिकाऐं अर्थ व प्रकार ।

(1) पूर्व स्वरूप—:

1. सदर दीवानी अदालत
2. सदर निजामत अदालत

दीवानी अदालतः— सन् 1773 में ब्रितानी संसद ने रेग्युलेटिंग एक्ट पास करके बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो Her Majesty के ब्रिटिश subjects एवं कम्पनी के कर्मचारियों के आपसी विवादों को तय करने के लिऐ बना था। सन् 1774 के चार्टर से जो रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुपालन में बना थाा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में हुई परन्तु उसमें कुछ त्रुटियॉ रह गई जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में विभिन्न राय व मत रहे । रेग्युलेटिंग एक्ट की सीमाओं का चार्टर में ध्यान नहीं रखा गया।

न्यायिक व्यवस्था भारतीयों के लिये कलकत्ते के बाहर पूर्णतयः अलग रही। राबर्ट क्लाइव ने 1765 में मुगलबादशाह शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिये दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये 26 लाख रू. देकर लेली और इस प्रकार कंपनी इन भौगोलिक सीमाओं में पूर्णतयः मालिक व प्रभुत्वसंपन्न हो गई। अतः वारेन हेस्टिंग्स ने 15 अगस्त 1772 को प्रस्ताव बनाऐ जिनको तब की ब्रितानवी सरकार ने 21 अगस्त 1772 को स्वीकार कर लिया अतः मुफस्सिल दीवानी अदालतें जो प्रान्तीय अदालतें दीवानी न्याय के लिए हर जिले में स्थापित की गई, उस जिले के कलेक्टर की देखरेख में थी। लेकिन 1774 तक कुछ परिवर्तन किऐ गऐ और इन अदालतों को कलेक्टर के नीचे से हटा कर 6 प्रान्तीय कौंसिल के अर्न्तगत कर दिया गया । 28 मार्च 1780 को यह निर्णय लिया गया कि जिला अदालते 6 डिवीजन्स में प्रान्तीय परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर बनाई जाऐं।

यहॉ यह भी ध्यान देने योग्य है कि 21 अगस्त 1772 के वाद फौजदारी की अदालतें जिलों में कलेक्टरों के पर्यवेक्षण में स्थापित की गई जिन्हें 18 अक्टूबर 1775 में एक नायब नाजिम के आधीन कर दिया गया । नायब नाजिम इन अदालतों के "Preside" पीठासीन फौजदारों को नियुक्त करेगा। सन् 1781

तक यह समझ में आ गया कि फौजदार कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहें हैं अतएव दीवानी अदालत के अंग्रेज जज मजिस्ट्रेट के रूप में अतिरिक्त कार्य को भी देखेंगे ।

समय के साथ यह पाया गया कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट जमीदारों तथा बड़े भूखण्डों के स्वामियों द्वारा किये गये अपराधों में कुछ भी नहीं कर पाते थें अतः 27 जून 1787 को इन मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त अधिकार दिऐ गऐ जिससे यह साधारण आपराधिक मामलों में अपराध का संज्ञान ले सकें।

चूंकि फौजदारी के मामलों में निर्णय देर से हो रहे थें इसलिये 3 दिसंबर 1790 को विनिमय (Regulation) द्वारा circuit courts की स्थापना की गई जिनके सलाहकार ऐसे व्यक्ति थें जो मुस्लिम कानून के ज्ञाता थें। इन विनियमों को पुनः जारी करते हुऐ 1753 में फौजदारी की अदालतों का पुनर्गठन किया गया ।

चूंकि दीवानी की अदालतें ही माल (Revenue)संबधी मामलों का निस्तारण करती रहीं थीं अतः उन पर भार कम करने के लिऐ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा माल का एकत्रीकरण जब कभी विवाद का स्वरूप लेता था तो रय्यत या माल अदालतें जो कलेक्टर द्वारा सभापतित्व की जाती थी वे विवाद तय करती थी । उनकी अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके पश्चात् द्वितीय अपील गर्वनर जनरल इन काउंसिल के समक्ष होती थी।

1772 के विनियमों के उपरांत दीवानी अदालतों के निर्णय के विरूद्ध अपील तय करने के लिऐ **"सदर दीवानी अदालत"** स्थापित की गई जो 500रू, मूल्य से अधिक के वादों की अपीलतय करती थी।

18 अक्टूबर 1780 को **"सर ऐलिजा इम्पी"** इस सदर दीवानी अदालत के जज नियुक्त हुये। यहॉ यह भी उल्लिखित करना उचित है कि सदर निजामत अदालत मुर्शीदाबाद में स्थापित की गई जिसका पीठासीन अधिकारी दारोगा द्वारा नियुक्त किया जाता था।

दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार विनियम (III) सन् 1793 द्वारा निधारित किया गया जिससे ब्रिटिश नागरिक अप्रभावित रहें । धीरे–धीरे अन्य क्षेत्र भी ब्रिटिश प्रभाव में आते गऐ वैसे वैसे जिले स्थापित करके वहॉ पर अदालतों की स्थापना होती गई। इन अदालतों से पहलें अपीले सदर दीवानी अदालत में होती थी किंतु बाद में यह पहले प्रांतीय स्तर पर अदालतें बनाई गई जो अपीलें तय करती थीं जिनके निर्णय के विरूद्ध अपील दोयम सदर दीवानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाती थीं। अब सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत गर्वनर जनरल इन कांउसिल के द्वारा सभापत्वि की जाती थी । बाद में इनमें 1801 के विनिमय (II) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश सभापतित्व करने लगें।

इस प्रकार बनारस प्रान्त एवं उत्तरी पश्चिमोत्तर प्रान्त जिसकी सीमाऐं पहले शाहजहॉपुर तक थीं उसके बाद आगरा तक उनमें पहले फौजदारी की अदालतें कायम की गई और उसके बाद दीवानी अदालतों को बनारस प्रान्त के नाम से विनियम (VII) (1795) द्वारा स्थापित किया गया। विनिमय (IX) (1795) के अन्तर्गत बनारस प्रांत के लिऐ एक court of appeal स्थापित की गई जिसके निर्णयों के विरूद्ध सदर दीवानी अदालत (बंगाल, बिहार व उड़ीसा) को अपील पोषणीय थी।

सन् 1801 में आगरा प्रान्त का अवध के नवाब ने एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया, जिससे विनियम (II) (1803) के प्रावधानों के अनुसार मुरादाबाद, बरेली, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर में जिला अदालतें स्थापित की । जिनकी अपीलें सुनने के लिऐं प्रांतीय अपील अदालत बरेली में विनिमय (IV) 1803 के अतंर्गत स्थापित की गई। इस अपील न्यायालय के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील **सदर दीवानी अदालत** बंगाल को की जाती थी।

इसी प्रकार जैसे जैसे विभिन्न इलाके ब्रिटिश प्रभाव में आते गऐ वहॉ पर दीवानी और फौजदारी की अदालतें कायम कर दी गई।

इसके बाद जिला स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी की अदालत का पीठासीन अधिकारी जिला एवं सेशन जज के नाम से नियुक्त किया गया। फौजदारी के काम की अपीलें सेशन जज के निष्कर्षो के विरूद्ध सदर निजामत अदालत बंगाल तथा नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिऐ इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। क्योंकि बंगाल में अपील दायर करना मंहगा व खर्चीला पड़ता था।

2. गर्वन्मेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम (1915) :–

गर्वन्मेन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 (5 व 6 Geo.V, Chapter 61)जिसका संशोधन 1916 में Act No. 6 and 7 Geo. V, Chap. 37 के द्वारा किया गया । इस अधिनियम के अर्न्तगत His Majesty the king of England को Letters Patent में समय–समय पर संशोधन का अधिकार दिया गया । इस प्रकार उच्च न्यायालय का नाम High Court of North-West-Provencess 11th March 1919 तक चला और उस दिन Letters Patent में संशोधन कर उसका नाम High Court of Judicature at Allahabad कर दिया गया ।

इसी 1915 में अधिनियम के अन्तर्गत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तीन उद्‌गम बताऐ गये ।

A. **बैरिस्टर** : एक तिहाई आरक्षण (33%)

B. **आई.सी.एस.जिला जज** : एक तिहाई आरक्षण (33%)

C. **वकील** : दस वर्ष के प्रेक्टिस के ऊपर और सिविल जज जो कम से कम 5 वर्ष कार्य कर चुके हों (33%)

3. गवर्न्मैन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम (1935) :–

सन् 1935 में गवर्न्मैन्ट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के अपने–अपने क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया । उसी के अन्तर्गत विभिन्न उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों तथा के ट्रिब्यूनल ऊपर अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया ।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत उच्च नयायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 1/3 का आरक्षण हर वर्ग में समाप्त कर दिया गया ।

(4) उच्च न्यायालय की स्थापना उद्वेश्यः–

स्थापना–: सन् 1861 में ब्रिटिश संसद ने इंडियन हाइकोर्टस एक्ट तथा इंडियन कांउसिल्स एक्ट के प्रावधानों द्वारा द्वारा **सुप्रीम कोर्ट ऑफ जूडीकेचर** तथा **सदर दीवानी अदालतें** समाप्त करके उनकी जगह तीन प्रेसीडेन्सी शहरों में Hight Court of Judicature की स्थापना की गई और Her Majesty को धारा 16 में यह अधिकार प्राप्त हुऐ कि अन्य भागों में जहॉ उचित समझें वे हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती हैं। इस प्रकार 1862 में रॉयल चार्टर द्वारा बम्बई, मद्रास, व कलकत्ते में उच्चन्यायालयों की स्थापना की गई और नार्थ वेस्ट फंटियर प्रॉविन्स के लिए 17 मार्च 1866 को रायॅल चार्टर से आगरा में उच्चन्यायालय स्थापित किया गया। जिसे हाई कोर्ट ऑफ नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविस कहा गया वाद में 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानान्तरित कर 1919 से Hight Court of Judicature at Allahabad के नाम से जांना गया।

उद्देश्य –:

माननीय उच्च न्यायालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य उस दोहरी न्यायिक व्यवस्था को समाप्त करना था। जो कि, बंगाल एवं नार्थवेस्ट प्रॉविस में फैली हुई थी । कंपनी की अदालतें सदर दीवानी एवं निजामत में सहायक के रूप में कार्यरत थी। किन्तु क्षेत्राधिकार के विषय में स्पष्ट रेखा ना होने के कारण चार्टर द्वारा इस दोहरी व्यवस्था का एकीकरण तथा क्षेत्राधिकार का

सुस्पष्ट सीमांकन इसकी एक मुख्य विशेषता थी। मोटे तौर से 1866 के चार्टर द्वारा दीवानी, फौजदारी, वसीयती एवं निर्वसीयती (Intestate) तथा (Matrimonial) (विवाहविषयक) क्षेत्राधिकार दिऐ गऐ।

(5.) उच्चतम न्यायालय की स्थापना उद्येश्य :–

संविधान के भाग 5 में यूनियन (केन्द्र) के विषय में और उसके विभिन्न रूप कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका वर्णित किये गये हैं उनके अधिकार, शक्ति एवं सीमाओं को विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा विराट रूप में वर्णित किया गया है इसी कारण से लिखित संविधान होने के प्रमाण और पुष्ट हो जाते हैं । उच्चतम न्यायालय तथा देश के अन्य उच्च न्यायालयों में समय–समय पर इस बात को पुष्ट किया है कि लिखित संविधान की अपनी सीमाऐं एवं मर्यादाऐं होती हैं । हर परिस्थिति को लिखित रूप में पहले से ही नहीं आंका जा सकता और उस समय संविधान की मूल भावना को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही अपनी विवेचना द्वारा मूर्त करते हैं ।

यूनियन जूडिशियरी के बारे में भाग–5 के अध्याय–4 में वर्गीकृत कर उसके स्वरूप तथा शक्तियों को बताया गया है अनुच्छेद–124 से 147 इस विषय में सम्पूर्ण संहिता है ।

गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने मोटे रूप से उच्च नयायालयों के उपर एक अपीलीय न्यायालय गठित किया जिसे "Federal Court" का नाम दिया गया । उससे पूर्व में भारतीय न्यायालयों से अपीले प्रीवी. कौंसिल जाती थी । सन् 1935 के अधिनियम में इस स्थिति को सुधारने के लिये और न्याय को अधिक सुलभ बनाने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि हाई कोर्ट और प्रीवी. कौंसिल के मध्य में अपीलीय क्षेत्राधिकार **फेडेरल कोर्ट** को दे दिया जाए । मोटे तौर से **फेडेरल कोर्ट** ही आवश्यक परिवर्तन तथा अधिक अधिकारों के साथ वर्तमान उच्चतम न्यायालय के रूप में मूर्तवान है ।

6. संविधान का अनुच्छेद 214 :–

संविधान के अध्याय 5 में हर राज्य के लिऐ उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 से 231 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना प्रत्येक राज्य में होना आवश्यक है तथा जजों की नियुक्ति, वेतन तथा अन्य सुविधाओं के वारे में जिससे वे स्वतंत्र रूप से न्याय कर सकें दिया गया है ।

Part–6 का Ch. 6 Subordinate Judiciary से Deal करता है । संविधान के आने के बाद प्रत्येक हाई कोर्ट का स्तर समान है और माननीय न्यायमूर्ति सम्मान के पूर्ण अधिकारी हैं ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई एक राष्ट्रव्यापी काडर नहीं है । सवतंत्रता के पश्चात् संविधान लागू होने के समय जितने उच्च न्यायालय कार्यरत थे उनका स्वरूप बना रहा । उत्तरप्रदेश जो पहले "United Provinces of Agra and oudh" कहलाता था, उसका नाम स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण करके **उत्तरप्रदेश** रख दिया गया अतः यह आवश्यक समझा गया कि "High Court of Judicature at Allahabad" तथा Chief Court in Oudh को एक करके नये हाई कोर्ट का नाम "Highcourt of Judicature at Allahabad" कर दिया जावे । जिसकी अधिसूचना 19 जुलाई 1948 के दिन भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई ।

इस एकीकरण के कारण लखनऊ में एक पीठ (bench) की स्थापना की गई जो अवध क्षेत्र में उत्पन्न वादों का निस्तारण करती है । उच्च न्यायालय का स्वरूप, क्षेत्राधिकार 1935 के गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया अधिनियम धारा 229 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सारे क्षेत्राधिकार को वैसा ही बनाए रखा गया तथा संविधान के प्रभावी होने के पश्चात् अनुच्छेद 226 के अर्न्तगत राज्यों के उच्च न्यायालयों को विशेष याचिकाओं को सुनने का विस्तृत अधिकार दिया गया । वह याचिकाऐं जिनमें उच्च न्यायालय महादेश वगैरह जारी करके संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को अक्षुण्ण बनाऐ रहने तथा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनेक नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उच्च

न्यायालय ने महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसले देकर तथा साधारण नागरिक को कार्यपालिका के मनमाने व्यवहार से प्रत्यक्ष एवम् प्रभावी रूप से कवच के समान बनाया ।

उच्च शिक्षा तथा व्यापक रूप से शैक्षिक जगत में आधिकारिक व्यवस्थाऐं देकर माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा के मूल स्वरूप को बनाये रखा तथा उसके व्यापक प्रचार व प्रसार को सहज बनाया जिससे वह सबको समान रूप से उपलब्ध रहे उच्च न्यायालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये जिसमें उच्च शिक्षा की शाश्वतता बरकरार रही । उच्च शिक्षा संबंधी वाद पत्र उच्च न्यायालय में इतने अधिक आ रहे हैं कि स्पेशल बेंच की व्यवस्थाऐं की जाने लगी है ।

7. संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्चन्यायालय के विशेषाधिकार :—

अनुच्छेद 226 के अर्न्तगत उच्चन्यायालयों को संविधान के प्रभावी होने के पश्चात् वे विशेषाधिकार प्राप्त हो गऐ जो उनके पास पहले नहीं थे । संविधान में गारन्टी किऐ गये मूल अधिकार उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को लागू करने तथा उन्हे बचाऐ रखने की शक्ति प्रदान करता है । अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय निर्देश, आदेश तथा रिट जारी कर सकता है जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न स्वरूपों में संविधान के भाग 3 में दिऐ गये अधिकारों को लागू करने में तथा किसी और ऐसे काम के लिये प्रयोग किये जाऐं जिससे कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित (enforce) किया जाये । पीड़ित पक्ष को कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिऐ भी इन विशेष अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में दी गई अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग प्रताड़ित पक्ष के मूलभूत अधिकार या विधि सम्मत अधिकारों का अतिलंघन होने पर संरक्षण देता है ।

इन शक्तियों के प्रयोग में दो बंदिशें हैं :–

प्रथम :–

इन शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (TerritoriaL Jurisdiction) में ही कर सकता है ।

द्वितीय :–

जिस व्यक्ति या अधिकारी को रिट आदेश एवं निर्देश जारी किऐ जा रहे हैं वह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही रहता हो या पाया जाता हो ।

इसके अतिरिक्त इन शक्तियों (विशेषाधिकारों) का प्रयोग स्वविवेकानुसार ही करना है और यह अपने आप में सीमित करना होता है, अन्यथा उच्च न्यायालय कें विशेषाधिकार असीमित हैं । इसका प्रयोग विद्वेषपूर्ण या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है । यह भी सुस्पष्ट होना चाहिए कि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दी गई असीमित शक्तियां केवल विशेष परिस्थितियों में ही जबकि, कोई अन्य वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था ना हो तब ही यह प्रयोग में लाई जानी चाहिऐ ।

इनका प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय ना तो Court of appeal होता है और ना ही Revisional Court (पुनरीक्षण न्यायालय) होता है । मोटे तौर से अगर कोई सन्तोषजनक शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया वादकारी को उपलब्ध है तब इस अनुच्छेद के अधिकारों का प्रयोग (Alternative) आनुकाल्पनिक उपचार के अन्तर्गत अनुतोष (relief) देने के लिये नहीं किया जा सकता है इसके अलावा विद्वेषपूर्ण ना बदनीयती से पास किये गये आदेश या संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले आदेशो को खंडित एवम् निरस्त करने के विशेषाधिकार न्याय हित में उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध हैं ।

(8) संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकारः–

संविधान के रचनाकारों ने उच्चतम न्यायालय की कल्पना संविधान के रक्षक के रूप में की थी अतः उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका की सर्वोच्च कड़ी ही नहीं है अपितु यह विशिष्ट अधिकारों से सुसज्जित है । संविधान का अधि

ाकारिक निर्वचन उच्चतम न्यायालय ही करता है । जो स्थिति अनुच्छेद 147 में स्पष्ट कर दी गई है । उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है । इसी कारण से अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिया गया है । यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाग–5 अध्याय–6 में वर्णित केन्द्रीय न्याय पालिका के अधिकारों को समय–समय पर संविधान में संशोधन करके और सुदृढ़ बनाया गया है ।

मूल क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 132 से 136 के अंर्तगत अपीलीय अधिकार भी है जो मोटे तौर से तीन मुख्य शीर्षों में वर्णित है :–

प्रथम :–

संवैधानिक मामलों में अपील जो उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र, अनुच्छेद 132(1) में होता है ।

द्वितीय :–

ऐसी अपीलें जिनमें कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है और जो प्रायः अनुच्छेद 133 से 134 के अंर्तगत फौजदारी के मामले में होती है ।

तृतीय :–

अनुच्छेद 136 के अंर्तगत ऐसे मामले जो उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति द्वारा उठाये गये हों और प्रथम तथा द्वितीय शीर्ष से संबंधित न हों ।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है उच्चतम न्यायालय नागरिक के मूल भूत अधिकारों की, जो संविधान के भाग–3 में वर्णित है, रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहता है और इसकी इस जागरूकता से कार्यपालिका के मनमाने रवैये पर अंकुश लगा रहता है । अनुच्छेद 32 के अंर्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करता है क्योंकि, इस अनुच्छेद के अंर्तगत नागरिक उच्चतम न्यायालय के समक्ष मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण या हनन

को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय का संरक्षण पाता है ।

एक बात और याद रखने योग्य है अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय प्रायः सारवान, विधि प्रश्न तक ही सीमित रखता है और तथ्यात्मक पहलुओं में नहीं जाता है ।

संविधान में ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 141 के माध्यम से की गयी है कि उच्चतम न्यायालय कानू की जो भी व्यवस्था देगा वह भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समस्त न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर आबद्धकर होगी । ऐसा इसलिए भी आवश्यक था कि जहां किसी विधिक प्रश्न पर उच्च्य न्यायालयों के निर्णयों में मतभेद हो तब उच्चतम न्यायालय अधिकारिक रूप से निर्णय देकर उस संविवाद को अंतिम रूप से तय कर देगा ।

यहां ध्यान देने योग्य यह है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान की धारा 141 के अंतर्गत विधि की आधिकारिक घोषणा का अधिकार है जो पहले ही इंगित किया जा चुका है कि देश के समस्त न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी । सबसे विशिष्ट स्थिति अनुच्छेद 142 के प्रावधानों में है कि पक्षों के मध्य न्याय करने के लिये उच्चतम न्यायालय सुविधानुसार ऐसे आदेश पारित करने में सक्षम होगा जिससे कि न्याय प्रणाली सुदृढ़ हो सके तथा उच्चतम न्यायालय के स्वयं के आदेश एवं डिक्री आदि का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो सके । इसी प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधिक प्रश्न पर परामर्श ले सकते हैं और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य है ।

अपने कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अतिविशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर उच्चतम न्यायालय न दे तथा राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय केवल सारवान विधि प्रश्न के उत्तर तक अपने को सीमित रखेगा तथा तथ्यात्मक निर्देश देने का उसे कोई

अधिकार नहीं है । अब तक लगभग 6 महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले चुके हें जिसमें कि केरल शिक्षा नियम भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा हुआ है । लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि परामर्शीय क्षेत्राधिकार में दिया गया परामर्श भले ही राष्ट्रपति महोदय पर आबद्धकर न हो किंतु वे देश के अवर न्यायालयों पर प्रभावी रहेंगें ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सारवान विधि प्रश्नों के निर्वचन अंतिम माने जायेंगें तथा वे आबद्धकर होंगें । न्याय करने की दिशा में उच्चतम न्यायालय अपनी नियमावली बनायेगा तथा उनमें समय–समय पर उचित परिवर्तन व संशोधन करता रहेगा ।

(9) याचिकाऐं अर्थ एवं प्रकार:–

रिट याचिका का वर्तमान स्वरूप इंग्लैंड में राजा के विशेषाधिकार आदेश से निकला है । विशिष्टि परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 में उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय विशेष आदेश पारित करके व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को न्याय उपलब्ध कराते हैं । यह न्यायिक प्रतितोष याची को सिविल या संवैधानिक अधिकारों के हनन स्वरूप ही प्राप्य है । यह भी महत्वपूर्ण है कि यह आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तव ही प्रायः देता है जब कोई वैकल्पिक उपाय अन्यत्र याची को उपलब्ध नहीं होता है ।

भारत में 19वीं शताब्दी में मद्रास स्थित कंपनी के उच्च न्यायालय में तब की ब्रितानवी सरकार ने यह विशिष्ट याचिका का अधिकार प्रदत्त किया था । बाद में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में स्थित उच्च न्यायालयों के आरंभिक अधिकारिता में यह अधिकार भी बढ़ा दिया गया । 26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 226 एवं 227 के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को इस शक्ति से सज्जित किया गया ।

संविधान के द्वारा उच्च न्यायालयों के याचिकाओं में विशिष्ट आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 227 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वे

अधीनस्थ न्यायालयों, अभिकरणों आदि पर अधीक्षण स्वरूप करेंगें क्योंकि वे अभिलेखीय न्यायालय भी हैं । संक्षिप्त में इन विशिष्ट याचिकाओं में आदेश मोटे तोर पर निम्नलिखित स्थितियों में पारित किये जायेंगें :—

(अ) मूल अधिकार या सिविल अधिकार के अतिलंघन पर जब कोई और वैकल्पिक उपचार उपलब्ध न हो,

(ब) अधिकारिता न होना या अधिक होना जिससे कि नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ,

(स) अधिकारिता का प्रयोग न करने से उत्पन्न परिस्थितियां जो न्यायालीय या अभिकरणीय आदेश को दूषित करती है,

(द) ऐसे मामलों में आदेश जिनसे मूल भूत अधिकारों का कुठाराघात होता है पर वैकल्पिक उपचार उपलब्ध नहीं है,

(इ) कानूनी प्रावधानों का तथा नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन,

(ई) असद्भाव पूर्वक तथा बाहरी प्रतिफल के कारण अदालत या अभिकरण ऐसा आदेश दे जो पूर्णतः अनुचित हो ।

इन परिस्थितियों में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय समुचित विशेष आदेश पारित करके पक्षकार/याची को न्याय उपलब्ध कराते हैं ।

अपने विशेष क्षेत्राधिकार में विशिष्ट न्यायालय, रिट याचिका में समुचित आदेश उन परिस्थितियों में पारित करते हैं, जो याची को पूर्ण न्याय दिलाता है । रिट के पांच मुख्य स्वरूप निम्न हैं :—

(अ) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका में बंदी को न्यायालय के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत करने का आदेश विशिष्ट न्यायालय देते हैं । अगर बंदी गैर कानूनी ढंग से रोका गया है तो उसे न्यायालय बंधन से मुक्त कर देते हैं ।

(ब) परमादेश याचिका (Writ of Mandamus) में पारित आदेश से किसी भी व्यक्ति या निगम, कानूनी निकाय, निचली अदालत, राज्य अधिकारी को समादेश उचित कानूनी प्रावधानों के सहारे न्यायोचित आदेश पारित करने को कहा जाता है । यह मुख्यतः 3 (तीन) कारणों से दिया जाता है :-

(1) याची का कानूनी अधिकार है ।
(2) संबंधित अधिकारी इस अधिकार को प्रवर्तित करने को बाध्य है ।
(3) याची के पास वैकल्पिक उपचार इस बारे में उपलब्ध नहीं है ।

एक बात इस संबंध में आवश्यक है कि परमादेश याचिका से पूर्व संबंधित अधिकारी से न्याय की मांग आवश्यक है ।

(स) प्रतिषेध याचिका (Prohibition Writ) में निचली अदालत की अधिकारिता न होने पर उसे आदेशित किया जाता है कि वह मामले में आगे कोई भी सुनवाई नहीं करेगी ।

(द) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) याचिका उन मामलों में दायर की जाती है जहां कोई व्यक्ति लोक सेवक पद पर अनाधिकृत रूप से काबिज है यह सिद्ध होने पर कि पद पर स्थापित व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है तब न्यायालय यह आदेश देकर पूछती है कि उसका क्या अधिकार है न साबित कर पाने पर उसे पद से हटा दिया जाता है ।

(इ) **उत्प्रेषण** (Certiorari) याचिका निचली अदालतों, अभिकरणों आदि के आदेश अधिकारिता के क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नैसर्गिक सिद्धांतों के पालन में पारित किये जाते हैंया नहीं के अभिखंडन हेतु दायर किये जाते हैं । अगर आदेश उपरोक्तानुसार नहीं है तो उसे अभिखंडित करते हुये उचित आदेश पारित किये जाते हैं । कानूनी त्रुटि स्पष्टतः प्रथम दृष्टया होने पर ही विशिष्ट न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण समादेश पारित किया जाता है ।

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा क्षुब्ध याचिओं को उन सब मामलों में न्याय देते हैं जहां पर उन्हे अपने कानूनी व मूल भूत अधिकारों के लिये किसी प्रकार का उपचार अन्यथा उपलब्ध नहीं है ।

अध्याय
षष्ठम

षष्ठम अध्याय

माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में आये हुये वादों का विवेचन एवं विश्लेषण :–

1. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित विभिन्न धाराओं का विषय विवरण, प्रत्येक विश्वविद्यालयानुसार ।

2. निर्णित वादों की संख्या सारणीयन एवं वर्गीकरण

3. भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार संवंधी वाद ।

4. प्राकृतिक न्याय से संबंधित वाद ।

5. शिक्षा पाने के अधिकार से संबंधित वाद ।

6. विभिन्न वादों का विवेचन एवं विश्लेषण ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक के वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	2—परिभाषा	3	परिभाषा में प्रबंध समिति के अधिकार क्षेत्र की सीमा आंकलन संभव है । विश्वविद्यालय के अधिकारी सम्बद्ध महाविद्यालय के विधि मान्य नियमों का अनुसरण करने को वाध्य है ।
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	12—कुलपति	2	कुलपति के क्षेत्राधिकार की व्याख्या एवं नियमों का विश्लेषण किया गया है ये विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों में है शासन कुलपति एवं कार्यपरिषद के दिशत निर्देशों का अनुपालन करना इनका एक प्रमुख कार्य है ।
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13—कुलपति की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार	4	अधिकतर वाद संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत याचिका द्वारा करके कुलपति के क्षेत्राधिकार व शक्तियों को चुनौती दी है । अधिनियम के अध्याय–4 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के बारे में है ।
4.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	21—कार्यपरिषद	1	कार्यपरिषद के कर्तव्य एवं शक्ति का क्षेत्राधिकार के ही वाद है । अधिनियम की धारा 20 में कार्यपरिषद के गठन के वारे में है यह नीति एवं दिशा दर्शन धारण करते हैं जो विश्वविद्यालय के अधिकारीगण लागू करते हैं ।
5.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	22—कोर्ट	1	इस धारा में कोर्ट के गठन व उसके क्षेत्राधिकार का विवरण है ।
6.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	28—प्रवेश समिति	9	प्रवेश समिति छात्रों की संख्या निर्धारित करती है यह शक्ति साथ साथ शासन

				भी इस्तेमाल कर सकता है राज्य सरकार प्रवेश समिति को निर्देश देने का अधिकार रखती है प्रवेश प्रक्रिया एवं समिति की शक्तियों पर अधिकांश वाद है ।
7.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	29—परीक्षा समिति	4	अधिकांश याचिकाऐं अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को ही चुनौती देती हैं सकारात्मक कारणों के कारण यह परीक्षा में सम्मिलित होने से भी रोक सकती है यह कार्य परिषद के नीचे तो नहीं है किन्तु परीक्षा संबंधी सारे कार्य करते हुये विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के निर्देशों की भी अवहेलना नहीं करती है
8.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	31—शिक्षक वर्ग की नियुक्ति	19	अध्याय—6 में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तो के बारे में प्रावधान है । अधिनियम में कई संशोधन हुये हैं इस धारा एवं इसकी उपधाराओं में चयन नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तो के बारे में प्रावधान है जिनका उच्च न्यायालय ने समय—समय पर उल्लेख करते हुये इस पूर्ण कोड (संहिता) की संज्ञा दी है ।
9.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	35—महाविद्यालय के शिक्षक वर्ग की सेवा शर्तें	1	महाविद्यालय के शैक्षणिक वर्ग की सेवा शर्तें नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी विवरण अधिनियम की धारा में दिया है अध्याय—6 स्वयं में एक संहिता है । विद्यालयों को ही स्वयं की चयन समिति नियुक्ति करने का अधिकार है पर विश्वविद्यालय को पूर्व अनुमोदन आवश्यक है ।

10.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	45–प्रवेश	1	विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में अधिनियम में पूर्ण दिशा निर्देश एवं प्रावधान है निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश देना विधि विपरीत है ।
11.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	48–परीक्षा	6	परीक्षा संबंधी याचिकाओं में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर खींचतान रहती है । परीक्षा निरस्त करने का अधिकार प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय की कसौटी पर उतरा हुआ होना चाहिए समुचित कारणों के अभाव में परीक्षा निरस्त की जा सकती है ।
12.	इलाहावाद विश्वविद्यालय	51–अध्यादेश 52–अध्यादेश	1 4	अध्यादेश विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा बनाये जाऐंगें जबकि प्रथम अध्यादेश शासन एवं राज्य सरकार द्वारा ही बनाये जावेंगें । कुछ मामलों में विद्या परिषद के प्रस्ताव पर अध्यादेश जारी होगा ।
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	57–राज्य संस्कार का नियंत्रण डिग्री महाविद्यालयों पर	2	राज्य शासन महाविद्यालयों पर विनियमीकरण की प्रक्रिया में सीधे कार्यवाही भी कर सकता है सूचना के आधार पर और वित्तीय घोटाले पर प्रबंध समिति का निलंबन कर सकती है परंतु कार्यवाही के आदेश में शासन को कारण भी स्पष्ट करने होंगें ।
14.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	60–प्राधिकृत नियंत्रक	2	अधिनियम के अध्याय 11 में पांच धाराऐं हैं जो राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति एवं कब्जा लेने के संबंध में है । नियंत्रक की नियुक्ति के साथ ही प्रबंध समिति से प्रबंधन स्वतः प्राधिकृत नियंत्रक

				के पास आ जाता है । यह प्रबंध समितियों की निरंकुशता दूर करने के लिए आवश्यक है ।
15.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	65—आकस्मिक रिक्तियां	2	अधिनियम के अध्याय 13 में विविध परिस्थितियों के लिये प्रावधान है । सुनीत व्यास प्रति चांसलर के वाद में उच्च न्या. ने यह तय किया था कार्यकाल के बाद भी सदस्य कार्य परिषद में रहेगा । जब तक कि नया सदस्य ही न चुन जावे । सन् 1998 के संशोधन से यह स्थिति ठीक कर दी गयी है और अब कार्यकाल समाप्त होते ही रिक्ति हो जावेगी ।
16.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	66	3	गणपूर्ति न होने पर भी या रिक्त के कारण निर्णय प्रभावित न होंगें ।
17.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	68—संदर्भ कुलाधिपति	10	कुलाधिपति के क्षेत्रअधिकार तथा अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया होने के कारण उच्च न्यायालय के निर्णय संकारण आदेश की अपेक्षा करते हैं संदर्भ को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत अनुकल्पिक उपाय माना गया है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	9,10,21 कुलाधिपति कार्यपरिषद	1	कार्यपरिषद की शक्तिया तथा प्रशासन पर पूरा नियंत्रण उसकी विशेषता है ।
2.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	13—कुलपति शक्ति एवं उत्तरदायित्व	1	तदर्थ नियुक्ति शिक्षक की कुलपति के आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद के समक्ष अपील पोषणीय है ।
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	28—प्रवेश समिति कार्य एवं शक्ति	2	विश्वविद्यालय के प्रवेश में मानक व दिशा निर्देश में सक्षम है । उपधारा (5) के प्रावधान आज्ञापक है किन्तु वृत्तिक कोर्सेज में प्रवेश के दिशा निर्देश केवल राज्य सरकार ही दे सकती है ।
4.	लखनऊ विश्वविद्यालय	29—परीक्षा समिति एवं उनका कार्य	4	परीक्षा की देखरेख करना तथा उसके संबंध में उचित दिशा निर्देश एवं परीक्षक नियुक्ति करना तथा इस संबंध में पर्यवेक्षण करना । परीक्षा में नकल आदि के संबंध में उच्च कार्यवाही करना । इसका दायित्व है ।
5.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	31—शिक्षकों की निगुक्ति प्रक्रिया	10	अधिनियम के अध्याय—6 के अंर्तगत अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का विशद विवरण है अतः धारा 31 में अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में सम्पूर्ण से दिया गया है । यह स्वयं संहिता कार्यपरिषद यदि चयन समिति की अनुशंसा के असहमत है तो कुलाधिपति के संदर्भ भेजते समय कारण देने को वाध्य है । डॉ. माथुर के वाद में पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि कुलाधिपति को सुस्पष्ट कारणों सहित निर्णय देना आवश्यक है क्योंकि उनका आदेश अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंर्तगत है ।

6.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	25–विद्या विद्या परिषद	1	कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्र अधिकार का उपयुक्त सीमांकन
7.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	35	1	संबद्ध विद्यालय के शिक्षक के सेवाशर्तों पर विशद विवरण
8.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	अध्यादेश–52	1	यह कैसे बनते हैं और इनका क्या ध्येय होता है ।
9.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	60–संबद्ध महाविद्यालय नियंत्रण	1	प्राधिकृत नियंत्रक को कब्जा तुरन्त एवं स्वतः मिल जाता है ।
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	2–परिभाषा	1	अधिनियम में वर्णित अधिकारों तथा अन्य के बारे में सुस्पष्ट विवरण दिया गया है तथा मुख्य अधिकारों को भी परिभाषित करता है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	2 परिभाषा	3	शिक्षकवर्ग में कौन आता है इसका वर्णन सहायक निर्देशक भी शिक्षक की श्रेणी ही में है ।
2.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	12–कुलपति	1	कुलाधिपति का नियंत्रण है और वे कुलपति का निलंबन भी कर सकते हैं
3.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	13–कुलपति की शक्ति एवं कर्तव्य	3	मूलतः शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर नियुक्ति से संबद्ध है । तथा अनेक उदाहरणों के साथ इस संदर्भ में न्यायालय के द्वारा मापदंड स्थिर किये गये ।
4.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	19–विश्वविद्यालय के अधिकारी	1	अधिकारी कौन है ? और उनके अधिकार क्या हैं इस धारा में वर्णित अधिकारी ही केवल विश्वविद्यालय अधिकारी है ।
5.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	28–प्रवेश समिति	7	मूलतः प्रवेश की प्रक्रिया एवं समिति के अधिकारी क्षेत्र ही को चुनौती दी गई है प्रवेश संबंधी नीति निर्देश देने का अधिकार केवल समिति को ही है । छात्र की संख्या पर राज्य सरकार का निर्णय ही अंतिम है ।
6.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	29–परीक्षा समिति	5	परीक्षा प्रक्रिया एवं परीक्षा समिती के अधिकार क्षेत्र ही को चुनौती दी गई ह
7.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	31–शिक्षकों की नियुक्ति	9	अधिनियम के अध्याय 6 में 9 धाराऐं विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं अधिकारी वर्ग की सेवाओं की शर्तें, नियुक्ति एवं प्रोन्नति के बारे में धारा 31, 3ए, 31ए, 31बी नियुक्ति एवं प्राचार्य अथवा प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के बारे में अधिकांश वाद चयन समिति के अधिकार क्षेत्र एवं चयन प्रक्रिया के बारे में ही है ।

8.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	20—कार्यपरिषद	1	अधिकार एवं कार्यक्षेत्र, कार्यपरिषद स्थापना के समय विद्यालय की प्रबंध समिति से किये गये करार से मुकर नहीं सकते हैं ।
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	33—पेशन इत्यादि	1	सेवानिवृत्ति के साथ ही सब देय अदा कर दिये जाने चाहिये तथा विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी त्रुटि के कारण पेंशन आदि नहीं रोक सकता है ।
10.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	35—संबद्ध व सहयोगी विद्या—लयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें आदि	6	कुलपति, चयन समिति, कार्यपरिषद आदि के क्षेत्राधिकार का विश्लेषण किया गया चांसलर, अर्द्ध न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं अतः सकारण आवश्यक है संबद्ध एवं सहयोगी महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों के बारे में यह महत्व पूर्ण निर्णय है ।
11.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	48—परीक्षा	2	अध्याय 8 में चार धाराऐं हैं यह संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की कार्यशैली के बारे में है तथा परीक्षा समिति नीति निर्णय, फैसले भी ले सकती है परीक्षा को विशेष परिस्थितियों में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार भी है ।
12.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	52—अध्यादेश	2	अध्याय 9 परिनियमावली अध्यादेश तथा विनियम संबंधी प्रावधान है अध्यादेश विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद बनाती और कुलाधिपति के द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होते हैं । धारा 51 में दिये गये विषयों के संबद्ध में यह अध्यादेश बनाये जा सकते हैं ।
13.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	58—अधिकृत नियंत्रक	1	अध्याय 11 उन प्रावधानों को बताता है जिनके द्वारा विद्यालयों को नियमित कर दिया है मोटे तौर से विश्वविद्यालय के नियंत्रण में संबद्ध एवं सहयोगी

				महाविद्यालय रहेंगें । वित्तीय संसाधनों को जुटाना प्रबंध समिति का ही होगा तथा दिन प्रतिदिन का प्रबंधन इस समिति का मुख्य दायित्व होगा ।
14.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	68—कुलाधिपति को सन्दर्भ	8	कुलाधिपति के क्षेत्राधिकार के संबंध में अधिकतर वाद हुये हैं कुलपति के त्रुटि पूर्ण आदेशों को कुलाधिपति निरस्त कर सकते हैं संदर्भ केवल विश्वविद्यालय के आदेशों के विरूद्ध ही पोषणीय है ।
15.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	69—दीवानी वादों पर प्रतिबंध	1	उच्च शिक्षाधिकारियों, निर्देशक, उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी, गणों के विरूद्ध दीवानी अदालत में वाद स्थापित नहीं हो सकते हैं लेकिन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति के विवाद सुलझाने के कुलपति के आदेश के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में वाद पोषणीय है महाविद्यालय की प्रबंध समिति 1973 के अधिनियम के अंर्तगत विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं है अतः इस दृष्टि से ही तथ्यात्मक कारणों को तय करने का अधिकार भी इन अदालतों को है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर अधिनियम 19/87 द्वारा स्थापित	13—कुलपति दायित्व एवं अधिकार	1	क्षेत्राधिकार संबंधी वाद, छात्र संघ संबंधी चुनावी विवाद कुलपति स्वयं अपने स्तर पर तय कर सकता है ।
2.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वि.वि. जौनपुर अधिनियम 11/1999	28, प्रवेश समिति	2	प्रवेश सबंधी, बी.टी. या एल.टी. पास करके एम.एड में प्रवेश करने योग्य होते हैं ।
3.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर	37—संन्नध महाविद्यालय	1	कुल सचिव संबंधी, सेवा निवृत्ति नहीं की जा सकती है अगर सेवा पुस्तिका अच्छी है
4.	पूर्वांचल वि.वि., वीर बहादुर सिंह जौनपुर	48—परीक्षा	1	प्रवेश परीक्षा पास होने के बाद वि.वि. की त्रुटि से प्रवेश निरस्त नहीं किया जा सकता ।
5.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर	49—परिनियम	2	अंतरिम प्रवेश पश्चात वि.वि. का कार्तव्य है कि परीक्षाफल समय पर घोषित करे । संबंद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूचि प्राचार्य बनायेंगे तथा कुलपति से कोई भी वास्ता नहीं होगा परिनियमावली के प्रावधानों का अक्षरशः पालन होना चाहिए ।
6.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर	50—परिनियम	2	महाविद्यालयों से संबंधित वाद, स्नात्कोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डिग्री कॉलेज के प्राचार्य से वरिष्ठ होंगे ।

7.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर	57—प्राधिकृत नियंत्रक	1	शासन ही नियुक्ति करेगा और इस प्रकार सहयोगी या संबंद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति पर नियंत्रण रखेगा कि वे विद्यालय की संपत्ति का दुरूपयोग न कर सकें ।
8.	पूर्वांचल वि.वि., जौनपुर	60—प्राधिकृत नियंत्रक के अधिकार	1	प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त होते ही प्रबंध समिति का स्थान ले लेता है और हर चीज उसके नियंत्रण में तुरंत हो जाती है

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	संपूर्णानंद संस्कृत वि.वि. वाराणसी	2—परिभाषा	1	चयन समिति संबंधी वाद, विधि सम्मत चयन समिति ही महाविद्यालयों में नियुक्तियों का चयन करने पर सक्षम है । कुलपति मशीन की तरह इस विषय पर निर्णय नहीं दे सकता ।
2	संपूर्णानंद संस्कृत. वि.वि. वाराणसी	12—कुलपति	1	स्नात्कोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ है और चयन को कुलपति ने संस्तुत कर भी दिया है तो भी वह शून्य ही होगा ।
3.	संपूर्णानंद संस्कृत. वि.वि. वाराणसी	31—शिक्षणेत्तर वर्ग की नियुक्ति	6	चयन प्रक्रिया, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के विषय में वाद, तदर्थ नियुक्ति, विदेशी नागरिक की नियुक्ति, जांच के दौरान नियुक्ति आदि पर उच्च न्यायालय ने आधिकारिक निर्णय दिये हैं, विश्वविद्यालय ज्ञान केन्द्र है और उनमें विदेशी विद्वान पढ़ते और पढ़ाते हैं । संकीर्ण दृष्टि को ठुकराया गया है ।
4.	संपूर्णानंद संस्कृत. वि.वि. वाराणसी	35—महाविद्यालयों में नियुक्ति एवं सेवा शर्ते	1	कुलपति के पूर्व अनुमोदन संबंधी वाद, महाविद्यालय में प्राचार्य आदि की सेवा समाप्ति के पूर्व कुलपति का अनुमोदन

				आवश्यक है, यह पूरोमान्य शर्त है ।
5.	संपूर्णानंद संस्कृत. वि.वि. वाराणसी	49—परिनियमावली	1	चयन समिति नियुक्त करने में सक्षम है और कुलपति का सीमित क्षेत्राधिकार इसी बारे में है ।
6.	संपूर्णानंद संस्कृत वि.वि. वाराणसी	51—अध्यादेश	3	क्या अधिमानी अर्हता को ढील दी जा सकती है, उच्च न्यायालय के निर्णयों से स्थापित हुआ कि ऐसा उचित मामलों में किया जा सकता है । सेवा निवृत्ति भी सत्र के अन्त में ही की जा सकती है ।
7.	संपूर्णानंद संस्कृत वि.वि. वाराणसी	68—संदर्भ कुलाधिपति	4	चयन प्रक्रिया, नियुक्ति की वैधानिकता संबंधी वाद, कुलाधिपति के क्षेत्राधिकार पर निर्णय, चयन प्रक्रिया अगर दोषपूर्ण है तो नियुक्ति भी अवैध होगी, सकारण नैसर्गिक न्याय के अनुकूल कुलाधिपति का निर्णय होना चाहिए ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	काशी विद्यापीठ वाराणसी	31—शिक्षक की नियुक्ति की सेवाशर्तें	3	कोरम के अभाव में, जो परिनियमावली में आज्ञापक प्रावधान है, चयन समिति की अनुसंशा के अभाव में अस्थाई नियुक्ति नियमित नहीं की जा सकती है ।
2.	काशी विद्यापीठ वाराणसी	51—अध्यादेश	1	छात्रसंघ के चुनाव में भाग लेने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी प्रतिबंध लगा सकते हैं ।
3.	काशी विद्यापीठ वाराणसी राष्ट्रपति अधि. संख्या 4/96 प्रभावी तिथि 11.7.95 से नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्या-पीठ हो गया ।	68—कुलाधिपति,संदर्भ	2	परियोजना अधिकारी भी कुला-धिपति के समक्ष प्रत्यावेदन लगा सकता है, कुलाधिपति की अंतरित आदेश पारित करने की शक्ति केवल चुनाव के मामलों तक सीमित है, अन्य मामलों में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	कुमायुं वि.वि. नैनीताल, उत्तरांचल	31—शिक्षक चयन व सेवा नियमावली	2	कुलाधिपति चयन समिति की अनुसंशा को खंडित नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार व्यक्तिंगत प्रोन्नति योजना में चार्ज लेने की तिथि से प्रोन्नति प्रभावी होती है । न्यायालयों ने सेवाशर्तो को स्पष्ट किया है और उन्हे प्रभावी बनाया है ।
2.	कुमायुं वि.वि. नैनीताल, उत्तरांचल	36—संबद्ध महा—विद्यालय कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पंचाट	1	इन महाविद्यालयों के मामले में प्रायः प्रबंध समिति ही मुख्य तथा सेवा शर्तो का अनुपालन कराती है, कुलपति व राज्य शासन अपना नियंत्रण बनाये रखते हैं ।
3.	कुमायुं वि.वि. नैनीताल, उत्तरांचल	50—अध्यादेश	1	इनका प्रभावी क्षेत्राधिकार व उसकी सीमा पर सुस्पष्ट विश्लेषण करते हुये उच्च न्यायालय ने इनकी क्षमता का निरूपण भी किया है ।
4.	कुमायुं वि.वि. नैनीताल, उत्तरांचल	68—कुलाधिपति को संदर्भ	1	कुलाधिपति अर्द्धन्यायिक अभिकरण के समान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर संदर्भ पर अपना सकारण आदेश पारित करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार पर निर्णय ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	गढ़वाल वि.वि. उत्तरांचल	12–कुलपति	1	कुलाधिपति जांच के दौरान कुलपति की शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं ।
2.	गढ़वाल वि.वि. उत्तरांचल	13–कुलपति दायित्व एवं शक्ति	2	अगर अभ्यर्थी मानक अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो वह स्थाई पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
3.	गढ़वाल वि.वि. उत्तरांचल	31–वि.वि. शैक्षणिक वर्ग नियुक्ति आदि	3	कुलपति नियुक्ति का अर्हता न होने पर अनुमोदन ही नहीं कर सकते, निम्नतम शैक्षणिक योग्यता शिक्षक के पद पर आवश्यक है।. उच्चतम न्यायालय ने भी इस सिद्धांत का सर्मथन किया है ।
4.	गढ़वाल वि.वि. उत्तरांचल	49–अध्यादेश	1	कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित अर्हताऐं के अनुसार ही अध्यादेश में दिये गये न्यूनतम मानकों के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, यह मान्यता उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार की है ।
5.	गढ़वाल वि.वि. उत्तरांचल 24.4.89 से इसका नाम हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि. कर दिया गया	68–संदर्भ कुलाधिपति को	1	चयन समिति अर्हता संबंधी मानक में छूट देने पर लिखित कारण देगी, परिनियमावली में दिये गये अर्हता मानक ही चयन के प्रथमतः मापदंड होंगें परंतु विशिष्ट उच्च स्तर के शोध कार्यो को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	बुंदेलखंड वि.वि.	2—परिभाषा	1	प्रबंध समिति द्वारा पारित निलंबन आदेश बगैर उसे सुनवाई का अवसर दिये कुलपति द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता ।
2.	बुंदेलखंड वि.वि.	12—कुलपति	1	शिक्षक की तर्दथ नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से हो सकती हैं और उसे उच्च शिक्षा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी के आने के साथ ही पदमुक्त किया जा सकता है, उससे पूर्व नहीं
3.	बुंदेलखंड वि.वि.	31—शिक्षकों की नियुक्त व सेवा—शर्ते	2	तर्दथ नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विषय में दायर याचिकाऐं । सेवानिवृत्ति की सीमा तय करना भी विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही आवश्यक है ।
4.	बुंदेलखंड वि.वि.	35—संबंद्ध महावि. सेवाशर्तें	2	कुलाधिपति की शक्ति का स्वरूप एवं सीमा इन निर्णयों में परिलक्षित हैं । कुलाधिपति अर्द्धन्यायिक शक्तियों के अधिकारी हैं किन्तु वे अधिनियम में पुर्नवीक्षण का प्रावधान न होने के कारण स्वतः या अन्यथा पुर्नवीक्षण नहीं कर सकते हैं ।
5.	बुंदेलखंड वि.वि.	39—प्रबंध समिति सदस्यता की अयोग्यता	1	प्रावधान का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि संबंधियों का महाविद्यालय में पूर्व से ही कार्यरत होना अब प्रबंध समिति की सदस्यता के लिये बाधक न रहेगा । प्रबंधन की निष्पक्षता के लिये इस प्रावधान का लागू किया जाना आवश्यक है ।

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
6.	बुंदेलखंड वि.वि.	58–प्राधिकृत नियंत्रक	2	शासन को महाविद्यालयों के सुचारू प्रबंधन हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का अधिकार है, इस प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण आधार होना आवश्यक है ।
7.	बुंदेलखंड वि.वि.	68–कुलाधिपति संदर्भ	1	शिक्षक के पद पर प्रबंध समिति ने गैर कानूनी तरीके से ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जिसके पास पद की न्यूनतम अर्हता भी नहीं थी । कुलपति के अनुमोदन न मिलने की दशा में यह व्यक्ति उस पद पर नहीं रह सकता है । उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति में अपनी मोहर लगाते हुये इस बात पर बल दिया कि निम्नतम अर्हता पद पर नियुक्त होने के लिए अति आवश्यक है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	2–परिभाषा	2	क्षेत्राधिकार को तय करने में मुख्यतः काम आता है । इसमें यह भी तय किया गया कि कुलपति के आदेश के के विरूद्ध सीधे अनुच्छेद 226 में याचिका पोषणीय नहीं है ।
2.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	13–कुलपति की शक्ति व दायित्व	7	इस विश्वविद्यालय में भी कुलपति के क्षेत्राधिकार को ही चुनौती दी गई है, प्रबंध समितियों के झगड़े या विश्व–विद्यालयों के अन्य कार्यों में भी कुलपति ही सर्वोपरि अधिकारी है अतः उसे निष्क्ष भाव से उच्च शिक्षा के स्तर को ही बनाना है ।
3.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	31–शिक्षक की नियुक्ति	5	वाद मुख्यतः नियुक्ति, सेवाशर्तों और पदोन्नति के संबंध में ही है । कुलपति चयन समिति के सदस्यों पर नियंत्रण नामित सदस्यों के द्वारा करता है ।
4.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	35–संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक व गैर सरकारी कर्मचारी	1	संबद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाशर्तें तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में वाद हुये हैं ।
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	39–प्रबंधन समिति सदस्यता से निर्रहित	2	धारा–39 के अपवाद स्वरूप वे अध्या–पक अयोग्य सदस्यता के लिये न होंगें जो परीक्षा संबंधी पारिश्रमिक लेते हैं ।

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
6.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	57–58 प्राधिकृत नियंत्रक	5	शासन की शक्ति और परिधि की व्याख्या इन वादों में की है । प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति प्रबंधन की शुचिता बनाये रखने के लिए की जाती है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर गुण–दोष को परख कर होगा ।
7.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	60–प्राधिकृत नियंत्रक को कब्जा	2	प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के के साथ ही प्रबंध समिति में निहित अधिकार उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और महाविद्यालय तथा उससे संबंधित संपत्ति पर उसका अधिकार हो जायेगा । यह स्वतंत्र जांच के लिये आवश्यक है ।
8.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	68–संदर्भ कुलाधिपति को	12	नियुक्ति, प्रोन्नति, रिक्त स्थान पर समितियों में सदस्यता आदि के संबंध में कुलाधिपति को प्रेषित संदर्भ में आवेदन करना आवश्यक है, धारा 68 में कुलाधिपति नैसर्गिक न्याय के अनुरूप सकारण आदेश पारित करते हैं । और यह निर्णय उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन में आता है ।
9.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	69–दावे पर प्रतिबंध	4	इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किये गये कार्यों के संबंध में जिला न्यायालयों में कोई भी दावा पोषणीय नहीं है, वैसे भी अधिनियम में पूर्ण इंतजाम हर प्रकार के न्याय के लिये उपलब्ध है ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	12—कुलपति	1	नियुक्ति के संबंध में प्रश्न उठाये । चयन समिति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ।
2.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	13—कुलपति दायित्व व शक्ति	2	क्षेत्राधिकार को चुनौती प्रायः हर वाद में दी गई है । विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी के रूप में कुलपति महत्वपूर्ण दायित्व रखते हैं और वे स्वविवेक से उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये प्रयास करते हैं ।
3.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	19—वि.वि. के अधिकारी	1	सहयोगी महाविद्यालय की चयन समिति क्या विश्वविद्यालय की अधिकारी है, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर उच्च न्यायालय ने दिया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि अध्याय पांच के प्रावधानों वर्णित ही विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं ।
4.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	28—प्रवेश समिति	2	क्षेत्राधिकार के बारे में वाद है । यह विधा परिषद के अधीक्षण में कार्य करती है, उपधारा—5 को उच्च न्यायालय ने आज्ञापक करार दिया है । मानक विरूद्ध प्रवेश न देना विधि सम्मत है ।
5.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	31—शैक्षणिक वर्ग की नियुक्ति व सेवा शर्तें	5	शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा शर्तें चयन प्रक्रिया संबंधी वाद हैं । कुलाधिपति के संदर्भ किन स्थितियों में अनुमन्य है, यह भी उच्च न्यायालय ने तय कर दिया है ।
6.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	35—संबद्ध एवं सहयोगी महा-विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें	2	कुलपति के क्षेत्राधिकार की सीमा के बारे में वाद । उनकी पुर्नवीक्षण सीमा सीमा परिधि और क्या त्रुटि पूर्ण अनुमोदन क्या इसके माध्यम से निरस्त किया जा सकता है ।

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
7.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	48–परीक्षा	1	सुधार परीक्षा को बंद करने की सूचना छात्रों को नहीं दी गई है अतः उसको समाप्त करना वैध नहीं है और एक वर्ष में दो परीक्षाऐं हो सकती है ।
8.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	51–अध्यादेश	1	क्षेत्राधिकार की परिधि के बार में वाद है यह विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी हैं
9.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	52–अध्यादेश	1	बनने की प्रक्रिया पर वाद ।
10.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	57–संबद्ध महा. विद्यालयों का नियंत्रण	1	राज्य शासन महाविद्यालयों की प्रबंधन समिति के क्रियाकलापों के बारे में उनसे नोटिस देकर पूछताछ कर सकता है तथा बदइंतजामी पाने पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी अंतरिम अवस्था में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कर सकता है ।
11.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	68–संदर्भ कुलाधिपति	5	कुलाधिपति के क्षेत्राधिकार पर आधारित आधारित वाद । कुलाधिपति स्वतः संदर्भ मंगाकर कुलपति के आदेश को निरस्त नहीं कर सकते हैं । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करके सकारण सविस्तार आदेश कुलाधिपति को देना होगा ।
12.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड वि.वि. बरेली	69–वाद पर प्रतिबंध	1	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारीगणों के विरूद्ध कोई वाद स्थापित नहीं किया जा सकता ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	आगरा विश्वविद्यालय	2	1	प्रबंध समिति की मान्यता के लिये कुलपति एवं कुलाधिपति का अपरोक्ष अनुमोदन ही काफी है ।
2.	आगरा विश्वविद्यालय	13—कुलपति शक्ति व कर्तव्य	1	विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिये कुलपति ही शीर्षस्थ अधिकारी हैं और इन्हे ही अधिकांश निर्णय लेने पड़ते हैं अतः शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ करना होगा ।
3.	आगरा विश्वविद्यालय	28—प्रवेश समिति	5	विश्वविद्यालय की मुख्य समितियों में है इसके दिशा निर्देश शासन व काय परिषद के नियंत्रण में है । प्रायः सारे वाद इसी संबंध है और समिति के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते रहते हैं ।
4.	आगरा विश्वविद्यालय	29—परीक्षा समिति	1	इस संबंध में केवल एक ही वाद है सुचारू रूप से नियंत्रण रखने से व्यर्थ के वाद उत्पन्न नहीं होते हैं ।
5.	आगरा विश्वविद्यालय	31—शिक्षक, नियुक्ति	8	शिक्षकों की सेवाशर्तें एवं नियुक्ति के बारे में अधिनियम के अध्याय—6 में वर्णित विभिन्न धाराऐं पूर्ण संहिता इस बारे में है । परिनियमावली वगैरह इस स्थिति को और पुष्ट करती है । अगर इन प्रावधानों का ईमानदारी व दृढ़ता से निष्पक्ष निष्पादन किया जाये तो शायद न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही न पड़े ।

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
6.	आगरा विश्वविद्यालय	35–संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति	2	परिनियमावली के साथ ये प्रावधान स्वयं में एक संपूर्ण संहिता शिक्षकों व अन्य कर्मचारीगणों की नियुक्ति के लिये है । कुलाधिपति अंतिम अधिकारी इस विषय में है और वे अर्द्धन्यायिक व्यवस्था के अंर्तगत सुनवाई करके सकारण आदेश पारित कर सकते हैं इसलिए भी न्यायिक पुर्नवीक्षण की आवश्यकता अधिक नहीं उठी ।
7.	आगरा विश्वविद्यालय	51–अध्यादेश	1	विश्वविद्यालय अपने अध्यादेश से चिकित्सा परिषद के मानकों से अधिक कड़े और अच्छे चिकित्सा शिक्षा संबंधी मानक बना सकता है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है ।
8.	आगरा विश्वविद्यालय	66–रिक्ति का प्रभाव	1	चयन समिति या अन्य विश्वविद्यालय की समिति में अगर कोई स्थान रिक्त है तब भी गण पूर्ति से वह प्रभावित नहीं होता है और उसके द्वारा पारित आदेश यथावत वैध रहते हैं ।
9.	आगरा विश्वविद्यालय	68–कुलाधिपति को संदर्भ	5	कुलाधिपति की संदर्भ में क्षेत्राधिकार की विवेचना करते हुए न्यायिक आदेशों में मान्यता सुनवाई और सकारण आदेशों की दी गई है । कुलाधिपति अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं रखते है किन्तु अर्द्ध न्यायिक व्यवस्था के आधीन पुर्नवीक्षण कर सकते हैं ।

संप्रकाशित निर्णयज विधि पर आधारित

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
1.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	13–कुलपति शक्ति एवं उत्तरदायित्व	1	कुलपति की आपातकालीन शक्ति का प्रयोग तभी हो सकता है जब कोई उपाय शेष न हो और कुलाधिपति से पूर्व आज्ञा प्राप्त कर ली हो ।
2.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	28–प्रवेश समिति	1	प्रवेश समिति वि.वि. की कार्यपरिषद के दिशा निर्देश में कार्य करेगी ओर प्रवेश संबंधी मानदंड तय करेगी।
3.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	29–परीक्षा समिति	1	वि.वि. के अध्यादेशों के अन्तर्गत इसका गठन होगा और परीक्षा संबंधी सभी का कार्य इसकी देख रेख में ही होंगे ।
4.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	31–नियुक्ति	2	अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत शैक्षिक वर्ग की नियुक्ति तथा सेवा शर्ते, विवरण मिलता है और यही विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर भी लागू होता है । ये भी तय हुआ है कि अस्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकती है । नियुक्ति करने के पूर्व दो अखबारों में प्रकाशन आवश्यक है भले ही तीन अंकों में प्रकाशन न किया गया हो ।
5.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	35–संबद्ध महा–विद्यालय	2	महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें उनके विरूद्ध गैरकानूनी कार्यवाही नहीं होने देती हैं, इस नियंत्रण के द्वारा विधि नियमों का अनुपालन प्रबंध तंत्र को निरंकुश होने से रोकता है । प्राचार्य के विरूद्ध निलंबन आदेश का क्रियान्वयन कुलपति रोक सकता है ।

क्र.	विश्वविद्यालय	धारा एवं विषय	जुलाई 02 तक कुल वाद	वाद की प्रवृत्ति व विश्लेषण
6.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	48—परीक्षा	2	प्रभाव, प्रवेश अनियमितताओं के कारण छात्र का परीक्षाफल नहीं रोका जा सकता है । लेकिन बगैर प्रवेश के रिकार्ड और बिना रोल नं. परीक्षा में बैठना नियम विरूद्ध है, ऐसे विद्यार्थी के परीक्षाफल को निरस्त करना आवश्यक है ।
7.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	49—परि नियमावली	1	प्रयोग एवं सीमा । संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में भी विशेष रूप से नियंत्रण की सीमा बताई गई है ।
8.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	60—प्राधिकृत नियंत्रक	1	अध्याय 11 महाविद्यालयों के विनियमों से मुक्त है । प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार की स्थितियों में यह प्रावधान प्रयोग में लाया जाता है, मुख्यतः महाविद्यालय के अहित में कार्य करने या उसके धन का अनुचित प्रयोग किये जाने पर प्रबंधन अपने हाथ में लेकर प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्त करता है ।
9.	शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	68—कुलाधिपति को संदर्भ	3	कुलाधिपति के अधिकार अर्ध न्यायिक हैं और वे उनका प्रयोग न्याय हेतु करते हैं । सकारण आदेश द्वारा वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और वि.वि., महाविद्यालय आदि के प्रबंधन को चुस्त—दुरूस्त रखने के लिऐ वे इनका प्रयोग करते हैं ।

Dfgfds

क्र.	धारा	वाद याचिका संख्या	वाद / याचिका प्रकाशन	वाद / याचिका विवरण	वाद / याचिका बिन्दु	वाद / याचिका स्वीकार / अस्वीकार	वाद / याचिका निर्णय	याचिका / वाद निर्णयों का विवेचन एवं विश्लेषण
1	2(13)	–	1979 ए.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 81, (डी.बी.)	पी.सी.सिंकंद प्रति चांसलर	आगरा विश्वविद्यालय परिनियम 27(ए) का स्कोप और ऑब्जेक्ट – परिनियम 27(ए) के अर्न्तगत प्रबंध समिति को मान्यता देना । इस कमेटी द्वारा निर्णय चांसलर तथा वाइस चांसलर ने अनुमोदित किया ।	–	यह धारा 2(13) के अंर्तगत प्रबंध समिति की मान्यता के लिये पर्याप्त है ।	अपरोक्ष रूप से दिया गया अनुमोदन भी धारा 2(13) के लिये पर्याप्त है ।
2.	19	सी.एम.डब्ल्यू. पी. नम्बर 9021 (1978) निर्णीत दिनांक 01.03.79	1979, 5, ए.एल.आर. 277 (डी.बी.) एन.डी.ओझा मुरलीधर जे.जे.	डॉ. कु. रंजना सक्सेना प्रति कुलपति, रोहेलखंड विश्वविद्यालय , बगैरह	क्या संबद्ध महाविद्यालय की चयन समिति धारा 19 के अनतर्गत वि. वि. की अधिकारी है ।	–	नहीं	ऐसी चयन समिति वि.वि. की अधिकारी नहीं है । धारा अध्यापको के चयन के लिये सम्पूर्ण कोड है ।

3.	37(4) 31 और 35	4525(1974) निर्णित दिनांक 17.1.75	(1975) 1, ए. एल.आरकृ207 के.एन.सिंह जे.	परमहंस प्रति महाजन डिग्री क्र. गोरखपुर	क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक की सेवा संपत्ति का आदेश प्रबंध समिति द्वारा बैगर कुलपति अनुमोदन के पारित किया जा सकता है	—	नहीं	क्योंकि अभिव्यक्ति धारा 37(4) में यह बताती है कि प्रबंध समिति की सीमाएं नियुक्ति के संबंध में क्या है और प्रबंध समिति के अध्यापक को सेवा से हटाये जाने का आदेश कुलपति के अनुमोदन पर निभर करता है ।
4.	31	स्पेशल अपील 263(1974) निर्णित दिनांक 13.2.75	(1975) 1 ए. एल.आर. 150 (डी.बी.) के.बी. अस्थाना सी.जे. सीतश चंद्र जे.	भगवती प्रसाद काम्बोज प्रति व्ही.सी.आगरा यूर्निवसिटी	क्या संबद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति के द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति रीडर की विधिवत नियुक्ति कर सकते हैं ।	अस्वीकार	हाँ	पात्रता के प्रश्न पर अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखता है और प्रबंध समिति के आदेश चयन समिति की स्वीकारता के संबंध में जब पारित हुए थे तब भी उन्हे चुनौती नहीं दी गयी ।

5.	29(3) 29(2)	स्पेशल अपील नं. 150–51 (1975) निर्णित दिनांक 28.8. 75	1976 ए.आई.जे. 183 (ए.एल. आर) (1975), 1 ए.एल.आर. रिर्पोटर 614	आगरा यूनिवर्सिटी प्रति अशोक कुमार अरोरा	क्या परीक्षा समिति नकल या अनुचित साधन प्रयोग करने के मामलों में छात्र के भवि य में होने वाली परीक्षाओं में विवर्जित कर सकती है ।	अस्वीकार	नहीं		परीक्षा समिति केवल परीक्षा एवं उसमें सुधार के बारे में ही राय दे सकती है उसको ऐसी कोई शक्ति नही दी गयी है । जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह अनुशासन संबंधी कोई निर्णय ले सकें । इसको परीक्षार्थी के आचारण के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है ।
6.	45	27603 (1999) निर्णित दिनांक 21.12.2002	2001(1) ई.एस. सी. (ए.एल.आर.) 215 आर.के. अग्रवाल जे.	क्रनपाल सिंह प्रति राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ व अन्य	क्या बी.टी.एस. ट्रेनिंग इस आधार पर अभ्यर्थी पत्राचार कार्यक्रम से मेरठ विश्वविद्यालय के बी. एड. कोर्स को किया है प्रवेश देने इंकार किया जा सकता है	स्वीकार	नहीं		बी.एड. की यह डिग्री नियमित छात्र के द्वारा ली गई डिग्री के बराबर है । इससे पूर्व निर्णित रमेश प्रताप सिंह वगैरह के केस नंबर जो 26.11.92 को प्रकीर्ण वाद याचिका से 818 (1992) में व्यवस्था के रूप में दी गई थी उसे न्यायालय ने पुनः पुष्ट किया यह मानकर कि पत्राचार में दी डिग्री यदि मान्यता प्राप्त संस्थान की है तो मान्य है ।

7.	परिनियम संख्या 10 807 उ.प्र. विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता 1975		1978 एल.टी. सी. 450(डी.बी.) (ए.एल.आर.)		क्या 1.8.75 को चयनित प्रवक्ता पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखकर कानूनी रूप से मान्य है	स्वीकार	हाँ	चूँकि परिनियम में वर्णित अर्हताऐं पूरी नहीं होती हैं अतः 1.8.75 को चयनित अभ्यर्थी को चयन विधि अनुमान्य नहीं है दूसरा कारण यह भी है कि इस नियुक्ति को कुलपति ने अनुमोदित नहीं किया है तीसरा कारण यह है कि नियुक्ति पत्र पर प्रबंध कर के हस्ताक्षर न होना चयन समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किये थे कानूनी रूप से गलत है ।
8.	परिनियम संख्या 9		1978 एल.टी. सी. 787 (डी. बी) (ए.एल. आर.)		क्या एस.एस.वी.वी. के प्रोफेसर ऑफ एजूकेशन के चयन में विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा वर्णित अधिमानी अर्हता में डील दी जा सकती है चयन समिति द्वारा		हाँ	परिनियम 9 (2) अतिक्रमण नहीं होता ।

9.	57(2) विश्वविद्यालय 1974(29 और 1974)	सी.एम.डब्ल्यू. पी. नं. 2006(1977) निर्णित दिनांक 7.11.77	1978 ए.एल. आर. 1093 (एल.बी.) डी.बी. हरिस्वरूप प्रेम प्रकाश जे.जे.	मैनेजिंग कमेटी बजरंग डिग्री का कुन्डा प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. वगैरह	क्या उचित शैक्षणिक अध्यापक वर्ग की नियुक्ति न करना छात्रों को शिक्षा की सुविधाओं से वंचित करना	अस्वीकार	हॉ		खण्ड (2) धारा 57 के अंर्तगत उचित शैक्षणिक व्यवस्था करना प्रबंध समिति का दायित्व है प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति धारा 58 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा उस नोटिस पर जो शैक्षणिक अव्यवस्था के कारण धारा 57 में दिया गया है ।
10.	31, 35, 68 एवं परिनियम 30 (7) 30(8)आगरा विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्ल्यू. पी.नं. 1 (1976) निर्णित दिनांक 22.4. 76	1976 (2) ए. एल.आर. एस. ओ.सी. 75	गोपीनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज बरेली प्रति चांसलर रूहेलखंड एवं आगरा विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध कॉलेज के अध्यापक को सेवा से परिवेक्षण काल के दौरान कुलपति से अनुमोदन लेकर पृथक किया जा सकता है ।	अस्वीकार	नहीं		कुलपति ने अध्यापक के प्रत्यावेदन पर अपना आदेश वापिस ले लिया तथा प्रवंध समिति के प्रस्ताव को सेवा संपत्ति के बारे में निरस्त कर दिया कारण सेवा निवृत्ति के साथ 9 माह का वेतन नहीं दिया गया था तथा प्रवक्ता को सुनवाई का अवसर भी नहीं प्रदान किया गया प्रवंध समिति के संदर्भ को भी चांसलर ने इसी आधार पर निरस्त किया था ।

11.	69, 68–ए, 9 19	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10512 (1975) निर्णित दिनांक 10.1. 79	1979(5) ए.एल. आर. 275(डी. बी.) के.एन. सेठ व रामसूरत सिंह जे.जे.	सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज इला. वगैरह प्रति यमुना प्रसाद पांडे वगैरह	क्या विवाद धारा 69 व 68–ए की सीमाओं के बाहर है तब भी दीवानी अदालत में दावा पोषणीय है	स्वीकार	हॉ	धारा 9 में विश्वविद्यालय के अधिकारी वर्णित हैं धारा उसमें संबद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति नहीं वर्णित है अतैव संबद्ध महाविद्यालय को चयन समिति का प्रबंध समिति के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में दावा पोषणीय है क्योंकि धारा 69 का प्रतिबंध केवल उन मामलों में है जो राज्य सरकार उच्च शिक्षा निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा और विश्वविद्यालय के अधि. परि. और अध्यादेश से संबंधित हो ।
12.	60–सी 35 परिनियम संख्या 11, 26 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10688 (1978) निर्णित दिनांक 16.7. 79	1979(5) ए.एल. आर. (एसओसी) 233 डी.बी.	नूतन कुमार शर्मा प्रति डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजूकेशन	क्या संबद्ध महाविद्यालय के आचार्य या प्रवक्ता के पद को समाप्त करके छटनी की जा सकती है ।		हॉ	अगर उपनिदेशक जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पद अधिक है तो वे उसकी समाप्ति का आदेश दे सकते हैं जिसके लिये कुलपति का पूर्व अनुमोदन तथा प्रवक्ता को पूर्व सुनवाई देने की आवश्यकता नहीं है ।

13.	52(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2917 (1976) निर्णित दिनांक 22.1. 79	1979(5) ए.एल. आर. एस.ओसी 125	भारत भूषण भाटिया प्रति गोरखपुर यूनिवर्सिटीज वगैरह	क्या परीक्षा समिति के निष्कर्ष के छपे हुये कागजात परीक्षार्थी के पास से मिले, को अनुच्छेद 226 की याचिका में देखा जा सकता है ।	अस्वीकार	नहीं	परीक्षा समिति नकल संबंधी मामले की जांच पड़ताल तथा निष्कर्षों के लिये उप समिति बना सकती है जो कि पूर्णतया: विधि अनुमन्य है ।
14.	66		1986 ए.एल.जे. 135	कमल सिंह प्रति कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या पिछले सत्र में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुनः प्रवेश देना गैर कानूनी है ।	अस्वीकार	हॉ	धारा 66 के अंर्तगत इस कानूनी त्रुटि को नहीं सुधारा जा सकता है ।
15.	66		1987 ए.एल.जे. 860	एन.डी. टहलयानी प्रति आर.पी.मिश्रा	क्या गण पूर्ति न होने के आधार पर विश्वविद्यालय अधिकारीगण का निर्णय गलत होगा ।	अस्वीकार	नहीं	अधूरीगण पूर्ति के कारण अध्ययन बोर्ड का निर्णय गलत या गैर कानूनी नहीं हो सकता है ।
16.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. 1342(1978) निर्णित दिनांक 25.5.78	1978ए.एल.जे. 762 (डी.बी.) एच.एन.सेठ व्ही. के.मल्होत्रा	याचिका डॉ. शशि सिंघल प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. वगैरह	क्या शासन आदेश 27.12.1977 जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले नियमित किये गये हैं और याचिका दाखिला एम. डी. कोर्स में	अस्वीकार	नहीं	याची पी.जी. कोर्स के दाखिले के लिये (इलाहावाद मेडिकल कॉलेज के) उपयुक्त नहीं थी क्यों कि वह प्रदेश के बाहर के कॉलेज से एम.बी.बी.एस. करके आई थी अतः उसे अधिकार नहीं है कि वह रेजीडेन्ट के चयन को चैलेंज कर सके या

					अनियमिति रहा हो तो वह रेजिडेन्ट की नौकरी के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं ।			उसके लिये एप्लाई कर सके ।

17.	28(5)		ए.आई.आर. 1978 (एन.ओ. सी) 202(डी.बी.) इलाहाबाद		क्या मिर्जापुर जिले में पहाड़ी इलाके धारा 28(5) के अंर्तगत जारी किये गये शासन आदेश में प्रयुक्त पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं ।	स्वीकार	हॉ	मिर्जापुर जिले का पहाड़ी क्षेत्र धारा 28(5) के अंर्तगत जारी किये गये शासन आदेश के अंर्तगत आते हैं
18.	29(3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 4868 (1978) निर्णित दिनांक 4.5.79	ए.डब्लू.सी. 1979, 423 (डी. बी.) के.एन.सेठ व राम सूरत सिंह जेजे	राधाकृष्ण पांडे प्रति यूनिवर्सिटीज ऑफ गोरखपुर वगैरह	क्या परीक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर सब कमेटी को परीक्षा में नकल की जांच के पश्चात अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत करने के बाद उप समिति की आख्या के विपरीत कोई निर्णय ले सकती है ।	स्वीकार	नहीं	उपसमिति को अधिकृत करने के पश्चात परीक्षा समिति को कोई अधिकार नहीं है कि वह उप समिति के निर्णय के ऊपर कोई अन्य निर्णय ले ।
19.	31(4) (सी) और 35		1980 ए.एल. एज.जे. 1115 (डी.बी.)	राजेन्द्र प्रति सिविल जज बुलंद शहर वगैरह	क्या चयन समिति अपनी अनुसंशा को किसी एक विशेष प्रत्याशी के मामले में इस आधार पर रोक सकती है कि वह शुरू में अधिक वेतन मांग रहा है ।	स्वीकार	नहीं	प्रधानाचार्य की नियुक्ति के मामले में वेतनमान को निर्धारित करना प्रबंधतंत्र का मुख्य कार्य है अतैव चयन समिति नियुक्ति की अनुसंशा इस आधार पर नहीं रोक सकती है ।

20.	31 (8) (बी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8601, 10511, 8397 (1979) निर्णित दिनांक 17.7.80	1980 ए.एल.जे. 1115 (डी.बी.)	राजेन्द्र पति सिविल जज बुलंद शहर वगैरह	महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति में प्रबंधतंत्र के प्रस्ताव को वी.सी. किन परिस्थितियों में अस्वीकार कर सकता है ।	स्वीकार		अगर चयन समिति ऐसे किसी व्यक्ति के नाम के अनुसंशा करती है जो उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है ओर प्रबंधतंत्र इस अनुसंशा से सहमत नहीं होता है तब वी.सी. को अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक होगा ।
21.	31(4)(सी)		1980 ए.एल.जे. 1115 (डी.बी.)		क्या चयन समिति की वैधानिकता ओर गठन पर याची/प्रार्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद कोई आपत्ति कर सकता है ।	अस्वीकार	नहीं	प्रार्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अनुसंश के विपरीत होने की स्थिति में कोई आपत्ति नहीं कर सकता ।
22.	31 और 49	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9021, (1978) निर्णित दिनांक 1.3.79	(1979) 5 ए. एल.आर. 277 (डी.बी.)	रंजना सक्सेना प्रति कुलपति रूहेलखंड विश्वविद्यालय वगैरह	प्रवक्ता के स्थाई पद पर क्या अस्थाई नियुक्ति अनुमन्य है ।	स्वीकार	नहीं	धारा 31 एवं 49 किसी भी महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में सम्पूर्ण कोड है ।

23.	धारा 31(8) (ए)	सी.एम.डब्लू.पी. 2252 1977 निर्णित दिनांक 4.4.78	(1978)ए.एल.जे. 844(डी.बी.) के. एन.सिंह, एस. डी.अग्रवाल जेजे	डॉ. डी.डी. तिवारी प्रति चांसलर एस.एस.वी.वी. वगैरह	चांसलर को विश्वविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में संदर्भ कब उचित है	स्वीकार	जब कार्य परिषद चयन समिति की अनुशंसा से विपरीत मत रखे	संदर्भ चांसलर को तभी संभव है जब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद नियुक्ति करने वाली चयन समिति की अनुसंशा से भिन्न मत की हो ।
24.	धारा 31	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 3625, (1975) निर्णित दिनांक 19.9. 75	ए.आई.आर. 1976 (इलाहाबाद) 223	रामआश्रय मिश्रा प्रति राज्य एवं अन्य	महाविद्यालय के प्राचार्य के समादेश याचिका इस आधार पर कि उसकी नियुक्ति एवं पुष्टिकरण उचित है ।			
25.	32	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6082 (1974) निर्णित दिनांक 29.1. 76	1976 एल.आई. सी. 1289 इलाहाबाद	डॉ. एस.सी. भारतीय प्रति वाइस चांसलर गढ़वाल विश्वविद्यालय	क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत महाविद्यालय के प्राचार्य की सेवा संविदा को लागू करने के लिये न्यायालय द्वारा महादेश जारी किया जा सकता है ।	अस्वीकार	नहीं	इस संबंध में कोई महादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं चूंकि यह व्यक्तिगत सेवा अनुबंध, सेवा योजक की इच्छा व सहमति के विपरीत होगा ।
26.	35		1980, ए.एल.जे. 1115					

27.	धारा 35, 60(सी)	सी.एम.डब्लू.पी नं. 10688, (1978) निर्णित दिनांक 16.7.79	1979, एल.आई.सी. (एन.ओ.सी 138 (डी.बी.) इलाहाबाद	नूतन कुमारी शर्मा प्रति डिप्टी डायरेक्टर हा.एजूकेशन एवं अन्य	क्या छटनी करने के पूर्व वी.सी. की अनुमति आवश्यक है ।		नहीं	धारा 60 (सी) एक विशिष्ट प्रावधान है जो धारा 35 के प्रावधानों को अपवर्जित करता है ।
28.	35(2)		1979, ए.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 81 (डी.बी.)		क्या महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा बर्खास्त किये जाने के आदेश का अनुमोदन करने के लिये वी.सी. द्वारा विशद आदेश की आवश्यकता है ।		नहीं	
29.	36	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10993 (1975) निर्णित दिनांक 7.4.76	1977 एल.आई.सी. (एन.ओ.सी.) 136 इलाहाबाद	मैनेजमेंट कमेटी मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज प्रति वी.सी. कुमाऊं यूनिवर्सिटी	क्या नियुक्ति संबंधी विवादों को तय करने के लिये माध्यस्थम न्यायाधिकरण महाविद्यालय के वाइस चांसलर बाद में कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित होने पर भी विवाद को तय करने में सक्षम हैं ?		नहीं	महाविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित होने के कारण कुमाऊं विश्वविद्यालय के वी.सी. को ही विवाद को निर्णित करने का अधिकार होगा ।

0.	39	सिविल रिवीजन नंबर 1218 (1976) निर्णित दिनांक 22.9.78	1978 ए.एल.जे. 1007 अमिताभ बैनर्जी जज	राजकिशोर शर्मा एवं अन्य प्रति किसान शिक्षा समिति बस्ती	क्या ऐसे सहकारी समिति का अध्यक्ष जो कि महाविद्यालय को समान आपूर्ति करती हूँ उस महाविद्यालय की प्रबंध समिति का सदस्य हो सकता है ।	अस्वीकार	हॉ	अगर शेयर धारक होने के कारण पारितोषिक लिया जाना अयोग्यता का कारण माना जायेगा तो बहुत कम लोग ऐसे होंगें जो धारा 39 में दिये गये अयोग्यता के कारणों से मुक्त होंगें ।
1.	39(एक्सप्लेनेशन)	सिविल रिवीजन नंबर 1218 (1976) निर्णित दिनांक 22.9.78	1978 ए.एल.जे. 1007 अमिताभ बैनर्जी जज	राजकिशोर शर्मा एवं अन्य प्रति किसान शिक्षा समिति बस्ती	संबंधी शब्द का अर्थ क्या है ?	अस्वीकार		रक्त एवं विवाह संबंध द्वारा अयोग्यता उत्पन्न होगी । जो सीधे लाभ की स्थिति से जुडी होगी ।
2.	49		1979(5) ए.एल. आर. 277 (डी. बी.)	कृप्या उपर सेक्शन 31 देखें ।				
3.	50(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 2252 1977 निर्णित दिनांक 4.4.78	1978 ए.एल.जे. 844 (डी.बी.)	डॉ. डी.डी. तिवारी	क्या सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रोफेसर पद हेतु अधिमानी अर्हता में ढील दिया जाना विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के विपरीत है ।		नहीं	उ.प्र. यूनिवर्सिटी परिनियन 1975 परिनियम 92 का उल्लंघन नहीं होता है ।

34.	50	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 12247 1975 निर्णित दिनांक 17.12.77	1978 ए.एल.जे. 271 (डी.बी.)	किशोरी लाल गुप्ता प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. वगैरह	क्या खंड 4 के अर्तगत बनाये गये प्रथम परिनियम में दी गई सेवा समाप्ति की आयु संविधान की धारा 16 के विपरीत है ?	अस्वीकार	नहीं	यह विशिष्टि प्रावधान परिनियमों में पहले की दी हुई सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष को यथा स्थिति बनाये रखने के लिये है । बाद में नये अधिनियम के अंर्तगत सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी गयी थी जो केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये बनाया गया उपखंड है ।
35.	52(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 2405 (1976) निर्णित दिनांक 11.10.76	ए.आई.आर. 1977 (इलाहाबाद) 132	अशोक कुमार सिन्हा प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या परीक्षा के दौरान अनुचित तरीकों का प्रयोग स्केल पर लिखे हुये आपत्ति जनक सामग्री द्वारा पुष्ट होता है ?		नहीं	लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस नंबर 2 एवं 5 में दिये गये आवश्यकताओं के अनुसार स्केल की ओनरशिप सावित की जा सकी, मुख्यतः जवकि परीक्षार्थी द्वारा हल किया प्रश्न गलत था और स्केल की सामग्री का उपयोग नहीं पाया गया । ऐसी परिस्थिति में परीक्षाफल का निरस्त किया जाना अनुचित था ।

57(V)और 18 (सुपर सेक्शन)		1979 ए.एल.जे. 1103 (डी.बी.)		क्या प्रबंध तंत्र का धारा 5 में वर्णित Charge, Diversion of funds में संभव है?		नहीं, यह तभी संभव है जब धारा में दिये गये सभी इनग्रेडिएन्टस साबित हो सके ।	धन का डायवर्सन एवं इसके द्वारा विश्वविद्यालय को पहुंचने वाली क्षति दोनो ही महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिऐ आवश्यक है ।
57(V) 18		1979 ए.एल.जे. 1103 (डी.बी.)		क्या प्रबंध समिति को महाविद्यालय में अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पूर्व त्रुटि दूर करने के लिए मौका दिया जाना आवश्यक है ?		नहीं	प्रबंध तंत्र को अधिग्रहण करने के पूर्व त्रुटियां दूर करने के लिए मौका दिया जाना नियमों में वर्णित नहीं है । और ऐसा न होने के कारण प्रबंधन अधिग्रहित किया जा सकता है ।
58(2)		1979 ए.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 23 (डी.बी.)		क्या प्रबंध समिति के निलंबन के पूर्व सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है ?		नहीं	ऐसा मौका न देना प्राकृतिक न्याय के विपरीत नहीं है । क्योंकि निलंबन कोई सजा नहीं है । और संभावित जांच प्रक्रिया एक आवश्यक अंग है । किन्तु अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने पर कारण उल्लिखित करना आवश्यक होगा ।

39.	60(सी)		1979 एल.आई. सी. (एन.ओ.सी.) 138 (डी.बी.) इलाहाबाद	नूतन कुमार प्रति डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा	क्या छटनी किये जाने के पूर्व कर्मचारी को सूनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है ।		नहीं	नियम मे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जो कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिये जाने के लिऐ अधिकृत करती हों ।
40.	60 (सी)		1979 एल.आई. सी. (एन.ओ.सी.) 138 (डी.बी.) इलाहाबाद	नूतन कुमार प्रति डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा	क्या उप कुलपति की पूर्वानुमति छटनी के लिये आवश्यक है ।		नहीं	धारा 60 (सी) विशिष्ट प्रावधान है जो अन्य सामान्य प्रावधान को अपवर्जित करती है ।
41	68 और 69		1980 ए.एल.जे. 1115 (डी.बी.)	राजेन्द्र प्रति सिविल जज बुलंद शहर एवं अन्य	क्या चयन समिति की अनुसंशा या वी.सी. और चांसलर के आदेश के विरूद्ध दीवानी अदालत में दावा दायर किया जा सकता है ।		नहीं	
42.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 8214 1978 निर्णित दिनांक 19.2. 80	1980(6) ए.एल. आर. 335 (डी. बी.)	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट श्री बल्देव डिग्री कॉलेज एवं अन्य प्रति चांसलर गोरखपुर विवि.	क्या चांसलर उपकुलपति के त्रुटिपूर्ण आदेशों में दखलंदाजी कर सकता है ।		हाँ	ऐसा करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार धारा 68 द्वारा चांसलर को प्राप्त है, जबकि उप कुलपति प्रत्यक्ष गलती करे ।

13.	68		1979(5) ए.एल. आर. 277 (डी. बी.)		क्या चयन समिति द्वारा पारित नियुक्ति प्रस्ताव को धारा 68 के सदर्भ द्वारा चुनौती दी जा सकती है ।		नहीं	संदर्भ केवल अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध संभव है और धारा 19 के अंतर्गत चयन समिति विश्वविद्यालय की प्राधिकारी नहीं है ।
4.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 4522 1974 निर्णित दिनांक 3.12. 77	1978 एल.आई. सी. 345 (डी. बी.) इलाहाबाद	गंगाशरण शर्मा प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या वरिष्ठता संबंध चांसलर का आदेश को उभय पक्ष सुने बगैर विधिनुसार है ।		नहीं	अर्द्ध न्यायिक आदेश होने के कारण वरिष्ठता संबंधी प्रश्न तय करते समय चांसलर को उभय पक्षों को सुनना आवश्यक है ओर ऐसा न करने पर आदेश गैर कानूनी होगा ।
5.	68		1977 एल.आई.सी. (एन.ओ.सी.) 133		क्या चांसलर धारा 68 के अंर्तगत विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये नियुक्ति आदेशों को ही विचार कर सकता है ।		हॉ	इस धारा के प्रावधानों के अंर्तगत चांसलर को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की गयी नियुक्ति की वैधता को देखने का क्षेत्राधिकार है कि वे नियमानुसार हैं कि नहीं ।
6.	68		1977 एल.आई. सी. (एन.ओ.सी.) 133 बी (डी.वी.) इलाहावाद		क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत चांसलर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जा सकता है		हॉ	अर्द्धन्यायिक आदेश होने के कारण कानूनी त्रुटि एवं न्याय हेतु इस आदेश को निरस्त किया जा सकता है ।

47.	68 (ए)		1979 ए.एल.जे. 522, (डी.बी.)		संबद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति के निर्णय के विरूद्ध दा़वा दीवानी अदालत मेंसंभव है ?		हाँ	ऐसे निर्णयों को दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।
48.	69		1980 ए.एल.जे. 1115, (डी.बी.)		क्या चयन समिति चांसलर एवं वी.सी. के अनुशंसाओं के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में दावा पोषणीय है ।		नहीं	चयन समिति धारा 19 के अंर्तगत विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं हैं अतः दावा पोषणीय नहीं है ।
49.	69	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 4022 (1974) निर्णित दिनांक 1.1.79	1979 ए.डब्लू. सी. 379 (डी. बी.) के.एन.सेठ और रामसूरत सिंह जज	इलाहावाद विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रति सिविल जज इलाहावाद एवं अन्य	अभद्र व्यवहार के कारण विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र को परीक्षा में न बैठने देने के आदेश को दीवानी अदालत में चुनौती दी जा सकती है ?	स्वीकार	नहीं	धारा 69 में वर्णित कारणों के अंर्तगत ऐसे आदेश के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में दावा पोषणीय नहीं है ।
50.	13(7) एवं 23(I) (जी)	स्पेशल अपील नं. 2068 (1975) इलाहावाद	ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 615	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय प्रति डॉ. राज किशोर त्रिपाठी	क्या उप कुलपति स्थाई नियुक्ति कर सकते हें ?		नहीं	केवल कार्य परिषद को ही अंतिम नियुक्ति की शक्ति प्राप्त हैं जिसमें सेवा नियमावली की शर्तें कार्यपरिषद ही तय करती है ।

51.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं.2605 (1986) निर्णित दिनांक 24.7.86	1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 729	डी.के.सिंह प्रति मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहावाद	राजकीय आदेश दिनांक 15.12.1982 जिसके द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला एवं प्रारंभ करने का प्राचार्य का अधिकार वर्ष 1986–87 के लिए	स्वीकार	शैक्षणिक व्यवस्था के लिए संभव है	एक ही वर्ष में दो शैक्षणिक सत्र मेडिकल कॉलेज में हो सकते हैं अतएव समाज एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए पी.जी. कोर्स को 6 माह बाद भी प्रारंभ किया जा सकता है । जिससे कि चिकित्सा शिक्षा जगत में विशेषज्ञों का अभाव न रहे
52.	2(12) और 44	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7112 (1980) निर्णित दिनांक 24.12.80	1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 447	प्रदीप त्रिपाठी प्रति इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या मोती लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन धारा 44 के अंर्तगत इंस्टीट्यूट की परिभाषा में आता है ?		नहीं	धारा 44 के अंर्तगत विश्वविद्यालय एक एवं अनेक संस्थान स्थापित कर सकती है । किन्तु इसके लिए एक निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है जो कि विश्वविद्यालय की विधा परिषद का सदस्य भी होगा अतैव विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति को एम.बी.ए. कोर्स में दाखिले की समिति के लिये किसी को भी नामित करने का अधिकार न हो केवल विभाग प्रमुख को ही एम.बी.ए. कोर्स में दाख़िला करने का अधिकार है ।

53.	धारा 2(13) एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 5227 (1982) निर्णित दिनांक 17.12.82	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 99	आर.के.मित्तल एवं उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति के आदेश के विरूद्ध सीधी याचिका संविधान की धारा 226 में पोषणीय है ।	अस्वीकार	नहीं	उपकुलपति के धारा 2(13) के आदेश को चांसलर के समक्ष धारा 68 में चुनौती दी जा सकती है । अतएव अनुकल्पीय उपचार होने के कारण याचिका पोषणीय नहीं ।
57	31(8) (बी)	सी.एम.डब्लू पी. नं. 5276 1978 निर्णित दिनांक 19.1.79	1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 330	कु.मधु जैन प्रति चांसलर रूहेलखंड विश्वविद्यालय	उपकुलपति को संदर्भ किन परिस्थितियों में किया जा सकता है ।	स्वीकार		अगर चयन समिति की अनुसंशा से प्रबंधतंत्र एकमत हो तो संदर्भ की आवश्यकता नहीं ।
58.	13 और 35(2)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 487(1977) निर्णित दिनांक 12.9.80	1981 यू.पी. एल.वी.ई.सी. 1997	के.एस. अवतार प्रति चांसलर रूहेलखंड विश्वविद्यालय	उपकुलपति की पुनःवीक्षण की शक्ति एवं सीताऐं क्या हैं ? क्या वह इस शक्ति का उपयोग गलत तथ्यों पर आधारित अनुमोदन को निरस्त करने के लिए कर सकता है ?	अस्वीकार	हॉ	प्रबंध तंत्र के निर्णयों का अनुमोदन धारा 35(2) में उपकुलपति करते है। लेकिन ऐसे अनुमोदन को बाद में प्राप्त कारणों से वापस करने के पूर्व उपकुलपति के लिए प्रबंध तंत्र को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा अगर प्रबंध तंत्र स्वयं ऐसे अनुमोदन की वापसी के कारण प्रस्तुत करे तो सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी । वी.सी. के लिए विश्वविद्यालय परिनियम एवं अधिनियम का अनुपालन कराना कानूनी रूप से आवश्यक है ।

59.	13(1) (ए), 13(4), 13(6), 57 एवं 58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1909 (1982) निर्णित दिनांक 28.2.85	1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 90	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर.के. कॉलेज श्यामली मुजफ्फर नगर प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	1. क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत माननीय न्यायालय की दो डिविजन बेंच में मतभेद होने पर याची को कोई अनुतोष तीसरी डिविजन बेंच द्वारा दिया जा सकता है ?	तदनुसार	नहीं	प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति केवल राज्य सरकार को है लेकिन न्यायालय की एक डिविजन बेन्च इस अभिमत की है कि आपात कालीन स्थिति में उपकुलपति भी ऐसी नियुक्ति कर सकता है । इस वाद बिन्दु को अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए पूर्ण पीठ (फुल बेन्च) का निर्णय आवश्यक है और याची को इस याचिका में कोई भी अनुतोष दे पाना संभव नहीं है ।
					2. क्या उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को चुनने वाली सोसायटी के आंतरित मामलों में दखलंदाजी का अधिकार है ।		नहीं	2. विश्वविद्यालय को चलाने वाली सोसायटी तीन वर्ष के लिये प्रबंध समिति को चुनती है और अधिनियम के अंर्तगत बिना प्रबंध समिति को सुने हुये उसकी यह समयावधि कम नहीं की जा सकती ।

60.	13(1)(ए), 13(4) एवं 13(6)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13029 (1984) निर्णित दिनांक 10.10. 1985	1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 100	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट पी. एस.एम. पी. जी. कॉलेज, रूड़की सहारनपुर प्रति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या नई प्रबंध समिति के गठन के पश्चात प्रशासक की नियुक्ति का आदेश प्रभावी रहेगा ।	स्वीकार	नहीं	नई प्रबंध समिति के गठन के पश्चात प्रशासक की नियुक्ति का आदेश प्रभावी रहने का कोई औचित्य नहीं है और उच्च न्यायालय के प्रशासक को नई गठित समिति को विश्वविद्यालय का कार्यभार सौंपने का आदेश दिया ।
61.	13(1) एवं 13(6)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2096 (1982) निर्णित दिनांक 6.10. 82	1982, यू.पी.एल. बी.ई.सी. 574	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जे. बी.कॉलेज बरौत मेरठ प्रति वी.सी. मेरठ विश्वविद्यालय	उपकुलपति की प्रशासक नियुक्त करने की क्या सीमाएं हैं ।	स्वीकार		आपात कालीन स्थितियों में उपयुक्त कारणों के अंतर्गत उपकुलपति ऐसी नियुक्ति कर सकता है । **(यह याचिका पूर्ण पीठ को भेजी गई थी)**
62.	13(1)(ए) एवं 68		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 330	एल.के.एम. त्रिपाठी प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या धारा 13 के अंतर्गत वी.सी. के आदेश के विरूद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका पोषणीय है।	अस्वीकार	नहीं	धारा 68 में प्रभावी उपचार के कारण उच्च न्यायालय ऐसी याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है ।

63.	13(1)(ए) एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1177 (1982) निर्णित दिनांक 18.5. 83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 43	डी.जे.एच. स्कूल एसोशिएसन प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति को विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय का प्रशासन नियुक्त करने का अधिकार है ?	1982 यू.पी. एल.बी.ई. सी. 574 का निर्णय वृहत पीठ को संदर्भित किया जा चुका है अतः इस निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता है ।	हॉ		कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जनता वैदिक कॉलेज प्रति वी.सी. मेरठ विश्वविद्यालय, 1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. पेज 574 के अनुसार वी.सी. ऐसी नियुक्ति कर सकता है ।
64.	13(6), 13(8) एवं 31	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2277 (1980) निर्णित दिनांक 23.3. 81	1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (लखनऊ बेंच) 276	डॉ.सीताराम प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	शिक्षक की एडहॉक नियुक्ति के कुलपति के आदेश को क्या कार्य परिषद के समक्ष चुनौती दी जा सकती है ।	स्वीकार	हॉ		चूंकि कुलपति का आदेश अंतिम नहीं है । और एडहॉक नियुक्ति करने के पश्चात उसे चांसलर को ऐसी नियुक्ति की सूचना देना अनिवार्य है अतः विश्वविद्यालय एवं शिक्षा के हित में ऐसे आदेश के विरूद्ध विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के समक्ष अपील का अधिकार है ।

65.	13(6) एवं 28	सिविल अपील नं. 2987 ऑफ 86 इन एस. एल.पी.. नंबर 8329 ऑफ 86 निर्णित दिनांक 2.9. 1986	1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (एस. सी) 747	इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रति ए.सी.त्रिपाठी	क्या डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु प्रारंभिक परीक्षा धारा 13(6) के अनुरूप है ?	स्वीकार	हाँ	विश्वविद्यालय को ऐसी परीक्षा लेने का अधिकार है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इसकी वैधानिकता के विपरीत अनुचित है । अतः उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार की ।
66.	13(11) (सी)	सी.एम.डब्लू पी. नंबर 5276 (1978) निर्णित दिनांक 19.1. 79	1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 330	कु.मधु जैन प्रति चांसलर रोहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या कुलपति चयन समिति अनुसंशा को धारा 13(11)(सी) मे दी गई आधार के अलावा भी अस्वीकृत कर सकता है ?	स्वीकार	नहीं	कुलपति धारा 13 (11) (सी) के अंर्तगत केवल अनुमोदित या अनुमोदित नहीं करने की दो आधार भूत कारणों से असहमति व्यक्त कर सकता है । इसके अलावा कोई कारण वश वह चयन समिति की अनुसंशा को निरस्त नहीं कर सकता है ।
67.	19 एवं 31	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 5518 (1979) निर्णित दिनांक 5.5.83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 499	डॉ. के.नंद प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या चयन समिति विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है एवं उसके नीचे है ?		नहीं	विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार चयन समिति एवं कार्यपरिषद अलग–अलग अथार्टी और उनकी शक्तियां एक सी हैं अतः कार्यपरिषद मतभेद होने पर धारा 31(8) में केवल चांसलर को संदर्भ कर सकती है जिस पर चांसलर का निर्णय अंतिम होगा ।

68.	22(3) 22(4) एवं 22(5)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 600	रमेश उपाध्याय प्रति उपकुलपति इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रवेश की संख्या सीमित करने का अधिकार है ?	अस्वीकार	हां	खण्ड 4 धारा 22 में 1975 के एक्ट 21 के द्वारा संशोधन किये जाने के पश्चात प्रशासनिक समिति को छात्रों की संख्या प्रवेश हेतु सीमति करने का अधिकार प्राप्त हो गया है ।
69.	28	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 2411 (1980) निर्णित दिनांक 24.12. 80	1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 184	रामशंकर गुप्ता प्रति आगरा विश्वविद्यालय	क्या साक्षात्कार के साथ फीस जमा करने की आज्ञा अभ्यर्थी को प्रवेश का अधिकार देती है ?	अस्वीकार	नहीं	ऐसी आज्ञा बगैर किसी और सामग्री के जो यह संके[illegible] दे कि याचिका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो गया. है यह नहीं साबित करता है कि वास्तव में याची का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो गया है ।
70.	28	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 7112 (1980) निर्णित दिनांक 24.12. 80	1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 447	प्रदीप त्रिपाठी प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या प्रवेश समिति को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के कोर्सेस में प्रवेश देने का अधिकार है ?	अस्वीकार	नहीं	इन कोर्सेस मे प्रवेश का अधिकार केवल राज्य सरकार को है और विश्वविद्यालय केवल परीक्षा सबंधी मामलों में ही अधिकृत है जिसके लिए वह सरकार द्वारा गठित समिति में अपने सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत है ।

1.	28(4)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 14325, 13957, 15370, 15457 ऑफ 1981 एवं सी.एम. डब्लू.पी. नंबर 301 (1982) निर्णित दिनांक 30.3.82	1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 653	दयाशंकर प्रति उपकुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश करने के शैक्षणिक स्तर को निर्धारित करने का प्रवेश समिति का नीति निर्धारण का अधिकार अक्षुन्य है ।	स्वीकार	हां	म्हाविद्यालय को विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा नीति निर्धारक निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है और ऐसा न करने पर उच्च न्यायालय उचित आदेश पारित करने का अधिकारी होगा ।
2.	28(4), 28(6)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 38	अच्छे लाल प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के आदेशों का अनुपालन करने को बाध्य है ?	स्वीकार	हां	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति प्रवेश संबंधी नीति निर्देशों का निर्धारण करने में सक्षम है और कानूनी रूप से महाविद्यालय उसका अनुपालन करने के लिये वाध्य है ।
3.	28(4) एवं 52(ए)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 375	एन.पी.गुप्ता प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या प्रवेश समिति का आदेश 6 मार्च 81 एम.एससी. (एजी) में प्रवेश हेतु मार्च अप्रेल सन् 82 के धारा 52(ए) के अंतर्गत अध्यादेश जारी हाने पर भी प्रभावी रहेंगें ?	अस्वीकार	हां	छोनो में कोई विरोधाभास नहीं है अतैव संबद्ध महाविद्यालय पर यह निर्देश पूर्णतः प्रभावी रहेंगें और प्रवेश विधिसम्मत निर्देशों द्वारा ही होंगें ।

74.	28(5), सातवीं शेड्यूल लिस्ट 3 एंट्री 25		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 460	वाय.डी.ए., एम.एल.एन. एम.सी. (इलाहावाद) प्रति उ.प्र. राज्य	क्या राज्य शासन द्वारा पारित शासनादेश दिनांक 15.12.80 उसके क्षेत्राधिकार में है ।		हां	संविधान की एंट्री 25, लिस्ट 3,शेड्यूल 7 में दिये गये 'Expression subject to' राज्य की शक्तियों को सीमित नहीं करते हैं और सही रूप से देखने पर यह प्रतीत होता है कि राज्य के विधान मंडल पात्रता नियम अनुपूरक की पूर्ति कर सकते हैं
75.	28(5)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 184	डॉ. ए.गुप्ता प्रति उ.प्र.राज्य	क्या ऐसा कोई विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज के व्यवसायिक परीक्षा में नहीं बैठता है तो क्या उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा ? राज्यपाल द्वारा 3.12.1980 को दिये गये शासनादेश में दिशा निर्देश का क्या प्रभाव होगा ?			व्यवसायिक परीक्षा में न बैठने से किसी भी प्रकार से विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं समझा जा सकता और वह वाद में अनुपूरक परीक्षा में बैठने का अधिकारी होगा । अगर वह बीमार था या किसी समुचित कारण वश किसी विषय की व्यवसायिक परीक्षा में नहीं बैठ सका था । इस विषय में राज्यपाल द्वारा दिये गये दिशा निर्देश 14.12.1979 से ही प्रभावी होंगें ।

76.	28(6) लखनऊ विश्वविद्यालय अधि.नं.1 एवं शासनादेश दिनांक 19.1.83		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (लखनऊ बेंच) 564	डॉ. आर.के. गुप्ता प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	क्या हाउस सर्जन के पद के लिए शासनादेश एवं विश्वविद्यालय का अधिनियम को महत्व रखता है ?		नहीं	क्योंकि शासनादेश एवं अधिनियम नंबर 1 में कोई विरोधाभाष नहीं है तथा दोनो का ही प्रयोग एम.डी.एस. में प्रवेश के समय किया जा सकता है ।
77.	28(5), इसे मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 33 के साथ देखा जाए ।		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (एस. सी.) 285	के.पी.गांगुली प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या 3.12.80 का शासनादेश जो धारा 28(5) में निहित प्रावधानों के अंर्तगत जारी किया गया है । वह मेडिकल काउंसिल के निर्देशों में किसी प्रकार का विरोध लाता है ?		नहीं	शासनादेश केवल मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश बताता है । और मेडिकल काउंसिल के उस नियम जो हाउस मैन शिप को उसी विषय में आवश्यक वताती है जिसमें प्रवेश मांगा जा रहा है, से किसी भी प्रकार विवाद में नहीं लाता है वरन् उसकी पूर्ति करता है ।
78.	28(5)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 232	डॉ. वी.कृष्णा प्रति प्राचार्या सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा	क्या शासनादेश 3.12.80 के उपबंध 4 में दिये गये आरक्षण संबंधी निर्देश मैरिट लिस्ट को भी प्रभावित करते हें ?		नहीं	75 प्रतिशत आरक्षण पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम उसी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के संबंध होता है जहां प्रवेश मांगा जा रहा हो । अन्य 25 प्रतिशत वे विद्यार्थी हैं जिन्होने एम.बी.बी.एस. दूसरे मेडिकल कॉलेज से किया हो

								परंतु वे उ.प्र. के ही मूल निवासी हैं । और वे ही 25 प्रतिशत सीनों पर दाखिलें के लिए अधिकृत हैं । वशर्ते कि उस विषय में प्राप्तांकों के आधार पर, जिसमें वे प्रवेश चाहते हैं, तैयार की गयी मैरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हों ।
78.	28(5).		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 460	वाई.डी.ए. मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहावाद प्रति उ.प्र. राज्य	क्या अधिसूचना दिनांक 15.12.80 भूत लक्षी है ?		नहीं	यह अधिसूचना पूर्णतः अभिव्यक्त निंबंधन में भविष्य लक्षी है और उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा जो 15.12.80 के बाद प्रवेश ले रहे हैं ?

79	28(5)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (लखनउ बेंच) 357	डॉ. टी.एन. शर्मा प्रति के.जी. मेडिकल कॉलेज, लखनऊ	क्या राज्य सरकार द्वारा पारित अधिसूचना दिनांक 3.12.80 मेडिकल कॉलेज में दाखिले के संबंध में कोइ दिशा निर्देश देती है ?		हां	धारा 28(5) राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के संबंध में समुचित दिशा निर्देश दे यह दिशा निर्देश जब तक कि अभिव्यक्त निबंधन न कहें, भविष्य लक्षी ही होंगें । इनमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं अन्य हेतु कोई आरक्षण नहीं प्रस्तावित है । अतः इस आधार पर उपरोक्त कोर्स में दाखिला संभव नहीं है ।
80.	28(5)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 729	डी.के.सिंह प्रति प्राचार्य मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहावाद	क्या इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग या किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश देने का अधिकार है ?		हां	ऐसे दिशा निर्देश प्रवेश की शक्ति के दुरूपयोग को प्रतिबंधित करते हैं ।

81.	28(5)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 810	डॉ. अर्चना रोहतगी प्रति उ.प्र. राज्य	प्रवेश संबंधी नियम यदि राज्य सरकार द्वारा धारा 28(5) के अंर्तगत नहीं बनाए गये तो क्या वे प्रभावी होंगें ?		नहीं	धारा 28(5) में जो नियम नहीं बनाये गये हैं उनका कोई भी कानूनी स्वरूप नहीं होगा । और विधिसम्मत नहीं होंगें ।
82.	28(5)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 603	सुखपाल सिंह शर्मा प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर	क्या राज्य सरकार द्वारा बतायी संख्या के ऊपर विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय को प्रवेश देने का अधिकार है ?		नहीं	क्योंकि धारा 28(5) के अंर्तगत बनाए गये नियम एवं दिशा निर्देश आज्ञापक हैं अतएव उनका उल्लंघन करके अधिक संख्या में प्रवेश देना विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा शासन के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन होगा । और शासन द्वारा नियत संख्या के उपर प्रवेश देना संभव नहीं है ।
83.	28(5)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1093	डॉ.एस.पी. त्रिपाठी प्रति उ.प्र. राज्य	क्या राज्य सरकार को धारा 28(5) के अंर्तगत प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश देने का अधिकार है ?		हां	धारा 28(5) के अंर्तगत ही केवल राज्य सरकार विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश को नियमित कर सकती है ।

84.	28(5) एवं 28(6)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 137	महेश पांडे प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या धारा 28(5) के अंर्तगत बनाये गए प्रवेश के नियमों के उल्लंघन में किये गये दाखिले विधि सममत हैं ?	अस्वीकार	नहीं	धारा 28(5) के अंर्तगत दिये गये दिशा निर्देश विधिसम्मत होने के कारण किसी प्रकार भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा उपेक्षित नहीं किए जा सकते और ऐसा करना गैर कानूनी होगा । तथा उपकुलपति ऐसे आदेश को निरस्त कर सकता है ।
85.	28(6)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 88	अनुपम श्रीवास्तव प्रति प्राचार्य ए.ए. आई. नैनी इलाहावाद	क्या ऐसा विद्यार्थी जिसे प्रवेश न मिला हो । उपकुलपति के समक्ष धारा 28(6) के अंर्तगत कोई प्रत्यावेदन दे सकता है ?		नहीं	यू.पी. स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 28(6) ऐसा कोई भी अधिकार किसी भी विद्यार्थी को नहीं देती है, कि वह दाखिला न मिलने पर किसी महाविद्यालय में उपकुलपति के समक्ष प्रत्यावेदन नहीं दे सकता है ।
86.	29		1982 यू.पी.एल. वी.ई.सी. 301	ज्ञानेश्वर प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण दिये गये कारण बताओ नोटिस में परीक्षार्थी को यह नहीं कहा गया कि उसका परीक्षाफल निरस्त कर	स्वीकार	नहीं	ऐसा नोटिस परीक्षार्थी को उचित अवसर प्रदान नहीं करता है जिससे कि वह अपने विरूद्ध लगाये गए दोप एवं एक्शन को समुचित उत्तर दे सके तब ऐसा नोटिस प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है ।

					दिया जायेगा और अगले वर्ष की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा । तो क्या ऐसा नोटिस वैध है ?			

87.	29		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (फुल बेन्च) 365	कु.मधुलिका माथुर प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	परीक्षा समिति की क्या शक्ति एवं सीमाऐं हैं ?			शक्तियां एक्सटेंसिव हैं , और ऐसी समिति परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग होने पर नंबर काट लेने की प्रक्रिया भी अपना सकती है । जो कि मनमाना नहीं होता ।
88.	29 और 50		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 118	मनमोहन शर्मा प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय (धारा 29 और 51 की विस्तृत व्याख्या)	क्या परीक्षा समिति परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी जांच में परीक्षार्थी के निकट पड़ी हुई पर्ची को उसके विरूद्ध प्रयोग कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि परीक्षार्थी के पास से न तो ऐसी कोई सामग्री मिली जो कि किसी प्रकार से अनुचित सामग्री कही जा सके मुख्यतः जबकि स्पष्ट रूप से ऐंसी किसी सामग्री के प्रयोग से इंकार करता हो तव केवल उसके निकट ही जमीन पर पड़ी पर्ची का उसके विरूद्ध प्रयोग नहीं हो सकता, और ऐसी पर्ची को परीक्षा निरस्त करने का आधार मानना पूर्णतः प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध एवं असंवैधानिक है ।

89	धारा 29 एवं 51, लखनऊ विश्वविद्यालय के विनियम 2 और 6 के साथ देखें ।		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. लखनऊ बेन्च 174	अम्बरीश शर्मा प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या अनुचित सामग्री प्रयोग कमेटी द्वारा परीक्षार्थी के पास से पाई गई सामग्री के विषय में निष्कर्ष आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	जब तक तथ्यात्मक विवाद के विषय में परीक्षा समिति या उसके द्वारा नियुक्त अनुचित सामग्री प्रयोग उपसमिति स्पष्ट निर्णय न दे । तब तक परीक्षार्थी को किसी प्रकार का दंड उसके पास से पाई गई पर्चियों के आधार पर नहीं दिया जा सकता ।
90.	29 एवं 51 लखनऊ विश्वविद्यालय के विनियम 2 और 6 के साथ देखें ।		1983 यू.पी.एल.बी.ई. सी. लखनऊ बेन्च 175	आर.पी.मिश्रा प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या उड़न दस्ते के द्वारा परीक्षार्थी के पास पडी पर्ची बगैर किसी सबूत परीक्षार्थी की बताई जा सकती है और इस संबंध स्पष्ट निष्कर्ष होना चाहिए अथवा नहीं ?	स्वीकार	हां	जब तक पर्ची जो परीक्षार्थी के पास जमीन पर पड़ी हुई थी वह परीक्षार्थी की ही सावित न हो जाए उसका प्रयोग परीक्षार्थी के विरूद्ध नहीं किया जा सकता ।
91.	29(3) एवं 13(1) (ई) लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिनियम 1982 के साथ देंखें ।		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 156	इलाहावाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रति चांसलर इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या अधिनियम द्वारा उपकुलपति को अनुचित साधन प्रयोग कमेटी को जो कि परीक्षा समिति की ओर से हो, को नियुक्त करने का अधिकार है ?	अस्वीकार	हां	धारा 13(1) (ई) तथा धारा 29 में दिये गये प्रावधान उचित परीक्षा हेतु अधिकृत करते हैं । अतः वी.सी.द्वारा नियुक्त उपसमिति किसी प्रकार भी अवैधानिक नहीं कहा जा सकती ।

92.	29(4)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 711	इशरार अहमद प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या परीक्षार्थी द्वारा अनुचित सामग्री का प्रयोग परीक्षा समिति द्वारा सही पाये जाने पर परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय से निकाला जा सकता है ?	अस्वीकार	हां	अगर कानूनी उपलबंध के अनुपालन में जांच करके यह पाया जाये कि परीक्षार्थी ने अनुचित साधन का प्रयोग किया है, तब उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है
93.	29(4)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. लखनऊ बेन्च 534	पी.एस.चौहान प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या अनुचित साधन प्रयोग समिति को चार्ज स्पष्ट शब्दों में विरचना चाहिए ?	स्वीकार	हां	स्पष्ट और सीधे सरल शब्दों में चार्ज को बताना अनुचित सामग्री समिति का कर्तव्य है, जिससे जिस परीक्षार्थी के खिलाफ आरोप लगायें जायें उसे अपना बचाव करने का अवसर प्राप्त हो सके, स्पष्ट रूप से समिति को आरोप पर निष्कर्ष देना चाहिए, तभी सजा देना संभव एवं उचित होगा ।
94.	29(4) एवं 7(4)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 337	एस.पी.वर्मा प्रति उपकुलपति इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या किसी विषय में परीक्षा निरस्त हो जाने के बाद भी परीक्षार्थी को अनुचित सामग्री प्रयोग के लिए दंड दिया जा सकता है?		नहीं	धारा 29(4) के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग दंडनीय है और ऐसा दंड देने के पूर्व परीक्षा का होना आवश्यक है । जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त परीक्षा में अवैध एवं अनुचित साधन

95.	29(3) एवं 29(4)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 553	उमेशचंद्र पाठक प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	1. क्या विश्वविद्यालय द्वारा धारा 29(4) की निहित शक्तियों का प्रयोग परीक्षा के दौरान व्यापक नकल के समय प्रति परीक्षार्थी को अलग–अलग सुनवाई का समय देकर किया जा सकता है ? 2. क्या विश्वविद्यालय को परीक्षा निरस्त करने का अधिकार है ?	अस्वीकार	हां 2. हां	1. पूरी परीक्षा किसी विषय में व्यापक रूप से नकल होने की स्थिति में निर्दोष परीक्षार्थी के साथ अन्य पूर्ण और गैर न्यायोचित कार्यवाही होगी अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वैध एवं न्यायोचित है । 2. धारा 29(3) की शक्तियों का प्रयोग 29(4) के अंर्तगत करके विश्वविद्यालय समुचित कारणों से परीक्षा निरस्त कर सकता है
96.	31		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 670	डॉ. डी.सी. पांडे प्रति चांसलर इलाहावाद विश्वविद्यालय	शिक्षक एवं रीडर की नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में तय करने का अधिकार क्या चयन समिति को है ?		हां	विश्वविद्यालय के परिनियम 11.02 द्वारा वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं चयन समिति के दिशा बोध के लिये पर्याप्त हैं और इन परिस्थितियों में केवल चयन समिति के विशेषज्ञ को ही अधिकार है कि वह उपयुक्त निर्णय ले ।

97.	31 इसे रोहेखंड विश्वविद्यालय के परिनियम 10.06 के साथ देखें		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 225	डॉ. कु. रंजना सक्सेना प्रति उपकुलपति रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली	क्या धारा 31 विश्वविद्यालय के परिनियम के साथ संबद्ध महाविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में सम्पूर्ण कोड है ?	स्वीकार	हां	महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में दिये गये विज्ञापन में स्थाई पद की नियुक्ति के बारे में सूचना देकर साक्षात्कार के पश्चात अस्थाई पद पर नियुक्ति देना अनुचित है । जबकि धारा 31 स्पष्ट रूप से चार प्रकार की नियुक्ति का उल्लेख करती है । याची की नियुक्ति को स्वीकार करने की स्थिति में भी वह इस आदेश को चुनौती दे सकती है । और न्यायालय से यह कह सकती है कि उसकी नियुक्ति अधिष्ठायी पद पर की जानी चाहिए ।
98.	31		1982 यू.पी.एल. वी.ई.सी. 600	आर.वाई शुक्ला प्रति चांसलर सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या चांसलर शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के उल्लंघन में याची को समुचित अवसर देकर तय कर सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	परिनियम में वर्णित न्यूनतम योग्यता के विषय में विशेषज्ञ की राय लेकर अभ्यर्थी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्णय लेने की क्षमता चांसलर में है जो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है ।

99.	31 एवं 74(2) (बी)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 816	वी.के.अग्रवाल प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या नियुक्ति के समय प्रवक्ता की न्यूनतम योग्यता को बाद में बनाये गये प्रथम परिनियम में वर्णित शैक्षणिक योगयता के कारण निरस्त किया जा सकता है?		नहीं	अनुमोदन के समय प्रथम परिनियम बन चुके थे । परन्तु उपकुलपति महोदय को नियुक्ति के समय प्रचलित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर ही विचार करना चाहिए था, ऐसा न करने से धारा 74(2) (बी) में दिये गये विधायी आशय का उल्लंघन होता है अर्थात नियुक्ति के समय की शैक्षणिक योगयता ही आधार रूप में देखी जानी चाहिए ।
100.	31(1)(ए), 31(3)(ए), 31(4)(ए), 35(5)(ए), 35(5) (बी) 35(5) (सी) एवं 13(6)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 294	डी.के.शुक्ला प्रति इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय में शिक्षक वर्ग की नियुक्ति के मामलों में उपकुलपति धारा 13(6) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकने में सक्षम है ?		नहीं	धारा 31 नियुक्ति के संदर्भ में सम्पूर्ण कोड है, तथा कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं अतः उपकुलपति की असाधारण शक्ति जबकि, कोई अन्य व्यवस्था न बन सके तभी अतिआवश्यक एवं उचित होंगी साधारणतयः शिक्षक की चयन प्रक्रिया में इन विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

101.	31(1) एवं 31(6)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 500	डॉ.के.नंद प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या बराबर–बराबर भागों में बंटी चयन समिति द्वारा दो अनुसंशाओं पर नियुक्ति संभव है ।		नहीं	किसी भी निकाय या निगम की अनुसंशा सम्पूर्ण या बहुमत सदस्यों की अनुसंशा ही होती है । अतैव जहां चयन समिति दो भागों में बंटी हो और विश्वविद्यालय के नियम–अधिनियम में कास्टिंग वोट का प्रावधान न हो । वहां पर केवल एक अनुसंशा पर ही कार्य परिषद नियुक्ति नहीं कर सकती, धारा 31 के प्रावधान आज्ञापक है और उनका उल्लंघन कतई संभव नहीं है ।
102.	31(1) एवं 49(डी) इसे मेरठ विश्वविद्यालय के परिनियम 11.14 के साथ पढा जाये ।		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 577	डॉ.पी.एस. मलिक प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या पी.जी. कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी द्वारा पी.जी. कक्षाओं में पढाये जाने वाले किसी एक विषय में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है ?	अस्वीकार	हां	परिनियम 11.14(2) (ए) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्थात पी.जी.कक्षाओं में पढाए जाने वाले किसी विषय में मास्टर डिग्री की अनिवार्यता प्राचार्य पद हेतु आवश्यक है ।

103.	31(1)(ए) एवं अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 190	डॉ.ए.एन. विश्नोई प्रति चांसलर इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या कार्य परिषद एवं चांसलर के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी जा सकती है ?		हां	चयन समिति की अनुसंशा को चुनौती न देने के पश्चात भी इस प्रश्न पर याचिका पोषणीय है कि चयन समिति की अनुसंशा पर विचार कर पाना स्वयं कार्य परिषद एवं चांसलर के क्षेत्राधिकार के परे है ।
104.	31(2) एवं आर्डर 39 रूल 1 एवं 2 सी.पी.सी.		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 80	श्रीनाथ एजूकेशनल सोसायटी सिरसा इलाहावाद प्रति एडिशनल मुंसिफ इलाहावाद	क्या मुंसिफ द्वारा व्यादेश जारी करते समय यह देखना आवश्यक है कि शिक्षक को नौकरी से पृथक करने से पहले नोटिस दिया गया कि नहीं ?		हां	निषेधाज्ञा के संबंध में विशिष्ट सिद्धांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि वह व्यक्ति जो निषेधाज्ञा मांग रहा है उसे निषेधाज्ञा स्वीकार करने से पूर्व न्यायालय के लिए यह अतिआवश्यक है कि क्या नुकसान संभव है तथा ऐसे होने वाले नुकसान की भरवाई संभव है ? यह दोनो कारण न होने पर निषेधाज्ञा नहीं जारी करनी चाहिए ।
105.	31(2) एवं शासनादेश दिनांक 20.6.77		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 841	चंद्रदेव द्विवेदी प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या निश्चित समय के अंदर अनुमोदन न देने पर यह मान लिया जाए कि संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति	स्वीकार	हां	याची 1971 में प्राचीन भारत के इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में संबद्ध महाविद्यालय में नियुक्त हुआ और अनुमोदन हेतु फाइलें उपकुलपति महोदय को भेज दी गईं जिस पर कोई

					उपकुलपति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है ?			कार्यवाही नहीं की गई तथा ना तो कोई अनुमोदन किया गया शिक्षक इस मध्य कार्यरत रहे सन् 1978 में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पत्र द्वारा सूचना दी कि उपकुलपति ने अनुमोदन नहीं दिया है । शासनादेश 20. 6.77 का लाभ भी नहीं दिया गया । वैधानिक समय सीमा के अंदर ही उपकुलपति का कोई आदेश न होने से याची को धारा 31(2) (सी) का लाभ मिलेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि उसे स्वतः अनुमोदन प्राप्त हो गया है ।

106.	31(2) (सी), द्वितीय परांतुक जो एक्ट नं. 5 ऑफ 1977 द्वारा जोड़ा गया है ।		1980 यू.पी. एल.बी.ई.सी. (फुल बेन्च) 120	पी.सी.बागला पी.जी. कॉलेज हाथरस. प्रति उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय	क्या यू.पी.एजूकेशन लॉज एमेन्डमेंट एक्ट 5 ऑफ 1976 भूतलक्षी है ?		नहीं	यह केवल उपचारात्मक है और घोषणात्मक नहीं है अर्थात नई अयोग्यता या भार इसके द्वारा नहीं लाया गया है अतैव यह केवल भविष्य में लागू माना जावेगा ।
107.	31(2)(सी), द्वितीय परांतुक यू.पी. एजूकेशन लॉज एमेन्डमेंट एक्ट 1977 एक्ट नं. 5	स्पेशल अपील नं. 399(1975) निर्णित दिनांक 9.4.80 जस्टिस के.एन. सिंह के निर्णय 10.10.75 सी. एम.डब्लू.पी. नं. 546(1974) के विरूद्ध	1980 एल.आई. सी. (2) (फुल बेन्च) 853 एम. एन.शुक्ला , के. एन.सेठ जज	पी.सी.बागला पी.जी.कॉलेज हाथरस प्रति वाइस चांसलर आगरा विश्वविद्यालय	1. धारा 31(2) के प्रतिबंध(सी) के अंतर्गत परीवीक्षाधीन शिक्षक की सेवा को समाप्त करने के पूर्व शिक्षक को स्पष्टीकरण देने के अवसर की आवश्यकता 2.संबद्ध महाविद्यालय के परीवीक्षाधीन शिक्षक की सेवा समाप्ति में प्रबंध समिति का महाविद्यालय के प्राचार्य तथा उस	अस्वीकार	संशोधन भूतलक्षी नहीं है अर्थात 1977 के पूर्व से प्रभावी नहीं है । 2. ऐसी अवस्था में संबंधित शिक्षक को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना	1. धारा 31 (2)(सी) में प्रयुक्त consider का अर्थ यह नहीं है कि परीवीक्षाधीन शिक्षक को सेवा समाप्ति के पूर्व कोई स्पष्टीकरण दिये जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है 2. संबद्ध महाविद्यालय के परीवीक्षाधीन शिक्षक की सेवासमाप्ति का आधार यदि प्राचार्य तथा उस विषय के वरिष्ठ अध्यापक की आख्या है तो उस अवस्था में सेवा

				प्राचार्य तथा उस विषय के वरिष्ठ अध्यापक की आख्या पर अपनी संस्तुति को आधारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करना		दिया जाना आवश्यक है ।	समाप्ति से पूर्व शिक्षक को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपरिहार्य है ।

108.	31(3)(बी), प्रथम परांतुक सहित		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 353	पी.के.गुप्ता प्रति उपकुल पति रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली	क्या अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता अधिष्ठाई पद पर नियुक्ति की तिथि से आंकी जायेगी ?	अस्वीकार	हां	जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परिनियम द्वारा निर्धारित है वह नियुक्ति की तिथि पर ही प्रभावी होगा तथा बाद में यदि कोई शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाती है तो उसका लाभ 31(3)(बी) द्वारा प्रदत्त भी कोई लाभप्रद नहीं होगी एवं उसकी इस प्रकार की नियुक्ति केवल अस्थाई पद के लिए ही मानी जाएगी और याची स्थाई पद पर नियुक्ति का दावेदार नहीं माना जावेगा ।
109.	31(3)(बी), प्रथम परांतुक सहित		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 912	एस.पी.एस. चौहान प्रति एम.एन.एच. पी.जी. कॉलेज गाजियाबाद	क्या धारा 31(3)(बी) का लाभ ऐसे शिक्षक को दिया जा सकता है जो लगातार एक वर्ष से स्थायी पद के रिक्त स्थान पर कार्यरत हो और चयन समिति द्वारा संदर्भित न हो ।	स्वीकार	हां	नये जोड़े गये परांतुक के लाभ के लिए दो शर्तें की पूर्ति आवश्यक है । **प्रथम** स्थाई नियुक्ति के समय शिक्षक की विहित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए । **द्वितीय** इसी पद पर उसकी नियुक्ति का समय एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए इन परिस्थितियों में ऐसे शिक्षक को स्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकता है ।

10.	31(3)(बी)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी.257	ए.एच. सिद्दकी प्रति चांसलर रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या 31 (3)(बी) के अंर्तगत ऐसे किसी अस्थाई शिक्षक को चयन समिति को संदर्भित किये बगैर स्थाई पद पर नियुक्त किया जा सकता है?	अस्वीकार	नहीं	धारा 31(3) (बी) का लाभ स्थाई पद पर नियुक्ति होने के लिए केवल उन्ही शिक्षकों को प्राप्त होगा जो अस्थाई नियुक्ति के समय चयन समिति को संदर्भित थे ।
11.	31(3)(वी)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 258	ए.एच. सिद्दकी प्रति चांसलर रूहेलखंड विश्वविद्यालय	चयन समिति को संदर्भ भेचते समय अस्थाई नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक योग्यताएं न हो तो क्या संदर्भ किया जा सकता है ।		नहीं	संदर्भ भेजते समय पूर्ण शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है और उसके अभाव में भेजा गया संदर्भ विधि विरूद्ध है ।
12.	31(4)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. लखनऊ बेन्च 649	डॉ. श्रीमति प्रभा गुप्ता प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर के पद पर चयन करते समय केवल शैक्षणिक विवरण ही निर्णायक, कारक होगा ?	स्वीकार	नहीं	अनुभव का लंबा समय तथा अन्य कारणों पर भी विचार किया जा सकता हैं ।
13.	31(4)(सी)		1981 यू.पी.एल. वी.ई.सी. 215	राजेन्द्र प्रति सिविल जज बुलंद शहर	क्या चयन समिति अपनी अनुशंसा को रोकने का अधिकार रखती है ?	स्वीकार	नहीं	चाहे ऐसा रोकना अभ्यर्थी द्वारा अधिक वेतन पर प्रारंभ करने की प्रार्थना को लेकर ही क्यों न हो ।

14.	31(7–ए) एवं 31(8)(ए)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 70	डॉ. एम.पी. सिंह प्रति चांसलर इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या धारा 31(7–ए) के प्रावधानों के अंर्तगत चयन समिति एक ही पद के लिए दो नामों की अनुशंसा कर सकती है ?	स्वीकार	हां	31(8)(ए) के अंर्तगत कार्यपरिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह चयन समिति की अनुशंसा पूरी मान ले या केवल भागों में ही स्वीकार करे ।
15.	31(8)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (लखनउऊ वेंच) 648	डॉ. श्रीमति प्रभा गुप्ता प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर चयन समिति के अनुशंसा के अनुमोदन को करते समय कारण बताने को बाध्य है ?	अवीकार	नहीं	अनुमोदन हेतु कारण आवश्यक नहीं है लेकिन अगर ऐसा आवश्यक समझा जाये तो चांसलर के आदेश को चयन समिति की कार्यवाही रिपोर्ट के साथ पड़ने पर सम्पूर्ण कारण धारा 31(8)(ए) के लिए मिल जाते हैं ।
16.	31(8)(ए)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 801	डॉ. श्रीमति कमलकांति श्रीवास्तव प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या यह धारा सहयोग व संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक की नियुक्ति पर लागू होता है ?	अस्वीकार	नहीं	यह केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सीमति है ।
17.	31(8)(ए)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 309	डॉ.यू.एन.राय प्रति श्री जी.डी. तपासे, चांसलर	1. क्या विश्वविद्यालय के रीडर की नियुक्ति की अनुसंशा पर उपजे चयन समिति तथा कार्यपरिषद के	स्वीकार	हां	1. चयन समिति की अनुसंशा से असहमति के कारणों सहित कार्यपरिषद द्वारा संदर्भित मामले को तय करते समय चांसलर अर्धन्यायिक एवं

				विवाद को तय करते समय चांसलर को अपने निर्णय के साथ कारण देने होंगें ? 2. क्या चयन समिति के निर्णय से असहमत होने से कार्यपरिषद को कारण देने होंगें ?		हां	मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है अतएव विवाद को तय करते समय कारण देना आवश्यक होता है । 2.धारा 31(8)(ए) के अंर्तगत उपयोग की भाषा स्पष्ट रूप से ऐसे कारणों की आवश्यकता पर बल देती है ।

118.	31(1)(8)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (लखनऊ बेंच) 276	डॉ. सीताराम प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या कार्यपरिषद को चयन समिति से असहमत होने पर कारण देना आवश्यक होगा ?	स्वीकार	हां	चांसलर को संदंभ भेजते समय कार्यपरिषद के लिए यह आवश्यक है कि वह असहमति के कारणों को स्पष्ट करे चांसलर विधिक रूप से इन कारणों पर विचार करने का वाध्य है । ऐसा निर्णय जिसमें चांसलर ने कार्यपरिषद द्वारा दिये गये कारणों पर विचार न किया हो, विधिक रूप से अनुमन्य नहीं है ।
119.	31(8)(ए)		1984 यू.पी.एल. वी.ई.सी. (लखनऊ बेंच) 764	डॉ. निर्मला नॉटियाल प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	चांसलर की शक्तियों की सीमाऐं क्या हैं ?	अस्वीकार		चांसलर चयन समिति की अनुसंशा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने को स्वतंत्र है वह उपातंरण भी कर सकता है किन्तु इसके लिए कारण देना आवश्यक है ।
120.	31(8)(ए)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. **(फुल बेंच)** (लखनऊ वेंच) 57 प्रमुख निर्णय	एल.एन.माथुर प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर अपने निर्णय के लिये संदर्भ को तय करते समय कारण देने के लिए वाध्य है ? उनकी शक्ति की सीमा क्या है?		हां	चांसलर को कारण सहित निर्णय देना आवश्यक है । पूर्णपीठ ने धारा 31(8)(ए) की संपूर्ण विवेचना करते हुए विधि संम्मत स्थिति में यह पाया कि चांसलर संदंभ तय करते समय अर्द्धन्यायी निकाय के रूप में कार्य करते हैं । अतः उनके

								निर्णयों सुस्पष्ट कारण अवश्य होने चाहिऐ क्योंकि इससे व्यक्तियों के अधिकार पर असर पड़ता है ।

121.	31(8)(ए)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 68	डॉ. एम.पी. सिंह प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या चयन समिति को नियुक्ति करने का अधिकार है ? एवं इस संबंध में क्या चांसलर का निर्णय अंतिम होगा ?		नहीं हां	नियुक्ति का अधिकार केवल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को ही है लेकिन चयन समिति की अनुशंसा के बगैर ऐसी नियुक्ति नहीं की जा सकती इसी कारण इस सबंध में विवादों को तय करते समय चांसलर का निर्णय अंतिम होगा ।
122.	31(8)(ए) परांतुक		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 189	डॉ. ए.एन. विश्नोई प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. क्या उ.प्र.एक्ट नं.5 1977 द्वारा बढ़ाये गये परांतुक में एक निश्चित समय सीमा के अंर्तगत कार्य परिषद को अपना निर्णय देना होता है ? 2. क्या चांसलर का निर्णय चयन समिति के अनुसंशा एव कार्यपरिषद के उससे असहमत होने पर संदर्भित विवाद पर अंतिम होता है ?		हां हां	1. कार्यपरिषद यदि चार माह के अंदर यदि अपना निर्णय नहीं देती है तो चयन समिति की अनुसंशा स्वयं चांसलर को संदर्भित हो जाती है और कार्यपरिषद की इस विषय में विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है । 2. विधि सममत सुस्पष्ट स्थिति यही है कि चांसलर अर्धन्यायिक निकाय के समान कार्य करते हुए सकारण निर्णय दे और विवाद को अंतिम स्वरूप दे दे उच्च न्यायालय को अनुच्छंद 226 के अंर्तगत पर्यवेक्षित अधिकार प्राप्त है जिससे वे चांसलर के निर्णय का पुर्नवीरक्षण कर सकते हैं ।

123.	31(8)(ए) एवं 68		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 69	डॉ. एम.पी. सिंह प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या चांसलर की शक्ति इन प्रावधानों में भिन्न–भिन्न है ?		हां	धारा 31(8)(ए) के अंर्तगत संदर्भ केवल कार्यपरिषद ही भेज सकती है किन्तु धारा 68 के अंर्तगत चांसलर के समक्ष विश्वविद्यालय की किसी भी अथॉरिटी के विरूद्ध प्रभावित पक्ष संर्दभ उठा सकता है ।
124.	31(8)(बी)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 215	राजेन्द्र प्रति सिविल जज बुलंद शहर	1. प्रबंध समिति उपकुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव किन परिस्थितियों में भेज सकती है ? 2. 31(8)(बी) एवं 31(11) (सी) क्या उपकुलपति इन दोनो धाराओं में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ?		हां	1. यह तभी संभव है जब चयन समिति व प्रबंध समिति में असहमति हो अन्यथा 31(8)(बी) के अंर्तगत उपकुलपति का निर्णय अंतिम होगा । 2. संबद्ध कॉलेज के शिक्षक की नियुक्ति के मामले में उपकुलपति 31(2)(सी) में दिए गये दिशा निर्देशों से मार्गदर्शन लेते हैं जबकि महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में धारा 31(8)(बी) ही देखी जानी है धारा 31(8)(बी) के प्रावधानों के अंर्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपकुलपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पुष्ट कारणों एवं उचित तरीकों से कार्य करें ।

125.	31(10)		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 112	डॉ. सुधीरचंद्र प्रति चांसलर इलाहावाद विश्वविद्यालय	रिक्त पद को भरे जाने हेतु क्या विज्ञापन देना आवश्यक है ?		हां	विज्ञापन करे बगैर कोई भी पद इस धारा के प्रावधानों के अंर्तगत नहीं भरा जा सकता विज्ञापन में दिए गए पद एवं उसके स्वरूप के अनुसार ही पद पर नियुक्ति संभाव्य है अल्प कालिक या अस्थाई नियुक्ति विज्ञापित होने पर उस पर स्थाई नियुक्ति नहीं की जा सकती ।
126.	31(10)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 695	एस.एन. सक्सेना प्रति उपकुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या विज्ञापन दो अखबारों में प्रकाशित होने पर भी तीन अंकों में नहीं प्रकाशित हुआ तब नियम का अनुपालन हुआ अथवा नहीं ?	अस्वीकार	हां	एक अखवार के तीन अंकों में न प्रकाशित होने से किसी को भी यह शिकायत नहीं हुई कि उन्हे प्रार्थना पत्र देने का अवसर नहीं मिला अतएव केवल इस असावधानी अथवा अनियमितता के तहत यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम का पूर्ण पालन नहीं हुआ ।
127.	31(10)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 519, (ए.एल.जे.) 1982, 899	डॉ. आर.सी. गुप्ता प्रति चांसलर कुमांऊ विश्वविद्यालय	क्या प्रवक्ता पद पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है ?		नहीं	धारा 31(10) देखें ।

128.	31(10)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7832 1982 निर्णित दिनांक 11.10. 83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 110	डॉ. सुधीर चंद्रा प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. क्या धारा 31(10) का कड़ाई से अनुपालन होगा । 2. प्रावधान में दिए गये शब्द After advertisement of the vacancy से क्या यह स्थापित नहीं होता है कि विज्ञापित रिक्ति का विज्ञापन के अनुसार ही भरण होना चाहिए ?		हां हां	1. चयन प्रक्रिया की शुद्धता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धारा 31(10) के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन आवश्यक है ताकि विश्वविद्यालय आंतरिक स्वतंत्रता की आड़ में निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके । 2. आंतरिक स्वतंत्रता के नाम पर पिछले रास्ते से नियुक्तियां रोकने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञापित रिक्त पद सख्ती से विज्ञापन में वर्णित स्थितियों में भरा जाना चाहिए इनका उल्लंघन चांसलर द्वारा सदैव हटाया जाना जा सकता है ।
129.	31(10) एवं 68		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 477	आर.के.शुक्ला प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विज्ञापन आज्ञापक है ? या निर्देशक ? (डॉ.आर. सी.गुप्ता के निर्णय से यह निर्णय भिन्न है अतएव दोनो में सामंजस्य लाने के लिए पूर्ण पीठ का गठन आवश्यक है)		निर्देशक	विज्ञापन की आवश्यकता रिक्त पद को भरने हेतु सार्वजनिक सूचना मात्र है जिससे कि समाज में हरेक को प्रार्थना पत्र देने का अवसर प्राप्त हो सके उ.प्र. ही नहीं वरन अनेंक राज्यों के अखवारों में दिये गये विज्ञापन इस संबंध में धारा 31(10) का सम्पूर्ण अनुपालन है

130.	31(11) अमेंडेड बाय एक्ट नं. 49 ऑफ 74 एवं एक्ट नं. 5 ऑफ 77 एवं सेक्शन 50 कानपुर तथा मेरठ युनिवर्सिटी एक्ट 1965		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 695	एस.एन. सक्सेना प्रति उपकुलपति ·कानपुर विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति जो 25 सितम्बर 1974 के पूर्व की गई हो के लिए आवश्यक है ?		नहीं	यह आवश्यकता केवल उन नियुक्तियों के लिए है जो 25.9.74 के पश्चात की गई है क्योंकि एक्ट 49 सन् 74 इस तिथि से ही लागू हुआ था ।
131.	31(11), 31(10) एवं 68		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 485	श्रीमति रवि कुमार प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति रिक्ति का विज्ञापन धारा 31(10) के अनुसार कड़ाई से न होने पर अपना अनुमोदन देने से इंकार कर सकते हैं ?		नहीं	अगर चयन समिति ने अनुशंसा भी की हो तो प्रबंध तंत्र किसी भी शिक्षक की नियुक्ति उपकुलपति के पूर्वानुमोदन के बगैर नहीं कर सकते हैं उपकुलपति अपने अनुमोदन को दो ही कारणों के आधार पर रोक सकते हैं **प्रथम** अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है । **द्वितीय** ऐसी रिक्ति को भरने में चयन प्रक्रिया का सही रूप से पालन नहीं किया गया । केवल इस आधार पर कि रिक्ति का विज्ञापन तीन अंकों नहीं प्रकाशित हुआ है । उपकुलपति को पूर्वानुमोदन न देने का पर्याप्त कारण नहीं है ।

132.	31(11)(बी) एवं 68		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. लखनऊ बेंच 710	ए.बी.पांडे प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	1. क्या प्रावधान में वर्णित सुसंगत दस्तावेज का आशय उन दस्तावेजों से है जो उपकुलपति ने चयन समिति की संस्तुति पर विचार करने हेतु मांगी ?		हां	1. एक माह का समय इन वर्णित दस्तावेजों को दिये जाने की तिथि से ही प्रारंभ होगा जिसके भीतर उपकुलपति को अनुमोदन देने की बाध्यता है ।
	31(11)(ए) 31(11)(सी) उपवंध				2. क्या एक माह के अंदर प्रस्ताव भेजने की तिथि से शिक्षक की नियुक्ति स्वतः अनुमोदित मानी जाएगी?		हां	2. शिक्षक की नियुक्ति के पूर्व अनुमोदन न लेने पर भी प्रबंध द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन प्रस्ताव भेजने की तिथि के एक माह के अन्दर अनुमोदन देना आवश्यक है अन्यथा इसके पश्चात उपकुंलपति का अनुमोदन स्वतः मान लिया जाएगा ।
	31(सी) उपवंध				3. क्या परांतुक में दिए गये प्रतिबंध एक माह के भीतर उपकुलपति के द्वारा सुसंगत दस्तावेज मांगे जाने के कारण निष्प्रभावी हो जाते हैं		नहीं	3. दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि के एक माह के भीतर उपकुलपति को अनुमोदन पर अपना निर्णय देना आवश्यक है अन्यथा ऐसा अनुमोदन स्वतः मान लिया जायेगा और शिक्षक की नियुक्ति विधिसम्मत हो जाएगी ।
								4. एक माह की अवधि पर

				निष्प्रभावी हो जाते हैं ?			उपकुलपति द्वारा अनुपूरक दस्तावेज मांगने का कोई प्रभाव नहीं होगा ।
31(11)(बी) 31(11)(सी) उपबंध				4. क्या एक माह की अवधि प्राचार्य द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति के अनुसंशा के साथ भेजे गये सुसंगत दस्तावेज की प्रारंभिक प्राप्ति से ही शुरू हो जाती हैं ?		हां	
31(11)(ए) एवं 31(11)(सी) उपबंध				5. क्या एक माह के पश्चात् Deemed approval के बाद शिक्षक की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा मान्य हो जाने पर वह वेतन का अधिकारी है?		हां	5. उपकुलपति ने शिक्षक की नियुक्ति एक माह के अन्दर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं की और तत्पश्चात् दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया जबकि शिक्षक को कार्य नहीं करने दिया गया इन परिस्थितियों में एक माह के अनिवार्य अनुमोदन समयावधि से लेकर उच्च न्यायालय की निर्णय तिथि तक शिक्षक को आधा वेतन देय होगा और उसके पश्चात् वह पूर्ण वेतन का अधिकारी होगा ।

133.	35(2)		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 161	श्रीमति निरूपा सिंह प्रति प्राधिकृत नियंत्रक तिलकधारी डिग्री कॉलेज	क्या महाविद्यालय को स्थाई शिक्षक को सेवा से पृथक किये जाने से पूर्व जबकि उसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही हो तब वी.सी. का अनुमोदन नोटिस पूर्व लिया जाना आवश्यक है ?		नहीं	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है ।
134.	35(2)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 25	डॉ.ए.पी. श्रीवास्तव प्रति कमेटी ऑफ मैनेजमेंट एल.एंड डी. कॉलेज सिरसा इलाहाबाद	क्या प्रोवेशनरी शिक्षक निकाले जाने के पूर्व सूनवाई का अधिकारी है ?		नहीं	क्योंकि प्रोबेशन अवधि के मध्य किसी भी समय शिक्षक की सेवाऐं समाप्त की जा सकती है ।
135.	35(2)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 93	पी.सी.बागला पी.जी. कॉलेज हाथरस प्रति उपकुलपति	1. धारा 35(2) का उद्देश्य क्या है ?		प्रबंध तंत्र द्वारा सेवा समाप्ति के अवेध आदेशों पर नियंत्रण करना ।	1. सेवा समाप्ति को कोई आदेश विधि के विपरीत प्रबंध तंत्र पारित नहीं कर सकता ।

				आगरा विश्वविद्यालय	2. क्या उपकुलपति को शिक्षक को सेवा से पृथक करने की सूचना मात्र धारा 35(2) का अनुपालन है ?		हां	2. सेवा से पृथक्कीकरण आदेश से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं ।

136.	35(2) एवं 35(3)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 184	पी.के.मुकर्जी प्रति एम.सी.एस. वी. कॉलेज देवरिया	1. उद्येश्य 2. क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक को नोकरी से पृथक करने के पूर्व उपकुलपति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है ? 3.**अन्यथाअभिव्यक्ति** धारा 35(3) में उन सभी परिस्थितियों को अपने में समेट लेता है जो संविदा की समाप्ति से उत्पन्न होते है जैसे स्तीफे की मंजूरी है अथवा नहीं ?		हां हां	1.सहयोगी महाविद्यालय पर नियंत्रण रखना ताकि विधायिका की इच्छानुसार पारित विधिनियमों का पूर्ण अनुपालन हो सके । 2. अगर ऐसा न किया गया हो तो नौकरी से हटाने से आदेश पूर्णतः अवैध एवं बेअसर होगा । 3. लेकिन स्तीफे के मामले में भी उपकुलपति का पूर्वानुमोदन उसके स्वीकार करने से पूर्व लेना आवश्यक है ।
137.	35(3)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 170	डॉ. गणेशदत्त पंत प्रति ए.वी.सभा बुलंद शहर	क्या अध्यापक (अस्थायी) के कार्य की समीक्षा करके उसे पद से हटाने के आदेश के पूर्व उपकुलपति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	अगर उपकुलपति अनुमोदन न दे या उस पर कोई निर्णय न लेकर यह कहकर कि अनुमोदन आवश्यक नहीं है तब उपकुलपति का यह कार्य गैरकानूनी होगा ।

138.	37		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 25	डॉ.ए.पी. श्रीवास्तव प्रति कमेटी ऑफ मैनेजमेंट एल. एंड डी. कॉलेज सिरसा इलाहाबाद	महाविद्यालयों की संबद्धता क्या तब भी संभव है जबकि महाविद्यालय संबद्धता की सारी आवश्यकताऐं पूर्ण नहीं करते हैं ।		हां	अस्थाई संबद्धता के विषय में कोई भी रोक नहीं है अतैव कुछ विषयों में भी संबद्धता प्रोविजनल रूप से दी जा सकती है ।
139.	39		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 148	वी.के. विसारिया प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	क्मेटी ऑफ मैनेजमेंट के चुनाव के पूर्व नियुक्ति किये गये शिक्षक रिश्तेदारों के वजह से क्या नये चुनावों में अयोग्यता उत्पन्न होगी ?		नहीं	धारा 39 में दिए गये अयोग्यता के कारण नहीं लागू होंगें
140.	39	सिविल अपील नं. 3222 ऑफ 1982 निर्णित दिनांक 31.3. 83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. (सुप्रीम कोर्ट) **418**	एक्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेरठ कॉलेज प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	1. संबद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति का सदस्य क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके रिश्तेदार महाविद्यालय के कर्मचारी होने के नाते कोई वेतन पाते हों ?		नही	1. प्रबंध समिति का सदस्य होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को विद्यालय का कर्मचारी होने के कारण विद्यालय के कोष से कोई भी लाभ न पहुंचा सके इसलिए धारा 39 में अयोग्यता के कारणवश प्रबंध समिति की सदस्यता संभाव्य नहीं रह गई

					2. क्या यह धारा भूतलक्षी है ?		हां	उन सबके लिये जिनके रिश्तेदार महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का लाभ या वेतन पाते हों 2. क्योंकि विद्यालय के संचालन में किसी प्रकार का भेदभाव कर्मचारियों के मध्य न हो इसलिए इस धारा का प्रभाव पूर्व काल से होगा ।

141.	39 उपबंध		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 463	महावीर सिंह प्रति प्रथम एडिशनल जिला जज मेरठ	1. क्या जाट शिक्षा सभा बरौत के बायलो संख्या 14 (डी) के प्रावधान धारा 39 प्रोवाइजो में विरोधाभास है । 2. क्या वे शिक्षक जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वे इसके सदस्य अयोग्यता होने के बाद भी बने रहेंगें ?		नहीं	प्रोवाइजों केवल उन अध्यापकों को बचाता है जो परिनियम 13.5 के कारण प्रबंध समिति की सदस्यता के योग्य नहीं रह पाते क्योंकि उनके संबंधी महाविद्यालय से पारिश्रमिक पा रहे हैं ।
142.	39 प्रोवाइजो	सिविल अपील नंबर 3222 (1982) निर्णित दिनांक 31.3.1983	1983 यू.पी.एल. वी.ई.सी. 418 सुप्रीम कोर्ट	ई.सी. मेरठ कॉलेज मेरठ प्रति वी.सी.मेरठ विश्वविद्यालय	क्या शब्द to the acceptence of any renumeration by a teacher as such" का मतलब उस शिक्षक से है जो प्रबंध समिति का सदस्य होने पर भी अयोग्य न होगा ।	अस्वीकार	हां	प्रोवाइजो उन शिक्षकों पर नहीं लगता है जो अपवाद के अंर्तगत आते हैं ।

143.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1216 (1977) (डी.बी.) निर्णित दिनांक 11.7.83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 690	वी.के. कुशवाहा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या बिना कारण सहित चांसलर का आदेश वैध है ?	स्वीकार	नहीं	चांसलर के आदेश में गुण–दोष के आधार पर सकारण विषद विवरण या वाद के हर बिन्दु निष्कर्ष होना चाहिए । तभी वह बिन्दु वैध माना जायेगा ।
144.	51(2)(सी) एवं 51(2)(एम)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 340	कु.दर्शा आहुजा प्रति आगरा विश्वविद्यालय	1. क्या कोई मेडिकल संस्थान परीक्षा के विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित मानक से थोड़े अधिक कड़े मानक अपने विनियम द्वारा बना सकता है ? 2. क्या आर्डनेंस नं.11 के अर्थान्वयन से ऐसा स्थापित होता है कि ऑफ्थेल्मोलॉजी एवं ई.एन.टी. एक ही विषय है ?		हां नहीं	1. चिकित्सा संस्थान परीक्षा के अपने मानक जो मेडिकल कांउसिल द्वारा दिये गये मानकों से अधिक उंचे और कड़े हों तो उसमें किसी को एतराज करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही मेडिकल काउंसिल द्वारा बनाये गये विनियम और विश्वविद्यालय के अध्यादेश में कोई विरोधाभास है। 2. दोनो अलग विषय है और परीक्षार्थियों द्वारा दोनो में पाये गये अंक एक विषय के मानकर एक जुट नहीं किये जा सकते ।

145.	52	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13533 (1984) निर्णित दिनांक 8.4.85	1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 570, 1985 ए.एल.जे. 590	जितेन्द्र प्रसाद साही प्रति रजिस्ट्रार इलाहावाद विश्वविद्यालय	क्या एकेडमिक काउंसिल की संस्तुति 1974 में बनाये गये पुर्नमूल्यांकन को समाप्त करने के लिए सन् 83 से इंजीनियरिंग विभाग में लागू करने के बजाए सन् 84 से लागू करना विधि सम्मत है (सेक्शन 52 पर वृहद एवं विस्तृत निर्णय है)		नहीं	कार्यपरिषद सन् 84 की परीक्षा से पूर्नमूल्यांकन प्रणाली को एकेडमिक काउंसिल की संस्तुति जो सन 83 की परीक्षा से समाप्त करने की थी न मानकर अपनी सीमाओं के परे चली गयी ।
146.	52(5)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 469 (1982) ए.एल. जे. 1132	रामविलास प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या कार्यपरिषद अपने द्वारा बनाये गये अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकती है ।		हां	धारा 52(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यपरिषद अपने द्वारा बनाये गये अध्यादेश को ऐसी तारीख, जिसे वह उचित समझे से लागू कर सकती है ।
147.	57 एवं 58		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 894	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डी.ए. बी. डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर प्रति	1. क्या शासन की डिग्री कॉलेज की नवगठित प्रबंध समिति के विरूद्ध कोई कदम उठा सकता है ? उन गैर कानूनी कार्य एवं	स्वीकार	नहीं	1. राज्य किसी भी प्रकार से कोई भी कदम इन परिस्थितियों में नहीं उठा सकता ।

			उ.प्र. राज्य	अनियमितताओं के लिये जो पूर्ववर्ती प्रबंध समिति द्वारा किये गये हों ?			
				2. क्या नवगठित प्रबंध समिति द्वारा प्राचार्य को अनुसशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व निलंबित करने पर शासन धारा 57 व 58 के प्रावधानों के अंर्तगत उक्त प्रबंध समिति के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है ?	स्वीकार	नहीं	2. धारा 57 व 58 इसकी कोई आज्ञा शासन को नहीं देते हैं ।
				3. कॉलेज के नवगठित प्रबंध समिति जो वी.सी. की अनुमति से कार्य कर रही हो इसके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही संभावित है केवल		नहीं	3. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने भी नवगठित प्रबंध समिति के कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अतः केवल याचिका के उच्च न्यायालय में लंवित होने के कारण कोई भी कदम नहीं

					प्रतिद्वंदी कमेटी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के कारण ?			उठाया जा सकता है ।

148.	57 एवं 58		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 205	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यू. एन.सी. इलाहाबाद प्रति उ.प्र.राज्य	1. क्या शासन प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करने से पूर्व महाविद्यालय की प्रबंध समिति को कोई भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिये वाध्य है ?		हां	1. धारा 57 में दिये गये कारणों पर सूचना के आधार पर शासन महाविद्यालय प्रवंधतंत्र के विरूद्ध तभी कार्यवाही कर सकता है जब कि प्रबंधतंत्र को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा चुका हो ।
	57(I) 57(iv)				2. क्या शासन एक बार की गई गड़बड़ी या व्यतिक्रम के लिए प्रबंधतंत्र के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है ?		नहीं	2. धारा 57 में वर्णित व्यतिक्रम के कारण जबतक प्रबंध समिति द्वारा लगातार बार–बार न दोहराये जायें तब तक समुचित अवसर दिये बगैर शासन कार्यवाही नहीं कर सकता ।
	58 57(ii)				3. क्या धारा 58 में शासन द्वारा 57(2) के चार्ज के आधार पर प्रबंध तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही कर सकने में सक्षम है ?		नहीं	3. अगर यह आरोप सावित नहीं हुए हैं तब केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कोई कार्यवाही वैध नहीं होगी ।
	58एवं 57 (iv)				4. क्या उचित पुस्तकालय या यथा योग्य प्रयोगशाला		नहीं	4. राज्य सरकार ने पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया है

					योग्य प्रयोगशाला महाविद्यालय के लिए बगैर नियत मानकों के आधार पर महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही संभाव्य है ?			मानक निर्धारित नहीं किया है अतैव केवल इन तथ्यात्मक निष्कर्षों पर कि पुस्तकालय में अधिक किताबें नहीं हैं तथा प्रयोगशाला के लिए समुचित धनराशि नहीं दी गयी है किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है ।

149.	57(1)(4) 57(1)(4) एवं 58 58(1)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 151	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जी. बी.पी. डिग्री कॉलेज प्रति उ.प्र.राज्य	1. क्या एक लाइन के तथ्यात्मक निष्कर्ष कि महाविद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है । पर शासन धारा 58 में कोई कदम उठा सकता है? 2. क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष की अनेक वर्षों से प्रबंध तंत्र ने विन्यास में भी नहीं जमा किया है तथा खरीद करते वक्त बेवजह पैसा खर्च किया शासन को धारा 58 के अंर्तगत कार्यवाही करने का पर्याप्त कारण है ? 3. क्या महाविद्यालय के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में से तीन न सिद्ध न होने पर तथा चौथा सुसंगत न होने के कारण शासनादेश उचित व वैध है ।		नही नहीं नहीं	1. यह निष्कर्ष किसी प्रकार भी प्रकार से यह साबित नहीं करता है कि प्रबंध तंत्र में उचित एवं समुचित व्यवस्था, वास सुविधा नहीं की है । 2. यह निष्कर्ष धारा 57(1)(4) में वर्णित महाविद्यालय संपत्ति का अनुचित प्रयोग की परिधि में नहीं आता है । 3. क्योंकि अस्पष्ट तथा भ्रामक आरोपों के सिद्ध न होने पर धारा 58(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शासन के पास पर्याप्त कारण नहीं हो सकते हैं ।

150.	58(1)प्रथम परांतुक	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 4765 (1981)निर्णित दिनांक 19.2. 82	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 75 (लखनऊ बेन्च) (डी.बी.)	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एस.बी. बी.वी.डी. कॉलेज लखनऊ प्रति उ.प्र.राज्य	क्या राज्य सरकार प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की समयावधि को इस आधार पर बढ़ा सकती है कि नियंत्रक के कार्यकाल की अवधि में प्रबंध समिति धारा 57(1) में वर्णित त्रुटियों को दूर नहीं कर पाई ।	स्वीकार	नहीं	धारा 58(1) शासन को नियंत्रक को कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति महाविद्यालय की देखरेख सुचारू रूप से चलाने के लिए ही कर सकती है और अन्य कोई कारण शासन को ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है ।
151.	58(2)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 8531	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी प्रति उ.प्र.राज्य	क्या प्रबंध समिति के निलंबन एवं प्राधिकृत की नियुक्ति का आदेश राज्य सरकार दोनो पक्षों को सुनकर वापस ले सकती है और क्या एक समिति के पक्ष में आदेश कर सकती है ?		हां	व्यथित समिति अपने अधिकारों को चाहे दीवानी न्यायालय या चाहे तो अन्य किसी स्थान पर उठा सकती है ।

152.	58(2) एवं 57		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 56	श्री एच.एन. अग्रवाल ट्रस्ट आजमगढ़ प्रति उ.प्र. राज्य	क्या राज्य शासन द्वारा धारा 58(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करके प्रबंध समिति को वित्तीय गड़बड़ियों के आधार पर अवसर देकर 6 माह के लिए निलंबित कर सकता है ?	अस्वीकार	हां		अगर निलंबन आदेश में कार्यवाही करने के समुचित कारण दिये गये हैं तो वह विधिसम्मत होगी ।
153.	60		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 525	लल्लन जी पांडे प्रति डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन वाराणसी	क्या अध्यापक को दो विभिन्न प्रबंध समितियों के आपसी विवाद के कारण वेतन न मिलने पर डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन का वेतन दिलाने का कर्तव्य नहीं बनता ?	डिस्पोज ऑफ	हां		प्रतिवेदन के आधार पर डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन को यह तय करना होगा कि क्या शिक्षक वेतन का अधिकारी है ? इसके बाद तत्पश्चात् वेतन दिलाना उसका कर्तव्य होगा ।
154.	60(ए), 60(ई) एवं 58 एवं57		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 733 लखनऊ बेन्च (डी.बी.)	वी.एन.पांडे प्रति यूनियन ऑफ इंडिया	लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय जिसे राज्य सरकार से अनुदान मिलता हो उसके शिक्षक एवं कर्मचारियों को वेतन का देने का भार क्या राज्य सरकार का है ?	अस्वीकार	हां		60(ई) के अंर्तगत ऐसे महाविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रण में मानकर वेतन देने का भार राज्य सरकार का ही होगा ।

155.	60(ई) (1) एवं 57(1)		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 205	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यू. एन.सी. इलाहाबाद प्रति उ.प्र.राज्य	लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भार मार्च 31 सन् 1975 के पश्चात् राज्य सरकार का होगा ?		हां	चूंकि महाविद्यालय को राजकीय अनुदान दिया जाता है अतएव उसके कर्मचारी एवं शिक्षकों के वेतन का भार सरकार का ही होगा । इसके अलावा धारा 60(ई) के प्रावधान इस महाविद्यालय पर लगते हैं ।
156.	68 एवं द्वितीय परंतुक	सी.एम.डब्लू.पी. नं.5227 ऑफ 982 निर्णित दि 17.12.82	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 99 (डी.बी.)	श्री आर.के. मित्तल प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या प्रथम परांतुक धारा 68 की समय सीमा के पश्चात भी संदर्भ चांसलर को भेजा जा सकता है ?	अस्वीकार	हां	द्वितीय परांतुक धारा 68 में सदर्भ का भेजने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है और चांसलर को यह शक्ति प्राप्त है ।
157.	68		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 220	डॉ. के.एल. अग्रवाल प्रति आगरा विश्वविद्यालय	क्या चांसलर के क्षेत्राधिकार में संदर्भ भेजने में हुई देरी को क्षमा करने की शक्ति भी है ?		हां	राज्य पाल का निर्णय जब तक स्वेच्छाचारी नहीं है तब तक उनके द्वारा पहुंचे गये निष्कर्षों में संविधान के अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप संभव नहीं है अगर चांसलर दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं वे देरी को क्षमा कर सकते हैं ।

158.	68		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 165	डॉ.एच.पी. सिंह प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर के निर्देश की रिक्ति का विधि अनुसार भरण किया जाये का तात्पर्य नये चयन से है ?		हां	चयन समिति की संस्तुति चांसलर के इस निष्कर्ष कि प्राचार्य पद के दोनो चयनित व्यक्ति अयोग्य हैं तो उनके पास सिवाय नई नियुक्ति के निर्देश के अलावा कोई रास्ता नहीं है । वी.सी. इस निणय के पीछे जाने का क्षेत्राणिकार नीं रखते हैं और चांसलर के निर्देश को मानने के लिए वाध्य हैं ।
159.	68		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 90	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट एस.बी.डी. कॉलेज प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या चांसलर संदर्भ को तय करते समय वी.सी. चयन समिति के अनुमोदन में हस्तक्षेप कर सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	अगर प्रबंध तंत्र के प्रस्ताव को मानने में वीत्रसीत्र ने बड़ी चुटि की हो तो चांसलर का पूर्ण क्षेत्राधिकार उसमें हस्तक्षेप करने का बनता है ।
160.	69.		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 755	एम.सी.सिंह प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या याचिका उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण हुई देरी को चांसलर धारा 68 के प्रत्यावेदन में हुई देरी को क्षमा कर सकते हैं ?	स्वीकार	हां	धारा 68 में चांसलर का क्षेत्रा – धिकार अस्पष्ट है कि वे किसी भी न्यायोचित आदेश के लिए उचित निर्देश दे सकते हें जिसमें समयावधि के बाद दाखिल होने वाले प्रत्यावेदनको स्वीकार करना भी शामिल है ।

161.	68		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 689(डी.बी.)	वी.के. कुशवाहा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या समयावधि को धारा 68 के प्रत्यावेदन को सुनवाई हेतु स्वीकार करने में हुई देरी को चांसलर पर्याप्त कारण होने के बाद भी निरस्त कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	चांसलर ने अपने आदेश में कहा है कि देरी होने के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण रिकार्ड में नहीं है । जो कि उच्च न्यायालय ने पाया कि स्थिति का सही आंकलन नहीं है क्योंकि रिकार्ड के परीक्षण के बाद देरी के कारण का स्पष्टीकरण उसमें पाया गया है अतः चांसलर का आदेश निरस्त करने योग्य है क्योंकि वह त्रुटि पूर्ण है ।
162.	68		1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 111	डॉ. सुधीरचंद्र प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या चांसलर धारा 68 में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई आदेश पारित कर सकते हैं जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध हो ?		नहीं	प्रत्यावेदन डॉ. पांडे की नियुक्ति के विरूद्ध था किन्तु याची की नियुक्ति बिना सुनवाई का अवसर दिये चांसलर ने निरस्त कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिमूल हैं ।
163.	68		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 801	डॉ. कमल कांति श्रीवास्तव प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	चांसलर धारा 68 में सीमति क्षेत्राधिकार के अंदर दिशा निर्देश देते हैं वें किसी तथ्यात्मक स्थिति को गुण दोष के आधार			गुण दोष आधार पर अभ्यर्थीयों की शैक्षणिक योग्यता में कौन अधिक योग्य है यह चांसलर नहीं तय कर सकते ।

					पर तय नहीं कर सकते हैं और उन्हे केवल यह देखना होता है कि जो आदेश उनके सम्मुख चैलेंज किया गया हो वो कानून की परिधि में आता है या नहीं ?			

164.	68		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 357	वेदपाल पाल सिंह प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 में चांसलर का क्षेत्राधिकार केवल उपकुलपाति के आदेश के विधिसम्मत होने तक ही सीमित है ?		न्हीं	धारा 68 में शब्द पुष्ट किया जाये का तात्पर्य है कि चांसलर महोदय को ही यह भी देखना होता है कि वी.सी. का आदेश परिनियम के अनुरूप हैं या नहीं ।
165.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5467 (1981) निर्णित दिनांक 5.3.82	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 349 (डी.बी.)	क्मेटी ऑफ मैनेजमेंट तिलकधारी पी.जी.कॉलेज जौनपुर प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या प्रबंध समिति या प्रबंध तंत्र के आपसी झगड़ों में चांसलर हस्तक्षेप कर सकते है ?	अस्वीकार	हां	संबंद्ध महाविद्यालय के प्रवंध तंत्र के आपसी झगड़ों की वैधानिकता के प्रश्न पत्र चांसलर हस्ताक्षेप करने की क्षमता रखते हैं ।
166.	68, परांतुक		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 270	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर.पी.डिग्री कॉलेज, कमालगंज फरूक्खाबाद प्रति उपकुलपति कानपुर वि.वि	क्या चांसलर धारा 68 के अंतर्गत देरी से भेजे गये प्रत्यावेदन को सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकते हैं ?		ळां	विशेष परिस्थितियों में प्रत्यावेदन तीन माह के पश्चात भी प्रोवाइजो में दिये गये कारणों से देरी को क्षमा किया जा सकता है अतएव यह कहना गलत है कि काल वाधित प्रत्यावेदन तय करने पर राज्यपाल के अधिकोष पर कोई प्रतिबंध है ।

167.	68 परांतुक द्वितीय (बी)		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 49	पी.वी.आर. इंस्टीट्यूट आगरा प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय	क्या वी.सी.द्वारा प्रबंध समिति शिक्षक को सेवा से पृथक किये जाने के आदेश को अनुमोदन देने पर चांसलर प्रत्यावेदन को तय करते समय यह पांऐ कि पर्यवसान आदेश बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही के है तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं ?		ळां	कुलपति का आदेश विधि अनुकूल नहीं है । क्योंकि प्रबंधतंत्र किसी भी शिक्षक की सेवाऐं उसे पर्याप्त बचाव का अवसर दिए बगैर और अनुशासन कार्यवाही को दरकिनार करके नहीं पा सकता । वी.सी. में बड़ी विधि त्रुटि कि जिसके निरस्त करने का न्यायोचित आदेश चांसलर दे सकते हैं ।
168.	68, द्वितीय परांतुक	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5518 (1979) निर्णित दिनांक 5.5.83	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 499 (डी.बी.)	डॉ. के.नंद प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 में प्रत्यावेदन करने पर चांसलर स्वयं विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	अतिविशेष परिस्थिति में संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए चांसलर स्वतः न्यायोचित आदेश पारित कर सकते हैं । यह आदेश विधि अनुमान्य होगा और नैसर्गिक न्याय के अनुरूप माना जायेगा ।

169.	6ε		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 145	डॉ. डी.एम. शर्मा प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 के अंर्तगत उपकुलपति के आदेश को जो सहायक कुलसचिव द्वारा भेजे गये पत्र के रूप में हो को संदर्भ में चुनौती दी जा सकती है ?		ळां	अगर पत्र का ड्राफ्ट कुलपति के निर्देशों से तैयार किया गया है तो यह पत्र स्वयं वी.सी. का आदेश ही होगा और इस प्रकार धारा 68 में उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है ।
170.	6ε		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 99	के..एस. अवतार प्रति चांसलर रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति के आदेश में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन राज्यपाल के समक्ष प्रत्यावेदन की सुनवाई होने पर दूर हो जाता है ?		ळां	कुलपति के आदेश में जो कानूनी स्वामी नैसर्गिक न्याय अर्थात सुनवाई बगैर आदेश करना वह चांसलर द्वारा सुनवाई के पश्चात तय कर देना से दूर हो जाती है और वी.सी. का आदेश चांसलर के आदेश में मर्ज कर जाता है तथा सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं ।
171.	68		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 578	डॉ.पी.एस. मलिक प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या वह अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति नहीं मिली चांसलर के समक्ष प्रत्यावेदन करने का अधिकारी है?		ळां	ऐसा व्यक्ति Aggrieved Person है और वह धारा 68 में प्रत्यावेदन करने का अधिकारी है ।

172.	68 एवं परिनियम 11.1 सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 5838 (1981) निर्णित दिनांक 15.4. 82	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 107 (डी.बी.)	श्याम नारायण प्रति चांसलर एस. एस.वी. वाराणसी	क्या धारा 68 में किये गये प्रत्यावेदन में अभ्यर्थी की विषय विशेष में शैक्षणिक योग्यता का होना चांसलर तय कर सकते हैं ?		हां	चंसलर ने अभ्यर्थी द्वारा उठाये गये प्रश्नों को विद्वानों के समक्ष भेज दिया कि क्या ककककक ओर शंकर वेदांत अलग–अलग विषय हैं अभ्यर्थी को भी पूर्ण अपनी बात कहने का दिया गया जिसे भी विशेषज्ञों के समक्ष रखा गया इस प्रकार चांसलर ने नैसर्गिक न्याय का अनुपालन किया और उनका निर्णय विधिसम्मत है ।
173.	68 उ.प्र. सिविल अधिनियम 1976 सेक्शन 13 (एच)		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 80	श्रीनाथ एजूकेशनल सोसायटी सिरसा इलाहाबाद प्रति एडिशनल मुंसिफ	1. क्या वी.सी. के निर्णय के विरूद्ध धारा 68 में प्रत्यावेदन न देकर दीवानी न्यायालय से निषेधाज्ञा ली जा सकती है ? 2. क्या प्रबंध समिति द्वारा पारित किये गये कार्य के विरूद्ध धारा 68 में संदर्भ पोषित है		नहीं नहीं	1. धारा 13 (एच) उ.प्र.सिविल सुधार एवं संशोधनअधिनियम 1976 में किसी ऐसे विषय पर निषेधाज्ञा देने पर पूर्ण प्रतिबंध है जो धारा के अंर्तगत वी.सी. या चांसलर द्वारा निर्णीत की जा सकती है । 2. प्रबंध समिति वि.वि.की न तो अथॉरिटी है न ही विषय है । अतैव इसका आदेश को धारा 68 में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

174	68 एवं 19		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 226	डॉ. कु.रंजना सक्सेना प्रति उपकुलपति रूहेलखंड विश्वविद्यालय	चयन समिति के शिक्षक की नियुक्ति संबंधी संस्तुति क्या अनुच्छेद 226 के अंर्तगत याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है ?		हां	क्योंकि चयन समिति धारा 19 में न तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी है न ही अधिकारी है चयन समिति के संस्तुति के विरूद्ध धारा 68 में संदर्भ संभव नहीं है । अतः याचिका पोषणीय है ।
175.	68 एवं 31		1982 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 671	डॉ. डी.सी. पांडे प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 में चांसलर को ऐसे किसी नियुक्ति आदेश को निरस्त करने का अधिकार है जो विधि सम्मत हो तथा नियुक्ति दिये जाने वाले व्यक्ति का शैक्षणिक रिकार्ड अति उत्तम है ।		नहीं	धारा 31 के अंर्तगत विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग की नियुक्ति के प्रावधान दिये गये हैं । चयन समिति तीन नामों को क्रमानुसार नियुक्ति हेतु प्रस्तावित कर सकती है और उसकी संस्तुति को कार्यपरिषद ने पृष्टांकित कर दिया हो इसके विरूद्ध चांसलर के समक्ष दिये गये प्रत्यावेदन में केवल यही कहा गया है कि याची का रिकार्ड प्रतिपक्षी नंबर 3 से खराब है यह प्रश्न केवल चयन समिति की तय कर सकती है । चूंकि इस केस में याची का शैक्षणिक रिकार्ड अति उत्तम है अतः चांसलर का आदेश पूर्णतयः गैरकानूनी है एवं निरस्त करने योग्य है ।

176.	68 एवं 31(8)(ए)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 70	डॉ. एम.पी. सिंह प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	चयन समिति के अनुसंशा के विरूद्ध धारा 68 में क्या प्रत्यावेदन पोषणीय है ?		हां	चूंकि चयन समिति की अनुसंशा धारा 68 के अंर्तगत निर्णय है अतएव उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन पोषणीय है ।
177.	68 एवं 31(10)		1984 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 479	आर.केशुक्ला प्रति चांसलर इलालावाद विश्वविद्यालय	1. चांसलर के समक्ष प्रत्यावेदन को तय करते समय क्या पक्षों का सुना जाना आवश्यक है ? 2.क्या विज्ञापन के अनुसरण में चयन समिति के समक्ष उपस्थित अभ्यर्थी बाद में प्रत्यावेदन देकर यह कह सकता है कि विज्ञापन विधिसम्मत नहीं था ?		हां नहीं	1. न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक होने के कारण चांसलर विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद ही अपना निर्णय देते हैं अगर संबंध पक्षों कां चांसलर ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तो उनका आदेश निरस्त होने योग्य है । 2. रिक्ति के भरण के विज्ञापन के अनुसरण में अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के पश्चात विज्ञापन के दोषानुदोष के बारे में कुछ कहते हुए नहीं सुना जा सकता है ?

178.	68 एवं 58		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 338	श्री अग्रवाल एच.एन. ट्रस्ट आजमगढ़ प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या प्राचार्य को हटाने के प्रस्ताव पर वी.सी. द्वारा अनुमोदन न दिये जाने पर प्रबंध तंत्र की जगह कार्यरत प्राधिकृत नियंत्रक को ही संदर्भ का अधिकार होगा ?		हां	क्योंकि महाविद्यालय का नियंत्रण प्राधिकृत नियंत्रक के आधीन है अतः ट्रस्ट जो विद्यालय चलाता था वह व्यथित या पीड़ित न रहा अतः ट्रस्ट को संदर्भ का अधिकार नहीं रहा ।
179.	68(11)(सी) प्रोवाइजो		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 710 लखनउ बेन्च	ए.बी.पांडे प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या डीम्ड एप्रूवल का चांसलर के समक्ष संदर्भ में तब कोई महत्व होता है जब कि अनुमोदन एक माह के अंदर न भेज दिया गया होता ?		हां	चांसलर के समक्ष संदर्भ में डीम्ड एप्रूवल का प्रश्न ही महत्वहीन है जब तक कि निश्चित समयावधि में अनुमोदन न भेजा गया हो ।
180.	68 एवं 74(2) कानपुर एवं मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 11. 34 के साथ देखा जाये ।		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 338	डॉ. चंद्रभूषण प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 में वी. सी. द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करने के बाद चांसलर उसका पुर्नवीक्षण कर सकते हैं ?		नहीं	प्रावधानों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे कि चांसलर को पुर्नवीक्षण का अधिकार प्राप्त हो । सेक्शन 74(2)(बी) चांसलर की इस संबंध में कोई मदद नहीं करता है और इस प्रकार 1969 में दिये गये अपने निर्णय को वे रिव्यू नहीं कर सकते ।

181.	69		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 361	आगरा विश्वविद्यालय कुलसचिव द्वारा प्रति अनिल प्रकाशन	क्या परीक्षा में पकड़े जाने के बाद परीक्षार्थी को कुछ समय के लिए विधिवत जांच करके विधिवत विवर्जित करने के आदेश को वह दीवानी न्यायालय में चुनौती दे सकता है ?		नहीं	ऐसा कोई कार्य धारा 69 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित है अतः दीवानी न्यायालय इसका निस्तारण नहीं कर सकते ।
182.	69		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 356	वेद पाल सिंह प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या वी.सी. के निर्णय जिसके द्वारा उन्होने महाविद्यालय के चलाने के प्रबंध समिति के विवाद को सुलझाया हो, को प्रताड़ित पक्ष द्वारा दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ?		हां	यह वो विषय है जिसमें दीवानी न्यायालय को ही तथ्यात्मक विश्लेषण को अधिकार है और सेक्शन 69 का प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होता ।
183.	68 एवं 69		1981 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 216	राजेन्द्र प्रति सिविल जज बुलंद शहर	क्या दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार चयन समिति, उपकुलपति एवं चांसलर के		नहीं	विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं अधिकारियों के आदेशों को धारा 68 और 68(ए) में वर्णित अधिकारियों के संबंध में दीवानी न्यायालय प्रतिबंधित है किन्तु

184.	2(13) इसे परिनियम 12. 28, संशोधित द्वारा प्रथम परिनियम सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 300	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट प्रति उपकुलपति	1. क्या विश्वविद्यालय दो प्रबंध समितियों के आपसी विवाद को 1985 के संशोधन के बाद करने के अधिकारी हैं ? 2. क्या संबद्ध महाविद्यालय की दो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का विवाद वी.सी. के समक्ष सुलह द्वारा निपटाया जा सकता है ?		नहीं ळां	1. संशोधन के पश्चात केवल क्षेत्रीय उपनिदेशक शिक्षा को ही यह अधिकार है किन्तु इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है चूंकि विवाद सन 1982 का था अतैव वी.सी. उसको तय कर सकने में सक्षम थे । 2. सन् 85 से पूर्व वी.सी. इस विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं अतः सुलहनामे में कारण देना आवश्यक नहीं होगा ।
185.	2(13) एवं 58(1) इसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 13. 5 के साथ देखें ।		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 549	क्मेटी ऑफ मैनेजमेंट ए. पी.एन. डिग्री कॉलेज प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या उपकुलपति दो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के विवाद कि, कोन विधिसम्मत ढंग से चुनी गयी है, को तय कर सकते हैं ?		हां	परिनियमों के प्रावधानों में उनके लागू होने के बाद वी.सी. ही इस विवाद को तय कर सकते हैं । अगर विवाद इसके पूर्व का भी हो तो भी यही स्थिति रहेगी ।

186.	12(12)एवं 12(13)		1992 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 900	प्रोफेसर आर. बी.मिश्रा प्रति चांसलर अवध विश्वविद्यालय	1. क्या जांच के पूर्व विश्वविद्यालय के वी. सी. को उसके पदानुरूप कार्य करने से रोका जा सकता है ? 2. क्या धारा 12 में वर्णित प्रावधान वी.सी. को दिशाहीन शक्ति देते हैं ? 3. क्या शिक्षक परीक्षक को धमकाने और अभद्र व्यवहार करने पर वी.सी. को उसके पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है ।		हां नहीं हां	1. ऐसा आदेश जांच के लंबित होने पर भी किया जा सकता है ओर वह वैध होगा । 2. विश्वविद्यालय की सुचारू व्यवस्था के लिये यह प्रावधान वैध है एवं आवश्यक है । 3. शिक्षक को किसी विद्याथ्री के नंबर बढ़ाने के आदेश न मानने पर सिर पर डंडे का प्रहार करने के कारण वी.सी. के विरूद्ध पारित आदेश उचित है ।
187.	12(12)एवं 13, इसे 1990 के अध्यादेश 19 द्वारा संशोधित		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 448	प्रोफेसर प्रतिमा अस्थाना प्रति चांसलर गोरखपुर	क्या चांसलर समय से पूर्व वी.सी. की सेवा समाप्त कर सकते हैं ?		हां	सेवा समाप्ति का आदेश चांसलर ने 17.5.90 को पारित किया था अतः धारा 4(2)(बी) के अंर्तगत इसे एक जांच के दौरान निलंबन आदेश मान लिया जायेगा और चूंकि एक

	किया गया			विश्वविद्यालय				वर्ष के अंदर जांच पूरी नहीं हो पाई अतः वी.सी. को सेवा में पुनः स्थापित किया जाना ही उचित होगा ।

188.	13(1), 13(6) एवं 58(2)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 172 फुल बेन्च	क्मेटी ऑफ मैनेजमेंट प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या वी.सी. को संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को हटाकर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का अधिकार है ?		नहीं	धारा 58(2) के अंर्तगत केवल राज्य सरकार को ही नियंत्रक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है ।
189.	13(6)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1569 एवं 1986 ए. एज.जे. 1485	ए.सी.त्रिपाठी प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या डिग्री कोर्स में प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रस्ताव धारा 13(6) के अत्यावश्यक प्रावधानों में आता है ?	स्वीकार	नहीं	13(6) के प्रावधानों के अंर्तगत अत्यावश्यक मामलों में ही आदेश किये जा सकते हें और प्रवेश परीक्षा उससे कवर नहीं होती ।
190.	13(6) एवं 13(8), उ.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम द्वितीय संशोधन द्वारा संशोधित । 13(6), 13(8), 2(18) एवं 2(19) निर्णित दिनांक 3.2. 93	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 9097 ऑफ 92	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 879(2) (डी.बी.)	के.के.सिंह प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	1. क्या यह संशोधन केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर ही लागू होता है ? 2. क्या सहायक निदेशक जिसकी नियुक्ति वी.सी. ने की हो वह विश्वविद्यालय का शैक्षिक कर्मचारी है ?	अस्वीकार	हां हां	1. यह 22.11.91 से प्रभावी हुआ और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखकर लाया गया है । 2. संशोधन जो सन् 1991 में किये गये हैं वे वी.सी. के शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं । जिसके कारण वी.सी. के द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति गैर कानूनी है तथा ऐसे लोग जो संशोधन से प्रभावित होते हैं वो केवल उस समय के वेतन के अधिकारी होंगें जब उन्होने कार्य किया हो ।

191.	13(6) एवं 29(6)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 274	श्रीमति सी. के.शर्मा प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. क्या वी.सी. की शक्ति धारा 13(6) के अंर्तगत सीमित है ? 2. क्या परीक्षा समिति को अनुमोदन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो से प्रभावित होगा ?	अस्वीकार	हां नहीं	1. धारा 13(6) तात्कालिक कठिनाइयों को हल करने में प्रयोग में लाई जा सकती है । जैसे उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन परीक्षक की अर्कमण्यता की शिकायतों पर, जो कदम धारा 29 में परीक्षा समिति के अनुमोदन के अंर्तगत होगा । 2. वी.सी. का निर्णय तात्कालिक आकस्मिक घटना के परिप्रेक्ष्य में लिया गया होता है जो परीक्षा समिति के अनुमोदन की अपेक्षा में उठाया गया ।
192.	13(6) एवं 13(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 27592 (1992)निर्णित दिनांक 20.8. 93	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1704 (डी.बी.)	योगेन्द्र सिंह रावत एवं अन्य प्रति एच.एन. बहुगुंणा गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या 13(6) एवं 13(1) का संशोधन उ.प्र. अधिनियम नं.1 (1992) में करके कट ऑफ डेट 30.6.91 अनुचित है ?	अस्वीकार	नहीं	संशोधन समझ बूझकर ओर पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किया गया है ।

193.	20(1)(2)(डी) परिनियम 3.1 18.10, 18. 11, 18.12 प्रथम परिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 405	शिवराज सिंह प्रति चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या पी.जी. महाविद्यालय का प्राचार्य डिग्री कॉलेज के प्राचार्य से वरिष्ठ है ?		हां	पूर्वांचल विश्वविद्यालय बन जाने पर उसकी कार्यपरिषद का पुर्नगठन किस प्रकार किया जायेगा यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन होगा । और परिनियम संख्या 18.11 यहां लागू नहीं होगी इसी संदर्भ में कानूनी प्रावधानों की विशद विवेचना करते हुए न्यायालय ने प्राचार्यो की वरिष्ठता तय कर दी ।
194.	20(एफ) एवं 65(2)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1072 एवं 1986 ए. एल.जे. 1383	सुनीत व्यास प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या परिषद का सदस्य तीन वर्ष की समयावधि के पश्चात भी सदस्य बना रहा सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाये ?		हां	धारा 65(2) के सबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए उत्तराधिकारी के चयन तक कार्य परिषद के निवर्तमान होने वाले सदस्य की सदस्यता बनी रहती है ताकि रिक्ति न होने पाए और कार्यपरिषद का कार्य प्रभावित न होने पाए ।
195.	21(6) एवं 25(1) (बी)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1571 लखनऊ बेन्च	डॉ. पी.डी. शुक्ला प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या यह प्रावधान आज्ञापक स्वभाव के हैं ?		हां	शैक्षिक समिति, परीक्षा कोर्स आदि के बारे में सर्वोच्च अधिकृत विश्वविद्यालय की इकाई और कार्यपरिषद को समय–समय पर इनके बारे में राय देती रहती है अतः इन प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन आवश्यक है ।

196.	26(5) इसे प्रवेश अधिसूचना खंड 4(6) के साथ देखें । 26(ई)		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1975 (सुप्रीम कोर्ट)	योगेश भारद्वाज प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	1. उ.प्र. का मूल निवासी होना क्या प्रवेश हेतु आवश्यक है ? 2. क्या मूल निवासी होने की योग्यता भारतीय नागरिक के प्रवेश में कहीं भी निवास करने के अधिकार के विपरीत है ?		हां हां	1. पांच वर्ष तक उ.प्र. का निवासी होना विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक है । 2.भारत के नागरिक प्रदेश में या सम्पूर्ण भारत में कहीं भी रह सकते हैं ।
197.	28 एवं 28(3)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1457	कमल सिंह यादव एवं राज्य प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद कोई विद्यार्थी उस सत्र में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के पश्चात अगले सत्र में प्रवेश का अधिकारी होता है?	स्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति विभिन्न विषयों में प्रवेश के दिशा निदेश बनाती है और उसके अंर्तगत वह विद्यार्थी जो बीच सत्र में पढ़ाई छोड़ चुका हो वह अगले सत्र में नये विद्यार्थी के रूप में प्रवेश फार्म भरकर पुनः प्रवेश के लिये नये विद्यार्थी के समान फार्म भर सकता है ।

198.	28(5)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1024	डॉ. अनुराग माथुर प्रति उ.प्र.राज्य	क्या शासनादेश 15. 12.85 में किये गये संशोधन खंड 4(बी) द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण संभव है ?	स्वीकार	नहीं	यह संशोधन राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है ।
199.	28(5) इसे एवीडेंस एक्ट की धारा 114 के साथ देखें		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 409 लखनऊ बेंच	कु.लीना गुप्ता प्रति रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली	क्या सी.पी.एम.टी. परीक्षा में हुई कम्प्यूटर त्रुटि के कारण बी.डी.एस. कोर्स में दिया गया कोर्स निरस्त किया जा सकता है ?		हां	विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया यह कदम विधि सममत एवं न्यायोचित है और गणना में त्रुटि के कारण सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता विबंध का सिद्धांत परिनियमों के प्रावधानों के विरूद्ध नहीं लगता ।
200.	28(5)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1362	डॉ.अमरेन्द्र कुमार दुबे प्रति प्राचार्य एस.. एन.मेडिकल कॉलेज आगरा	क्या शासनादेश 15. 12.85 के अंर्तगत एम. एस.आर्थोपेडिक कोर्स में 75 प्रतिशत सीटों का आरक्षण आंतरिक विद्यार्थी का उचित है ?	स्वीकार	हां	नियम न्यायोचित है किन्तु सारी सीटो में पर यदि आंतरित विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है तो वे उ.प्र.के निवासी विद्यार्थियों द्वारा भरी जा सकती है ।

201.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी.. नंबर 3228 (1993) निर्णित दिनांक 27.4. 93	1983 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1492 वाल्यूम–2, ई. एस.सी. 1993 14(2)	रितिका रामत्री प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	शासनादेश 5.5.87 के अंर्तगत क्या एम.एड. कोर्स में दाखिला दिया जाना उचित नहीं है?	आंशिक रूप से स्वीकार	हां	एम.एड. कोर्स में बाहर के विद्यार्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाये और बाद में 6 सीट खाली होने पर भी प्रवेश न दिया जाना शासनादेश के विरूद्ध है अतः याची को अगले सत्र में दाखिला देना न्यायोचित है ।
202.	28(5)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 493	कु. भारती महेश्वरी प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या अधिसूचना दिनांक 19.3.87 के अंर्तगत पी.एम.टी.सत्र 1987 की परीक्षाओं में सफल होने के बाद भी कोर्स न ज्वॉइन न करने के कारण रिक्त सीट पर 1986 सत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश देना उचित है ?	स्वीकार	हां	सी.पी.एम.टी. के दिशा निर्देशों के विरूद्ध किया गया कार्य अनुचित है । पिछले सत्र के अभ्यर्थी अगले सत्र में नियोजित नहीं किये जा सकते ।
203.	28(5)		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 331	डॉ.सुरभी राय प्रति उ.प्र.राज्य	क्या अधिसूचना दि 15. 12.85 के खंड 2 में दिये गये दिशा निर्देश राज्य के चिकित्सा संस्थानों में पी.जी.प्रवेश में दरकिनार किये जा सकते हैं?	स्वीकार	नहीं	अधिसूचना के खंड (2) में दिए गये और उसके विपरीत तैयार की गई मेरिट इंडेक्स तथा बाद में पारित आदेश अवैध है ।

204.	28(5)		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 337 लखनउ बेंच	डॉ. वी.के. अरोरा एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या शासनादेश 19.8. 83 के उपबंध 2 एवं 4 के निर्देशों के विरूद्ध राज्य के बाहर के निवासियों का दाखिला एम.डी.एस. कोर्स में हो सकता है?	अस्वीकार	नहीं	उपबंध (2) एवं (4) में वर्णित "बोनाफाइड रेजीडेन्ट ऑफ यू. पी." का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी उ.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए और ऐसा न होने पर निवास संबंधी अयोग्यता के कारण प्रवेश संभव नहीं है ।
205.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8329 ऑफ 1992 निर्णित दिनांक 7.12. 92	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1019 एवं 1993 (2) ई.एस.सी. इलाहाबाद (एस.ओ.सी.) 14	पी.के.अरोरा प्रति उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या शासनादेश 5.5. 87 के पैरा 12.3 के अंतर्गत प्रवेश के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक बार प्रवेश मना करने के लिये अनुमति लेना आवश्यक है ?	अस्वीकार	नहीं	सामान्य अनुमति ही पर्याप्त है और अगर प्राचार्य सद्भाव पूर्वक उचित समझते हैं तो संस्थान में प्रवेश मना किया जा सकता है जो विधिसम्मत है ।
206.	28, 45(1)(ए), 51(2)(ए) एवं 52(3)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1520	ए.सी.त्रिपाठी प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या प्रवेश परीक्षा में शैक्षिक समिति के दिशा निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन आवश्यक है ?		हां	प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमों तथा शैक्षिक समिति जो विश्वविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था के सबसे बड़ी अधिकारी है के दिशा निर्देशों को पर्याप्त महत्व दिया जाना आवश्यक है और इस कारण प्रवेश परीक्षा अनुचित नहीं है ।

207.	29		1992 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 723	ए.के.सिंह प्रति रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या अनुचित साधनों के उपयोग के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यादेश नं. 1.3 और 1.5 में दी गई प्रक्रिया आज्ञापक है ?	स्वीकार	हां	परीक्षार्थी के उपर न तो आरोप लगाया गया कि उसके पास ऐसी सामग्री पाई गई जो परीक्षा सें संबंधित है न ही उसको स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया तथा निष्कर्ष स्वरूप आज्ञापक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया ।
208.	29(2)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 274	श्रीमति सी. के.शर्मा प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्यां परीक्षा समिति परीक्षार्थी द्वारा पाये गये अंकों में कमी कर सकती है ?		हां	परीक्षा समिति की शक्ति सीमा व्यापक है जिसके कारण परीक्षार्थी द्वारा पाये गये प्राप्तांक को युक्ति युक्त परिधि के अंर्तगत लाने का अधिकार है ।
209.	29(3)		1986 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1086	शरद कुमार प्रति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के आरोपी को सूचना एवं सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	यह कार्यवाही अर्द्धन्यायिक है अतः बचाव का पर्याप्त अवसर न देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है और उनका उल्लंघन गैरकानूनी है ।

210.	29 एवं 13, 29 एवं 52		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 361	डॉ. एन.बी. टहलयानी प्रति डॉ. आर.पी. मिश्रा	1. परीक्षा समिति की अनुपस्थिति में क्या परीक्षक की नियुक्ति हो सकती है ? 2. क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय के परीक्षकों की नियुक्ति करके उनका नाम सीधे विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति को दे सकते हैं ? 3. क्या परीक्षक की नियुक्ति की संस्तुति बोर्ड ऑफ स्टडीज में निहित है ?	अस्वीकार	हां हां हां	1. आकस्मिक परिस्थिति में वी. सी. ऐसी नियुक्ति कर सकते हैं 2. विश्वविद्यालय का कैलेण्डर सन् 1968 अध्याय 6 के प्रावधानों का प्रयोग करके परीक्षकों की सूची बनाई जा सकती है तत्पश्चात् इसे सीधे परीक्षा समिति को दिया जा सकता है ।
211.	30 एवं 35 (2),35(3)		1980 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 997	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के आर.सी. महिला डिग्री कॉलेज प्रति वी.सी.आगरा विश्वविद्यालय	क्या एडहॉक लेक्चरर का पद प्राचार्य के स्वयं उस विषय को स्वयं पढ़ाये जाने के कारण समाप्त किया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	वी.सी. के पूर्व अनुमोदन के बगैर सेवा से पृथक करना गैर कानूनी है ओर शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश विधि शून्य है ।

212.	31(ए)		1992 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 24	ओ. पी. श्रीवास्तव प्रति आगरा विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की संस्तुति प्रशिक्षक की प्रोन्नति के संबंध में इस पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए ?	स्वीकार	हां	प्रोन्नति संबंधी मांग चयन समिति द्वारा ही मानी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय में तुरन्त चयन समिति गठित करने का निर्णय दिया जिससे प्रोन्नति संबंधी मामला निस्तारित हो सके
213.	31(1)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1573 लखनउ बेन्च	डॉ. पी.बी. शुक्ला प्रति चांसलर लखनउ विश्वविद्यालय	क्या चयन समिति के विशेषज्ञ का नाम उजागर हो जाने पर उसकी संस्तुति को पक्षपाती या मनमाना कहा जा सकता है ।	अस्वीकार	नहीं	विशेषज्ञ केवल समिति को सहायता ही करते हैं किन्तु अंतिम निर्णय समिति को होता है जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता ।
214.	31(1)(बी) एवं 31(8)(बी) इसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 11.13(5) के साथ देखें ।		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 515	रामनिरंजन मौर्य प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या वी.सी.चयन समिति की संस्तृति को देखते समय न्यूनतम योग्यता में चयन समिति द्वारा की गई ढील को देख सकता है ?		हां	विशेषज्ञों की सहायता लेकर चयन समिति द्वारा दी गई ढील के प्रश्न का परीक्षण उपकुलपति नियुक्ति की पारदर्शिता के लिए कर सकते हैं और इस आधार पर संस्तुति को अस्वीकार भी कर सकते हैं ।

215.	31(1) एवं 32 इसे लखनउ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के परिनियम 16. 1 के साथ देखें		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1606	आई.बी.सिंह प्रति चांसलर लखनऊ विशविविद्याल य	क्या नियुक्ति पत्र में वर्णित संविदा का न भरा जाना नियुक्ति को अवैध बना देता है ?	अस्वीकार	नहीं	वैधानिक संविदा केवल सेवा नियमों एवं शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के मध्य सेवा नियम की शर्तें प्रभावित करता है और उसके न होने पर नियुक्ति न तो अवैध है न निरस्त की जा सकती है ।
216.	31(2)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1107	राममूर्ति त्रिपाठी प्रति निरीक्षक संस्कृत पाठशाला उ. प्र.	क्या सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षक की नियृक्ति के लिए उपकुलपति का अनुमोदन आवश्यक है ?		नहीं	चयन समिति प्रबंध समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है और अनुमोदन संबंधी अपवाद जो धारा 31(2) मे वर्णित है के अंर्तगत ऐसी नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती ।
217.	31(2)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1606	आई.बी.सिंह प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	1. क्या दो वर्ष के परीवीक्षण काल के समाप्त होने पर प्रोबेशनर स्वयं स्थाई हो जाता है ? 2.क्या स्थाईकरण संबंधी मामले	अस्वीकार	हां नहीं	1. दो वर्ष का समय नियुक्ति अधिकारी को प्रोबेशनर की सेवाओं का आंकलन करने के लिए आवश्यक है और अगर प्रोबेशनरी पीरियड सेवा शर्तों के अनुसार बढ़ाया न जाए तो स्थाईकरण स्वतः हो जाता है । 2. स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही पर निषेधाज्ञा का होना या न

					प्रोबेशनर द्वारा लिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रभावित होते हैं ?			होना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता अतैव यह कहना उचित नहीं है कि प्रोबेशनर अपने गलत कार्यों का लाभ उठाना चाहता है ।
					3. क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने पर दो वर्ष का परीवीक्षण काल बढ़ाया जा सकता है ?		नहीं	3. दोनो कार्यवाहियां अलग–अलग हैं और परीवीक्षण काल को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।
					4.क्या दो वर्ष की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाने के बाद याची विवक्षित तौर पर स्थाई हो जाता है ?		हां	4.

218.	31(2)इसे लखनउ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के साथ देखें		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1606	आई.वी.सिंह प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या परिनियम में प्रयोग किये गये शब्द "एट द एंड" का तात्पर्य स्थायीकरण को दो वर्ष बाद या बढ़ाये गये समय के बाद तय करना होगा ?		न्हीं	
219.	31(2) परांतुक, 31(2)(3)(2)		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 513	रामनिरंजन मौर्य प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	1.क्या वी.सी.द्वारा सूचना कॉलेज के प्रबंध तंत्र को भेजी जानी चाहिए ? 2.क्या वी.सी.द्वारा अनुमोदित सहायक अध्यापक संस्कृत विश्वविद्यालय में जिसकी नियुक्ति अधिष्ठायी पद पर हुई हो परीवीक्षण काल की समाप्ति के पश्चात स्वतः स्थाई हो जाता है ?	स्वीकार	हां	1. 2. अगर परीवीक्षण काल के दौरान कानूनी रूप से सेवाऐं समाप्त की जाती हैं तभी वेतन रोकने का आदेश विधिसम्मत होगा अन्यथा परीवीक्षण काल की समाप्ति के बाद अध्यापक स्वतः स्थाई हो जायेगा तथा वेतन पाने का अधिकार बना रहेगा

220.	31(3)(वी)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 727	डॉ. जे.पी.एन. श्रीवास्तव प्रति डायरेक्टर ऑफ हायर एजूकेशन	क्या इस उपबंध का लाभ उन शिक्षकों को मिल सकता है जो ऐसी रिक्ति जो 6 माह से अधिक चले पर चयन समिति का सामना करके नियुक्ति हुआ हो ?स्वीकार	स्वीकार	हां	चयन की प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता से चयनित होने वाले अध्यापक इस प्रावधान में दिए गये कारणों का लाभ उठाने के पात्र हैं ।
221.	31(3)(वी)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1506	श्रीमति माधुरी मिश्रा प्रति उ.प्र.राज्य	क्या इस प्रावधान का लाभ उस शिक्षक को भी हो सकता है जिसकी नियुक्ति स्तीफे के कारण रिक्त पद पर न हुई हो ?		नहीं	मौलिक पद पर की गई नियुक्ति अस्थाई होने पर ही तथा नियुक्ति संबंधी अर्हताओं पर खरा उतरने के कारण प्राध्यापक इन प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी होता है ?
222.	31(3)(बी)		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 689	डॉ.एस.एस. शर्मा प्रति उ.प्र.हायर एजूकेशन सर्विस कमीशन	क्या इस प्रावधान में महाविद्यलाय में कार्यरत जीव विज्ञान के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन उचित है ?	स्वीकार	नहीं	महाविद्यालय की प्रबंध समिति को पहले दिये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण होना चाहिए अन्यथा विज्ञापन का कोई महत्व नहीं है ।

223.	31(3)(वी)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 170	श्रीमति माधुरी सिंह प्रति उ.प्र.राज्य	क्या इस प्रावधान में चयन का लाभ उन नियुक्तियों को भी मिल सकता है जहां पर पद नियुक्ति के पश्चात उपलब्ध हों?	अस्वीकार	नहीं	लाभ केवल उन्ही पदों पर मिल सकता है जो नियुक्ति के समय मौजिक रूप से उपलब्ध हो और नियुक्ति 6 माह से अधिक के लिये चयन प्रक्रिया को अपनाकर की गई हो अन्यथा स्थाई होने का लाभ नहीं मिलेगा ।
224.	31(3)(बी), 13(6)		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 727	डॉ.सी.डी.पांडे प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या धारा 13(6) के अंर्तगत नियुक्त अध्यापक को धारा 31(3)(बी) के अंर्तगत नियमितीकरण संबंधी कोई लाभ मिलेगा ?		नहीं	प्रावधानों की विस्तृत विवेचना के पश्चात यह पाया गया कि वी.सी.द्वारा आकस्मिक नियुक्ति पाने वाला शिक्षक धारा 31(3)(बी) का लाभ नहीं पा सकता ।
225.	31(7) एवं 31(6)		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 234	डॉ.मनबोध पांडे प्रति चांसलर कांशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या चयन समिति में कोरम जिसे परिनियम के आज्ञापक उपबंध में फिक्स किया गया हो, उपलब्ध न होने पर चयन समिति की अनुसंशा विधिसम्मत है ?		नहीं	कोरम की संख्या के अभाव में की गई अनुसंशा विश्वविद्यालय के परिनियम के आज्ञापक प्रावधान के विरूद्ध है ।

226.	31(8)(ए)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1572 लखनऊ बेन्च	डॉ.पी.डी. शुक्ला प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चयन समिति द्वारा नहीं चुने गये अभ्यर्थियों के विरूद्ध की गई टिप्पणियां असहमति की बोधक हैं ?		नहीं	ऐसी टिप्पणी किसी भी प्रकार चयन समिति के सदस्यों के मध्य असहमति सूचक नहीं है ।
227.	31(8)(ए) परांतुक			डॉ. मोहम्मद सुहेल प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. क्या रिकार्ड पर समुचित सामग्री न होने पर भी चांसलर के आदेश के विरूद्ध असद्भावना का आरोप लगाया जा सकता है । 2. क्या इस प्रावधान के अंर्तगत प्रोफेसर की चयन संस्तुति पर चार माह तक निर्णय न लिये जाने के कारण का कोई महत्व हे ?		नहीं नहीं	1. इस आरोप की पुष्टि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से ही हो सकती है अन्यथा चांसलर द्वारा उपयोग की गई शक्ति को असदभाव पूर्ण उपयोग नहीं कहा जा सकता । 2. चार माह पश्चात मामला कार्यपरिषद के पास स्वतः अंतिम निर्णय हेतु चांसलर के पास चला जाता है और इस समय सीमा में कार्य परिषद द्वारा निर्णय न ले पाने के कारण कोई प्रभाव नही डालते ।

228.	31(8)(ए)		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 738	कु.नीलिमा मिश्रा प्रति डॉ. एच.के. पेन्टल एवं चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर की शक्तियां विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन में अर्द्धन्यायिक या अपीलीय है ?		नहीं	चांसलर विशुद्ध कार्यकारी चरित्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं परन्त इनका प्रयोग अधिनियम एवं उसके अंर्तगत बनाये गये परिनियम या अध्यादेश पर ही आधारित होना चाहिए और किसी भी बाह्य कारण से प्रभावित नहीं होना चाहिए ।
229.	31(8)(ए) एवं 31(1) इसे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के नियम 11.1 एवं 11.2 के साथ देखें ।		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 603 (2)	डॉ.एच.के. पेन्टल प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर मनोविज्ञान के रीडर की नियुक्ति संबंधी चयन समिति की एवं कार्यपरिषद की भिन्न राय पर अपने मत की अभिव्यक्ति बगैर कारण बताये कर सकते है ?		नहीं	चांसलर के आदेश सकारण होने चाहिए ।
230.	31(8)(ए) परांतुक एवं 31(4) तथा 68		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 238	विनोद कुमार आनंद प्रति डॉ.ए.डी.शर्मा व अन्य	क्या कार्यपरिषद को चयन समिति की संस्तुति प्रोफेसर की नियुक्ति के बारे में दिये गये चार माह के समय की गणना में चांसलर द्वारा अवरोध		हां	कार्यपरिषद के निर्णय लेने के समय को कम करने का चांसलर को कोई अधिकार नहीं है । इस अवधि के मध्य अगर चयन समिति को निर्णय लेने से रोकने पर वह समय विधि निर्देशित चार माह की गणना

					आदेश का समय निकाला जाना विधि सम्मत है ?			से हटाकर करना होगा और इस प्रकार की चार माह की अवधि में चांसलर ने कोई आदेश पारित कर दिया तो वह विधि विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है ।

231.	31(10)		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1209	डॉ. मोहम्मद सुहेल प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या नियुक्ति संबंधी विज्ञापन के अंर्तगत चयन प्रक्रिया में चयनित न होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन के वैधता पर प्रश्न उठा सकता है ?	अस्वीकार	न्हीं	चयनित न होने के बाद ऐसा करने का अधिकार नहीं है इसके अतिरिक्त धारा 31(10) एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को नहीं दर्शाती ।
232.	31(11)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 167	श्रीमति आशा उपाध्याय प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या वी.सी. किसी नियुक्ति के अनुमोदन को वापस लेने के अधिकारी हैं ?	अस्वीकार	हां	अगर नियुक्ति का अनुमोदन गलत तथ्यों के आधार पर जाली अंकसूची लगाकर लिया गया हो तो वी.सी. का अनुमोदन वापिसी का आदेश पूर्ण विधिसम्मत है ।
233.	31(11)		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 815	वंश गोपाल मिश्रा प्रति कुलपति सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या वी.सी. द्वारा किसी नाम का अनुमोदन इस कारण न किया गया हो कि चयनित नाम में हेर फेर की गई है तब क्या धारा 31(11)(सी) के अंतगत अनुमोदन नहीं देना होगा ?		नहीं	दूसरे नाम का अनुमोदन करना इन परिस्थितियों में पुर्नविलोकन न होगा क्योंकि हेराफेरी के आधार पर कोई अनुमोदन न करने की परिभाषा में नहीं आता है ।

234.	31,49213 इसे सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय के 1985 के पूर्व के संशोधन एवं परिनियम 12. 8 के साथ देखें ।		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 302	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट प्रति वाइस चांसलर सम्पूणांनंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा की जा सकती है ।		हां	वैधानिक रूप से गठित प्रवंध समिति ही नियुक्ति करने की अधिकारी होगी । इस संबंध में वी.सी. को यंत्रवत निर्णय नहीं लेना चाहिए ।
235.	31 एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10116 ऑफ 1987 निर्णित दिनांक 16.11.87	1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1156	डॉ.ए.के.राय प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या चांसलर केवल तकनीकों पर दो दिनों की देरी मात्र से उनकुलपति के चयन समिति अनुसंशा को अनुमोदित न करने के आदेश को निरस्त कर सकते हैं ?	स्वीकार	न्हीं	नियुक्ति संबंधी मामले शैक्षणिक योग्यता के संबंध में होते हें ओर इसमें वी.सी.के दृष्टिकोण उचित महत्व देना आवश्यक है जो कि उच्च शिक्षा के हित में होता हे केवल तकनीक पर निर्णय देकर और वाद के मूल तत्व पर विचार न करना अनुचित हे अतः चांसलर को मामला वापिस कर पक्षों को सुनवाई अवसर देकर मेरिट निर्णित करना उचित होगा ।

236.	35	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12682 (1987) निर्णित दिनांक 30.9. 88.	1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 821 (डी.बी.)	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अतर्रा पीजी. कॉलेज प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी	क्या चांसलर की धारा 35 की अंर्तगत शक्तियां अर्द्धन्यायायिक हैं ? तथा चांसलर अनुमोदन संबंधी दिये गये अपने फैसले पर क्या पुर्नविचार कर सकते हैं ?		हां	अर्द्ध न्यायायिक शक्तियों के प्रयोग करने के कारण अधिनियम में पुर्नविचार का प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए अर्थात 35 के अंर्तगत दिए गये निर्णय पर चांसलर को पुर्न विचार की शक्ति नहीं प्रदत्त की गई है ।
237	35(3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6295 ऑफ 1983 निर्णित दिनांक 21.4. 88	1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1019	चंद्रशेखर मिश्रा प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	सेवा समाप्ति के आदेश के अनुमोदन के पूर्व शिक्षक को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है?		हां	अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है ।
238.	35(2)इसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रथम परिनियम के परिनियम 11. 51 के साथ देखें		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 813	बंशगोपाल मिश्रा प्रति कुलपति सं. सं.वि.वि. वाराणसी	संबंद्ध महाविद्यालय के शिक्षक की सेवा समाप्ति की आदेश के पूर्व कुलपति का अनुमोदन आवश्यक है ?		हां	सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने के पूर्व कुलपति का पूर्वअनुमोदन सेवा समाप्ति की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है अर्थात यह न होने पर आदेश निष्प्रभावी है ।

239.	35(3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10638 (1987) निर्णित दिनांक 26.2.88	1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 457 (डी.बी.)	डॉ.पी.सी. गुप्ता प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या अन्यथा अभिव्यक्ति जो धारा 35(3) में वर्णित है उसकी सीमा वृहद है और उसमें स्तीफा आदि भी आ जाता है ?	स्वीकार	ळां	इस वाक्य का प्रयोग वृहद सीमा तक उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय पी.के.मुखर्जी के केस में जिसका अर्थान्वयन 1984 यू.पी.एल.बी.ई.सी., 183 में किया गया है ।
240.	35(3) 35(2)	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 11923 (1987) निर्णित 22.3.88	1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 526(डी.बी.)	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट एम.जी.एस.एस. महाविद्यालय प्रति वाइस चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या निर्धारित परीवीक्षण काल पर नियुक्त शिक्षक की सेवा समाप्ति बगैर कुलपति के अनुमोदन के की जा सकती है ?	अस्वीकार	नहीं	अधिनियम की धारा 35(3) में वर्णित वाक्य अन्यथा वृहत्तर सीमा में यह सेवा समाप्ति का आदेश कवर्ड है ।
241.	37 37(2), 37(8), 37(9)		1992 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 857	एस.के. अग्रवाल प्रति उ.प्र.राज्य	1. क्या महाविद्यालय की संबद्धता एक बार मिल जाने के बाद पक्षकारों की इच्छा पर ही वह वापस की जा सकती है ? 2. क्या असंबद्धता को तय करते समय उसे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है ?		नहीं हां	1. असंबद्धता केवल नियमों के अंतर्गत ही संभाव्य है । 2. न्यायालय ने तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टिकोण पर विस्तृत विवेचना करते हुए इस मामले को पुर्नविचार के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास वापस भेज दिया ।

242	45(3)		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 442	कु.वंदना तिवारी प्रति उ.प्र. राज्य	क्या अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा दी गई डिग्री को मान्यता बराबरी के आधार पर ही दी जा सकती है ?	स्वीकार	हां	प्रावधान के अंर्तगत किसी भी डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री या इंटरमीडिएट परीक्षा को मान्यता देना विश्वविद्यालय की शक्तियों में निहित है । किन्तु इसका प्रयोग बराबरी के सिद्धांत पर ही किया जा सकता है । अन्यथा वह स्वेच्छिक व गैरकानूनी हो जाएगा ।
243.	45(4)		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1446 एवं 1986 ए. एल.जे. 428	दिनेश कुमार प्रति प्राचार्य मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद	क्या छात्रता संबंधित विषय विस्तृत हैं और हर प्रकार से संबंधित हैं ?		नहीं	धारा 45(5) हर स्थिति को वर्णित नहीं करती और छात्र संबंधी निर्णय हर केस के तथ्यों पर आधारित होगा ।
244.	51 रूहेखंड विश्वविद्यालय के अध्यादेश नं. 5(9) के साथ देखें ।		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 737	डॉ. एन.एस. चौधरी प्रति रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली	क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज के संयोजक के पद पर नामित करने के लिए विषय में अनुभव होना चाहिए तथा अनुसंधान कराने का भी अनुभव होना चाहिए?		हां	पी.एच.डी. शिक्षक के बारे में रिर्सच का अनुभव अपने आप मान लिया जाना चाहिए ।

245.	57 एवं 58		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1599	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जनता डिग्री कॉलेज मऊ रानीपुर प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	क्या प्राधिकृत नियंत्रक के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के पूर्व सुनवाई का अवसर देकर सकारण आदेश पारित किया जाना आवश्यक है ?		हां	अधिनियम की धारा 57, 58 की कोई भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है प्रबंध तंत्र को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए अगर आवश्यक हो तो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ।
246.	58(1) परांतुक 3		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1110	कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर.पी.डिग्री कॉलेज कमालगंज प्रति उ.प्र.राज्य	क्या प्राधिकृत नियंत्रक को हटाने का आदेश तब भी पास किया जा सकता है जबकि उसकी नियुक्ति करने की पर्याप्त कारण मौजूद रहें ?		हां	अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग प्रबंधन के सुचारू रूप तथा महाविद्यालय के हित में ही किया जाना चाहिए ।
247.	58 एवं 13		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 734(एस.सी.)	डॉ. श्रीमति कुन्तेश गुप्ता प्रति प्रबंध समिति एच.के. महाविद्यालय	क्या अधिनियम में कुलपति को अपने पूर्ववर्ती आदेश का पुनर्वीक्षण करने का अधिकार है ?			प्राधिकृत नियंत्रक के आदेश का अनुमोदन न करते हुए प्राचार्य को पुनः पद पर पुर्नस्थापित करने के आदेश को पुर्नवीक्षण की शक्ति न होने के कारण कुलपति द्वारा फिर नहीं देखा जा सकता है ।

248.	60(ए) एवं 60(ई) इसे उ.प्र. एजूकेशन कोड 319 के साथ देखें		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 617(2)	ए.ए.अंसारी प्रति उ.प्र.राज्य	क्या 60(ए) और 60(ई) अल्पसंख्यक समुदाय के महाविद्यालय के प्रबंधन में दखलंदाजी करते हैं ?		न्हीं	वेतन शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को देने का भार केवल उन्ही कर्मचारियों तक सीमित है जो धारा 60(ए) में परिभाषित एवं कर्मचारी की व्याख्या में आते हैं ।
249.	60(ए)(1) एवं 60(एफ)		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 237 (2)	वी.एस.तिवारी एवं उ.प्र.राज्य	क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक का वेतन न देने का भार राज्य सरकार का है ?		हां	महाविद्यालय धारा 60(ए)(1) के अंर्तगत आता है अतः शिक्षक के वेतन का भार राज्य सरकार का है ।
250.	60(ए) (6)		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1561(2)	सी.एल. रस्तोगी प्रति उ.प्र.राज्य	क्या 31.03.1975 के पूर्व मौलिक पद का सृजन करके कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके शिक्षक की नियुक्त विधिवत चयन प्रक्रिया अपनाकर विधिसम्मत है ?		हां	निदेशक उच्च शिक्षा से अनुमति लेने की अनिवार्यता अधिनियम में नहीं है अतः ऐसी नियुक्ति शिक्षक की मौलिक पथ पर विधिसम्मत ही मानी जायेगी ।
251.	60(ई)		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 313	डॉ.सूबे सिंह प्रति प्रबंध समिति आर.एम.पी.पी. एम. गुरूकुल नर्सनसहारनपुर	क्या विद्यालय के शिक्षक के वेतन के भुगतान का भार राज्य सरकार का है ?		हां	प्रबंध तंत्र एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के आपसी विवादों के कारण शिक्षक को वेतन न दिया जाना अनुचित है अतएव संविधान की धारा 226 के अंर्तगत वेतन देने का निर्देश पारित किया गया ।

252.	60, 35(2)एवं 35(3) इसे मेरठ विश्वविद्यालय के परिनियम 17.4 एवं 17.6 तथा इंडियन एवीडेन्स एक्ट 1872 की धारा 114(जी) के साथ देखें ।		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 458	डॉ. पी.सी. गुप्ता प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा इस्तीफा भेजे जाने का खंडन करने पर विना मूल पत्र को देखे इस्तीफे का अनुमोदन करना विधिसम्मत होगा ?		नहीं	जव इस्तीफे की सत्यता का खंडन प्राचार्य द्वारा ही किया जा रहा है तो उनके द्वारा तथाकथित इस्तीफा जो पहले भेजा गया था उसकी सत्यता पर शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है अतः मूल पत्र का अन्वेषण कोई निर्णय लेने के पहले आवश्यक है ।
253.	66 विनियम 3 विश्वविद्यालय के कैलेंडर 1968 एवं धारा 66		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 361	डॉ. एन.डी. टहलयानी प्रति डॉ.आर.पी. मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या कोरम केवल प्रक्रिया मात्र है ? इससे विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय को लिये जाने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय मेरिट पर नहीं लिया जा सकता है ।		नहीं	धारा 66 में स्पष्ट उल्लेख है कि विश्वविद्यालय या उसके अंर्तगत कोई कमेटी और अन्य अधिकारीगण का आदेश रिक्ति की वजह से केस की मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा ।

254.	68		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1572 लखनऊ बेंच	डॉ. पी.डी. शुक्ला प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर चयन समिति की अनुसंशाओं पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंर्तगत आदेश करते हैं ?		नहीं	प्रावधानों के अंर्तगत चांसलर चयन समिति की अनुसंशा को नियम अनुसार उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने में सक्षम है और संदर्भ का निर्णय करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं ।
255.	68		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 328	श्रीमति सुधा सिंह प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर धारा 68 के प्रावधानों के अंर्तगत कुलपति के आदेश को सुओमोटो निरस्त कर सकते हैं ?		नहीं	प्रावधानों के अंर्तगत नियमों में चांसलर को ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है जिससे वह स्वतः कुलपति के आदेश को निरस्त कर सके । चांसलर केवल संर्दभ का निर्णय अधिनियम की धारा 68 के अंर्तगत कर सकते हैं ।
256.	68		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1504	अनिल कुमार प्रति प्राचार्य एम. एम.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर एवं अन्य	क्या बगैर सुनवाई का अवसर दिये और कारण बताये बगैर छात्र का निष्कासन उचित है ?		नहीं	नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित आदेश को सीधे चुनौती दी जा सकती है और वैकल्पिक उपचार ऐसी याचिका में बाधक न हो ।

257.	68		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 874	डॉ. वीरेन्द्र कुमार दीक्षित प्रति उपकुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या शिक्षक की नियुक्ति सीधे संविधान की धारा 226 के अंर्तगत चुनौती योग्य है ?		नहीं	धारा 68 के प्रावधानों में ऐसी चुनौती संभाव्य है अतएव रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती ।
258.	68		1989 यू.पी. एल.बी.ई.सी. 237 (2)	वी.एस.तिवारी प्रति उ.प्र.राज्य	क्या सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के पूर्वानुमोदन द्वारा नियुक्त शिक्षक सेवा से एडहॉक होने के आधार पर पृथक किये जा सकते हैं ?		नही	कुलपति के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश बगैर कुलपति के अनुमोदन के नहीं हो सकता और नियुक्ति के स्वरूप को चांसलर के समक्ष या सिविल सूट में चुनौती दी जा सकती है । ऐसे शिक्षकों को एप्रूवल बने रहने तक वेतन पाने का अधिकार हैं ।
259.	68		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 478	संजय भटनागर प्रति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 के प्रावधानों के अंर्तगत चांसलर विश्वविद्यालय की उपसमिति के निर्णय में भी संशोधन कर सकते हैं ?		हां	चांसलर की धारा 68 के संदर्भ में निर्णय लेने की वृहद क्षमता है ।

260.	68 इसे लिमिटेशन एक्ट 1973 की धारा 5 के साथ देखा जाए		1992 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 319	डॉ.एस.एन. शर्मा प्रति आर.बी.सिंह कॉलेज आगरा	क्या कुलपति के समक्ष प्रत्यावेदन धारा 5 की अर्जी के साथ दाखिल किया जा सकता है ?		हां	धारा 5 के अंर्तगत दिए गये कारणों पर निर्णय न देने पर आदेश त्रुटि पूर्ण हो जाता है अतएव निरस्त करने योग्य है ।
261.	68		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 720	चौधरी आर. एन.चंद्रा प्रति चांसलर सं. सं.वि.वि. वाराणसी	क्या धारा 68 के प्रावधानों में संदर्भ पहुंचने के बाद अंतरिम स्थगन आदेश चांसलर द्वारा पारित किया जा सकता है ?		हां	कुलपति के आदेश के विरुद्ध धारा 68 के अंर्तगत संदर्भ लंबित होने पर चांसलर द्वारा स्थगन आदेश दिया जा सकता है धारा 68 के प्रावधान सम्पूर्ण एवं विस्तृत हैं ।
262.	68		1989 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 473	डॉ. सुरेश चंद्र चौबे प्रति चांसलर काशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या संदर्भ होने पर अंतरिम आदेश केवल चुनाव संबंधी विवादों में ही पारित किया जा सकता है?		हां	अन्य मामलों में धारा 68 के अंर्तगत अंतरिम स्थगन आदेश नहीं पारित किया जा सकता जैसे नियुक्ति या सेवासमाप्ति ।
263.	68		1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 179	एम.वी.एस. परिषद प्रति चांसलर आगरा वि.वि.	क्या चांसलर प्रत्यावेदन को गलत विधिक आधार पर तय कर सकते हैं ?		नहीं	प्रत्यावेदन सुनवाई के अवसर के पश्चात विधिसम्मत सिद्धांतों पर आधारित कारणों सहित होना चाहिए । अन्यथा वह उच्च न्यायालय द्वारा खंडित करने योग्य हो जाएगा ।

264.	68		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 112	मैनेजिंग कमेटी डी.ए. बी. कॉलेज मुजफ्फर नगर प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर को धारा 68 के प्रत्यावेदन पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने का अधिकार है ?		ळां	स्थगन आदेश न दिये जाने के कारण अगर यह बताया गया है कि धारा 68 में चांसलर को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है तो वह नितांत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि चांसलर को न्याय के हित में ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है ।
265.	68		1985 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1572 लखनऊ बेंच	डॉ. पी.डी. शुक्ला प्रति चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय	क्या चांसलर को धारा 68 में अधिनियम के अंतर्गत निर्देशीय प्रावधान के उल्लंघन पर हस्तक्षेप का अधिकार है ?		हां	न्याय हित में चांसलर धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत वृहत्तर क्षेत्राधिकार के स्वामी हैं ।
266.	68(ए)(2), 35(2),13(4) इसे आगरा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम 12. 32 के साथ देखें ।		1990 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 999	प्रबंध समिति कुंअर आर. सी.महिला डिग्री कॉलेज मैनपुरी प्रति उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय	क्या चांसलर धारा 68 के अंतर्गत अपारित अपने आदेश का अनुपालन करा सकने में सक्षम है ?		हां	धारा 68 (ए) (2) के अंतर्गत चांसलर को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न्याय हित में करा सकते हैं ।

267.	69		1987 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 478	संजय भटनागर प्रति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 69 में वर्णित प्रतिबंध उपसमिति द्वारा परीक्षाफल निरस्त करने के आदेश पर जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है, लागू होता है?		नहीं	अवैध आदेशों को दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।
268.	इसे परिनियम 11. 14 विश्वविद्यालय अधिनियम एवं उच्च शिक्षा सेवा आयोग शिक्षकों की चयन प्रक्रिया विनियम 1983 विनियम 6 के साथ देखें		1991 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1037	डॉ.धर्मेन्द्र गुप्ता प्रति उ.प्र.राज्य	परिनियमों मे दी गई योग्यताऐं संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति हेतु क्या स्वतः शिथिल हो जाती हैं?		नहीं	इम्पलाईड रिलेक्सेशन का सिद्धांत शैक्षणिक योग्यताओं जो सेवा प्राप्ति के लिए दी जाती है उसमें किसी भी प्रकार की ढील संभव नहीं है क्योंकि अधिनियम का उद्येश्य उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखना है ।

269.	परिनियम संख्या 133 सन् 73 के अधिनियम में वर्णित प्रथम विनियम		1988 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1125	वशिष्ठ लाल श्रीवास्तव एवं अन्य प्रति श्री बद्री नारायण जायसवाल एवं अन्य	क्या प्रबंध समिति के विवाद कुलपति तय कर सकते है?	अस्वीकार	हां	कुलपति के निर्णय के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में दावा दायर किया जा सकता है तथा समादेश याचिका पोषणीय है ।
270.	31(3) एवं 31(10)इसे उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग एक्ट 1980 के सेक्शन (2) (ए), 12, 16 एवं 30 के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2925 (1990) निर्णित दिनांक 5.10. 93	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2018 (3) (डी.बी.)	डॉ. मानसिंह प्रति प्रबंध समिति राजा बलवंत सिंह कॉलेज	1. क्या छुट्टी लिये जाने के द्वारा हुई रिक्ति पर महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(3) के अंतर्गत होगी ? 2. क्या गलत तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर की गई नियुक्ति "एलाउड टू कंटीन्यू" जारी रह सकती है ?	अस्वीकार	नहीं नहीं	1. यह नियुक्ति उच्च सेवा आयोग 1980 की धारा 16 के अंतर्गत माना जायेगा क्योंकि कमीशन, एक्ट के आ जाने के पश्चात महाविद्यालय में उच्च शिक्षक वर्ग की नियुक्ति उसी अधिनियम के अंर्तगत और वहां स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं लगेगा (न्यायालय में 1989 ए. डब्लू.सी., 754 डॉ. कृष्णा सिन्हा प्रति यू.पी. हायर एजूकेशन सर्विस कमीशन एवं अन्य को आधार बनाया) 2. न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, एशियाटिक इंजीनियरिंग कंपनी प्रति अछरू राम एवं अन्य ए. आई.आर. 1951 इलाहाबाद 746

271.	13(1), 13(4) एवं 58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 28336 (1993) निर्णित दिनांक 13.1. 94	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 301(1)	डॉ. एस.के. दासगुप्ता प्रति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या कॉलेज एसोसिएशन के बैंक एकाउंट का प्रयोग करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश प्राचार्य के विरूद्ध जारी हो सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	जनहित याचिका के अंर्तगत एसोशिएशन या सोसायटी के विवाद में उच्च न्यायालय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58 के अंर्तगत राज्य सरकार इस विवाद को देख सकती है ।
272.	27(6) इसे आगरा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम संख्या 2 एवं 20 के साथ देखें । संविधान का अनुच्छेद 14	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 30768 (1993) निर्णित दिनांक 16.2. 94	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 536 (डी.बी.)	डॉ. के. कालरा प्रति प्राचार्य एस. एन.मेडिकल कॉलेज आगरा	1. क्या आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष की कोई पोस्ट है ? 2. याची को विभागध्यक्ष का चार्ज सौंपने के आदेश के पश्चात् उसे पद से मुक्त करने के पूर्व सुनवाई का अवसर देना क्या आवश्यक है ?	स्वीकार	हां ळां	1. धारा 27(6) में वर्णित विश्वविद्यालय में शिक्षण केवल विश्वविद्यालय के प्रांगण तक ही नहीं वरन यह विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में तथा संबद्ध महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्य को भी अपने में समिटता है मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार मेडिकल के हर विभाग में एक विभागाध्यक्ष होना आवश्यक है जो प्रोफेसर के पद पर होगा और विभाग के उकत विषय में जिसका वह प्रोफेसर है पूर्ण नियंत्रण रखेगा 2.सुनवाई का अवसर न देने के कारण मुक्त करने का आदेश जारी नहीं रह सकता और खंडित करने योग्य है ।

273.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 40797 (1993)निर्णित 9.11.93	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 122(1)	डॉ नमिता अग्रवाल प्रति डायरेक्टर मेडिकल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग	क्या शासनादेश दिनांक 9.10.90 द्वारा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की योग्यता निर्धारित की गई है अथवा प्रवेश का अधिकार ?	अस्वीकार	हां	1992 के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में जुलाई में प्रवेश लेने के पश्चात अप्रेल 93 में ए.आई.आई.एम.एस. के आरक्षित स्थान के रिक्त होने पर याची उसमें प्रवेश पाने का अधिकारी नही है क्योंकि इससे 93 बैच में सीट बढ़ जाऐंगी तथा राज्य के उपर अतिरिकत रिक्त वित्तीय भार बढ़ जायेगा ।
274.	50 (1) (बी) एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम के 11.13 (5) के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 36827 (1992) निर्णित दिनांक 22. 1293	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 402 (डी.बी.)	डॉ. अब्दुल खान प्रति उ.प्र.राज्य	1. क्या 2.10.87 को स्थापित पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस से गोरखपुर विश्वद्यिालय के परिनियम लागू रहने पर उनमें किया गया संशोधन सन् 1989 में चयन समिति की शैक्षणिक योग्यता में ढिलाई करने का अधिकार छीनता है ? 2. विधानमंडल शब्दों का उचित प्रयोग	अस्वीकार	नहीं हां	1. पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम प्रभावी रहेंगें लेकिन बाद में इनपरिनियमों में संशोधन किये जाने पर शासनादेश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय पर लागू होने का निर्देश नहीं है अतः संशोधन चयन समिति की शैक्षणिक योग्यता में ढील देने की क्षमता को समाप्त नहीं करता है । 2.

					करती है ओर कोई भी शब्द अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता ? 3.क्या चयन समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन कुलपति द्वारा मात्र औपचारिकता है ?		नहीं	3. उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि कुलपति प्रस्ताव के आधार पर एवं शैक्षणिक योग्यता आदि पर विचार करते हुए ही अनुमोदन दें या अस्वीकार करें ।

275.	68, 69 तथा सी.पी.सी. की धारा 1 के, मेरठ कॉलेजिएट, एशोसिएसन रूल 25	सिविल रिवीजन नं. 555 (1993)निर्णित दिनांक 22.11. 93	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 19	अरविन्द नाथ सेठ प्रति नागेन्द्र चंद जैन	क्या अतिरिक्त सचिव के कार्यकाल के विषय में अवैतनिक सचिव द्वारा दिया गया आदेश कॉ.एसो. या किसी के द्वारा दीवानी न्यायालय में लाया जा सकता है?	अस्वीकार	हां	दीवानी न्यायालय को हर विवाद को तय करने का क्षेत्राधिकार है जब तक कि किसी वैध अधिनियम द्वारा कोई विशेष प्रतिबंध न हो ।
276.	31(4) एवं 66 इसे सेक्शन 99 एवं 99(ए) सी.पी.सी. के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नंबर 2003 (1994) निर्णित दिनांक 11.2. 94	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 787(डी.बी.)	मो.सुहेल प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर का चयन ही हो जाने के बाद चयन समिति में पाई गई त्रुटि उसके द्वारा किये गये चयन को प्रभावित करती है और क्या कुलपति उसे बिना कारण बताये आदेश से निरस्त कर सकता है?	स्वीकार	नहीं	कुलपति को अपने आदेश में निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण स्पष्ट करने होंगें धारा 66 में स्पष्ट कर दिया है कि चयन समिति के गठन में किसी भी प्रकार की अनियमितता उस समिति द्वारा किये गये किसी भी चयन को प्रभावित नहीं करेगी कुलपति ने अपने आदेश में धारा 66 का उल्लेख तक नहीं किया है अतः उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

277.	35(2)एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11336 (1986) निर्णित दिनांक 9.9.91	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1253 (2)	प्रबंध समिति बलवंत विद्यापीठ रूरल इंस्टी. आगरा एवं प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को सेवा से पृथक किये जाने के आदेश पर कुलपति द्वारा अनुमोदन दिये जाने के बाद चांसलर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया जाना इस आधारा पर कि कुलपति ने कारण नहीं दिए हैं उचित है ?	अस्वीकार	नहीं	अनुमोदन जो कुलपति द्वारा दिया जाता है वह विधिसम्मत होना चाहिए और कुलपति के धारा 35(2) में अर्द्धन्यायिक अधिकारी होने के कारण कुलपति को अपने निर्णय के साथ कारण भी देने होंगें ।
278.	57(3), (4) एवं 58(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 38286 (1993) निर्णित दिनांक 9.12. 93	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1167 (2)	प्रबंध समिति दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद प्रति उ.प्र.राज्य	क्या प्रबंध तंत्र को निलंबित करने एवं अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पूर्व दिये जाने वाले कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित आदेश के आधार बताना आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	ऐसा न करना धारा 57 एवं उसके उपबंधों के विपरीत होगा।

279.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11336(1986) निर्णित दिनांक 9.9.91	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1254 (2)	प्रबंध समिति वी.वी.आर. आई. आगरा अन्य प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय	क्या नोटिस के साथ अधिकारियों को प्रत्यावेदन की प्रतिलिपि उनके पैरावाइज कमेंटस के लिए भेजा जाना नैसर्गिक न्याय का पर्याप्त अनुपालन है ?	अस्वीकार	हां	पैरावाइस कमेंट मांगना स्वयं ही अवसर प्रदान करना है अतएव अधिकारियों द्वारा यह कहना कि उन्हे पर्याप्त अवसर नहीं मिला है असत्य है
280.	उ.प्र.स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट प्रथम परिनियम 4(6) के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8570 (1993) निर्णित 13.8.93	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1178 (2)	सुशील शर्मा प्रति मैनेजर श्री दैवी संपद आध्यात्म महाविद्यालय	महाविद्यालय के लिपिक को कुछ आरोपों के कारण बर्खास्त कर दिया गया ओर इस आदेश का पूर्वानुमोदन निदेशक उच्च शिक्षा से नहीं लिया गया जो कि प्रत्येक दृष्टिकोण से आवश्यक था । इन परिस्थितियों में पारित आदेश उचित है या नहीं ।	स्वीकार	नहीं	परिनियम का उल्लंघन होने के कारण इस आदेश को निरस्त करना ही उचित है ।

281.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 40048 (1993)निर्णित 15.3.94	1994 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1518 (3)	टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसो. एम. एल.एन.आर. इंजी.कॉलेज इलाहाबाद प्रति कनवीनर स्टीयरिंग कमेटी	क्या धारा 68 के संदर्भ में चयन समिति के चयन में हुई अनियमितता का प्रश्न उठाया जा सकता है?	अस्वीकार	हां	धारा 68 में संदर्भ ही उचित है और रिट या याचिका पोषणीय नहीं है ।
282.	35(4) रीड विथ परिनियम संख्या 15.4 एवं 15.7	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 39578 (1994) निर्णित दिनांक 16.12. 94	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 385(डी.बी.) एवं 1995 ई.एस.सी. 540(1)	पं.जवाहर लाल नेहरू कॉलेज बांदा प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	क्या कुलपति प्रबंध समिति के निलंबन आदेश को शिक्षक के शराब पीने के दुराचरण के फलस्वरूप बगैर समिति को सुनवाई का अवसर दिये निरस्त कर सकता है ?	स्वीकार	न्हीं	सार्वजनिक स्थल पर नशे में दुव्यर्वहार के आरोपी शिक्षक को प्रबंध तंत्र परिनियम के अंर्तगत चार सप्ताह को निलंबित कर सकता है यह आदेश कुलपति, समिति कसे सुने बगैर निरस्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा की शुचिता से जुड़ा हुआ है शराबी शिक्षक को विद्यालय में आने देना उचित नहीं है ।

283.	31(ए) गोरखपुर विश्वविद्यालय परिनियम 18. 5 (ए) के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 40586 (1994) निर्णित दिनांक 6.3.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 534(1)(डी.बी.)	सुभाष चंद्र बोस प्रति चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या धारा 31(ए) के अंतर्गत पर्सनल प्रमोशन द्वारा रीडर के पद पर प्रोन्नत होने वाली अभ्यर्थी अन्य लोगों से वरिष्ठता के क्रम में आगे होगा ?	स्वीकार	न्हीं	वरिष्ठता के क्रम में प्रोन्नति पाये वरिष्ठ अध्यापक पर्सनल प्रमोशन स्कीम के तहत प्रोननति पाये व्यक्ति से आगे ही रहेंगें ।
284.	28(5) डेटिस एक्ट 1948 धारा 10(ए) के साथ	सिविल अपील नं.6078 (1994) निर्णित दिनांक9.9.94	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 135 (एस.सी.)	उ.प्र.राज्य एवं अन्य प्रति प्रवीण कुमार शर्मा	क्या बी.डी.एस.कोर्स में स्थानांतरण या माइग्रेशन के द्वारा दाखिला राज्य सरकार के शासनादेश के अंतर्गत हो सकता है ?	स्वीकार	हां	डेंटिस्ट एक्ट की धारा 10(ए) की धारा के अंर्तगत उ.प्र. में शासन डेन्टल कॉलेज के अंर्तगत ट्रांसफर या माइग्रेशन द्वारा सीट भर सकता है किन्तु प्रतिबंध इस बात का रहेगा कि उपरोक्त दंत शैक्षणिक संस्थान अपनी सीटें नही बढ़ा सकता । सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार यह देश में सद्भाव बढ़ाने की दिशा में उचित कदम है ।
285.	35(2) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 17. 07 एवं	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 36475 (1994) निर्णित दिनांक 24.11. 1994	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 284 (डी.बी.)	बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलाहाबाद एग्री.इंस्टी. प्रति उपकुलपति	क्या कुलपति महाविद्यालय के जांच के दौरान शिक्षक के विरूद्ध निलंबन आदेश को खंडित कर सकते हैं ।	स्वीकार	न्हीं	बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर को सुने ऐसा आदेश खंडित नहीं किया जा सकता विशेषतया जबकि महाविद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग का हो ।

	आर्टिकल 11 मेमोरंडम ऑफ एसो. ऑफ इलाहावाद एग्री.इंस्टी.			इलाहाबाद विश्वविद्यालय	स्वीकार नहीं			

286.	2 (13)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 39578 (1994) निर्णित दिनांक 16.12.94	1995 यू.पी.एल. वी.ई.सी. 385 (1)	ज्वाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	क्या निलंवन आदेश जिसे प्रबंध समिति ने पारित किया हो को कुलपति प्राचार्य को सुने वगैर गलत तथ्यात्मक निष्कर्षो पर निस्तारित कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	प्रबंधतंत्र के अधिकारों को सीमति नहीं किया जा सकता है तथा ऐसा प्रार्थी जो प्रबंध समिति से तनख्वाह लेता रहा हो यह नहीं कह सकता है कि प्रबंध समिति का टर्म समाप्त हो गया था और फौजदारी न्यायालय में लंबित वाद भी समाप्त हो गया था ।
287.	49 पैराग्राफ नं.16.24 (3), 16.24 (5) और परांतुक 17.13	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37155 (1994) निर्णित दिनांक 13.12.94	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 436 (1)	पारसनाथ पांडे प्रति डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर ऑफ स्कूल	क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक को वर्ष के अंत तक रिटायरमेंट के पश्चात् पढ़ाने का अधिकार है ?		हां	चाहे विश्वविद्यालय का शिक्षक हो या संबद्ध महाविद्यालय का इस लाभ के अधिकारी दोनो पक्ष बराबरी पर आते हैं ।
288.	51	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 38274 (1994) निर्णित दिनांक 14.2.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 667 (1)(डी.बी.)	पारसनाथ पांडे प्रति डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर ऑफ स्कूल	क्या शिक्षण सत्र के मध्य प्राचार्य के रिटायर हो जाने पर वे सत्र के अंत तक कार्यरत रह सकते हैं ?	अस्वीकार	नहीं	परिनियमों में संशोधन के बाद सत्र के अंत तक अध्यापक को पुनः नौकरी में रहकर शिक्षण संत्र के उपरांत ही रिटायर होने की व्यवस्था है । यह प्रक्रिया उच्च शिक्षा की निरंतरता एवं उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है किन्तु प्राचार्य इस लाभ के अधिकारी नहीं है ।

289.	31, 12(1), 12(2), 12(4), (6), 31(ए), उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग 1980	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7282 (1984) निर्णित दिनांक 12.10.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1932 (3) (डी.बी.)	श्रीमति माया गोयल प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	1.क्या प्रबंध तंत्र संवद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक एवं प्राचार्य की तदर्थ नियुक्ति अभी भी कर सकता है ? 2. तदर्थ प्रवक्ता के पद पर कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति पर क्या वह बर्खास्त किया जा सकता है ।	निर्देश दिए गये निर्णय नहीं ।	हां नहीं		1. उच्च शिक्षा आयोग को नियुक्ति करने में समय लगता है अतः उस मध्य शिक्षण काल में वाद न आने पावे इसलिए संवद्ध महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र तर्दथ नियुक्ति ब तक के लिए कर सकता है जब तक की उच्च शिक्षा आयोग उस रिक्त स्थान के लिए संस्तुति करके न भेज दे । 2.जब तक की उच्च शिक्षा आयोग नियमित चयन करके उक्त रिक्त पद हेतु भरने हेतु संस्तुति न करें तब तक तर्दथ शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता है ।
290.	31(सी), उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग एक्ट	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7282 (1984) निर्णित दिनांक 12.10.96	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1931 (3)	श्रीमति माया गोयल प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	क्या तर्दथ शिक्षक का नियमितिकरण 3.1.94 के पश्चात की गई नियुक्तियों पर ही संभव है ?	निर्देश दिये गये निर्णय नहीं ।	हां		यह लाभ उन शिक्षकों को ही उपलब्ध है जिनकी नियुक्ति धारा 31(सी) के प्रावधानों के अंर्तगत हुई है और अगर वे स्थाई रूप से 30.6.92 तक नियमित नहीं हो जाते हैं तो स्वतः सेवा से पृथक हो जाएंगे ।

291.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 39628 (1993) निर्णित दिनांक 16.8.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1799 (3)	संकटाप्रसाद प्रसाद प्रति चांसलर सं. सं. विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या चांसलर धारा 68 में नियुक्ति के अनुमोदन संबंधी मामले में विवाद को यह जाने बगैर कि नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, पर अपना निर्णय दे सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	रिक्त स्थान को भरने के लिए विज्ञापन चयन प्रक्रिया एवं कुलपति का अनुमोदन महत्वपूर्ण अंग है अतः चांसलर इन सबको देखे विना कुलपति द्वारा दिये गये अनुमोदन को निरस्त नहीं किया जा सकता ।
292.	28 एवं 45 अध्यादेश गोरखपुर विश्वविद्यालय भाग ए–1 पैरा 1, 2	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 508 (1995) निर्णित दिनांक 7.12.95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1948 (1)	समीर कुमार सिंह प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति जिसका गठन धारा 28 के प्रावधानों के अंर्तगत होता है ऐसे निर्देश दे सकती है । जिससे कुछ विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित हो ?		नहीं	धारा 28 के अंर्तगत गठित कमेटी को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और न ही यह कमेटी किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को अवांछनीय तत्व घोषित कर सकती है ।
293.	31, 27, 219 इसे परिनियम 13.02, 13.01 प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30897 (1995) निर्णित दिनांक 4.1.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 306, (1996) (1) ई.एस.सी. इलाहाबाद 271	विश्वास अग्रवाल प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या खंड 12 के अंर्तगत विश्वविद्यालय के अध्यापक के लड़के या लड़की के प्रवेश का लाभ मोती लाल नेहरू इंजी.	अस्वीकार	न्हीं	धारा 2(19) कें अंर्तगत विश्वविद्यालय के शिक्षक की परिभाषा दी गई है जिसके अंर्तगत इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवक्ता आदि नहीं आते हैं क्योंकि वह विश्वविद्यालय द्वारा

	इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं खंड 12 बी.कॉम. –प्रथम पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी				कॉलेज के प्रवक्ता के लड़के को उपलब्ध है ।			पोषित संस्थान नहीं है अतः उनके लड़के एवं लड़कियां इस प्रवेश के लाभ से वंचित रहेंगें ।

294.	58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9343 (1981) निर्णित दिनांक 8.1.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 488 (डी.बी.), 1996 (1) ई.एस.सी. 561 इलाहाबाद	डॉ. बी.एस. गोयल प्रति मेरठ विश्वविद्यालय	क्या कुलपति अनुमोदन अस्वीकार करने के बाद सेवा समाप्ति के आदेश पर पुर्न विचार कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	यह कुलपति के क्षेत्राधिकार के परे है । क्योंकि वे सेवा समाप्ति या नियुक्ति के मामलों में अर्द्धन्यायिक रूप से निर्णय लेते हैं और उन्हे अपने पूर्वादेश का पुर्नवीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसके अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी किया जाना आवश्यक है ।
295.	61(डी) (1) एवं 60 (डी) (3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 25698 (1995) निर्णित दिनांक 8.11. 95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 261 (1) 1996 (1) ई.एस.सी. 93 इलाहाबाद	प्रबंध समिति हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज कानपुर प्रति डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन व अन्य	क्या उपनिदेशक शिक्षा महाविद्यालय के एकाउंट का एकल ऑपरेशन के अंतर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करके ला सकता है । बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किये ?	स्वीकार	नहीं	नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध सुनवाई का अवसर न देकर पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नहीं होता है ।
296.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19104 (1995) निर्णित दिनांक 16.8. 95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 587 (1) (डी.बी)	डॉ. आनंद प्रकाश मिश्रा प्रति चांसलर इलाहाबाद	क्या चयन समिति द्वारा बनाये गये पैनल में विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के रीडर पद पर	स्वीकार	ळां	चांसलर ने अपने संदर्भादेश में भी इस प्रकार की नियुक्ति का आदेश किया है जिसको मानने के लिए विश्वविद्यालय वाध्य है ।

				विश्वविद्यालय	नियुक्ति के लिए प्रस्ताव में 1 एवं 2 नंबर के अभ्यर्थी के पदग्रहण न करने पर पैनल के अन्य लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए ?			

297.	2(18), 2(19), 49(डी)उ.प्र. सी.एस. रेग्यूलेशनस, विनियम 45 (ए) और 56 (ए)	सिविल अपील नं. 2559 (1996) निर्णित दिनांक 11.1.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 851 (2) (एस.सी.)	उ.प्र.राज्य प्रति डॉ. रमेश प्रसाद	क्या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है ?	स्वीकार	नहीं	उ.प्र. के चिकित्सा संस्थानों में नियुक्ति चिकित्सकों की सेवाऐं राज्य सेवा नियमों से संचालित है अतः वे 58 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त किये जायें व उच्च न्यायालय का आदेश एक्सफेसी है ।
298.	12(2), 12 (13), 13(6), 13(7), 13(8), 20 एवं 21	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8850 (1995) निर्णित दिनांक 9.5.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 818 (2) (डी.बी.)	प्रो.बी.एस. राजपूत प्रति चांसलर हेमवती नंद बहुगुणा विश्वविद्यालय , श्रीनगर, गढ़वाल	क्या जांच के आदेश के साथ चांसलर महोदय, कुलपति को शक्तियों का प्रयोग करने से रोक सकते हैं ?	आंशिक रूप से स्वीकार	नहीं	चांसलर केवल कुलपति तथा कार्यकारी परिषद की जांच का आदेश दे सकते हैं किन्तु विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान उन्हे कुलपति के अधिकार सीमित करने या रोकने की शक्ति नहीं देते हैं ऐसा आदेश गैर कानूनी होगा
299.	58(2) एवं 57	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 4568 (1995) निर्णित दिनांक 27.3.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 790 (2)	प्रबंध समिति चौधरी छोटू राम पी.जी. कॉलेज प्रति उ.प्र.राज्य	क्या राज्य सरकार प्रबंध समिति को निलंबित करते हुए आदेश के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ नोटिस में तात्कालिक कारण स्पष्ट कर सकती है ? (1979 ए.एल.जे., एन. ओ.सी., 23, डी.बी.)	अस्वीकार	हां	धारा 58(2) के अंर्तगत राज्य सरकार नोटिस जारी करने के साथ ही अन्य तात्कालिक कार्यवाही जैसे निलंबन भी विद्यालय व शिक्षण के हितों में पारित कर सकती है वशर्ते उसका समुचित आधार व कारण लिखित रूप में कर दिया जाये ।

300.	60(ई) संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 30(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10584 (1994) निर्णित दिनांक 26.5.95	1995 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1097 (2) (डी.बी.)	शशांक चौधरी प्रति गंगा प्रसाद यादव	क्या ईसाई अल्प संख्यक इंजीनियरिंग संस्थान में ईसाई छात्रों का आरक्षण 50 प्रतिशत के उपर हो सकता है ?	अस्वीकार	न्हीं	अल्प संख्यक विद्यालयों में अल्प संख्यक छात्रों के 50 प्रतिशत के उपर आरक्षण नहीं किया जा सकता अनारक्षित सीटों में मैरिट के आधार पर प्रवेश देना होगा । आरक्षित कोटे से अधिक पर प्रवेश पाये छात्र का दाखिला विधि विपरीत होने के कारण खंडित कर दिया गया और याचिका में नोटिस के बाद भी कंटेस्ट न करने से उसे कोई लाभ लेने का भी अधिकार नहीं है ।
301.	28(बी), सविधान के अनुच्छेद 14 के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 45189 (1992) निर्णित दिनांक 15.2.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1313 (2)	डॉ. राजेश नाथ पांडे प्रति उ.प्र.राज्य	क्या पी.जी.मेडिकल कोर्स में प्रवेश परीक्षा 50 प्रतिशत से कम नंबर पाने पर भी दाखिला हो सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक दाखिले के लिये आवश्यक हैं और अधिसूचना धारा 28(बी) भी इसी मत को पुष्ट करता है । याची से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम अंक पाये 16 विद्यार्थियों को भी दाखिला नहीं दिया गया है ।

302.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 45189 (1994) निर्णित दिनांक 7.2.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 100. (2)	डॉ. मदन गोपाल राय प्रति प्राचार्य बी. आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	क्या विद्यार्थी पी.जी. मेडिकल कोर्स के प्रथम वर्ष के बाद भी अन्य अपनी पसंद के कोर्स को बदल सकता है ?		हां	धारा 28(5) के अंर्तगत जारी किये गये अधिसूचनाएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश को नियमित करते हैं अतः विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम बदल सकता है ।
303.	68 संविधान की अनुच्छेद 226 के साथ	सिविल अपील नं. 607 (1995) निर्णित दिनांक 10.1.95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1055 (2) (एस.सी.)	डॉ. बालकृष्ण अग्रवाल प्रति उ.प्र.राज्य	1. क्या 7½ वर्ष से लंबित सुनवाई हेतु स्वीकार समादेश याचिका को धारा 68 के रूप में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के आधार पर निरस्त करना उचित है ? 2. क्या प्रोफेसर्स की वरिष्ठता के संबंध में व्यक्तिगत प्रोन्नति प्रोफेसर पद पर 21.2.85 से पूर्व के आधार पर किया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं नहीं	1. सुनवाई के हेतु स्वीकार की गई याचिका जिसमें स्पष्ट कानूनी बिन्दु की विवेचना होती है पांच वर्ष के उपर लंबित रखकर वैकल्पिक उपचार के आधार पर निरस्त करना उचित नहीं है । धारा 68 के निर्णय के विरूद्ध से फिर मामला उच्च न्यायालय के समक्ष ही कानूनी बिन्दु के निर्णय हेतु लाया जाएगा । 2. धारा 31(ए) के संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु विनियमन एवं परिनियमों में जब मानक निर्धारित किये तभी वरिष्ठता के प्रश्न को तय करने के लिए व्यक्तिगत प्रोन्नति को भी विचार में लिया जा सकता है ।

304.	31 उच्च शिक्षा आयोग एक्ट 1980 की धारा 16 एवं खंड 6(बी) एवं परिनियम 11. 13, 11.01 प्रथम परिनियम आगरा विश्वविद्यालय 31(3)(ए) उ. प्र. उच्च शिक्षा आयोग एक्ट 1980 धारा 16 31(8) उ.प्र.उ. शि.आ. धारा 16 31(11) विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6403 (1990) निर्णित दिनांक 14.12. 95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 927 (2) (डी.बी.)	हरिशंकर प्रति उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय तथा अन्य	1. क्या संबद्ध महाविद्यालय में तदर्थ प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति तभी संभव है जब परिनियम 11.13 में वर्णित शैक्षणिक अर्हताऐं हों या एक्जेम्पशन क्लॉज के अंर्तगत कर्वड हो ? 2. क्या संबद्ध महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया धारा 31(3) (ए) में वर्णित है ? 3. क्या तदर्थ आधार पर नियुक्ति को चयन समिति के प्रस्ताव पर प्रबंध समिति की अनुसंशा पर कुलपति का अनुमोदन आवश्यक है ?	स्वीकार स्वीकार	हां हां हां	1. उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम की धारा 16 केवल नियुक्ति अर्हताओं के आधार पर करने को कहता है । परिनियमों में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही चयन का आधार होती है । 2. उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 16 में तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं दी गई है अतएव विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3) (ए) में वर्णित प्रक्रिया ही मानी जायेगी । 3. अनुमोदन देने का अधिकार केवल कुलपति को है और प्राचार्य की सहमति महत्वहीन है कुलपति की यह शक्ति धारा 31(1) में वर्णित है और अनुमोदन देने या न देने तक ही सीमित है । 4. विनियमन 2 के परांतुक में स्पष्ट लिखा है कि वे किसी ऐसे मामले में नहीं होंगें जो विनियमन के प्रभाव में आने के

	आयोग विनियमन 1991 के साथ				4. क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 1991 सन् 1990 में नियुक्ति शिक्षकों पर कोई प्रभाव डालेंगी ?		हां	पूर्व के हों । 5. उच्च शिक्षा के स्तर के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताऐं प्रवक्ता पद के लिए सुनिश्चित करे ।
	अनुच्छेद 226 उ.प्र.उ.शि.आ. 1980 धारा 16 परिनियम 11.13, 11.01 एवं खंड 6(बी)				5.क्या महाविद्यालय के तर्दथ प्रवक्ता पद की अर्हताऐं विश्वविद्यालय ही निंधारित कर सकता है ?		हां	6. संशोधित नियमानुसार ही अर्हता को जांचा परखा जायेगा ।
	परिनियम 11. 13, 11.01 खंड 6(बी) प्रथम परिनियम आगरा विश्वविद्यालय				6. क्या अर्हता को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आंका जाएगा ?		हां	7. पैनल एक वर्ष के लिये प्रभावी रहता है लेकिन यह समय न्यायालय के अंतरित आदेशों के कारण बढ़ता भी है ।
	धारा 13 उ. प्र. उ.शि.सेवा आयोग एक्ट 1980				7. क्या नियुक्ति के पैनल की लाइफ एक वर्ष की होती है ?		हां	

305.	35(2) एवं 35(4)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10411 (1996) निर्णित दिनांक 1.4.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1093 (2) (डी.बी.)	प्रबंध समिति भवनस मेहता महाविद्यालय भरवारी प्रति उपकुलपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर	1. क्या कुलपति महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन के आदेश के विरूद्ध अंतरित स्थगन आदेश पारित कर सकते हैं ? 2. क्या प्राचार्य के निलंबन आदेश के विरूद्ध समादेश याचिका पोषणीय है ?		हां नहीं	1. चूंकि 35(2) के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक/प्राचार्य के निलंबन आदेश के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है अतः कुलपति उसके प्रभाव को रोकने के लिये अंतरित स्थगन आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन इस अंतरित आदेश को पुष्ट करने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना पक्षों के लिए आवश्यक है । 2. प्राचार्य के निलंबन के आदेश के विरूद्ध कुलपति के समक्ष प्रत्यावेदन किया जा सकता है और वे उचित आदेश पारित कर सकते हैं ।
306.	52(1), खंड 118 इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अधिनियम एवं अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान	स्पेशल अपील नं. 356 (1995) निर्णित दिनांक 24.11. 95	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1295 (2) (डी.बी.)	रघुनाथ द्विवेदी प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव संबंधी विवाद में रिट याचिका पोषणीय है और क्या कोई रिलीफ दिया जा सकता है ?	स्वीकार	हां	चूंकि छात्र संघ की भूमिका विश्वविद्यालय के उद्येश्यों में सहायता ही करती है और उप कुलपति उसके चुनाव संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार है अतः याचिका पोषणीय है और रिलीफ दिया जा सकता है ।

307.	59	स्पेशल अपील नं. 830(1995) निर्णित दिनांक 24.5.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1203 (2)	सियानंद सिंह त्यागी प्रति श्रीमति शशि प्रभा शर्मा एवं अन्य	क्या धारा 59 के प्रावधान इंटर कॉलेज के अध्यापक की नियुक्ति पर लागू होंगें ?	अस्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय अधिनियम प्रावधान इंटरमीडिएट कॉलेज की नियुक्तियों पर लागू नही होते
308.	68, अनुच्छेद 226 भा.सं., 13(1)(बी), 13(6), 45(1)(बी), 52(1), 52(3), 52(4) एवं 52(5) कानपुर विश्वविद्यालय की हैंड बुक 1991 के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5085 (1995) निर्णित दिनांक 1.5.96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1629 (3)	नवीन कुमार सिंह प्रति कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	1. क्या प्रवेश समिति द्वारा निर्मित नियमों की वैधानिकता को समादेश याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है जबकि धारा 68 के अंर्तगत प्राचार्य ने संदर्भ इसके बारे में दिया हो ? 2. क्या प्रति शपथ पत्र में न उठाये जाने के बावजूद शुद्ध कानूनी बिन्दु बहस के दौरान उठाया जा सकता है ? 3. क्या प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियम जो विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया और अर्हता विहित करते हैं धारा 45 के अनुरूप हैं ?	स्वीकार	हां हां नहीं	1. वैकल्पिक उपचार का प्रतिबंध एब्सोल्यूट नहीं है । इसके बावजूद उचित मामलों में उच्च न्यायालय न्याय हित में आदेश पारित कर सकता है । 2. अगर तथ्यात्मक पहलू में जाने की जरूरत न पड़े तो कानूनी बिन्दु न्याय हित में उठाया जा सकता है । 3. चूंकि चुनौती दिये गये नियम अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं बनाये गये हैं अतैव वे शून्य एवं अकृत हैं । शैक्षिक समिति की नीचे प्रवेश समिति कार्य करती है और कार्यपरिषद की जरूरी अर्हता प्रवेश के लिए अध्यादेश द्वारा बना सकती है ऐसा न होने से नियम अपंग हो जाते हैं ।

309.	31(4) (ए), 31(5)(ए), उ. प्र. लोक सेवा (एससी/एस टी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 और 7 के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 876 (1994) निर्णित दिनांक 11.9. 96	1996 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1869 (3) (डी.बी.) लखनऊ वेन्च	राम निवास पांडे प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद पाया अधिनियम नं. 4, 1994 चयन समिति की अनुसंशा को प्रभावित करेगा ?	स्वीकार	नहीं	क्योकि एक्ट नं. 4 सन् 94 के प्रावधान लागू होने के पूर्व के विज्ञापन व चयन प्रक्रिया के बारे में नया एक्ट कुछ नहीं कहता अतः वह ऐसी चयन प्रक्रिया पर असर नहीं डाल सकता नया एक्ट 23.3.94 से लागू हुआ है और चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी ।
310.	20(2) एवं 74	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 4825 (1982) निर्णित दिनांक 15.1. 97	1997 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 408 (1) (डी.बी.), 1997 (2) (ई. एस.सी.747)	महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या स्थापना के समय किये गये करार द्वारा महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को कांस्टीटुएंट कॉलेज स्वीकार करने के बाद प्रबंध समिति के एक सदस्य को कार्यपरिषद सदस्य न बनाना उचित है ?	स्वीकार	नहीं	धारा 74 के अंर्तगत महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधिसम्मत संगठित कॉलेज है और विश्वविद्यालय इस संबंध में किये गये करार से मुक्त नहीं हो सकती ।

311.	31(3) (ए) धारा 16 संशोधन अधिनियम 1992 धारा 13(4), 13(2) उ.प्र. उ.शि. सेवा आयोग अधिनियम 1980 के द्वारा हटाया गया ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 17939 (1996) निर्णित दिनांक 28.11.96	1997 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 337 (1) (फुल बेंच)	अजय कुमार प्रति निदेशक उ. शि. उ.प्र.	क्या उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 1980 में अस्थाई नियुक्तियों का भी प्रावधान है ?		नहीं	उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम की धारा 13(4) में प्रयुक्त शब्द "अन्यथा द्वारा" जिनका प्रयोग "जहां रिक्ति मृत्यु अथवा इस्तीफे या अन्यथा" कारण से में प्रयुक्त हुआ हो । स्थाई या कार्यकारी नियुक्तियों की ओर इंगित नहीं करते हैं । ऐसी नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत ही संभव है । पूर्ण पीठ में शब्दों के प्रयोग की विवेचना की है ।
312.	31 एवं 31(ए) उ.प्र. लोक सेवा (एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(5), 4, 2(सी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 31297 (1995) निर्णित दिनांक 3.4.97	1997 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1122 (2) (डी.बी.)	डॉ. विपिन अग्रवाल प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या उ.प्र. लोक सेवा आयोग एक्ट, 4, 1994 के प्रावधान प्रोफेसर, लेक्चरर एवं रीडर की नियुक्ति पर चयन प्रक्रिया पर लागू होंगें ?		हां केवल रीडर व लेक्चरर पद पर	एक्ट नं. 4 सन् 94 के प्रावधान प्रोफेसर पद की चयन प्रक्रिया पर नहीं लगेंगी विज्ञापन संख्या एक, दिनांक 30.1.1995 जो प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चरर पद हेतु चयन के बारे में था पर उच्चतम न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी है । प्रोफेसर पद उच्चतम न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के डॉ.पांडे के निर्णय को अनुमोदित किया जा चुका है ।

313.	अनुच्छेद 335, 51(ए), 46, 38, 30(1), 16, 15, 14 उ.प्र. लोक सेवा (एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 2(सी), 3(5) एवं 4	सिविल अपील नं. 732 (1997) निर्णित दिनांक 31.1.97	1997 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 964 (2) (एस.सी.)	उ.प्र.राज्य प्रति डॉ. दीनानाथ शुक्ल एवं अन्य	क्या आरक्षण शैक्षणिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों की नियुक्तियों पर भी लागू रहेगा ?		हां	संवैधानिक ध्येय को आरक्षण नीति के संवंध लागू करना जनहित नीति सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हेतु के अनुरूप आवश्यक है ।
314.	31(1) एवं 31(बी) (ए)	सिविल अपील नंबर 3653 (1997) निर्णित दिनांक 1.5.97	1997 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1573 (3) (एस.सी.)	राजपाल वर्मा प्रति उपकुलपति एवं चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या चयन समिति एवं विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के मध्य नियुक्ति संबंधी विवाद को तय करते समय काउंसिल को मामला पुर्नविचार के लिए भेज सकते हैं ?		हां	चांसलर स्वयं भी इस विवाद को अंतिम रूप से तय कर सकते हैं और यह महसूस होने पर कि काउंसिल ने कोई महत्वूर्ण सामग्री या परिस्थितियों को नहीं देखा या विचार किया तब उसे वापिस भेज सकते है उच्चतम न्यायालय ने अपेक्षा की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर नियुक्तियों को उच्च स्तर तथा ईमानदारी किया जाना चाहिए ।

315.	28(1), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6951 (1998) निर्णित दिनांक 23.3. 98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 679 (1), 1998(2) (ई.एस.सी.) 888	कु. श्रुति चतुर्वेदी एवं अन्य प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक विद्यार्थियों का प्रवेश केवल 10 प्रतिशत सीट्स पर सीमित कर सकता है ?	स्वीकार	नहीं		शिक्षा सत्र 1997–98 में पी.जी. कक्षाओं में प्रवेश की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के उल्लंघन करके स्थानीय कॉलेज से पास छात्रों का प्रवेश केवल दस प्रतिशत सीट्स पर सीमित करना उचित नहीं है ।
316.	35(सी)	सिविल अपील नंब. 415 (1998) निर्णित दिनांक 16.1. 98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 576 (1) (एस.सी.)	प्रबंध समिति दयानंद आर्यकन्या डिग्री कॉलेज प्रति निदेशक उच्च शिक्षा इलाहाबाद एवं अन्य	क्या प्रबंध समिति प्राचार्य का स्वतः दिया स्तीफा स्वीकार कर सकती है ? जबकि वह उच्च न्यायालय के अंतरित आदेशों पर कार्यरत हो ?	स्वीकार	हां		चूकि धारा 35(3) इस परिस्थिति में लागू नही होती है अतः स्वतः दिये गये इस्तीफे के अनुमोदन को कुलपति द्वारा किये जाने का भी प्रश्न नहीं उठता ।
317.	60(ए) (3), इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम अध्याय 23 संशोधित मई 1977	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 15421 (1990) निर्णित दिनांक 18.11. 97	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 96 (1)	राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय इलाहाबाद प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या श्रीमति शकुंतला पुरवार की नियुक्ति रूटीन ग्रेड– लिपिक पद पर, को निदेशक उच्च शिक्षा उ.प्र. के अनुमोदन की आवश्यकता है ?	अस्वीकार	नहीं		क्योंकि शकुंतला पुरवार की नियुक्ति 25.3.77 को हुई तथा प्रथम परिनियम, तृतीय संशोधन 11.5.77 को किया गया जिसके अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक उ.प्र. का अनुमोदन आवश्यक था प्रबंध समिति को याचिका निरस्त करके श्रीमति शकुंतला

	पैरा 25.04							पुरवार द्वारा दायर याचिका संख्या 10103 सन् 1994 स्वीकार करके पूरा वेतन व अन्य वित्तीय देय 2 माह के भीतर करने का आदेश हुआ ।

318.	2(13)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 22188 (1995) निर्णित दिनांक 10.11. 97	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1105 (2)	प्रबंध समिति रतन सेन डिग्री कॉलेज बांशी प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या कुलपति प्रबंध समिति को मान्यता देने से इंकार कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	इससे विद्यालयीय प्रवंधन में अवरोध पैदा होने की संभावना हे अतः कुलपति प्रबंध समिति के नियम आदि के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह विद्यालय के विधि सम्मत प्रवंधन में हस्तक्षेप होगा ।
319.	2(18) एवं 2(19) इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिनियम अध्याय 10 परिनियम 10. 1 के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21723 (1995) निर्णित दिनांक 20.2. 98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1280 (2) (डी.बी.)	डॉ कृष्णा श्रीवास्तव एवं अन्य प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	क्या प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं और क्या ये पद आरक्षण पद नीति के अंर्तगत अध्यादेश नं.5 सन् 1994 आते हैं ?	स्वीकार	हां	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत शिक्षक वह है जो पढ़ाये, रिसर्च वगैरह में निर्देश दे यह स्थिति स्पष्ट हो गई है जब उक्त अध्यादेश 11.2.94 को अमल में लाया गया लेकिन पी.एन.शुक्ला के निर्णय में प्रोफेसर का पद आरक्षण के बाहर है ।
320.	13(6), 13(8), 31(1), 31(1)(3), 31(10) एवं (49) संशोधित द्वारा उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन अधिनियम 1992	सिविल अपील नं. 365–70 (1994) निर्णित दिनांक 5.2.98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1004 (2) (एस.सी.)	योगेन्द्र सिंह रावत प्रति हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल	क्या विश्वविद्यालय के प्रवक्ता पद के लिए निंधारित योग्यता में संशोधन किये जाने के बाद वे योग्यताऐं 22.11.1991 को होनी आवश्यक हैं ?	अस्वीकार	हां	उच्च न्यायालय ने अपील अस्वीकार करते हुए उच्च शिक्षा के मापदंडों के अनुसार किये गये नियुक्तियों को ही नियमित करने पर जोर दिया है । (1992) के संशोधन की विवेचना ।

321.	37(4), 28(5), 28(4), 28(3), 25(1), 21(1)(17), अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान	स्पेशल अपील नं. 562 (1997) निर्णित दिनांक 3.3.98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 823 (2) (डी.बी.)	सत्य प्रकाश सिंह प्रति उपकुलपति डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं अन्य	1. क्या संबद्ध महाविद्यालय का प्रवंधन प्रबंध समिति का ही एकल अधिकार है ? 2. क्या संबंद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति को विश्वविद्यालय के निर्णयों के विरूद्ध समादेश याचिका दाखिल करने का अधिकार है ?		नहीं हां	1.प्रवंध समिति की प्रबंधन का अधिकार सम्पूर्ण एवं अनियंत्रित नहीं है कार्यपरिषद, शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति द्वारा दिये गये नियंत्रित आदेशों की अंर्तगत उपरोक्त प्रबंधन अधिकार रहेगा । 2. अगर प्रबंध समिति के अधिकारों का विश्वविद्यालय के किसी निर्णय से हनन हो रहा तो वे उसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते है ।
322.	68 सं.सं. विश्वविद्यालय वाराणसी परिनियम 10.1, 11.1, 11.4 एवं अनुच्छेद 21, 19, 16 एवं 14	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13919 (1998) निर्णित दिनांक 6.5.98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1217 (2) (डी.बी.)	राममूर्ति चतुर्वेदी प्रति चांसलर सं.सं. विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या धारा 68 के अंर्तगत नियुक्ति की वैधानिकता को चुनौती देने वाले प्रत्यावेदन को निस्तारित करते समय चांसलर नियुक्ति को निरस्त कर सकते हैं ।	अस्वीकार	हां	मनमाने ढंग से की गई नियुक्ति को विधिमान्य न होने के कारण निरस्त करना ही उचित है ।

323.	12(2)(ए) एवं 66(ए) विश्वविद्यालय विनियम 4 के साथ 12, 68, 12(2)(ए), 12(6), 68, 66, 12(6), 12(4), 12(2)(ए), 12(1), 12(2), 3, 12(2)(ए), 64(1), 64(2), 64(3) एवं 12(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं.20251 (1994) निर्णित दिनांक 18.2.97	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1675 (3) (डी.बी.)	विनयचंद्र पांडे एवं अन्य प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	1.क्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की मीटिंग के लिए विनियमन 4 के नोटिस के प्रावधान आज्ञापक हैं ? 2. क्या विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की मीटिंग कुलपति के चयन हेतु गठित चयन समिति के सदस्य की चुनाव के लिए बुलाई गई हो तो विश्वविद्यालय के सदस्य उसक चुनौती दे सकते हैं ? 3. क्या कार्यपरिषद की कुलपति की चयन समिति के सदस्य का चुना जाना केवल धारा 12(2)(ए) के अंर्तगत औपचारिकता मात्र है ? 4. क्या धारा 12(1) के प्रावधानों के तहत चुने गये समिति के सदस्य के चुनाव में की गई कानूनी गड़बडियां क्षम्य	स्वीकार	नहीं हां नहीं नहीं		1. साधारण नोटिस 7 दिन का होना चाहिए किन्तु कुलपति अगर अति आवश्यक समझते हों तो नोटिस की अवधि उससे कम भी हो सकती है । 2. क्योंकि विश्वविद्यालय के शिक्षक कुलपति के चयन में दिलचस्पी लेते हैं अतः स्वाभाविक रूप से वे गैर कानूनी एवं गंभीर त्रुटियों को चुनौती देने के अधिकारी हैं । 3. कानूनी के उल्लंघन करके चुने गये सदस्य की समिति के सदस्य रूप में कार्य नहीं करने दिया जा सकता है । ऐसे अनियमित चयन को धारा 12.6 का लाभ नहीं मिल सकता । 4. चूंकि धारा 12(2) से स्पष्ट है कि यह चयन समिति उच्च स्तरीय है अतएव इसके गठन में शुचिता का ध्यान में रखना अतिआवश्यक है धारा 66 एवं 12(6) का ध्येय एक ही है

					हैं ? 5. क्या धारा 12(2) में प्रयुक्त शब्द यूनिवर्सिटी की व्याख्या में छात्र संघ भी आता है ? 6. क्या 12(2) के अंर्तगत गठित समिति के चुनाव में "अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया एकल हस्तांतरणीय मत" द्वारा का प्रयोग उचित व वैध है ? 7. अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत का उल्लंघन धारा 12(2) (ए) के विरूद्ध है और ऐसा सदस्य चयन समिति का विधि सम्मत सदस्य नहीं है ?		नहीं हां हां	12(6) का ध्येय एक ही है अर्थात विश्वविद्यालय की समिति द्वारा किये गये कार्यो की रक्षा लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और वह क्षम्य नहीं है । 5. छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष भी धारा 12(1) की समिति में चुनाव लड़ने का अधिकारी है । मुख्य ध्येय है कि समिति के सदस्य एक निष्क्ष पैनल चयनित करें जिससे कि उच्च स्तरीय कुलपति की नियुक्ति हो सके । 6. शब्द चुनाव एवं चयन में अंतर है चुनाव व्यापक अर्थ रखता है जबकि चयन एक व्यक्ति का ही होता है अतः धारा 64(3) के प्रावधानों का प्रयोग उचित है । 7. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किये जाने पर किये गये कार्य विधिविरूद्ध हैं और वे नहीं माने जा सकते हैं ।

324.	31(11)(सी), 31(11)(वी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं.8819 (1990) निर्णित दिनांक 22.1.98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी.2111 (3) (डी.बी.) (लखनऊ बेन्च)	डॉ. नजमा बानो प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	क्या संवद्ध महाविद्यालय के प्रवक्ता का 31(11) (सी) के प्रावधानों के अंर्तगत कुलपति द्वारा एक माह की अवधि में कुछ और कागजात मांगने पर भी स्वतः अनुमोदन हो जाता है ?	अस्वीाकर	नहीं	धारा 31(11) के अंर्तगत प्रवंध समिति का यह दायित्व है कि वह चयन समिति की संस्तुति के साथ अन्य कागजात भी कुलपति को अनुमोदन हेतु भेजें कुलपति की ओर से कुलसचिव द्वारा सामग्री मांगने पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक माह की अवधि में कोई सूचना इस बारे में नहीं भेजी गई है अतः 31(11)(सी) का लाभ नहीं दिया जा सकता ।
325.	31(3)(बी)	सिविल अपील नं. 4027–28 (1998) निर्णित दिनांक 18.8.98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2074 (3) (एस.सी.)	पी.पी.रस्तोगी एवं अन्य प्रति प्रवेश सोनी एवं अन्य	क्या पी.जी. कक्षा में नया कोर्स शुरू करने पर विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलने पर छुट्टी की रिक्तता पर नियुक्त अस्थाई प्रवक्ता नियमितीकरण का अधिकारी है ?		नहीं	धारा 31(3) (बी) के प्रावधान यहां नहीं लागू होते हैं अस्थाई प्रवक्ता पद की अर्हताऐं पूरी करती है परंतु नया पद सजृति न होने के कारण उनका नियमितिकरण संभव नहीं है इस केस में तो स्थाई प्रवक्ता ने छुट्टी समाप्त होने पर अपना पद पुनः ग्रहण कर लिया है । अतः 20.5.85 से अस्थाई प्रवक्ता की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो गई हैं ।

326.	58(1), 57 एवं 40	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21735 (1995) निर्णित दिनांक 17.9. 98	1998 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1903 (3)	प्रबंध समिति बाबा राघव दास पी.जी. कॉलेज देवरिया एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या प्रबंध समिति को निलंबित करके अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पूर्व सुनवाई का अवसर आवश्यक है ?	अस्वीकार	हां	अधिकृत नियंत्रक के नियुक्ति का आदेश सकारण होना चाहिए और उसके पूर्व सुनवाई का अवसर आवश्यक है अन्यथा आदेश मनमाना एवं गैर कानूनी है ।
327.	68, 31, परांतुक 8(ए) काशी विद्यापीठ प्रथम परिनियम 18 वें संशोधन के 25.3.89 से प्रभावी होने के बाद से देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5830 (1992) निर्णित दिनांक 10.1. 98	1999 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 85 (2) (डी.बी.), 1998 (2) ई.एस.सी. 1147 इलाहाबाद	कृष्ण कुमार मिश्रा प्रति चांसलर काशी विद्यापीठ एवं अन्य	1. क्या धारा 68 में चासलर को स्वतः प्रेषित संदर्भ चार माह की अवधि समाप्त होने पर निर्णय करते समय सीमित अधिकार हैं ? 2.क्या चयन समिति की न्यूनतम अर्हता को ढील या छूट देने की शक्ति संशोधन द्वारा वापिस लेना विधि अनुकूल है ?	 टस्वीकार	नहीं हां	1. कार्यपरिषद द्वारा चार माह के भीतर चयन समिति की नियुक्ति संबंधी संस्तृति पर कोई निर्णय न ले पाने पर संदर्भ स्वतः निर्णय हेतु चांसलर के पास जाता है चांसलर की शक्ति वृहद है ओर चांसलर उचित आदेश पारित करने में सक्षम है । 2. धारा 7 के प्रावधानों के विरुद्व 25.3.89 को संशोधन नहीं है व उच्चतम न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालय लगातार यह कहते आ रहे हैं कि चयन समिति अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अर्हता में परिवर्तन करती है तो इस ढील के लिए उसे लिखित कारण देने होंगें । अब दुरूपयोग के कारण दी गई छूट वापिस लेने अनुचित नहीं बल्कि यह विधि अनुमन्य है ।

328.	69	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1386 (1991) निर्णित दिनांक 23.3.99	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 141 (3) (डी.बी.)	भूमित्र देऊ, वाइस चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रति द्वितीय सिविल जज गोरखपुर एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत किये गये कार्य को दीवानी दावा दायर करके चुनौती दी जा सकती है ?		नहीं	धारा 69 इस प्रकार के दीवानी दावों पर पूर्ण प्रतिवंध लगाती है ।
329.	57, 59, 60	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12008 (1997) निर्णित दिनांक 8.2.99	1993 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 141 (3)	प्रबंध समिति सकल डीहा डिग्री कॉलेज प्रति पूर्वाचल विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उठे विवाद के कारण अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति उचित है ?	स्वीकार	हां	कई लोग अपने को प्रबंध समिति का विधिवत सदस्य बताने के कारण उठे विवाद पर यथावत स्थिति का आदेश पारित हो गया हो तो ऐसे में नियंत्रित की नियुक्ति उचित एवं वैधानिक है ।
330.	31(बी)(1)उ.प्र वि.वि.संशोधन एक्ट 98 धारा 3 एवं उ.प्र. एक्ट नं. 9 द्वारा संशोधित	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 27396 (1997) निर्णित दिनांक 25.8.99	1999 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2092 (3) (डी.बी.) 1999 (3) ई.एस.सी. 2432	डॉ. दिनेश झा प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या मोती लाल इंजी. कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति संशोधन के पश्चात् बॉइ लॉज एवं कॉलेज के दीगर नियमों के अनुसार होंगे ?	अस्वीकार	हां	संशोधन अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट उल्लेख करती है कि प्राचार्य की नियुक्ति विद्यालय के नियमों व अधिनियमों पर ही होगी ।

331.	परिनियम 12. 05 आगरा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, 13(5), 57 एवं 16(डी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 51047 (1999)	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 777 (1)	प्रबंध समिति ए.के.कॉलेज सिकोहावाद प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	1. क्या प्रबंध समिति का स्वरूप डिग्री कॉलेज बनने पर बदलता है ? 2. क्या प्रबंध समिति का कार्यकाल सोसायटी का चार्ज लेते ही शुरू हो जाता है ? 3. क्या कार्यकाल पूरा हो जाने पर प्रबंध समिति अकृत हो जाती है ? 4. क्या अवसर दिये बगैर एकल संचालन का आदेश पारित किया जा सकता है?	स्वीकार	हां हां नहीं नहीं	1. डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति में एक्स–ऑफिसियों सदस्य और बढ़ जाते हैं एक ही समिति इंटर व डिग्री दोनो कॉलेज सोसायटी की ओर से प्रबंध कर सकती है । परिनियमों का केवल इतना प्रभाव है । 2. अगर सोसायटी में चुनाव संमय पर हो जाते हैं तो नई चुनी गई प्रबंध समिति का अपना कार्यकाल पूरा का पूरा मिला जाता है । 3. विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत पुरानी प्रबंध समिति नई समिति के चुने जाने तक कार्य करती रहेगी । इस बजह से अधिकृत नियंत्रक नियुक्त नहीं किया जा सकता । 4. याची को अवसर दिये बगैर ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता जो उसके प्रबंधन के अधिकार को प्रभावित करें ।

332.	12(2)(सी), अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30928 (1997) निर्णित दिनांक 13.10. 99	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 351 (1) (डी.बी.)	इलाहावाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रति चांसलर	क्या विश्वविद्यालय के शिक्षकों का संघ धारा 12(2)(सी) के प्रावधानों की संवैधानिकता को याचिका द्वारा चुनौती दे सकता है ? Judicial review of Power, position and role of Chancellor in State Universities, a case law study with special reference in U.P. State Universities Act – by Dr. A.K. Awasthi, Reader in Law, Lucknow University		हां	शिक्षक विश्वविद्यालय के मामले में आवश्यक रूप से ध्यान रखते हैं वह कुलपति की नियुक्ति के वारे में दिलचस्पी रखने वाला वर्ग है क्योंकि उनहे कुलपति के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना होता है ।
333.	57 एवं 58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19890 (1999) निर्णित दिनांक 23.8. 99	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 63 (2)	प्रबंध समिति लाल बहादुर शास्त्री पी. जी. कॉलेज प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या राज्य सरकार की धारा 57 एवं 58 में शक्तियां अर्द्धन्यायिक हैं ?	स्वीकार	हां	अधिकृत नियंत्रक को समय बढ़ाने से पूर्व राज्य सरकार सम्मुख सामग्री पर विचार करे और यह निर्णय विद्यालय एवं उच्च शिक्षा के हित ही में देना चाहिए ।

334.	अधिनियम नं. 4 (1994), धारा 3(1), 3(5) एवं 2(सी) (4)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 31116 (1999) निर्णित दिनांक 17.4. 2000	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1822 (2) (डी.बी.)	डॉ. जगदंबा सिंह प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या प्रोफेसर का पद अधिनियम 4 (1994) से प्रभावित होता है ? (Important Question of Laws has been refered to larger bench for authoritative decision)		नहीं	विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद इस आरक्षण वाले अधिनियम से विल्कुल भी प्रभावित नहीं होता ।
335.	31(4) (ए) एवं 66(ए)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23263 (1988) निर्णितं दिनांक 27.7. 2000	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1951 (3) (डी.बी.) 2000 (3) ई. एस.सी. 2075 इलाहाबाद सुधीर नारायण लक्ष्मी बिहारी जज	डॉ. प्रभु नारायणं सक्सेना प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या चयन समिति के समक्ष रीडर पद के साक्षात्कार में असफल रहने पर अभ्यर्थी समिति के विधिवत गठन को चुनौती दे सकता है ?		नहीं	चयन समिति के समक्ष असफल रहने पर वह अभ्यर्थी समिति के गठन को चुनौती दे सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये तीन विशेषज्ञों के नाम को चांसलर ने अनुमोदित किया था जो कि नामित होना समझा जायेगा दूसरे चयन प्रक्रिया असद्भाव पूर्ण है इसका न तो आरोप है और न ही कोई सामग्री है तीसरे चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु जाने पर अभ्यर्थी सदस्यों को समिति में रखने पर चुनौती देने से विबधित है ।

337.	50 एवं 49, अवध विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम संख्या 14.07, 18.01(3), 18.02, चेप्टर 14	स्पेशल अपील नं. 213 (1993) निर्णित दिनांक 16.10.98	1999 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 205 (1) (डी.बी.) लखनऊ बेंच	पारस नाथ उपाध्याय प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक फैजावाद एवं अन्य	क्या परास्नातक महाविद्यालय के लायब्रेरियन को सेवा से हटाने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य को है ?		नहीं	लायब्रेरियन की नियुक्ति विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति करती है और केवल यही उसे सेवा हटा सकती है । विश्वविद्यालय के परिनयमों के अंर्तगत सभी गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को प्राचार्य नहीं हटा सकते हैं प्राचार्य तो लायब्रेरियन के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी शामिल नहीं हो सकते ।
338.	68 एवं अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7670 (1997) निर्णित दिनांक 18.1.2000	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 702 (1) (डी.बी.)	मानवेंद्र मिश्रा प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या समादेश याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार होने तथा प्रति शपथ वगैरह दाखिल होने के बाद धारा 68 में उपलब्ध अनुकल्पिक उपचार के आधार पर निरस्त की जा सकती है ?	स्वीकार	हां	उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 226 के अंर्तगत सुनवाई के लिए स्वीकृत रिट याचिका भी समुचित कारणों के कारण निरस्त की जा सकती है । अनुकल्पिक उपचार का आधार एक ऐसा कारण है ।

339.	31(3)(सी) एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30831 (1994) निर्णित दिनांक 6.10. 99	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 609 (1) (डी.बी.), 2000 (1) ई. एस.सी. 49	भानु प्रकाश सिंह प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या नियुक्ति का नियमिति करण या तर्दथ नियुक्त के नियमित करने में विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत तुष्टि आधार होती है ?	स्वीकार	न्हीं	प्रवकता (तर्दथ या अस्थाई) के नियमितिकरण में उसके पिछले कार्य की गुणवत्ता को आधार बनाना चाहिए । ढाई वर्ष अच्छा काम करना स्वयं में प्रशंसनीय है अतः नियमित कर देना चाहिए ।
340.	नियम 10, प्रवेश संबंधी नियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37644 (1999) निर्णित दिनांक 2.11. 99	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 491 (1), ई.एस.सी. 2000(1) 238	शर्मिष्ठा श्रीवास्तव प्रति उपकुलपति दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या अभ्यर्थी के परीक्षा फल को विलंब से देने के बाद विश्वविद्यालय उसे देरी के आधार पर एम.ए. में दाखिला देने से इंकार कर सकता है ?	स्वीकार	नहीं	अपनी गलती या त्रुटि का लाभ विश्वविद्यालय का लाभ नही ले सकता है अतः दाखिला न देने का निर्णय निरस्त होने योग्य है ।
341.	31 एवं 31(8)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6043 (1999) निर्णित दिनांक 6.9.99	2000 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 5 (1) (डी.बी.) ई.एस. सी. 1999 (2128)	अमित जोशी प्रति चांसलर कुंमाऊं विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या चांसलर चयन समिति की अनुसंशा पर विचार करने से कार्यपरिषद को रोक सकते हैं ?		नहीं	कुलाधिपति चयन को खंडित करने का क्षेत्राधिकार नही रखते हैं और चयन समिति के अनुसंशा को खंडित नही कर सकते हैं ।

342.	2 (18) मेरठ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम संख्या 17.15	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 43878 (2000) निर्णित दिनांक 16.10. 2002	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 201 (1) (डी.बी.)	मेरठ कॉलेज परिवार कल्याण समिति प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य भी शिक्षा वर्ग में शुमार हैं ? Distinguished case of S.K. Rathi, reported in J.T. 2000(8) S.C. 267	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शब्द शिक्षक में प्राचार्य भी शुमार है । मेरठ विश्वविद्यालय के परिनियम 17.15 के अंर्तगत सत्र के अंत में रिटायर किये जायेंगें ।
343.	31(ए), 50 प्रथम परिनियम कुमाऊं विश्वविद्यालय संख्या 11.12 बी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 41665 (2000) निर्णित दिनांक 26.11. 2000, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर रिकॉल नं. 81633	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 407 (1) (डी.बी.)	एम.पी.जोशी एवं अन्य प्रति कमाऊ विश्वविद्यालय एवं	क्या व्यक्तिगत प्रोन्नति की पुरानी योजना के अंर्तगत दोहरी प्रोन्नति की जा सकती है ?	अस्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय की परिनियम संख्या 11.12 (बी) की भाषा स्पष्ट है कि व्यक्तिगत प्रोन्नति योजना के अंर्तगत चार्ज लेने की तिथि से प्रोन्नति प्रभावी हो जाती है अतः दोहरी प्रोन्नति संभव नहीं है ।
344.	कानपुर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, संख्या 13.20	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 22326 (2000) निर्णित दिनांक 5.1. 2000	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 638 (1) (डी.बी.) 2001 (1) ई. एस.सी. 252 इलाहाबाद	डॉ. ए.पी.सिंह प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या स्थानापन्न प्राचार्य की हैसियतसे कनिष्ठ अध्यापक तीन माह की अवधि के बाद कार्यरत रहे सकता है ?	स्वीकार	नहीं	परिनियम 13.20 की शब्दावली बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी अध्यापक तीन माह या नये प्राचार्य के आने तक, जो भी शीघ्र हो स्थानापन्न प्राचार्य का कार्य कर सकते हैं पर उस अवधि के बाद वरिष्ठतम अध्यापक ही स्थानापन्न प्राचार्य का दायित्व निभाऐंगें जब तक कि नये प्राचार्य की विधिवत नियुक्ति न हो जाये इसके लिए न तो प्रबंध समिति और न ही कुलपति के आदेश की आवश्यकता है ।

345.	अनुच्देद 226 भा.सं., 49 एवं 50, अधिवक्ता अधिनियम धारा 7 नियम 12	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 48183 (2000) निर्णित दिनांक 7.12. 2000	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी.440 (1) (डी.बी.)	प्रबंध समिति दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ कानपुर प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	1. क्या शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य का पद सार्वजनिक पद है और विधि विरूद्ध व्यक्ति के विरूद्ध इस पद पर नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध चुनौती दी जा सकती है ? 2. क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रवक्ता एवं प्राचार्य की विधि कॉलेज में नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता विहित कर सकती है ?	अस्वीकार	हां नहीं	1. उत्प्रेषण की याचिका पोषणीय है परंतु उचित याचिका अधिकार पृच्छा की है जिसके द्वारा गैर कानूनी ढंग से नियुक्ति व्यक्ति. के पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है । 2. विश्वविद्यालय अधिनियम विशेष विधान होने के कारण अधिवक्ता अधिनियम पर अभिभावी होगा अतः अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 12 निष्प्रभावी रहेंगें ।
346.	31(3)(ए) एवं (बी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37396 एवं 39684 (1998) निर्णित दिनांक 20.12.2000	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 697 (1) (डी.बी.) 2001 (1) ई. एस.सी. 309 इलाहाबाद	श्रीमति शीला सिंह प्रति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर	क्या नियमितिकरण तदर्थ नियुक्त अध्यापकों का भी संभव है जबकि नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर कोई पद ही न हो ?		न्हीं	11.12.97 के पूर्व कोई पद सृजित नहीं किया गया जबकि तर्दथ नियुक्ति की अवधि इससे पूर्व समाप्ति को समाप्त हो गई अतः विनियमितिकरण संभव नहीं है ।

347.	13(1) (ए), 13(6), 13(8), 31(3)(ए)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 36099 (1999) निर्णित दिनांक 27.9. 2000	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 86 (1) (डी.बी.)	प्रभु नारायण सक्सेना प्रति उपकुलपति भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा	क्या कुलपति द्वारा धारा 13(6) या अन्य प्रावधानों के अंर्तगत विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	सन् 1992 में धारा 13(6) में किये गये संशोधन द्वारा कुलपति के संकटकालीन शैक्षणिक पद पर नियुक्ति करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया । अतः कार्य परिषद ही नियम के अनुसार नियुक्ति आदि को नियमित करेगी । किन्तु तर्दथ नियुक्ति का अधिकार उन्हे भी नहीं है ।
348.	परिनियम संख्या 11.01 (4), इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 22355 (2000) निर्णित दिनांक 3.5. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1848 (2) (डी.बी.)	सौरभ कुमार प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	क्या अनुदेशक को प्रवक्ता पदनाम के लिये न्यूनतम अर्हता आवश्यक है ?		स्वीकार	इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम नियम सख्या 11.01 (4) प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, इस विषय में परा स्नातक डिग्री आवश्यक है और अभ्यर्थी सिर्फ स्नातक है अतः प्रवक्ता का पदनाम नहीं दिया जा सकता ।
349.	31, 31(ए), परिनियम 11. 12 बी खंड 6, 68, 31, 31(ए), अनुच्छेद 226	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 748 (1996) निर्णित दिनांक 23.3. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1191 (2) (डी.बी.) लखनऊ बेन्च	के.सी. श्रीवास्तव एवं अन्य प्रति चांसलर लखनऊ	1. क्या दोहरी व्यक्तिगत प्रोन्नति योजना में दूसरी प्रोन्नति पर लगे प्रतिबंध मुख्य अधिनियम की		हां	1. अधिनियम की धारा 31(ए) मे लाये संशोधन पर परिनियम संख्या 11.01(बी), खंड 6 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगें । अधिनियम तथा परिनियम के आपसी भेद होने पर अधिनियम

				विश्वविद्यालय	आवश्यक धाराओं में संशोधन से हटा लिये गये हैं ? 2. क्या रीडर पद पर प्रोन्नति संशोधन की तिथि 14.8.95 से प्रभावी होगी चाहे प्रोन्नति 19.7.95 से हुई है ? 3. क्या प्रोन्नति को जो 12 वर्ष पूर्व की गई है अब चुनौती दी जा सकती है ? 4. क्या क्षेत्राधिकार में त्रुटि होने के बाद जिस आदेश को चुनौती दी गई है भले ही सारभूत न्याय हो गया हो ?		हां नहीं नहीं	के प्रावधान ही प्रभावी होंगें । 2. चांसलर 31(ए) में अध्यादेश सन् 1995 के संशोधन के बाद प्रोन्नत हुए रीडर गण की नियुक्ति प्रोफेसर पद पर चांसलर द्वारा निरस्त नहीं की जा सकती । 3. देरी का समुचित कारण नहीं बताया जा सका है और गफलत के कारण भी कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । 4. यदि पक्षों के बीच में सारभूत या सारवान न्याय हो गया है तो क्षेत्राधिकार की त्रुटि होने के बाद भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होता है ।

350.	परिनियम संख्या 18.05, प्रथम परिनियम पूर्वांचल विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13847 (1999) निर्णित दिनांक 16.3. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1070 (2) (डी.बी.)	अनिरूद्ध प्रधान प्रति चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय	1. क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्रवक्ताओं की आपस की वरिष्ठता रीडर के बराबर होगी जबकि परिनियम संख्या 18. 05 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि रीडर प्रवक्ता से वरिष्ठ होगा ।	स्वीकार	हां	1. महाविद्यालय में रीडर का मात्र एक पद है जो स्वयं वरिष्ठता सूची में प्रवक्ता के उपर होगा अतः प्राचार्य की जगह खाली होने पर रीडर ही प्राचार्य का कार्य देखेंगें ।
					2. क्या कुलपति आपसी वरिष्ठता के विवाद संबंधी प्रत्यावेदनों को शासनादेश दिनांक 15.12.94 के आधार पर तय कर सकते हैं?	स्वीकार	नहीं	2. शासनादेश 16.12.94, उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित किया जा चुका है अतः 15.5.97 को परिनियम संख्या 18. 5 के अनुसार ही प्रत्यावेदन को तय माना जायेगा दूसरा कारण यह भी है कुलपति को पुर्नविलोककन शक्ति केवल जालसाजी या मिथ्या कथन संबंधी मामलों में ही है अतः कुलपति अपने पूर्व निर्णय का पूर्व विलोकन नहीं कर सकते ।
					3. क्या धारा अपनी शक्तियों को चांसलर राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	3. राज्यपाल चांसलर की हैसियत से विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत स्वतंत्र इकाई हैं और वे धारा 68 या अन्य मामलों में कुलाधिपति के रूप में स्वनिर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप अनुचित है ।

351.	21(6), 21(8), 25, 68, रूहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम संख्या 5.05	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 25312 (1999) निर्णित दिनांक 2.5. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1356 (2) (डी.बी.)	डॉ. नरेश चंद्र शर्मा प्रति चांसलर एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर के पद का सृजन बिना राज्य सरकार की उचित संस्तुति जो बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं शैक्षिक समिति के प्रस्ताव पर ही संभव है, किया जा सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	कुलपति प्रोफेसर के पद का सृजन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए उचित प्रक्रिया जो विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परिनियम में दी गई है उसका अनुपालन करना होगा । बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ शैक्षिक समिति द्वारा प्रस्ताव पर राज्य सरकार अपना अनुमोदन देती है तभी कुलपति प्रोफेसर के पद का सृजन कर सकते हैं और ऐसा न करने पर अगर पद का विज्ञापन भी किया जा चुका है तो सृजन विधिसम्मत न होने के कारण अगर कोई नियुक्ति हो गई है तो वह निरस्त की जा सकती हे ।
352.	12(2), 12(3), 12(4), 13, 14(1), 14(2), 15, उ.प्र.उ. से.आ. एवं उ. प्र. लो.से. आयोग (एस. सी./एस.टी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 15510 (1999) निर्णित दिनांक 13.4. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1149 (2) (डी.बी.)	ओंकारदत्त शर्मा एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या संबद्ध विद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के समय आरक्षण संभव है विशेषतया प्राचार्य का एक ही पद महाविद्यालय में होता है ?	अस्वीकार	हां	चूंकि यह एकल पद काडर है और नियुक्ति के समय हरेक महाविद्यालय जो राज्य सरकार के अनुदान पर है को एक ग्रुप में कर देना चाहिए जिससे कि वह 1994 के आरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आ जायेगा । उच्च शिक्षा सेवाऐं,

	तथा अ.पि. जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 धारा 2(सी) 3(1) एवं 5							अध्यापकों की चयन प्रक्रिया विनियमन 1983, के विनियमन संख्या 2(एच) एवं 5, 6 भी एकल पद काडर ही मानते हैं और विनियम 6 के अंर्तगत नियुक्ति की प्रक्रिया के निर्देश दिये जाते हैं ।

353.	31 एवं 31(ए)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21049 (1990) निर्णित दिनांक 23.2. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1264 (2)	प्रेमलता पांडे प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या चिकित्सा महाविद्यालय के प्रवक्ता को 13 साल की लगातार अच्छी सेवा के एवज में रीडर के पद पर व्यक्तिगत प्रोन्नति दी जा सकती है ?	स्वीकार	हां	लंबी अच्छी सेवा के पश्चात प्रोन्नति न देना उचित नहीं है और व्यक्तिगत प्रोन्नति योजना के अंर्तगत शासनादेश दिनांक 6.9.90 के पूर्व ही प्रोन्नति दे देनी चाहिए और ऐसा न करना मनमाना और भेदभाव पूर्ण हो जाएगा ।
354.	अनुच्छेद 226 भा.सं., 7(15), 17, 21, छात्र संघ नियम 51 के साथ देखें ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2775 (1999) निर्णित दिनांक 3.4. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2031 (3) (डी.बी.) लखनऊ बेंच	ब्रम्ह वक्ष सिंह गोपाल प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. क्या कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय यूनियन के चुनाव में भागीदारी रद्द कर देने के आदेश को चुनौती दी जा सकती है ? 2. क्या विश्वविद्यालय यूनियन का संविधान, परिनियम है ?	स्वीकार	हां हां	1. चुनाव में भाग लेने का अधिकार शिक्षा के मूल भूत अधिकार से जुड़ा हुआ है और यह कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार है इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जा सकता इसी कारण से याचिका पोषणीय है । 2. छात्र संघ का संविधान विश्वविद्यालय की विधाई एवं कार्यकारी शक्तियों के फलस्वरूप है अतैव यह मानना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये याचिका दायर करना उचित है ।

355.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, अध्यादेश नियम 9	स्पेशल अपील नं. 870 (2001) निर्णित दिनांक 2.8. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1964 (3) (डी.बी.)	उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रति सोम प्रकाश रत्नाकर एवं अन्य	क्या नियम 9 में दिये गये न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक पाकर विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जा सकता है और उस आधार पर गलती से अगली कक्षा में दी गई प्रोन्नति वापस ली जा सकती है?	स्वीकार	हां	नियम एक विश्वविद्यालय अधिनियम में परीक्षार्थी को न्यूनतम 36 प्रतिशत नंबर प्रत्येक विषय में लाना है और सब का जोड़ कम से कम 85 प्रतिशत होना चाहिए तभी वह एलएल.बी. परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है और त्रुटिपूर्वक इससे कम अंक लाने पर भी परीक्षार्थी को पास घोषित कर दिया जाता है तो वह आदेश सही स्थिति ज्ञात होते ही रद्द किया जा सकता है ।
356.	शासनादेश दिनांक 30.3. 94 द्वारा निर्मित नियम देखें ।	सिविल अपील नं. 2649–2651 (2000) निर्णित दिनांक 3.8. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2477 (3) (एस.सी.)	अरविन्द कुमार कनकने प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या परा स्नातकोत्तर चिकित्सकीय कोर्स में एक बार विकल्प दे देने के बाद अभ्यर्थी उसे बदल सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	अगर विकल्प में परिवर्तन की आज्ञा दे दी जाये तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला कभी भी पूरा नहीं हो पायेगा इसलिए एक बार के पश्चात विषय परिवर्तन पर प्रतिबंध है ।
357.		सिविल अपील नं. 1874 (1999) निर्णित दिनांक 7.8. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2479 (3) (एस.सी.)	गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रति डॉ. शीतला	क्या विश्वविद्यालय पेंशन के लाभ से विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त प्रोफेसर को वंचित कर सकती है	अस्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय स्वयं आवासीय सुविधा के अनाधिकारिक उपयोग के लिए साधारण किराया पहले के समान बगैर किसी उर्ज या विरोध के लेती

				प्रसाद नागेन्द्र एवं अन्य	? इस आधार पर कि वे विभागीय आवासीय सुविधा का उपभोग सेवानिवृत्ति के 6वर्ष बाद तक करते रहे अर्थात 23.3.96 तक ?			रही और दंडीय किराया आवास खाली हो जाने के पश्चात ही मांगा गया विश्वविद्यालय अपनी निष्क्रियता के कारण किसी अनुग्रह का पात्र नहीं है और वे इस आधार पर पेंशन संबंधी देय नहीं रोक सकते हैं ।

358.	28(5) इसे अधिसूचना दिनांक 26.8. 89 एवं 16.6. 2000 तथा अनुच्छेद 14, 15(1), 15(4) एवं 29(2)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23863 (2001) निर्णित दिनांक 28.8. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 1968 (3)	संदीप पोद्दार व अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या अधिसूचना द्वारा चांसलर उ.प्र.राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2001 में लड़कियों के लिऐ 1/3 आरक्षण उपलब्ध सीटों पर कर सकते हैं ?		नहीं	ऐसा करना चांसलर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और वह आरक्षण के नियमों के परे अधिकारातीत है ।
359.	गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम संख्या 11.12 बी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5890 (1996) निर्णित दिनांक 25.5. 2001	2001 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 2007 (3) (डी.बी.)	डॉ.बलभद्र पांडे प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर पद की प्रोन्नति के लिए चयन के समय इंटरव्यू के लिये याची को न बुलाना उचित था ?	स्वीकार	नहीं	याची एम.ए., पी.एच.डी., डि. लिट. है और वरिष्ठता क्रम में सीरियल नंबर 2 पर है । प्रोफेसर पद के लिये कम से कम 10 वर्ष रीडर की हैसियत से कार्य किया गया हो और याची इस अर्हता को पूरा करता था अतः उसे प्रोन्नति के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक था ।

360.	21(3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 7985 (1995) निर्णित दिनांक 16.8. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 187 (1) (डी.बी.)	देश दीपक त्रिपाठी प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय इंजीनियर के पद का सृजन राज्य सरकार की अनुमति या संस्तुति के बिना संभव है ?	अस्वीकार	न्हीं	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत रूटीन ग्रेड क्लर्क के पद पर कार्य करते हुये अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय को इंजीनियर के पद पर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा पद कानून की दृष्टि में है ही नहीं । विश्वविद्यालय और इसकी कार्यपरिषद द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण शून्य है ।
361.	39 गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 प्रथम परिनियम संख्या 18.10 एवं 50	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 42347 (2000) निर्णित दिनांक 12.12. 2000	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 152 (1) (डी.बी.)	श्याम सदन सिंह प्रति चांसलर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्रवक्ताओं की आपसी वरिष्ठता स्नातक एवं स्नातकोत्तर पद पर कार्य कर रहे प्रवक्ताओं के मध्य एक ही काडर में है ?	स्वीकार	हां	गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, विश्वविद्यालय की धारा 50 के अंर्तगत बनाये गये हैं और 26.11.97 से प्रभावी हुये हैं उस तारीख को परस्पर वरिष्ठता सूची में कोई परिवर्तन संभाव्य नहीं है और शासनादेश के द्वारा कोई परिनियम जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में बनाया है उसे संशोधित या बदला नहीं जा सकता राज्य की कार्यकारी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 162 में दी गई हैं जिनका उपयोग कानूनी नियम, परिनियम एवं अध्यादेश के संशोधन के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

362.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 855 (2001) निर्णित दिनांक 10.10. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 5 (1) (डी.बी.)	रवीन्द्र कुमार पंत एवं अन्य प्रति चांसलर कुमाऊ विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों की शिकायत पर की गई कार्यवाही कुलपति के विरूद्ध हो तो उसमें शिकायतकर्ता कार्यकारी परिषद के सदस्य को बुलाया जाना आवश्यक है?	अस्वीकार	नहीं	चंसलर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय के नियम, परिनियम, अधिनियम एवं अध्यादेश को लागू करना उनका कर्तव्य है तथा इस संबंध में शिकायत मिलने पर अन्वेषण के पश्चात निर्णय देने का अधिकार भी उन्ही का है ।
363.	विश्वविद्यालय अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 811 (2001) निर्णित दिनांक 28.9. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 8 (1) (डी.बी.)	जितेन्द्र कुमार प्रति प्रिंसपल गर्वनमेंट पी. जी. कॉलेज वागेश्वर	क्या छात्र संघ का चुनाव कानूनी या मूलभूत संवैधानिक अधिकार है ?	अस्वीकार	नहीं	विधा के क्षेत्र में ऐसे चुनाव गौण गतिविधि हैं और कोई भी कानूनी धारा इस संबंध में विनियमित नहीं करती है अतैव विद्यार्थियों को कोई अधिकार नहीं है ।
364.	69 सी.पी.सी. नियम एक आर्डर 39	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 32743 (2001) निर्णित दिनांक 16.10. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 636 (1)	प्रबंध समिति एस.डी.पी.जी. कॉलेज मुजफ्फर नगर एवं अन्य प्रति उपकुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	क्या दीवानी निचली अदालतों को धारा 69 के प्रतिबंध के बाद भी अंतरित निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकार है ?		नहीं	संवैधानिक विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय के मामलों में पारित किये गये दीवानी न्यायालय के आदेश धारा 69 के विरूद्ध है अतः याचिका पोषणीय है क्योंकि दीवानी न्यायालय विश्वविद्यालय संबंधी मामलों में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं ।

365.	25	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11179, 14158 (2001) निर्णित दिनांक 21.12. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 690 (1)	तारीक अराफात एवं अन्य प्रति अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय	क्या हाजिरी में कमी के मामले की सुनवाई विधा परिषद कर सकती है ?		हां	विश्वविद्यालय की विधा परिषद के सामने उचित अर्जी द्वारा हाजिरी की कमी को माफ करने की प्रार्थना करनी चाहिए । रिट याचिका उचित माध्यम नहीं है ।
366.	परिनियम संख्या 21.02 के.एस. महराज विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 39133 (2001) निर्णित दिनांक 3.12. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 579 (1)	आशुतोष पांडे प्रति सचिव दुर्गानारायण कॉलेज एवं अन्य	क्या विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा पारित सेवा समाप्ति के आदेश को अनुच्छेद 226 की याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है ?	अस्वीकार	नहीं	अगर सेवा समाप्ति का आदेश दंड स्वरूप पारित किया गया है तो जिला विद्यालय निरीक्षक का पूर्व अनुमोदंन आवश्यक है अन्यथा आदेश के विरूद्ध परिनियम संख्या 21.02 में अपील पोषणीय है ।
367.	2(6), 2(19) परिनियम संख्या 12.01 लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2057 (1999) निर्णित दिनांक नवंबर 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 615 (1) (डी.बी.) लखनऊ बेंच	ए.आर. सरकार प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या लखनऊ मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों के समान सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ मिलने चाहिए ?	स्वीकार	हां	विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 2(6) तथा परिनियम 12.01 के तहत मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय का गठित कॉलेज है तथा धारा 2(19) के अंतर्गत उसके शिक्षक विश्वविद्यालय के शिक्षक ही होंगें सेवा निवृत्ति संबंधी लाभ को वे भी शासनादेश दिनांक 23.10.97 के समान पाने के अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह लाभ उन्हे न देना भेदभाव.पूर्ण है ।

368.	31(3)(सी) एवं 2(19)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 735 (2000) निर्णित दिनांक 21.11. 2001	2002 यू.पी.एल. बी.ई.सी. 620 (1) (डी.बी.) लखनऊ बेन्च	वशिष्ठ नारायण पांडे प्रति चांसलर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर	क्या निश्चित मानदेय पर नियुक्त विश्वविद्यालय का शिक्षक सम्पूर्ण अर्हताओं का धारक होने पर भी तर्दथ या अस्थाई शिक्षक के समान विनियमन का अधिकारी है ?	स्वीकृत	हां	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत शिक्षक या प्रवक्ता जो तनख्वाह पाता हो या मानदेय पाता हो दोनो में कोई भी अंतर नहीं है अतः याची सब अर्हताऐं पूरी करता है और विनियमन का अधिकारी है ।
369.	13(1)(ए) एवं 40	स्पेशल अपील नं. 473 (1992) निर्णित दिन्नांक 15.10. 92	1992 ई.एस.सी. (डी.बी.)	प्रबंध समिति कालका धाम महाविद्यालय प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या कुलपति साधारण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की अपनी शक्तियों के अंर्तगत प्रबंध तंत्र के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच का आदेश दे सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 13(1) (ए) कुलपति के महाविद्यालयों की कार्यशैली वगैरह पर नजर रखने को अधिकृत करती है । धारा 40 राज्य सरकारों को भी ऐसा ही अधिकार प्रदान करती है । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कुलपति की शक्तियों पर किसी प्रकार का अंकुश अथवा प्रतिबंध है साधारण पर्यवेक्षण के अंर्तगत कुलपति प्रबंध तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही भी कर सकते हैं ।

370.	अनुच्छेद 14 एवं 15(3) भा.सं.	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11843 (1992) निर्णित दिनांक 14.10. 92	1992 ई.एस.सी. (इलाहाबाद) (3)	कु. शारदा मिश्रा प्रति उ.प्र.राज्य	क्या अधिक अंक पाने के पश्चात भी पूर्व सैन्य कर्मचारियों पर निर्भर छात्रों की 2 प्रतिशत आरक्षण नीति के कारण भी कन्या छात्रा को 1/3 कोटा के उपर होने के कारण दाखिला न देना उचित है ?	स्वीकार	नहीं	यह लिंग भेद के सिद्धांत के विरूद्ध है ओर 2 प्रतिशत आरक्षण में पुरूष व स्त्री छात्रों का लिंग भेद के आधार पर कोटा संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है ।
371.	प्रवेश संबंधी नियम एवं 28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30764 (1992) निर्णित दिनांक 28.9. 92	1992 ई.एस.सी. (इला.) 8	अतहर अली प्रति गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय	क्या बैचलर ऑफ मैटरनिटी साइंस एवं एनीमल हसबेंड्री कोर्स में दाखिले के लिए संकल्पित नंबरों का योग निकालते समय केवल साइंस के अंकों को ही जोड़ना होगा ?	स्वीकार	हां	कला के विषयों के अंको को संकलित योग निकालते समय छोड़ना चाहिए । केवल विज्ञान के विषयों में प्राप्तांक ही संकल्पित योग के लिए महत्वपूर्ण है ।
372.	48 प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9608 (1991) निर्णित दिनांक 29.9. 92	1992 ई.एस.सी. (इला.) 19	सुशील कुमार सिंह प्रति रजिस्ट्रार/ परीक्षा अधीक्षक इला. विवि	क्या छात्र का परीक्षाफल केवल शंका के आधार पर उसकी मेज के पास से कागज की पुर्जियां मिली हैं उचित है?	स्वीकार	नहीं	परीक्षा हॉल में अनेक परीक्षार्थी साथ बैठते हैं पर्चियां या अन्य लेखन सामग्री जब तक कि छात्र के पास से या छात्र द्वारा दिये गये उत्तर से मेल न खाती हो, को आधार नहीं माना जा सकता ।

373.	प्रवेश संबंधी नियम 28(5)	सिविल अपील नं. 3065 से 3074 (1991) निर्णित दिनांक 26.7.91	1992 ई.एस.सी. (एस.सी.) 143	चेयरमेन डायरेक्टर सम्मिलित प्रवेश परीक्षा प्रति ओसिरिस दास एवं अन्य	क्या बी.टेक में पंत नगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण उचित है ?	स्वीकार	नहीं	इस प्रकार का आरक्षण संविधान की भावना के विरूद्ध है और भेदभाव पूर्ण हैं ।
374.	प्रवेश संबंधी नियम 28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2635 (1992) निर्णित दिनांक 16.4.92	1992 ई.एस.सी. (इला.) 164	धर्मेन्द्र सिंह प्रति प्राचार्य एस. एन.कॉलेज चंदौसी	क्या विश्वविद्यालय द्वारा छात्र की पसंद का विषय न देना उचित है ?	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक अंक न पाने के कारण किसी विषय में प्रवेश न देना विधिसम्मत है पिछड़े वर्ग की सूची में निर्धारित अंक न पाने पर याची को उसका पसंदीदा विषय नहीं दिया जा सकता है जो कि कदापि अनुचित नहीं था ।
375.	31(3) (बी) एवं 31(6) (8)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23453 (1987) निर्णित दिनांक 22.4.91	1992 ई.एस.सी. (इला.) (डी.बी.) 295	डॉ. शंभूनाथ श्रीवास्तव प्रति उपकुलपति काशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या अस्थाई नियुक्ति पद पर कार्य कर रहे प्रवक्ता की सेवाऐं नियमित की जा सकती है ? जिसे कुलपति आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके बगैर चयन समिति को भेजे नियुक्त किया हो ?	अस्वीकार	नहीं	चूंकि कुलपति ने अस्थाई नियुक्ति को चयन समिति के समक्ष नहीं रखा था और यह केवल छः माह के लिए थी । अतः इस नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता ।

376.	नियम (जी) (2) लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश संबंधी नियम दि. 12.1.92	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 964 (1991) निर्णित दिनांक 15.5. 92	1992 ई.एस.सी. (एस.सी.) 379	पी.के.गोयल प्रति यू.पी. मेडिकल काउंसिंल	क्या स्नातकोत्तर कोर्स के दाखिले के लिये किये गये राज्य स्तरीय परीक्षा में एक मेरिट लिस्ट की अंर्तगत विभिन्न महाविद्यालयों की मेरिट लिस्ट छात्र की पसंद के अनुसार बनाना उचित है ?	स्वीकार	नहीं	ऐसी बनाई गई मेरिट लिस्ट मनमानी एवं भेदभाव पूर्ण है किसी भी अभ्यर्थी द्वारा यह अधिकार आधार नहीं हो सकता कि एक विशिष्ट विषय में ही उसका दाखिला हो, दाखिले केवल कॉमन मेरिट लिस्ट से ही होंगें ।
377.	प्रवेश संबंधी नियम 28(5)	सिविल अपील नं. 781 से 783 निर्णित दिनांक 13.2. 92	1992 ई.एस.सी. (एस.सी.) 505	उ.प्र.राज्य एवं अन्य प्रति डॉ. अनुपम गुप्ता एवं अन्य	क्या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के निम्नतम 50 प्रतिशत अंकों की शर्त उचित है ?	स्वीकार	हां	मानक स्थापित करने का कारण चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन का स्तर बनाये रखना है अतः स्नातकोत्तर अध्ययन में प्रवेश प्राप्तांक 50 प्रतिशत रखना सर्वथा उचित है ।
378.	31	स्पेशल अपील नं. 8 (1991) निर्णित दिनांक 26.2.92	1992 ई.एस.सी. (डी.बी.) (इला.) 531	एस.के.वर्मा प्रति समर बहादुर सिंह एवं अन्य	क्या प्राचार्य की तर्दथ नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है तथा क्या एम.एड. की डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री है ?	स्वीकार	हां	एम.एड. की डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री है और इसलिए वह किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है ।

379.	परिनियम संख्या 12.05 ई. प्रथम परिनियम आगरा विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 3226 (1978) निर्णित दिनांक 8.9.92	1993 ई.एस.सी. (1) 57	माथुर वैश्य शिक्षा परिषद प्रति चांसलर आगरा विश्वविद्यालय एवं अन्य	1' क्या प्रबंध समिति अपने संविधान में कुलपति के अनुमोदन के बगैर संशोधन कर सकती है ? 2. क्या कुलपति द्वारा निर्णित प्रत्यावेदन के विरूद्ध संदर्भ में चांसलर द्वारा त्रुटि पूर्वक उस निर्णय को कुलपति ने किस प्रावधान में पारित किया है तथा न समझ पाने पर क्या कुलपति के आदेश को पलटा जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं नहीं	1. खंड 10 में शिक्षा परिषद की साधारण सभा भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती और इस वजह से प्रबंध समिति पहले अपने गठन को शिक्षा परिषद के संविधान के अनुरूप ढाले अन्यथा उसके द्वारा किया गया गठन संविधान में परिवर्तन, खंडित किये जाने योग्य है । 2. कुलपति द्वारा सही प्रावधान न समझ पाने के कारण हुई त्रुटि के कारण चांसलर का आदेश विधि विरूद्ध है । अतः उच्च न्यायालय ने उसे खंडित करके कुलपति के आदेश को बहाल कर दिया ।
380.	प्रवेश संबंधी नियम 28(5)	स्पेशल अपील नं. 446 (1992) निर्णित दिनांक 17.12. 92	1993 ई.एस.सी. (डी.बी.) (1) इलाहाबाद 244	अनुज माथुर प्रति इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या इंटरमीडिएट कृषि परीक्षा कृषि विश्वविद्यालय नैनी से प्राप्त करके बी.एससी. कृषि में प्रवेश लेने की सुविधा बगैर प्रवेश परीक्षा पास किये हुये, वापस ली	अस्वीकार	हां	चूंकि प्रास्पेक्टस 1990–91 के सत्र में विद्यालय के इंटर पास विद्यार्थी को बी.एससी. में प्रवेश लेने की सुविधा थी अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसी सत्र में विद्यालय स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा नहीं ले सकता महाविद्यालय का आदेश

					जा सकती है ?			विवंध के सिद्धांत से प्रतिबंधित है । महाविद्यालय प्रवेश की नीति समयानुसार बदलने का अधिकारी है ।

381.	2(19), 13(6)(8), उ. प्र. विश्वविद्यालय अध्यादेश 1991 संशोधित खंड –2	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9097 (1992) निर्णित दिनांक 3.2.93	1993 ई.एस.सी. (1) 274	डॉ. के.के. सिंह प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या 22.11.91 के पश्चात कुलपति को विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार है ?	अस्वीकार	नहीं	सहायक निदेशक का पद प्रवक्ता के पद के या शिक्षक के पद के बराबर तो है ही तथा 22.11.91 के पश्चात चूंकि कुलपति शिक्षक की विश्वविद्यालय में नियुक्ति नहीं कर सकते अतैव याची किसी भी अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है ।
382.	28(5), शासन की अधिसूचना दिनांक 13.4. 93	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 14782 (1993) निर्णित दिनांक 3.5.92	1993 ई.एस.सी. (इला.) 530	प्रीति गुप्ता प्रति उ.प्र.राज्य	क्या प्रदेश के बाहर के मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से प्रदेश के भीतर मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में छात्र का प्रथम व्यवसायिक परीक्षा पास करने के बाद तबादला हो सकता है ?		हां	शासनादेश दिनांक 13.4.93 के पश्चात यह संभव है ।
383.	29	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 14783 (1993) निर्णित दिनांक 27.4. 93	1993 ई.एस.सी. (2) 16	कु. मोनिका दीक्षित प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या प्रदेश से बाहरी राज्य से प्रदेश के अंदर प्रथम व्यवसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद तबादला संभव है ?		हां	शासनादेश दिनांक 13.4.93 को जो विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 29 के अंर्तगत पारित किया गया है, के द्वारा यह संभव हो सका है ।

384.	31 एक्सप्लानेशन 1 से खंड सी उपखंड 5 एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5645 (1993) निर्णित दिनांक 19.5. 93	1993 ई.एस.सी. (डी.बी.) (2) (18)	डॉ. जी.के. राय प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर पद सामाजिक आर्थिक इतिहास, प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुनः विज्ञापन देना आवश्यक होगा ? क्योंकि विज्ञापन में पद के बारे में कुछ नहीं लिखा था ?		नहीं	याची इसी विषय में रीडर के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत है और विज्ञापन में दी गई अर्हता केवल उसी विषय में थी और याची को इसका ज्ञान था याची ने चयन समिति या उसके गठन को चुनौती नहीं दी है । याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि कार्यपरिषद के निर्णय के विरूद्ध धारा 68 में संदर्भ संभव है ।
385.	28(3)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 35439 (1992) निर्णित दिनांक 12.4. 93	1993 ई.एस.सी. (इला.) (2) 42	कु. मोहिनी गुप्ता प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या सत्र 1992–93 के लिए दी गई प्रवेश नीति में व्यवसायी विषय के दो प्रतिशत अंक प्राप्तांक के कुल योग में जोड़ा जाना नीति सम्मत है ?	अस्वीकार	ळां	चूंकि विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाई का भाग नहीं है अतः विश्वविद्यालय की इस बारे में नीति विधिसम्मत ही है तथा विधा परिषद का निर्णय विधि अनुरूप ही है ।

386.	13(6) एवं 13(8)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 25101 (1991) निर्णित दिनांक 19.5.93	1993 ई.एस.सी. (डी.बी.) (2) 49	हिमांशु चतुर्वेदी प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार	क्या विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा अंशकालिक प्रवक्ता की नियुक्ति नियमित चयनित प्रवक्ता के नियुक्त हो जाने पर तय करने पर भी वक्त से पहले सेवाऐं समाप्त की जा सकती है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि कुलपति ने अंशकालिक प्रवक्ता की नियुक्ति नियमित चयन तक की है तो है तो वह नियमित चयनित प्रवक्ता के आने तक प्रभावी रहे यह तर्दथ नियुक्ति को 6 माह पश्चात् बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है ।
387.	57 एवं 58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30775 (1992) निर्णित दिनांक 19.9.92	1993 ई.एस.सी. (इला.) (2) (एस.ओ.सी.) (30) 55	प्रबंध समिति धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ प्रति उ.प्र.राज्य	क्या अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति में कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट आरोप होने चाहिए ?	स्वीकार	हां	चूंकि कारण बताओ नोटिस में आरोप स्पष्ट नहीं थे तथा राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में पहुंचे गये निष्कर्ष स्पष्ट नहीं थे अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और नियंत्रक की नियुक्ति का आदेश खंडित करने योग्य है ।
388.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, 32 वां संशोधन, प्रथम परिनियम संख्या 21.01 (5) (सी), 1989	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2295 (1992) निर्णित दिनांक 20.5.93	1993 ई.एस.सी. (डी.बी.) (इला) (एस.ओ.सी.)(2) 9	ए.के.राय प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या परिनियम में संशोधन कर निम्नतम अर्हता में बराबर अच्छी शैक्षणिक योग्यता जोड़ा जाना विधिसम्मत है ?	स्वीकार	नहीं	कानून के प्रवक्ता पद के लिये नियुक्ति की अर्हताओं में संशोधन करने के पश्चात् मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री तथा बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री में द्वितीय श्रेणी की शैक्षणिग योग्यता पर्याप्त मानी गई है । यह युक्ति संगत संबंध नहीं बनाती है । इस ध्येय से जिसके लिये इसे लाया गया है ।

389.		सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18918 (1991) निर्णित दिनांक 17.3. 93	1993 ई.एस.सी. (डी.बी.) (एस. ओ.सी.) (2) इलाहाबाद	अल्पना प्रति उ.प्र. लोक सेवा आयोग	क्या पी.एस.एस.(जे) परीक्षा में फार्म जमा करने की अंतिम तारीख पर एल.एल.बी. तृतीय वर्ष की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा फल बाद में निकलने के कारण यह कहकर इंटरव्यू में नहीं बुलाये जाने का कारण पर्याप्त है कि अंतिम तिथि पर उसकी उचित अर्हता नही थी ?	स्वीकार	नहीं	आयोग परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देकर उसे सफल हो जाने पर परीक्षार्थी को इस कारण से साक्षात्कार से नहीं रोक सकता है कि फार्म जमा करने की तारीख पर उसका एलएल.बी. तृतीय वर्ष का परीक्षाफल नहीं निकला था । चूंकि परीक्षा देने के बाद ही फार्म भरा गया और परीक्षाफल में वह उत्तीर्ण भी हुई एवं आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई तब साक्षात्कार के लिए न बुलाना मनमाना एवं अनुचित व्यवहार है तथा आयोग के इस कृत्य के परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ है ।
390.	28(3), 28(5)	स्पेशल अपील नं. 546 (1992) निर्णित दिनांक 12.5. 93	1993 ई.एस.सी. 90 (3) (डी.बी.)	इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय नैनी प्रति अमीर हुसैन	क्या तकनीकी कोर्स, अनुक्रम, में दाखिले के आदेश उच्च न्यायालय पारित कर सकता है ?		नहीं	तकनीकी अनुक्रमों के लिए वैज्ञानिक आधार तथा पूर्ण विकसित प्रयोग शाला की आवश्यकता होती है इस परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय का निर्देश प्रवेश के बारे में उचित नहीं होगा ।

391.	प्रथम परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1204 (1984) निर्णित दिनांक 31.3. 93	1993 ई.एस.सी. 51 (3) (डी.बी.)	वी.के. कुशवाहा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या निर्णय लेने के पूर्व उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को बचाव का समुचित अवसर एवं सुनवाई देना अति आवश्यक है ।	स्वीकार	हां		अनुशासनात्मक कार्यवाही विधि सम्मत सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के प्रतिष्ठित नियमानुसार होनी चाहिए यह न होने पर सारी कार्यवाही खंडित करने योग्य हो जाती है ।
392.	उ.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1984, धारा 2	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 451 (1984) निर्णित दिनांक 28.01. 93	1993 ई.एस.सी. 131 (डी.बी.) (3)	डॉ. सुनील कुमार सिन्हा प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या संशोधन अधिनियम सन् 1984 की धारा 2 के अंर्तगत अस्थाई प्रवक्ता जो 10.12.81 लगातार कार्य कर रहा है, कि सेवाऐं विधिसम्मत एवं संवैधानिक हैं ?	स्वीकार	हां		सन् 1978 से अर्थात 1.7.78 से 1.10.84 के मध्य नियुक्त किये गये कार्यरत प्रवक्ता का पद विधिमान्य करते हुए याची की नियुक्ति महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में विधिसम्मत की जायेगी ।
393.	31(3)(बी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23173 (1993) निर्णित दिनांक 6.7.93	1994 ई.एस.सी. 284 (3) (डी.बी.)	ईष्ट देव पांडे प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या धारा 31(3) (बी) के प्रावधान उन सब अस्थाई पदों पर लागू होते हैं जो बाद में स्थाई हो गये हैं ?	अस्वीकार	हां		विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(बी) में अस्थाई पद पर नियुक्त चयन समिति के द्वारा होती है विशेषतयः जब उक्त पद की 6 माह से चलने की संभावना हो अतः जब पद स्थाई रूप से रिक्त हो जाता है तब उसे अस्थाई रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति से भरा जा सकता है अगर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद या महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र अवसर देकर उसकी सेवाऐं समाप्त न कर दे ।

394.		सी.एम.डब्लू.पी. नं. 607 (1992) निर्णित दिनांक 8.2.93	1993 ई.एस.सी. 391 (3) (एस.सी.)	उन्नी कृष्णन, जे.पी. प्रति आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य	क्या भारत का संविधान इस बात की गारंटी करता है शिक्षा का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार है ? (सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है जो आंध्रप्रदेश के केस में है पर यह उ.प्र. पर भी लागू होगा ।)		हां	संविधान पीठ ने सारी व्यवस्थाओं की विवेचना करते हुए अंतिम व्याख्या एवं व्यवस्था दी है कि यह मूल भूत मौलिक अधिकार है, किन्तु यह अत्यांतिक अथवा पूर्ण अधिकार नहीं है । हर नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है किन्तु उसके बाद राज्य की आय एवं संसाधनों पर ही निर्भर है कि दी जाने वाली शिक्षा का क्या स्वरूप हो यहां यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि इस संवैधानिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण देश की शिक्षा नीति का विश्लेषण करने के महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जो सारे भारत वर्ष पर लागू होगा ।
395.	28(5)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 842 (1992) निर्णित दिनांक 30.8. 93	1994 ई.एस.सी. 74(1) (इलाहाबाद)	कु. प्रतिमा श्रीवास्तव प्रति पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या बी.एड. का फार्म भरते समय परीक्षार्थी/ अभ्यर्थी का का बी.एससी. का परीक्षाफल नहीं आया	स्वीकार	हां	चूंकि परीक्षाफल परीक्षा के अंतिम पर्चे से माना जाएगा अतः प्रवेश के लिए या प्रवेश की परीक्षा के लिए कोई भी निश्चित तारीख परीक्षाफल

					था तब भी वह प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है ?			घोषित होने की तिथि से पूर्व नहीं हो सकती अन्यथा यह मनमानी पूर्ण और विधि विपरीत है इसके अतिरिक्त इस केस में अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने दिया गया था अतः प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश न देना विधि अनुमन्य नहीं है ।

396.	31 एवं 68 इसे लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 11.1 के साथ देखें	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8886 (1988) निर्णित दिनांक 18.5.93	1994 ई.एस.सी. 17 (डी.बी.) (1)	एम.स्माइल फारूखी प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या नियुक्ति के समय न्यूनतम अर्हताओं में ढील देना तथा प्रमाण पत्रों के दाखिल होने के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देना पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं पक्षपात पूर्ण है ?		हां	विश्वविद्यालय के परिनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण के बाद यह सावित हो जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी को जो न्यूनतम अर्हता रखता हो, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाता है जबकि भेदभाव एवं पक्षपात पूर्ण नीति के अंर्तगत न्यूनतम अर्हताओं में भी ढील दी गई है । संविधान इसकी आज्ञा नही देता है और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के कारण खंडित की जाती है तथा विश्वविद्यालय पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाता है ।
397.	सं.सं. महाविद्यालय के प्रथम परिनियम के प्रथम प्रावधान एवं अध्याय 11 ए विश्वविद्यालय अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8570 (1993) निर्णित दिनांक 13.8.93	1994 ई.एस.सी. 55 (इलाहाबाद) (1)	सुनील कुमार शर्मा प्रति प्रबंधक दैवी संपद आध्यात्म सं. महा. परमार्थ निकेतनस्वर्गाश्रम ऋषिकेष	क्या लिपिक का सेवा से पृथक किये जाने का आदेश उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित न किया जाना विधिअनुमन्य है ?	स्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय नियम के अंर्तगत संबद्ध महाविद्यालयों के गैर शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बनाए गये परिनियम (1) सन् 1977 के अंर्तगत संख्या 4(6) के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता है और ऐसा न करने पर प्रबंध तंत्र द्वारा पारित सेवा पृथक्कीकरण का आदेश विधि विपरीत एवं असंवैधानिक है ।

398.	विनियम 26 जी.बी.पंत विश्वविद्यालय पंत नगर	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12925 (1993) निर्णित दिनांक 22.9.93	1994 ई.एस.सी. 233(1) (इलाहावाद)	अशोक शर्मा प्रति उपकुलपति जी.बी.पंत यूनिवर्सिटी पंत नगर	क्या परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश न देना उचित है ?	अस्वीकार	हां	विनियम 26 की आज्ञापक भाषा के कारण उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान की धारा कोई आदेश देना उचित नहीं समझा । अभ्यर्थी दया की भीख मांगते हुए कुलपति को प्रत्यावेदन दे सकता है ।
399.	अध्याय 16, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विनियम पैरा–2	सी.एम.डब्लू.पी. नं.29088 (1991) निर्णित दिनांक 7.1.94	1994 ई.एस.सी. 448 (इलाहाबाद)(1)	धून्नु लाल प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय में चपरासी की नियुक्ति कर सकते हैं ?	अस्वीकार	नहीं	केवल कुलपति को विश्वविद्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है । जो विनियम द्वारा प्रदत्त है ।
400.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं.40048 (1993) निर्णित दिनांक 15.3.94	1994 ई.एस.सी. 147 (डी.बी.) (2) इलाहाबाद	टी.एंड ए. एस.ए. मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रति कनवीनर स्टीयरिंग कमेटी	क्या चयन समिति के गठन में हुई अनियमितता को चांसलर धारा 68 के प्रत्यावेदन में ठीक कर सकते हैं ?	अस्वीकार	नहीं	अगर चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचना होने के बाद भी मात्र दो सदस्य उपस्थित हो तो यह चयन प्रक्रिया में कोई दोष पैदा नहीं करती अगर विशेषज्ञ जो राज्य के बाहर के हैं वे नही भी आते हैं तो यह केवल यह अनियमितता होगी किन्तु इससे चयन प्रक्रिया दूषित नहीं होगी और ऐसा करना विधि सम्मत होगा ।

401.	60 (डी) (1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं.415 (1993) निर्णित दिनांक 16.5.94	1994 ई.एस.सी. 322 (इलाहाबाद) (2)	प्रबंध समिति सदानंद डिग्री कॉलेज फतहपुर प्रति डी.आई.ओ. एस.फतहपुर	क्या प्रबंध समिति के विवाद के कारण संयुक्त निदेशक एकल लेखा संचालन का आदेश पारित करके जिला विद्यालय निरीक्षक को महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन वितरण का अधिकार दे सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत शासन उपशिक्षा निदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी को वेतन वितरण करने का आदेश दे सकता है या वे स्वयं ऐसे आदेश पारित कर सकते हें जिससे महाविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे ।
402.	31(3) (ए) इसे कानपुर विश्वविद्यालय पुराने परिनियम संख्या 11.4 के साथ देखें	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11154 (1986) निर्णित दिनांक 4.8.94	1994 ई.एस.सी. 437 इलाहाबाद (2)	सत्य प्रकाश खरे प्रति निदेशक उच्च शिक्षा एवं अन्य	क्या अस्थाई रिक्ति पर स्थाई नियुक्ति की जा सकती है अथवा स्थाई पद पर कोई अस्थाई नियुक्ति हो सकती है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि विनियम (पुराने) संख्या 11.4 के अंर्तगत किसी भी स्थाई पद पर कोई अस्थाई नियुक्ति नहीं हो सकती अतः याची की नियुक्ति 22.9.73 से स्थाई रूप से मानी जायेगी । उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 28.9.73 से प्रभावी हुआ था । इस पद पर कोई अस्थाई नियुक्ति अगर थी भी तो 22.9.73 से उसका अंत हो गया है, वरिष्ठता संबंधी विवाद उचित पटल पर उठाया जा सकता है

403.	68 एवं 226 अनुच्छेद भा. सं.	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 17411 (1987) निर्णित दिनांक 12.7. 94	1994 ई.एस.सी. 571 (डी.वी.) (2)	डॉ. एन.के. शाह प्रति चांसलर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल	क्या अनुकल्पिक उपचार जो धारा 68 में प्रत्यावेदन के स्वरूप में उपलब्ध है वह अनुच्छेद 226 की याचिका की पोषणीयता में बाधक है ?	आंशिक रूप से स्वीकार	नहीं	ज्ब कोई आदेश शून्य हो या बगैर क्षेत्राधिकार के पारित किया गया हो तो कोई भी विधि उपलब्ध उपचार, अनुच्छेद 226 की याचिका में बाधक नहीं बन सकता है क्योंकि चुनौती दिया गया आदेश शून्य एवं सम्पूर्ण रूप से गैर कानूनी है ।
404.	28(5) एवं 10(ए), डेन्टिस्ट एक्ट 1948	सिविल अपील नं. 6078 (1994) निर्णित दिनांक 9.9.94	1994 ई.एस.सी. 657 (एस.सी.)	उ.प्र.राज्य एवं अन्य प्रति प्रवीण कुमार शर्मा एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत शासन को चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश संबंधी मामलों को नियमित करने का अधिकार प्राप्त है ?	स्वीकार	हां	डेन्टिस्ट एक्ट 48 में सन् 93 के संशोधन द्वारा, 10–ए को जोड़े जाने से डेन्टल कॉलेजों में सीट बढ़ाने के पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है । अतः शासन के उस आदेश जिसके द्वारा बाहर से एवं प्रदेश के अंदर से विभिन्न डेन्टल महाविद्यालयों में छात्रों का तबादला करके प्रवेश दिया जा सकता है । शासन को ऐसा आदेश प्रवेश नियंत्रण एवं नियमितिकरण शक्तियों के अंर्तगत पारित करने का अधिकार है ।

405.	2(8), 20 प्रथम परिनियम मेरठ विश्वविद्यालय 18.10 (ई)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2584 (1987) निर्णित दिनांक 23.8. 94	1994 ई.एस.सी. 615 (डी.बी.) (2)	डॉ.जगदीश प्रसाद गौड़ प्रति चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय	क्या धारा 68 के प्रत्यवेदन का निस्तारण करते समय चांसलर परिनियम प्रथम मेरठ विश्वविद्यालय 18.10 (ई) का प्रयोग करके संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का वरिष्ठता क्रम तय कर सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	मेरठ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम संख्या 18.10(ई) के प्रावधान स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि विधि द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों में की गई नौकरियों की अवधि भी विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा मान्य संबंधित महाविद्यालयों में वरिष्ठता सूची तैयार करते समय जोड़ी जा सकती है ।
406.	परिनियम 17. 15, मेरठ विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12970 (1992) निर्णित दिनांक 25.10. 94	1994 ई.एस.सी. 338 (डी.बी.) (3)	डॉ.एन.सी. जैन प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या महाविद्यालय का प्रवक्ता सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात भी कार्यरत रह सकता है ओर एक वर्ष के कार्यकाल की वृद्धि 30 जून को सेवानिवृत्ति होने के बाद भी पा सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	शिक्षा सत्र 30 जून को समाप्त हो जाता है तथा विश्वविद्यालय अधिनियम में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष यदि 30 जून को समाप्त हो जाती है यानि जन्म तिथि 1 जुलाई हो तब सत्र के अंत तक सेवाकाल की वृद्धि का लाभ देना संभव नहीं है ।

407.	4 एवं 5 उ. प्र.उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 1980	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18877 (1990) निर्णित दिनांक 19.10. 94	1994 ई.एस.सी. 402 (डी.बी.) इलाहाबाद (3)	डॉ.गिरजा शंकर दुवे प्रति उ.प्र.उच्च शिक्षा आयोग	1. क्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का चुनाव उच्च शिक्षा आयोग द्वारा किये जाने के पश्चात इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अन्य अभ्यर्थियों का चुने गये अभ्यर्थी से शैक्षणिक स्तर और अनुभव अधिक था ? 2. क्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को उच्च शिक्षा आयोग से चयनित होने के पश्चात महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र नियुक्ति पर योगदान देने से रोक सकता है ?	अस्वीकार अस्वीकार	नहीं नहीं		1. अधिनियम एवं विनियम की विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट है कि आयोग में शिक्षा क्षेत्र के प्रसिद्ध लोग ही सदस्य हों जो निष्पक्ष होकर ही अभ्यर्थियों का परस्पर स्तर की परीक्षा में आंकलन करते हैं । 2. चूंकि प्राचार्य की ओर से कोई त्रृटि अपने पद को ग्रहण करने के संबंध में नहीं है तथा प्रबंध तंत्र की हीला हवाली से चयनित प्राचार्य को पद नहीं ग्रहण करने दिया गया तव इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नियुक्ति संबंधी आयोग की संस्तुति निष्क्रिय या निष्फल हो गई है उच्च न्यायालय ने महादेश जारी करते हुए प्रबंध तंत्र को आदेश दिया कि वे अविलंब प्राचार्य पद का भार चयनित प्राचार्य को सौंप दें ।

408.	परिनियम संख्या 25.04 प्रथम परिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11581 (1981) निर्णित दिनांक 14.11.94	1994 ई.एस.सी. 497 (इलाहाबाद)	योगंन्द्रनाथ सिंह एवं अन्य प्रति डी.आई.ओ.एस.जौनपुर	क्या संबद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी की नियुक्ति पर शिक्षा निदेशक का अनुमोदन लेना आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी 1977 का प्रथम परिनियम संख्या 4 के अर्तगत ही होता है । इसी परिनियम द्वारा उनकी नियुक्ति की अर्हताऐं एवं सेवा शर्तें नियंत्रित होती है । इसके प्रावधानों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के संयुक्त विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशक का अनुमोदन आवश्यक है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन आवश्यक नहीं है तथा वह इस संबंध में कुछ करने का अधिकारी भी नहीं है।
409.	35 एवं परिनियम 17.4 से 17.9 तक प्रथम परिनियम उ. प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम	स्पेशल अपील नं. 133 (1994) निर्णित दिनांक 10.7.94	1994 ई.एस.सी. 559 (डी.बी.) इलाहाबाद (3)	श्रीमति शशिबाला प्रति प्रबंधिका कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हाथरस	क्या अध्यापक महाविद्यालय से इस्तीफा देकर पुनः सेवा बहाली पा सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	क्योंकि अध्यापक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के अध्याय 17 के अंतर्गत सेवा संविदा को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने पद से स्तीफा देता है तब नियोजक/नियोक्ता केवल उसको स्वीकार करता है

								स्वीकार करने की प्रक्रिया का यह आशय नहीं है कि नियोक्ता ने अध्यापक की सेवाऐं समाप्त कर दी हैं बल्कि अध्यापक का स्तीफा एक स्वेच्छिक कदम है और उसमें कुलपति के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता है तथा परिनियम संख्या 17.6 आकर्षित नहीं होता है । अतः सेवा में बहाली कदापि संभव नहीं है ।

410.	50(1) (वी) गोरखपुर विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 11, 13 (1) (2)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 24381 (1992) निर्णित दिनांक 17.10. 94	1995 ई.एस.सी. 67 (डी.बी.) इलाहाबाद	डॉ. दीप नारायण त्रिपाठी प्रति निदेशक उच्च शिक्षा एवं अन्य	क्या तर्दथ नियुक्ति में प्रवक्ता पद पर अर्हताओं को ढील दी जा सकती है ?	स्वीकार	हां	चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियमों में ऐसी ढील देने की सुविधा है और वे ही जब तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परिनियम प्रकाशित न हो जाये तव तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी लगेंगें । अतः चयन समिति द्वारा अर्हताओं में दी गई छूट को कुलपति ने भी अनुमोदित किया अतः चयन प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है तथा याची का उसके पद पर नियमितकरण करना उचित होगा ।
411.	संविधान का 7 वां शेड्यूल, लिस्ट–1, एन्ट्रीज 63 एवं 66, धारा 12, 12(ए) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधि. 1956	सिविल अपील 1819 नं. (1994) निर्णित दिनांक 8.9. 94	1995 ई.एस.सी. (एस.सी.) (1)	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रति राज सिंह एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियंम को पारित करने का अधिकार संसद को था ?	अस्वीकार	हां	अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्येश्य देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखना है । इसके अंर्तगत बनाये गये विनियम शिक्षक की अर्हताओं के मानक भर बताते हैं लेकिन विश्वविद्यालय के स्वतंत्र स्वरूप अनुरूप वे अपने यहां शिक्षक की नियुक्ति लिखित या साक्षात्कार या दोनो ही प्रक्रियाओं को अपनाकर कर सकते हैं मुख्य उद्देश्य शिक्षा का उच्च स्तर बनाये रखना है ।

412.	गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम पार्ट–3, चेप्टर 16, पैरा 16 से 24, 13 से 24, 17 से 13	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37155 (1994) निर्णित दिनांक 13.12. 94	1995 ई.एस.सी. 355 (डी.बी.) (1)	डॉ.यू.एस. उपाध्याय प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या सत्र के मध्य में रिटायर होने वाले प्राध्यापक को सत्र के अंत याने 30 जून तक कार्यरत माना जायेगा ?	स्वीकार	हां	गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम तथा कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये विनियम इस बात की अनुमति देते हैं कि सत्र के मध्य सेवानिवृत्ति न करके सत्र समाप्ति पर ही प्राध्यापक को सेवानिवृत्त किया जाये । इसके पीछे कानूनी उद्येश्य मात्र इतना है कि छात्रों को अपने अध्यापक जो उन्हे वर्षों से पढ़ा रहा है, को निर्देश अवाधित रूप से निरन्तर मिलता रहे सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात सत्रावसान की तिथि तक प्राध्यापक पुनः नौकरी पर रखे हुए माने जायेंगें ।
413.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2894 (1990) निर्णित दिनांक 20.10. 94	95 ई.एस.सी. 437 (डी.बी.) (1)	भारत भूषण त्रिपाठी प्रति काशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या परियोजना अधिकारी के पद से हटाये जाने के संबंध में कुलाधिपति के समक्ष प्रत्यावेदन सक्षम है ?	स्वीकार	हां	चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा अशिक्षा को समाप्त करने की योजना के अंर्तगत परियोजना अधिकारी के सृजित पद पर याची की नियुक्ति हुई थी तो उसके तथा विश्वविद्यालय के मध्य में सेवायोजक एवं सेवक का संबंध स्वतः बन जाता है, और ऐसी सेवा से हटाये जाने के आदेश कुलाधिपति की पुर्नविलोकन शक्ति में आता है ।

414.	उ.प्र.उ.शि. आयोग अधिनियम 1980 की धारा 13(4), विश्वविद्यालय अधिनियम प्रावधान एवं परिनियम के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 29192 (1993) निर्णित दिनांक 19.6.95	1995 ई.एस.सी. 393 (डी.वी.)(2)	डॉ. योगेश कुमार गुप्ता प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या महाविद्यालय के प्राचार्य की नियमित नियुक्ति के चयन के पूर्व अधिसूचना एवं विज्ञापन होना आवश्यक है ?	स्वीकार	हां	किसी भी प्रकार का शार्टकट तरीका विधिअनुमन्य नहीं है इन नियमित रिक्तियों को चयन करते समय निदेशक को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह आयोग को किसी रिक्ति के बारे में सूचित न करे इस प्रकार बिना आयोग को अधिसूचित किये और सार्वजनिक विज्ञापन न करके चयन प्रक्रिया को शार्ट कट करके नियमित रिक्ति को भरा नही जा सकता ।
415.	विश्वविद्यालय अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 11804 (1995) निर्णित दिनांक 5.5.95	1995 ई.एस.सी. 350 (इला.)	ओम प्रकाश पांडे प्रति उपकुलपति काशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या छात्र संघ के चुनाव में भाग न लेने का प्रतिबंध विश्वविद्यालय के अधिकारी लगा सकते हैं ?		हां	चूंकि विश्वविद्यालय निगमित निकाय है अतः इसके कार्यों में दखल दिया जाना उचित नहीं है विश्वविद्यालय के अधिकारी ही यह तय करेंगें कि छात्र संघ के चुनाव में भाग लेने का अधिकार छात्र को है या नहीं ।
416.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37981 (1994) निर्णित दिनांक 10.4.95	1995 ई.एस.सी. 203 (इला) (2)	कु. रूचिरा चौहान प्रति रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या एम.एससी. फाइनल के परीक्षा फल को इस आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता है कि एक	स्वीकार	हां	विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार यदि किसी एक पेपर में छात्र के अंक अच्छे नहीं आये हैं तो वह सुधार परीक्षा देकर नंबरों में सुधार कर

				बरेली	ही वर्ष में दो परीक्षाऐं देकर छात्र अपने कमजोर विषय को सुधार सकता है और दोनो मिश्रित परीक्षाफल क्या घोषित किया जाना चाहिए ?			सकता है परीक्षा समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके एक छात्र द्वारा ही एक वर्ष में दो परीक्षाओं मे बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया किन्तु छात्रों को इसकी सूचना नहीं दी गई विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि वह नंबरों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित करे ।

417.	48	स्पेशल अपील नं. 97 (1995) निर्णित दिनांक 22.02.95	1995 ई.एस.सी. 172 (डी.बी.) इला.	राजीव कुमार सिन्हा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या परीक्षा में अनुचित सामग्री का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा फल को निरस्त करने तथा आगे की परीक्षा में बैठने पर रोक लगाने के आदेश को, इस बारे में बिना आरोप लगाये और परीक्षार्थी को बचाव का अवसर न देने को बिधि अनुमन्य ठहराया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	आदेश पूर्णतया विधि विपरीत है, तथा खंडित किये जाने योग्य है क्योंकि परीक्षा समिति ने अनुचित सामग्री का उपयोग करने का निष्कर्ष तो निकाला परन्तु परीक्षार्थी के विरूद्ध इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया था अतः आदेश पूर्णतया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ।
418.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6825 (1995) निर्णित दिनांक 13.4.95	1995 ई.एस.सी. 129 (इला..) (2)	महिपाल सिंह प्रति उपकुलपति चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	क्या एम.बी.बी.एस.प्रथम व्यवसायिक परीक्षा का परीक्षाफल इस बिना पर रोका जा सकता है कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा था जबकि ऐसा कोई आरोप तथा उसके पश्चात सुनवाई का अवसर छात्र को नहीं दिया गया ?	रिमांड	नहीं	चूंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई औपचारिक आरोप अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी नहीं लगाया था तथा उसे स्पष्टीकरण का अवसर भी नहीं दिया गया अतः उसके विरूद्ध इस आधार पर पारित किया गया आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ।

419.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 31955 (1994) निर्णित दिनांक 3.5.95	1995 ई.एस.सी. 410 इला.(2)	अनिल कुमार राय प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विशेषज्ञ समिति यह निर्णय ले सकती है छात्र ने नकल की और उसके कब्जे से अपराध में फंसाने वाली सामग्री पकड़ी गई जिसका कि आरोप पत्र में स्पष्ट उल्लेख था ?	अस्वीकार	हां	विशेषज्ञ समिति जो विनियम संख्या 1.4 के अंर्तगत गठित है वह सक्षम अधिकारी है तथा यह तय करने के लिए कि परीक्षार्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया था, विशेषज्ञ समिति का परीक्षाफल रोके जाने का आदेश पूर्णतया कानूनी है ।
420.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2283 (1995) निर्णित दिनांक 10.4. 95	1995 ई.एस.सी. 427 इला.(2)	नरेन्द्र कुमार प्रति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या प्रवेश में अनियमितता होने से बी.एससी. कृषि पार्ट–1 के परीक्षा फल को रोका जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	प्रवेश में अनियमितता के लिए परीक्षार्थी जिम्मेदार नहीं है और उसके कारण प्रवेश परीक्षा बी. एससी. एग्रीकल्चर पार्ट–1 का परीक्षा फल नहीं रोका जा सकता है जबकि छात्र अन्यथा प्रवेश के मानको को पूरा करता हो ।

421.	51 एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10527 (1995) निर्णित दिनांक 21.4.95	1995 ई.एस.सी. 534 इला.	महेश कुमार शुक्ला प्रति प्राचार्य अंबिका प्रताप नारायण डिग्री कॉलेज बस्ती	क्या दुराचरण के और प्राचार्य से दुव्यर्वहार करने के कारण छात्र को सदैव के लिये निष्कासित करना उचित है ?	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं विनियम के अंर्तगत छात्रों में अनुशासनहीनता पर रोक लागना प्राचार्य या विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कर्तव्य है इस तर्क में कोई बल नहीं है कि प्राचार्य ही आरोप लगाकर उसे तय करेंगें छात्र को या तो अन्यत्र किसी और महाविद्यालय में दाखिला देना चाहिए या धारा 68 के अंर्तगत वह चांसलर के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
422.	13	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8799 (1995) निर्णित दिनांक 4.4.95	1995 ई.एस.सी. 535 इला.(2)	मृत्युंजय सिंह प्रति उपकुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर	क्या कुलपति छात्र संघ के चुनाव संबंधी विवाद को तय करने में सक्षम है ?	अस्वीकार	हां	जहं पर अधिनियम , विनियम और परिनियम कोई उपचार बताते हैं वहां किसी भी शिकायत के लिए उस उपचार को छोड़कर अन्यत्र कोई याचिका पोषणीय नहीं है ।
423.	31(3)(बी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2886 (1988) निर्णित दि15.2.95	1995 ई.एस.सी. 112 (डी.बी.) इलाहाबाद (2)	डॉ. कैलाशनाथ तिवारी प्रति वाइसचांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या स्थाई रिक्ति के लिए प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु कुल पति का अनुमोदन पुनः आवश्यक है जबकि तर्दथ नियुक्ति के अवसर पर कुलपति अनुमोदन कर चुकेहै	स्वीकार	नहीं	चूंकि तर्दथ नियुक्ति के समय याची प्रवक्ता पद की अर्हताऐं पूरी करता था और अनुमोदन भी कुलपति ने इसी आधार पर दिया था अतैव पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

424.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10601 (1986) निर्णित दिनांक 9.5.95	1995 ई.एस.सी. 543 इलाहाबाद (2)	ओम प्रकाश श्रीवास्तव प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या प्रोन्नति के संबंध में दिये गये प्रत्यावेदन पर चांसलर द्वारा पारित आदेश की कुलपति इस संबंध में सारे तथ्यों को संग्रहित करके प्रत्यावेदन तय करें, का उल्लंघन विधि अनुमन्य है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि मामला बहुत पुराना है अतः उच्च न्यायालय ने कुलपति को निर्देशित किया कि वे शीघ्रातिशीघ्र कुलाधिपति के निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रोन्नति संबंधी विवाद से संबंधित प्रत्यावेदनों का निस्तारण करें ।
425.	32 एवं 51 इलाहाबाद विश्वविद्यालय विनियम संख्या 1 अध्याय 56	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5706 (1995) निर्णित दिनांक 16.5. 95	1995 ई.एस.सी. 366 इलाहाबाद (2)	रघुनाथ द्विवेदी प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय छात्र सघ विश्वविद्यालय की कानूनी निकाय है ?	अस्वीकार	नहीं	चूंकि छात्रसंघ विश्वविद्यालय के अधिकारीगण या अधिकृत निकाय नहीं है अतः उसका चुनाव भी एक निजी मामला है जिसके संबंध में रिट याचिका पोषणीय नहीं है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई भी अनुतोष प्राप्य नहीं है ।
426.	31(3) (बी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9531 (1978) निर्णित दिनांक 26.7. 95	1995 ई.एस.सी. 66 (डी.बी.) इलाहाबाद (3)	श्री राकेश चंद्र मित्तल प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या प्रवक्ता पद की स्थाई रिक्ति पद पर अस्थाई नियुक्ति के शिक्षक जो चयन समिति द्वारा अनुमोदित है और पद के अनुरूप अर्हताऐं	स्वीकार	हां	चूंकि स्थानापन्न अस्थाई नियुक्ति पर प्रवक्ता पद पर एक वर्ष लगातार कार्य करने तथा पद के अनुरूप अर्हता रखने और स्थानापन्न नियुक्ति के समय चयन समिति द्वारा अनुमोदित भी है अतैव धारा

					भी रखते हैं और नियुक्त किया जा सकता है ?			31(3) (बी) के अंर्तगत वे ही स्थाई पद पर नियुक्ति के पात्र हैं ये भी उल्लेखनीय है कि प्रबंध तंत्र/प्रबंध समिति याची को हटा नहीं रहा है ।

427.	31 इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 11.6ए एवं धारा 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19104 (1995) निर्णित दिनांक 16.8.95	1995 ई.एस.सी. 348 (डी.बी.) (3) इलाहाबाद	आनंद प्रकाश मिश्रा एवं अन्य प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या रीडर के पद पर चयन समिति की संस्तुति की लिस्ट में याची 5 एवं 6 नंबर पर होने के बाद पहले के नंबर 1 वे 4 के सेवा में नियुक्ति पर न लेने पर याचीगण रीडर के पद पर नियुक्त किये जाने चाहिये थे ?	स्वीकार	हां	चांसलर ने धारा 68 में याची के प्रत्यावेदन पर विचार करके रीडर के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये थे । लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनका अनुपालन न करके उनका पुनः विज्ञापन कर दिया । विनियम 11.06(9) से स्पष्ट है कि चयन समिति की संस्तुति की लिस्ट क्रमानुसार नियुक्ति की जायेगी अर्थात 1 व 2 के मना करने पर 3 व 4 को नियुक्ति दे दी जायेगी ।
428.	31 एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं.39628 (1993) निर्णित दिनांक 16.8.95	1995 ई.एस.सी. 364 (डी.बी.) (3)	संकटा प्रसाद शर्मा प्रति चांसलर सं. सं. विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या संस्कृत पाठशाला को जो एस.एन.वी. से संबद्ध है उसके अध्यापक की नियुक्ति केवल इस कारण निरस्त की जा सकती है कि उसके विरूद्ध कोई जांच अभी भी लंबित है ?	तदनुसार	नहीं	केवल जांच के लंबित होने से चयन प्रक्रिया न तो निरस्त होती है न ही वह नियुक्ति पर अपना कोई प्रभाव छोड़ पाती है पूरी जांच होने के पश्चात ही किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है । उसके पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकना अनुचित है और इस प्रकार याची नियुक्ति पाने का अधिकारी है ।

429.	31(3)(वी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 37999 (1992) निर्णित दिनांक 21.7. 95	1995 ई.एस.सी. 1 (डी.बी.) (1) इलाहाबाद	कृष्ण दत्त मिश्रा प्रति वाइस चांसलर काशी विद्यापीठ वाराणसी	क्या याचीगण को तर्दथ नियुक्ति संस्कृत विभाग के प्रवक्ता के पद पर जस्टिस वर्मा कमेटी की संस्तुति के आधार पर दी जा सकती है ?	तदनुसार	हां	तर्दथ नियुक्ति पर याचीगण प्रवक्ता की हैसियत से कार्य कर रहे थे और प्रवक्ता के एक स्थाई पद के चार दावेदार होने के कारण उपकुलपति को तथ्यों का आंकलन करके मामले का निस्तारण करने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था ।
430.	12, 13, 14 उच्चशिक्षा आयोग अधिनियम 1980, धारा 2(18) विश्वविद्यालय अधिनियम उ. प्र. विनियम संख्या 12.22 खंड 4 अध्याय–2	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 38219 (1992) निर्णित दिनांक 21.9. 95	1995 ई.एस.सी. 582(3) (डी.बी.)	स्वामी नाथ मिश्रा प्रति निदेशक उच्च शिक्षा उ.प्र.	क्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 12 से 14 के अंर्तगत हुआ है ?	स्वीकार	नहीं	अगर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विनियमों के अंर्तगत कुलपति का अनुमोदन हो भी गया हो तो भी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की धारा 12 से 14 के प्रावधानों के विपरीत चयन प्रक्रिया न अपनाने के कारण ऐसी चयन संस्तुति दूषित हो जाती है और प्राचार्य पद चयन शून्य ही है ।
431.	68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6733 (1979) निर्णित दिनांक 20.10. 95	1996 ई.एस.सी. 202 इलाहाबाद (1)	श्री एस. मजहरूल प्रति चांसलर इला विश्वविद्यालय	क्या चांसलर धारा 68 के संदर्भ को तय करते समय प्रवक्ता की नियुक्ति को निरस्त कर सकते हैं?		नहीं	चांसलर धारा 68 के प्रावधानों के अंर्तगत कोई भी नियुक्ति बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन करे रद्द नहीं कर सकते हैं ।

432.	28(5) पैरा 3, 7, 9, 12, (1987) बी. एड कोर्सेस में प्रवेश संबंधी अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23320 (1993) निर्णित दिनांक 16.1. 96	1996 ई.एस.सी. 550 इलाहाबाद (1)	रमेशचंद्र सिंह प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या बी.एड. में प्रवेश और उसके बाद परीक्षाफल को रोका जा सकता है क्योंकि याची ने 40 प्रतिशत से कम अंक पाये हैं ?	अस्वीकार	हां	क्योंकि याची का प्रवेश 1987 के आदेश जो कि धारा 28(5) के अंर्तगत पारित किया गया है, के प्रावधानों के विरूद्ध था अतः याचिका पोषणीय नहीं है और वह अपने परीक्षाफल की घोषणा को रोकने के विरूद्ध कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकती ।
433.	13 एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5085 (1996) निर्णित दिनांक 1.5.96	1996 ई.एस.सी. 141 इलाहाबाद (2)	नवीन कुमार सिंह प्रति कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विधा परिषद द्वारा जारी किये गये प्रवेश के नियम अधिकारातीत है ?	स्वीकार	ळां	धारा 13 और 52 के अंर्तगत विधा परिषद में ही प्रवेश संबंधी निर्देश निर्गत करने की शक्ति निहित है कुलपति एवं प्रवेश समिति इस संबंध में विधा परिषद द्वारा दिये गये निर्देश तथा बनाये गये विनियमों के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं और इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है धारा 45 के अंर्तगत विश्वविद्यालय के कुलपति वगैरह विधा परिषद के प्रभाव क्षेत्र में ही कार्य . कर सकते हैं ।

434.	35(2) एवं 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9331 (1984) निर्णित दिनांक 4.12. 95	1996 ई.एस.सी. 306 (डी.बी.) (2) इलाहाबाद	जे.पी.पांडे प्रति चांसलर कानपुर विश्वविद्यालय	क्या पद की समाप्ति कुलाधिपति द्वारा धारा 68 के संदर्भ को तय करते समय की जा सकती है ?	अस्वीकार	हां	पद की समाप्ति पर उस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति की सेवाऐं समाप्त नहीं की गई वरन पद की समाप्ति के साथ ही उस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति का सेवाकाल स्वतः ही सीमित हो जाता है । कुलपति द्वारा धारा 35(2) के अंर्तगत पद समाप्ति का अनुमोदन भी किया जा चुका है अतः सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में याचिका पोषणीय नहीं है और याची को कोई अनुतोषद नहीं दिया जा सकता है न्यायालय ने भविष्य में यदि कोई पद सृजित होता है या कोई रिक्ति होती है तो उस पर याची को ही नियुक्त करने का आदेश दिया है ।

435.	68 तथा परिनियम संख्या 12.07	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5372 (1996) निर्णित दिनांक 28.2.96	1996ई.एस.सी. 174 इलाहाबाद(2)	प्रबंध समिति प्रति उपकुलपति एवं अन्य	क्या राज्य सरकार के संशोधन दिनांक 31.10.85 के बाद परिनियम संख्या 12.7 और 12.28 के प्रावधानों के अंर्तगत कुलपति को प्रबंध समिति को मान्यता देने का अधिकार है?	तदनुसार	नहीं	चूंकि परिनियम में संशोधन राज्य सरकार ही कर सकती है अतः शासनादेश दिनांक 31.10.85 के पश्चात् कुलपति को प्रबंध समिति को मान्यता देने का अधिकार नहीं रह गया था और अब वह क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के पास है ।
436.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 9703 (1995) निर्णित दिनांक 2.2.96	1996 ई.एस.सी. 474 इलाहाबाद (2)	सुरेन्द्रनाथ मिश्रा प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय की गलती से बी.ए. प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण घोषित किये गये परीक्षार्थी का बी.ए. द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय की त्रुटि के कारण परीक्षार्थी का नुकसान नहीं हो सकता है और एक वर्ष के पश्चात परीक्षाफल निरस्त करना सर्वथा अनुचित है । साथ ही बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा न देने का प्रतिबंध भी पूर्णतयः गैर कानूनी है ।
437.	कानपुर विश्वविद्यालय विनियम, अध्याय–2 भाग–10(3) धारा 48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18084 (1995) निर्णित दिनांक 21.12.95	1996 ई.एस.सी. 9 इलाहाबाद (2)	कु.सीमा शर्मा प्रति उपकुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	क्या याची का परीक्षाफल एम.एससी. का निरस्त किया जा सकता है जबकि प्रवेश संबंधी रिकार्ड अनुपलब्ध हो तथा बगैर रोल नंबर और प्रवेश पत्र के परीक्षा दी गई हो ?	अस्वीकार	हां	

438.	31 एव 68, 31(1) (ए) के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 8192 (1995) निर्णित दिनांक 24.5. 96	1996 ई.एस.सी. 521 (डी.बी.) इलाहाबाद (2)	श्री दिनेश मिश्रा प्रति निदेशक उच्च शिक्षा	क्या चांसलर संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक वर्ग के अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो न देने का आदेश पारित कर सकते है?		नहीं	कुलपति द्वारा अनुमोदित शासनादेश का अनुपालन करना ही आवश्यक है । और चांसलर के आदेश को इसी आधार पर खंडित कर दिया गया है ।
439.	विनियम 7 पूर्वांचल विश्वविद्यालय परीक्षा सुधार संबंधी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19648 (1996) निर्णित दिनांक 27.6. 96	1996 ई.एस.सी. 549 इलाहाबाद (2)	कु. मनोरमा मिश्रा प्रति उपकुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या अनंतिम प्रवेश देने के पश्चात विनियम 7 में बी. एससी. प्रथम वर्ष का परीक्षाफल घोषित विश्वविद्यालय का कर्तव्य है ?	आंशिक स्वीकार	ळां	विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली संतोष जनक है क्योंकि विद्यार्थी की अपनी शैक्षणिक योग्यता को सुधार करने का अवसर तो प्रशंसनीय है किन्तु उसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की हीला हवाली या ढील से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व छात्र पर नहीं थोपा जा सकता है । उच्चतम न्यायाल की व्यवस्था सनातन गौढ़ वाले केस में (जे.टी. 1990, 57, 2) यही तय की गयी है ।

440.	31 उ.प्र.उ.से. आयोग धारा 92 के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10679 (1996) निर्णित दिनांक 27.3. 96	1996 ई.एस.सी. 501 (डी.बी.) (2)	के.सी.शर्मा प्रति चांसलर चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	क्या चांसलर महोदय किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रिक्त स्थान पर अन्य महाविद्यालय से प्रवक्ता को प्रतिनियुक्ति पर भेज सकते हैं ?	अस्वीकार	नहीं	उच्च शिक्षा आयोग में प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालयों में नियुक्तियां धारा 92 के अंतर्गत केवल उच्च शिक्षा सेवा आयोग का अधिकार है विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत भी प्राचार्य के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति करना सर्वथा अनुचित है ।
441.	33	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2172 (1996) निर्णित दिनांक 18.1. 96	1996 ई.एस.सी. 211 (2)	एस.एन.माथुर प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या आवास संबंधी बकाया धनराशि को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पेंशन से काटा जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	पेंशन से कुछ भी काटने का प्रावधान नहीं है पेंशन या ग्रेच्युटी को रोका भी नही जा सकता है अतः तत्काल पेमेंट देने का आदेश उच्च न्यायालय में जारी कर दिया ।
442.	35(4)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10411 (1996) निर्णित दिनांक 1.4.96	1996 ई.एस.सी. 221 (2)	प्रबंध समिति भवनस मेहता महाविद्यालय भरवारी प्रति उपकुलपति साहूजी महराज विश्वविद्यालय	क्या प्रबंध समिति द्वारा पारित निलंबित आदेश को कुलपति उपांतरित अथवा प्रति संहृत कर सकते हैं ?	अस्वीकार	हां	निलंबन आदेश को अंतरित रूप से रोक देने की शक्ति धारा 35(4) में निहित है । किन्तु उपांतरित या प्रति संहृत आदेश आदेश करने के पूर्व कुलपति को प्रबंध समिति को सुनवाई का अवसर देना होगा ।

443.	अनुसूची 7 एवं 11 गोरखपुर विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13303 (1985) निर्णित दिनांक 10.1.96	1996 ई.एस.सी. 171 (डी.बी.) (2)	लख्खी दास चटर्जी प्रति चेयरमेन बोर्ड ऑफ गर्वनर	क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 7.11 के अंर्तगत सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक को सत्र के अंत में सेवानिवृत्त करने का प्रावधान है ?	स्वीकार	हां	छात्रों की शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े इसलिए सत्रावसान आने तक शिक्षक कार्यरत रह सकता है । और इस मध्य का वेतन भी पाने का अधिकारी है ।
445.	57(4) उ.प्र. लो.से.आयोग एक्ट 1994 आरक्षण संबंधी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12592 (1995) निर्णित दिनांक 9.5.96	1996 ई.एस.सी. (डी.बी.) 136(2)	डॉ.दीनानाथ शुक्ला प्रति उ.प्र. राज्य एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चरर के पद हेतु आरक्षण विषय अनुसार किया जा सकता है ?	स्वीकार	हां	विज्ञापन देते समय विश्वविद्यालय को नियुक्ति का जनरल और आरक्षण स्वरूप स्पष्ट करना होगा विश्वविद्यालय ने या किसी भी शैक्षणिक महाविद्यालय में पद का सृजन एवं रिक्ति विषय के अनुसार ही होती है । इस संबंध में धारा 27 एवं परिनियम 7.3 विश्वविद्यालय में फेकल्टी तथा विभाग के बारे में विवरण देता है एवं हर विभाग में विभिन्न विषयों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है । पद का सृजन विषय अनुसार ही संभव है और इसलिए आरक्षण भी प्रत्येक विभाग में विषय पर सृजित पदों के अनुसार ही होगें ।

446.	42 एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम एवं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज विनियम, पैरा 22.7	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30834 (1993) निर्णित दिनांक 14.12.95	1996 ई.एस.सी. 92 इला. (2)	छात्र संघ ई.सी.सी. इला. प्रति प्राचार्य ई.सी.सी.	क्या स्वशासी महा. परीक्षा के नियमों में परिवर्तन कर सकता है ?	अस्वीकार	हां	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम संख्या 22.08 तथा स्वशासी महाविद्यालय के विनियम 7 के अंर्तगत उस महाविद्यालय को परीक्षा प्रक्रिया में ग्रेस मार्क की सुविधा में भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा स्वशासी महाविद्यालय व सब परिवर्तन कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझता हो बशर्ते वह विधि अनुमन्य हो ।
447.	33	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 227604 (1993) निर्णित दिनांक 15.5.96	1996 ई.एस.सी. 10 (डी.बी.) (3)	केशव त्रिपाठी प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	महाविद्यालय को प्रवक्ता सत्र के अंत के प्रावधान के आधार पर उच्च न्यायालय के अंतरित आदेश से कार्यरत रहे तो क्या उनसे इस मध्य का वेतन वापस लिया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि जन्म तिथि 1 जुलाई थी अतः सद्भाव पूर्ण तरीके से वे सत्र के अंत तक सेवानिवृत्ति प्रावधान का लाभ उच्च न्यायालय के अंतरित आदेशों पर लेते रहे वस्तुतः उन्हे 30 जून को ही सेवानिवृत्त हो जाना था क्योंकि पहली जुलाई को 61वां वर्ष शुरू हो जाता है चूंकि उन्होने कार्य किया है अतः वे वेतन पाने के अधिकारी है और उनसे वेतन वापस नहीं मांगा जा सकता तथा पेंशन संबंधी सारे लाभ पाने के अविलंब अधिकारी हैं ।

448.	31 उ.प्र.उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम धारा 13 (2)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 13522 (1990) निर्णित दिनांक 2.7.96	1996 ई.एस.सी. 33 (डी.बी.) (3) इलाहाबाद	डॉ. अली अतहर प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या आयोग द्वारा भेजी गई संस्तुति प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिये चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट पर नियुक्ति न होने के बाद वह लिस्ट अधिष्ठित हो जाने के बाद दोबारा चयन करके क्या प्राचार्य नियुक्त किया जा सकता है ?	अस्वीकार	हां	शिक्षा आयोग की लिस्ट तभी तक विधिअनुमन्य है जब तक कि नई चयनित सूची प्राप्त न हो जाये चूंकि पुरानी लिस्ट से नियुक्तियां नहीं हुई थी और उच्च शिक्षा निदेशक ने भी कोई आदेश धारा 15 के अंतर्गत नहीं पारित किया था अतः नई सूची आ जाने पर पुरानी सूची के आधार पर कोई दावा पेश नहीं किया जा सकता ।
449.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30756 (1996) निर्णित दिनांक 23.9.96	1996 ई.एस.सी. 408 इलाहाबाद (3)	श्री राजदेव त्रिपाठी प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या कुलपति इस विवाद को तय कर सकते हैं कि क्या प्रवक्ता ने एम.ए. अंग्रेजी में पास किया है ?	तदनुसार	हां	जब विश्वविद्यालय के दो उच्च अधिकारी अर्थात कुल सचिव तथा विभागाध्यक्ष के अलग–अलग पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध हों जिसमें कहा गया है कि प्रवक्ता ने एम.ए.अंग्रेजी में किया हो तब कुलपति ही इस पर तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ।

450.	विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 68, परिनियम संख्या 18.14, 18.1, 18.2, 18.16 के साथ	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1304 (1992) निर्णित दिनांक 1.8.96	1996 ई.एस.सी. 488 (डी.बी.) (3) इलाहाबाद	डॉ. गणेश प्रसाद प्रति चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का अधिकार कुलपति को है ?	स्वीकार	नहीं	परिनियमों की विवेचना के पश्चात निष्कर्ष स्पष्ट है कि महाविद्यालय में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का रख रखाव एवं उसे तैयार करने का दायित्व प्राचार्य का है और प्राचार्य के आदेश के विरूद्ध कुलपति के समक्ष अपील की जा सकती है । कुलपति द्वारा सूची तैयार करने पर शिक्षक की अपील करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा जो कि विधिअनुमन्य नहीं है ।
451.	मेरठ विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 13.20 एवं परिनियम संख्या 11.34	सी.एम.डब्लू.पी. नं.4613–14 (1996) निर्णित दिनांक 31.10. 96	1997ई.एस.सी. 421(एस.सी.) (1)	महक सिंह एवं अन्य प्रति चांसलर चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ	क्या महाविद्यलय का प्रवक्ता जिसकी अहर्ताएं अन्य लोगों के समतुल्य हों वह प्राचार्य के स्थानापन्न पद की नियुक्ति का अधिकारी है जबकि उसके विरूद्ध गंभीर आपराधिक हत्या के मामले चल रहे हों ?	अस्वीकार	नहीं	चूंकि हत्या के गंभीर आरोप डॉ. महक सिंह के विरूद्ध है अतः वरिष्ठता का लाभ उन्हे दे पाना संभव नहीं है क्योंकि महाविद्यालय के प्राचार्य की हैसियत से विद्यार्थियों में उन्हे एक आर्दश स्वरूप प्रतिष्ठित माना जाता है तथा व्यक्तिगत शुचिता एवं नागरिकता के मापदंड स्थापित करने होते हैं अतः समतुल्य अर्हताओं के होते हुए भी वरिष्ठता का लाभ दे पाना संभव नहीं है ।

452.	उच्च शिक्षा सेवा आयोग धारा 12 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 31(11)	सी.एम.डब्लू.पी. नं.14260 (1988) निर्णित दिनांक 18.11.96	1997 ई.एस.सी. 519 (डी.बी.) (1)	डॉ. मंजूलता विश्वकर्मा प्रति उ.प्र.उच्च शिक्षा आयोग इलाहाबाद	क्या दुर्व्यपदेशन एवं कपट के आधार पर पाई गई नियुक्ति निरस्त की जा सकती है ?	अस्वीकार	हां	उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो एन.भास्करन के केस में दी गई है, 1995, सप्लीमेंट (4) एस.सी.सी., 100 के अनुसार दुर्व्यपदेशन एवं कपट के द्वारा पाई गई नियुक्ति उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है ।
453.	उ.प्र.उ.शिक्षा सेवा आयोग धारा 12,13	सी.एम.डब्लू.पी. नं.332 (1996) निर्णित दिनांक 6.3.97	1997 ई.एस. सी. 649 (डी.बी.) (1)	कु.रागिनी श्रीवास्तव प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	1.क्या धारा 12 व 13 समवद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं ? 2. क्या उच्च शिक्षा निदेशक चयनित सदस्यों की सूचि से नए नाम इस आधार पर भेज सकते हैं कि पहले भेजे गए नाम वाले लोग एक विशेष महाविद्यालय में ही नियुक्ति चाहते हैं ?	अस्वीकार अस्वीकार	हां नहीं	1. धारा 12 व 13 के अंर्तगत यदि कोई नियुक्ति नहीं हुई तो विधि सम्मत नहीं है और शून्य है, नियुक्ति के साथ चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है । 2. आयोग द्वारा चयनित सूची से नाम भेजने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूचि के साथ हेर फेर नहीं कर सकते हैं जिस किसी भी विद्यालय के लिये चयन किया जाये अभ्यर्थी वही पद ग्रहण करना होगा अन्यथा इंकार करने पर वह अन्यत्र किसी महाविद्यालय में नियुक्ति पाने का, इस सूची के आधार पर अधिकारी नहीं होगा ।

454.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 36292 (1994) निर्णित दिनांक 4.1.96	1997ई.एस.सी. 1009 (डी.बी.) (2)	अनुराग श्रीवास्तव प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय की परीक्षा अनुसूचि के आधार पर परीक्षा समय पर करवाने का निर्देश उच्चन्यायालय दे सकता है ?	तदनुसार	हां	विभिन्न सत्र में होने वाली परीक्षाऐं समय से नही हो पाई और विश्वविद्यालय की उच्च ख्याति पर यह एक बदनुमा धब्बा है । विश्वविद्याल को तुरंत समय पर परीक्षा करवाने की व्यवस्था करना चाहिए तथा छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य ठीक रह सकें इसलिए सेमिनार व सांस्कृतिक गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए ।
455.	अनुच्छेद 226	स्पेशल अपील नं. 855 (1996) निर्णित दिनांक 26.2.97	1997 ई.एस.सी. 851 (डी.बी.) (2)	योगेन्द्र नाथ सिंह एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या महाविद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित करने के आदेश को महाविद्यालय के अध्यापक या संचालन समिति का सदस्य चुनौति दे सकता है ?	स्वीकार	हां	चूंकि महाविद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन यह शिक्षक वर्ग के अंदर यह आतंक पैदा कर सकता है अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने पर उनकी सेवा शर्तें परिवर्तति हो सकती हैं अतः उनके द्वारा ऐसे आदेश को सधिकार चुनौती दी जा सकती है जिसका कि उन्हे संवैधानिक अधिकार है ।

456.	अनुच्छेद 226	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10656 (1997) निर्णित दिनांक 28.3.97	1997 ई.एस.सी. 841 इलाहाबाद (2)	इंदु प्रकाश सिंह प्रति अधीक्षक ताराचंद्र छात्रावास इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले केवल अनुज्ञप्तिधारी हैं ?	अस्वीकार	हां	छात्रावास में रहने वाले लोगों की हैसियत केवल अनुज्ञप्ति धारी की है जिसको किसी भी समाप्त किया जा सकता है, अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों को छात्रावास में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।
457.	68–ए	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 10497 (1992) निर्णित दिनांक 27.3.93	1997 ई.एस.सी. 1328 (डी.बी.) (2)	श्रीमति दिव्या गुहा प्रति निदेशक उच्च शिक्षा एवं अन्य	क्या धारा 68 अन्तर्गत कुलपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वे अपनेपूर्वआदेशोंका अनुपालन करा सकें ?	आंशिक स्वीकार	हां	कुलपति ने प्रबंध समिति के सजा के आदेश को अनुमोदित नहीं किया और उसका क्रियान्वयन भी रोक दिया प्रबंध समिति ने इस आदेश को अनदेखा करके याची को कार्य को वापिस नहीं लिया जो कि पूर्णतः अनुचित और गैर कानूनी है कुलपति अपने स्थगन आदेश या अन्य आदेश जो अनुमोदन न देने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुये उनका अनुपालन कराने की शक्ति अधिनियम की धारा 68 में ही है ।

458.	66(डी) तथा विनियम 4 अध्याय 2, 3, 12(1), 12(2), 64, 12(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 20251 (1994) निर्णित दिनांक 18.2.97	1997 ई.एस.सी. 1907 (डी.बी.) (3)	वी.सी.पांडे प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1.क्या विनियम 4 तथा अधिनियम की धारा 66 (डी) के प्रावधान आज्ञापक हैं ? 2.क्या विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय का कुलपति चुना जा सकता है ? 3. क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का पद चुनाव का पद है ?	स्वीकार	नहीं हां हां	1. अत्यावश्यक मामलों के उपर सोच विचार करने के लिये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक 7 दिन से कम के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है लेकिन शर्त यह होगी कि केवल अत्यावश्य कार्य ही निपटाये जायें और सोच विचार के लिये ऐसा कोई प्रकरण न रखा जाये जो अत्यावश्यक न हो अतः यह प्रावधान केवल निर्देशात्मक है आज्ञापक नहीं । 2. विश्वविद्यालय के अध्यादेश 3 में स्पष्टतः छात्र संघ को विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बताया गया है अतैव उसका सदस्य होना या भूतपूर्व अध्यक्ष होने किसी भी प्रकार से कुलपति के पद की अयोग्यता नहीं मानी जा सकती । 3.कुलपति का चुनाव विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है ।

459.	31,परिनियम संख्या 11.01 (5) (6) (7)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1101 (1988) निर्णित दिनांक 11.4. 97	1997 ई.एस.सी. 1630 (डी.बी.) (3)	श्रीमति रूकमा रावत प्रति चांसलर गढ़वाल विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता पद पर नियुक्त किये जाने के विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताऐं देकर इसमें ढील दी जा सकती है ?	अस्वीकार	हां	चूंकि चांसलर ने चयन समिति की अनुसंशा जिसमें कि याची को प्रवक्ता पद के लिऐ चयन करते समय सूची की संख्या एक पर रखा गया था को निरस्त कर दिया क्योंकि उसके पास पी.एच.डी. नहीं थी और परिनियम 11.1 के अंर्तगत दी जाने वाली ढील भी इस केस में आकर्षित नहीं होती क्योंकि इनका रिसर्च वर्क भी कोई बहुत उच्च कोटि का नहीं था तथा चयन समिति ने न्यूनतम अर्हताओं में ढील देने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा था अतः उसका भी लाभ इन्हे नहीं मिल सकता यह स्पष्ट है कि रिसर्च वर्क की गुणवत्ता उच्च कोटि की है या नहीं ये निष्कर्ष चयन समिति को ही देना होगा ।

460.	31(वी) 31(सी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 26734 (1997) निर्णित दिनांक 12.8. 97	1997 ई.एस.सी. 1799 (डी.बी.) (3)	डॉ. महंत प्रसाद कुशवाहा प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या तदर्थ प्राचार्य विनियमितिकरण के अधिकारी हैं ?		नहीं	विनियमितिकरण की प्रक्रिया प्राचार्य पर लागू नहीं होती है न तो विश्वविद्यालय अधिनियम, न ही परिनियम, न ही विनियम और अध्यादेश इसके बारे में कुछ कहते हैं ।
461.	नियुक्तियां संबंधी अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 5807 (1997) निर्णित दिनांक 28.8. 97	1997 ई.एस.सी. 1967 (एस.सी.) (3)	सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य प्रति पंजाब राज्य एवं अन्य	क्या विज्ञापित पदों के ऊपर अधिक पदों को भरा जा सकता है और उन पर नियुक्ति की जा सकती है ?	अस्वीकार	नहीं	एक बार की चयनित लिस्ट नियुक्ति के लिए निरंतर स्त्रोत नहीं हो सकती है विज्ञापन करने के पूर्व अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे रिक्त पद जो अभी हैं और जो आगे होने वाले हैं उनको जोड़कर ही विज्ञापन करें यहां यह स्पष्ट करना देना आवश्यक है कि प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं हे । वे तो मात्र उन्ही जगहों पर रखे जा सकते हैं जहां पर कोई नियुक्ति के पश्चात भी पदभार ग्रहण न करे ।

462.	13(6), 31, 49 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 11.01	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 365–17 (1994) निर्णित दिनांक 5.2.98	1998 ई.एस.सी. 686 (एस.सी.) (1)	योगेन्द्र सिंह राव प्रति हेमवती नंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	क्या परिनियम 11.1 में 26 वें संसोधन के पश्चात अपीलार्थी वगैरह को मूल पर अधिष्ठाई प्रवक्ता पद पर नियुक्ति दी जासकती है ?	अस्वीकार	नहीं	उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है कि अपीलार्थी सही मानक तथा अर्हताओं को पूरा नहीं करता है अतः उनकी नियुक्ति प्रवक्ता पद पर नहीं हो सकती है ।
463.	68, परिनियम संख्या 11.1 गढ़वाल विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 324 (1992) निर्णित दिनांक 20.1. 98	198 ई.एस.सी. 767 (डी.बी.) (1)	नरेन्द्र सिंह चौहान प्रति एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	क्या प्रवक्ता पद की अहर्ताओं में ढील देने के लिए चयन समिति को लिखित कारण ये बताते हुए देने होंगे कि परीक्षार्थी का प्रकाशित कार्य या उसकी थीसिस उच्च स्तर की है ?	अस्वीकार	हां	परिनियम संख्या 11.1 में जो अर्हताऐं एवं मानक नियुक्ति के लिए तय किये गये हैं वे साधारणतया मान्य होंगें और बिरले ही मामले ऐसे होंगें जिनमें इन मानकों को उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने के लिए ढील दी जा सके ।
464.	37(2) नियम, उ.प्र. विश्वविद्यालय केन्द्रीय सेवा नियम 1975	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21076 (1992) निर्णित दिनांक 10.2. 98	1998 ई.एस.सी. 1193 (डी.बी.) (2)	आर.पी.अंबस्ट प्रति उपकुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश दंड है ?	स्वीकार	नहीं	रजिस्ट्रार पूर्वांचल विश्वविद्यालय को अच्छी सेवा पंजिका होने के बाद भी तथा सेवा पुस्तिका में कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि न होने के

				जौनपुर				वाद भी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया जो कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति नीति के विरूद्ध है अतएव सेवानिवृत्ति का आदेश जनहित में नहीं पारित किया गया है और उसका खंडित किया जाना जनहित में आवश्यक है ।

465.	परिनियम संख्या 16.24 एस.एस.वी. विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं.3368 (1998) निर्णित दिनांक 9.2.98	1998 ई.एस.सी. 1190 (डी.बी.) इलाहाबाद (2)	डॉ. राजपति चौहान प्रति उपकुलपति एस.एस.वी. विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर सत्र के मध्य में ही याची को सेवा निवृत्त किया जा सकता है?	स्वीकार	नहीं	परिनियम 16.24 के परांतुक का मंतव्य स्पष्ट है जिसको न्यायिक व्यवस्था ने भी अनेक निर्णयों में स्वीकार किया है । वह छात्र हित में सत्र के अंत में ही सेवानिवृत्त वोंगें किन्तु सेवानिवृत्ति की दिनांक से सत्रावसान की तिथि के मध्य वे पुनः नियुक्त समझे जायेंगें इस कारण से वे विभागध्यक्ष, प्रोफेसर या डीन के पद पर कार्य करने के अधिकारी नहीं रहेंगें ।
466.	अध्याय 31, 13, 14 विश्वविद्यालय कैलेण्डर के विनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18706 (1996) निर्णित दिनांक 2.3.98	1998 ई.एस.सी. 1383 (इला) (2)	ऋषि जोशी प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या संवीक्षा का मतलब पुनर्मूल्यांकन है ?		नहीं	संवीक्षा का अर्थ सही रूप में जो अंक पाये हैं उसकी जांच करना है किसी भी छात्र का अपनी उत्तर पुस्तिका पुर्नमूल्यांकन कराना अधिकार नहीं है ।
467.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 1.4, 1.5, 1.6	स्पेशल अपील नंबर 458 (1998) निर्णित दिनांक 31.7. 98	1998 ई.एस.सी. 2337 (डी.बी.) (3) इला.	राजेश मिश्रा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या अनुचित साधनों का प्रयोग परीक्षा में करने के आरोप में दी गई चार्जशीट में आरोप अस्पष्ट होने के बाद भी परीक्षा फल निरस्त किया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि अपीलार्थी ने नोटिस का जबाब भी दिया था किन्तु उसको इस मामले की जांच करते समय विचार में नहीं लिया गया था अतः परीक्षाफल का निरस्त करना गैर कानूनी है ।

468.	45	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 786 (1998) निर्णित दिनांक 17.8. 98	1998 ई.एस.सी. 2158 (इला.) (3)	अभिषेक श्रीवास्तव प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या बी.एड. की प्रवेश परीक्षा में 84 प्रतिशत अंक पाने के बावजूद इस बिनह पर प्रवेश न देना कि स्नातक की परीक्षा में अभ्यर्थी के 45 प्रतिशत से कम अंक थे, उचित है ?	स्वीकार	नहीं	प्रवेश न करने के विश्वविद्यालय के निर्णय को इसलिए खंडित कर दिया गया कि शासन ने 45 प्रतिशत को कोई प्रतिबंध प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25.6.97 तक नहीं लगाया था अतः प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और छात्र बी.एड में प्रवेश पाने का अधिकारी है ।
469.	42	स्पेशल अपील नं. 308 (1998) निर्णित दिनांक 31.8. 98	1998 ई.एस.सी. 2094 (डी.बी.) (3) इला.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रति कु. श्रृति चतुर्वेदी	क्या महाविद्यालयों के अनुसार प्रवेश देना अनुमन्य है ?		नहीं	विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध कि ई.सी.सी. जो स्वायत्त शासी महाविद्यालय है से पास होने वाले छात्रो से केवल 10 प्रतिशत लोगों का प्रवेश विश्वविद्यालय में होगा, सर्वथा अनुचित है एकल पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुमोदन कर अपील निरस्त की गयी ।
470.	31(3)(बी)	सिविल अपील नं. 4027–28 (1998) निर्णित दिनांक 18.8. 98	1998 ई.एस.सी. 1760 (एस.सी.) (3)	पी.पी.रस्तोगी प्रति प्रवेश सोती एवं अन्य	क्या छुट्टी के कारण रिक्त पद पर अस्थायी रूप से कार्य कर रही प्रवक्ता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	तदनुसार	नहीं	ये सच है कि अस्थाई नियुक्ति के समय अपीलार्थी चयन समिति के समक्ष गई थी, ये भी सच है कि अपीलार्थी के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रबंध

					के प्रारंभ होने पर उन कक्षाओं को भी पढ़ाती हुई प्रवक्ता पद की अहर्ताएं रखने पर भी उसी पद पर नियमित हो सकती है ?			समिति को प्रस्ताव पास करके भेजने का निर्देश दिया था जिसका अनुपालन नहीं हुआ अतैव स्थाई रिक्ति के समय पद पर समायोजित होने के अवसर पर इन परिस्थितियों में अपीलार्थी को विचार हेतु बुलाया जाना उचित है परन्तु दो वर्ष चार माह के उपर कार्य करने के बाद विशेषतया जबकि अपीलार्थी पूर्णतयः अर्हतवान है उसे स्थाई पद पर समायोजित करना न्याय हित में होगा ।

471.	विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत अध्यादेश	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30267 (1991) निर्णित दिनांक 17.4.98	1998 ई.एस.सी. 1714 (3)	पंकज श्रीवास्तव प्रति प्राचार्य एन. एल. एन.आर. ई. कॉलेज	क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	वगैर छात्र को सुनवाई का मौका दिये ये उचित नहीं है कि रैगिंग के अपराध में छात्र को विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाला जा सके ।
472.	31	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 40849 (1997) निर्णित दिनांक 13.5.98	1998 ई.एस.सी. 1617 (डी.बी.) (3)	तुलसीराम एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य	क्या राजकीय विद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति में तीन वर्ष पढ़ाने का अनुभव महत्वपूर्ण अहर्ता है ?		हां	छात्रों को अनुभवी प्राचार्य के निर्देशन में पढाई करने से अधिक दिशा निर्देश प्राप्त होंगें ।
473.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21415 (1997) निर्णित दिनांक 27.10.98	1999 ई.एस.सी. 7 (इला.) (1)	राजेश सिंह प्रति पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या बी.एड. की प्रवेश परीक्षा पास करने के पश्चात दाखिला लेकर फीस जमा हो जाने के पश्चात प्रवेश इस आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि कम्प्युटर की गलती से छात्र पास हो गया ?	स्वीकार	नहीं	यह प्रतिपादित विधिसम्मत सिद्धांत है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय या उसके अधिकारियों की त्रुटि के कारण नुकसान नहीं उठायेगा ।इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अपनी त्रुटियों के कारण छात्र को प्रवेश को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है ।

474.	58(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 21735 (1998) निर्णित दिनांक 17.9. 98	1999 ई.एस.सी. 139 (इला) (1)	प्रबंध समिति बाबा राघव दास पी.जी. कॉलेज देवरिया प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या प्रबंध समिति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर आर्थिक एवं प्रशासनिक गड़बड़ियों के लिए करने पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन आवश्यक है ?	अस्वीकार	हां	नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस और उत्तर में दिये गये जवाब का मूल्यांकन करके चांसलर का प्रबंध समिति को निलंबित करने का आदेश सर्वथा उचित है ।
475.	उ.प्र.उच्च शिक्षा आयोग	सिविल अपील नं. 6543 (1997) निर्णित दिनांक 21.1. 99	1999 ई.एस.सी. 569 (एस.सी.) (1)	डॉ.राम सेवक सिंह प्रति डॉ. यू.पी.सिंह	क्या महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए अहर्ता में प्रथम या द्वितीय उच्च श्रेणी की मास्टर डिग्री कॉलेज में पढ़ाऐ जाने वाले एक विषय में आवश्यक है तथा क्या एम.एड. की डिग्री ऐसी शैक्षणिक योग्यता नहीं है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि महाविद्यालय में एजूकेशन भी पढ़ाई जाती है अतः मास्टर इन एजूकेशन की डिग्री इस विषय से संबंधित होने के कारण उस अर्हता को पूरी करती है ।

478.	परिनियम संख्या 18.10 खंड सी, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिनियम	सिविल अपील नं. 5558 (1997) निर्णित दिनांक 11.8. 97	1999 ई.एस.सी. 573 (इला.) (1)	प्रबंध समिति जे.टी.जी. डिग्री कॉलेज प्रति उपकुलपति इला. विश्वविद्यालय	क्या सहयोगी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम कुलपति के अनुमोदन की तारीख से तय होता है ?	तदनुसार	ळां	परिनियम 18.10 के खंड डी से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता उसी तारीख से गिनी जायेगी जिस तारीख से कुलपति ने नियुक्ति को अनुमोदित किया हो । इससे पूर्व की कोई भी तारीख इस संबंध में महत्वहीन है ।
479.	31(बी) उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग एक्ट	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 24530 (1992) निर्णित दिनांक 10.2. 98	1999 ई.एस.सी. 770(डी.बी.) (1)	श्रीमति उन्नति चतुर्वेदी प्रति f नदेशक उच्च शिक्षा इलाहाबाद एवं अन्य	क्या याची जिसकी नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से अधिष्ठाई पद पर हुई हो वह विनियमितिकरण की अधिकारी है ?	तर्दथ	ळां	धारा 31 (बी) के प्रावधान इस संबंध में स्पष्ट है कि अधिष्ठायी पद पर नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन के पश्चात किये जाने पर सेवा समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता । वरन ऐसे शिक्षक को सेवा में विनियमिति–करण विधि–अनुमन्य है ।
480.	31(सी) उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग एक्ट, परिनियम 11. 01	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 24295 (1992) निर्णित दिनांक 22.2. 99	1999 ई.एस.सी. 1113 (डी.बी.) (2)	डॉ. रवीन्द्र नाथ पांडे प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या अर्थशास्त्र के प्रवक्ता जिनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता बी. ए. व इण्टर आदि में हो उनका प्रथकीकरण इस आधार पर कि उच्च शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उचित है ?		नहीं	परिनियम के अनुसार शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा व उच्च कोटि का है तथा संशोधित धारा 31(सी) के प्रावधानों कें अंर्तगत विनियमिति–करण कर देना चाहिये ।

481.	31	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 40429 (1994) निर्णित दिनांक 24.2. 99	1999 ई.एस.सी. 1114 (डी.बी.) (2)	डॉ.हरप्रिसाद अधिकारी प्रति चांसलर एस. एस.वि.वि. वाराणसी	क्या विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिक की नियुक्ति प्रवक्ता पद पर हो सकती है ?	स्वीकार	हां	भूटानी नागरिक तुलनात्मक धर्म दर्शन के प्रवक्ता के पद पर सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्यालय में नियुक्त तथा जिसे कार्यपरिषद में प्रस्ताव पारित करवाकर सेवा से इस आधार पर पृथक कर दिया कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश दिनांक 19.5.94 के अंर्तगत नीति निर्धारण निर्देश के अंर्तगत विदेशी नागरिकों की नियुक्ति भारतीय विश्वविद्यालय में प्रतिबंधित की गई हैइस नीति निर्धारक आदेश को उच्च न्यायालय ने खंडित कर दिया तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 का विश्लेषण करके यह प्रतिपादित किया कि विदेशी नागरिकों की सेवा में नियुक्ति करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिनियम या विनियम में नहीं है विश्व विद्यालय ज्ञान के केन्द्र हैं तथा तक्षशिला आदि प्राचीन विश्व विद्यालय में भी विदेशी नागरिक पढते व पढाते थे अतः मानव संसाधन मंत्रालय का पत्र संकुचित एवं संकीण विचार से प्रेरित है ।

482.	परिनियम संख्या 12.22 प्रथम परिनियम एस.एस.वि.वि. वाराणसी	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 27055 (1993) निर्णित दिनांक 31.11.98	1999 ई.एस.सी. 1041 (डी.बी.) (2)	दूधनाथ पांडे प्रति उपकुलपति एस.एस. विश्वविद्यालय वाराणसी	क्या वरिष्ठतम प्रवक्ता हाने के नाते महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उस प्रवक्ता को प्राचाेय पद का वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार होगा ?	अवीकार	नहीं	परिनियम में स्पष्ट कर दिया गया है कि संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त होने पर जब तक विधिवत प्राचार्य का चयन न हो जाये महाविद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक स्थानापन्न रू॰ से प्राचार्य पद का कार्यभार संभालेंगें । जिसके लिये उन्हे शिक्षक पद का वेतन ही प्राप्त होगा तथा इस मध्य वे प्राचार्य पद का वेतन लेने के अधिकारी नहीं होंगें ।
483.	चैधरी चरण सिंह वि.वि. मेरठ के परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं.14844 (1999) निर्णित दिनांक 8.4.99	1999 ई.एस.सी. 1285 (डी.बी.) (2)	प्रबंध समिति ए.एस.पी.जी. कॉलेज मवाना प्रति उपकुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	क्या कुलपति का प्राचार्य के निलंबन आदेश को जांच के मध्य स्थगित या निरस्त करना उचित है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि जांच गंभीर आरोपों के सिलसिले में चल रही है अतः निलंबन का आदेश प्रति संहृत नहीं किया जा सकता ।

484.	परिनियम 13. 13 एवं 16. 24 प्रथम परिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 36746 (1998) निर्णित दिनांक 21.1. 99	1999 ई.एस.सी. (डी.बी.) 1174 (2)	उदय नारायण प्रति निदेशक उच्च शिक्षा एवं अन्य	क्या सत्र के मध्य में प्राचार्य की सेवा निवृत्ति होने पर क्या वे उस पद पर परिनियमों के अनुसार पुनः नियोजित समझे जाऐंगे ?	अवीकार	ळां	महाविद्यालय के प्राचार्य के अधिष्ठायी पद पर नियुक्त होने के कारण परिनियम संख्या 16. 24 के अनुसार शिक्षक के पद पर पुनःनियोजन संभव नहीं है अर्थात शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में प्राचार्य ने कार्य ही नहीं किया अतः पुनःनियोजन के पश्चात् वे प्राचार्य पद पर ही कार्य करेंगें ।
485.	57, 59, 60	सी.एम.डब्लू.पी. नं.12008 (1997) निर्णित दिनांक 8.2.99	1999 ई.एस.सी. 1357 इलाहाबाद (2)	सी.ओ.एम. सकलडीहा डिग्री कॉलेज प्रबंध समिति प्रति पूर्वांचल विश्वविद्यालय	क्या कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी प्रबंध समिति यथापूर्व स्थिति का आदेश प्राप्त करके कार्य करती रह सकती है ?	तदनुसार	न्हीं	धारा 60 के अंर्तगत इन परिस्थितियों में अधिकृत नियंत्रकी की नियुक्ति उचित एवं अनिवार्य है । इसके पूर्व धारा 57, 58 के अंर्तगत नोटिस और पक्षों के स्पष्टीकरण पर विचार करना आवश्यक है यथा स्थिति आदेश को उच्च न्यायालय ने रिक्त कर दिया है ।
487.	69	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1386 (1991) निर्णित दिनांक 23.3. 99	1999 ई.एस.सी. 1356 (डी.बी.) (2) इलाहाबाद	डॉ. भूमित्र देव उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय के पार्ट टाइम प्रवक्ता विधि संकाय के मंहगाई भत्ता के लिए दीवानी न्यायालय में	स्वीकार	न्हीं	धारा 69 में स्पष्ट प्रतिबंध है कि विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा निर्देशक तथा विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी के विरूद्ध

				प्रति ए.डी.जे.–3 गोरखपुर	दावा दायर कर सकते हैं ?			विश्वविद्यालय के अधिनियम के अंर्तगत किये गये कार्यों के लिये दावा दायर नहीं कर सकता है ऐसा दावा पोषणीय नहीं है ।

488.	थ्वश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 4.06, 52	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 16550 (1999) निर्णित दिनांक 10.5.99	1992 ई.एस.सी. 1472 (इला.) (2)	राजकुमार प्रति उपकुलपति एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली	1 क्या चांसलर के अनुमोदन के बगैर अध्यादेश प्रभावी हो सकता है ? 2. क्या पैरा 4 अध्यादेश संख्या 4.06 का उपकुलपति को प्रवेश समिति के गुप्त मामलों के दखल देने का या निदेशक से राय करके उचित आदेश पारित करने का अधिकार देती है ?	तदनुसार स्वीकार	हां हां		1. परिनियम से अध्यादेश में यही अंतर है कि अध्यादेश को कुलाधिपति का अनुमोदन, प्रभावी होने के लिऐ नहीं चाहिए । कार्यपरिषद एवं शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात अध्यादेश कुलाधिपति के समक्ष रखा गया और चूंकि धारा 52 उपधारा 6 के अंर्तगत कोई अनुमोदन न करने का आदेश पारित नहीं किया अतैव अध्यादेश सदैव प्रभावी माना जायेगा । यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अध्यादेश को प्रभावी होने के लिए चांसलर की सहमति आवश्यक नहीं है । 2. अध्यादेश के प्रावधानों का विश्लेष्ण करने से यह स्पष्ट होता है कि कुलपति को प्रवेश समिति के मामलों को जानने का अधिकार है किन्तु प्रवेश समिति के निर्देशक या परीक्षा के निर्देशक से राय लेकर वह उचित निर्देश दे सेकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से ऐसा कोई कार्य वह नहीं करेगा जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा पहुंचे । अध्यादेश उपकुलपति को साधारण पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं ।

489.	परिनियम संख्या 18.11, 18.13 एवं धारा 68	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 1229 (1982) निर्णित दिनांक 20.9. 99	1999 ई.एस.सी. 2364 (डी.बी.) (3)	श्रीमति उषा सिंह प्रति उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या कुलपति महाविद्यालय के प्राचार्यों की वरिष्ठता संबंधी विवाद बगैर पक्षकारों को सुनवाई अवसर दिये तय कर सकते हैं ?	तदनुसार	नहीं	प्राकृतिक / नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना कुलपति के लिये अतिआवश्यक है अतः वाद निर्णय हेतु कुलपति को पुनः प्रेषित है ।
490.	48	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 16039 (1999) निर्णित दिनांक 17.9. 99	1999 ई.एस.सी. 2368 (इला.) (3)	सीमा श्रीवास्तव प्रति उपकुलपति इला. विश्वविद्यालय	क्या परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैक पेपर देकर अपनी स्थिति सुधार सकती है ?	स्वीकार	हां	बी.एससी. द्वितीय वर्ष परीक्षा में सफल होने के बाद बी.एससी. प्रथम के प्रथम पेपर में बैक पेपर देने के बाद भी शून्य अंक मिलने पर, जब कि प्रेक्टिकल में 50 में से 35 अंक मिले विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मार्कशीट सही नहीं की जिससे बी.एससी. तृतीय वर्ष में परीक्षा में बैठ पाना संभव न होगा विश्व विद्यालय के अधिकारी समय बारम्बार दिये जाने के बाद भी बैक पेपर की उत्तर पुस्तिका तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सके अतः न्यायालय ने आदेश दिया कि बी.एससी. तृतीय वर्ष के इम्तहान के साथ. बी.एससी. प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में पुनः परीक्षा ली जाये ।

491.	उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1998 धारा (3) इंजी. कॉलेज के संचालक सोसायटी का बॉइ लॉ–4	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 27396 (1997) निर्णित दिनांक 25.8. 99	1999 ई.एस.सी. 2432 (डी.बी.) (3)	डॉ. दिनेश झा प्रति चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या एम.एल.एन.आर. ई. कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य की सेवाऐं संविदा अनुसार करने के संशोधन को विश्वविद्यालय अधिनियम का भाग बनाना संवैधानिक है ?	अस्वीकार	ळां	विधायिका केवल एक महाविद्यालय के लिये अलग नियम संशोधन के रूप में मूल अधिनियम में ला सकती है यह विशेष प्रावधान आवश्यक नहीं है कि और महाविद्यालयों पर भी लागू हो । धारा 31 (बी) (1) को जोड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज को विशिष्ट प्रकार से प्राचार्य या आचार्य की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है ।
492.	57, 58	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19890 (1999) निर्णित दिनांक 23.8. 99	1999 ई.एस.सी. 2399 (इला.) (3)	सी.ओ.एम. लाल बहादुर शास्त्री पी. जी.कॉलेज व अन्य प्रति उ.प्र.राज्य	क्या 57 एवं 58 में निहित शक्तियां अर्धन्यायिक, न्यायिककल्प हैं ?	स्वीकार	हां	अधिकृत नियंत्रक के काल की समयावधि बढ़ाने के पूर्व राज्य सरकार को समुचित आधार पर यह राय कायम करनी होगी कि कार्यकाल बढ़ाना विद्यालय के हित में है अगर प्राधिकृत नियंत्रक अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करता है तो उसका कार्यकाल बढ़ाना सर्वथा अनुचित है ।

493.	12	सी.एम.डब्लू.पी. नं.16888 (1999) निर्णित दिनांक 6.12. 99	1999 ई.एस.सी. 1880 (डी.बी.) (3) इलाहाबाद	राजकुमार एवं अन्य प्रति चांसलर ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या चांसलर धारा 12 के अंर्तगत कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुसंशा को समुचित कारण बताये बगैर अस्वीकार कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं		धारा 12(5) के प्रावधानों का प्रयोग तभी हो सकता है जबकि धारा 12(2) के अंर्तगत बनाई गई समिति समयावधि के अंदर अपनी संस्तुति प्रस्तुत न करें ।
494.	12(2)(सी)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 30928 (1997) निर्णित दिनांक 13.10. 99	2000 ई.एस.सी. 22 (डी.बी.) (1) इलाहाबाद	इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एवं अन्य प्रति चांसलर उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय	क्या धारा 12(2)(सी) के प्रावधान दिशाविहिन मनमाने और असंवैधानिक हैं ?	तदनुसार	नहीं		कुलाधिपति का पद उच्चतर संवैधानिक पद है और किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि कुलपति के चयन हेतु जो चयन समिति गठित की जा रही है उसके सदस्य उस पद के अनुरूप तथा उससे बेहतर ही होने चाहिये ।
495.	31 परिनियम संख्या 11.1 संशोधन सहित, इला. विश्वविद्यालय प्रथम परि तथा उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधि	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 2967 (1999) निर्णित दिनांक 15.10. 99	2000 ई.एस.सी. 215 (डी.बी.) (1) इला.	मीरा सिंह प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या निम्नतम अर्हताऐं निर्धारित करने का अधिकार उ.प्र.उच्च शिक्षा सेवा आयोग को है ?	स्वीकार	नहीं		परिनियम 11.1 के अंर्तगत स्नातकोत्तर डिग्री के लिये 55 प्रतिशत अंक पाने पर अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड ही कहा जायेगा भले ही अभ्यर्थी के पास पी.एच.डी. की डिग्री न हो ।

496.	एस.एस. विश्वविद्यालय परिनियम एवं परीक्षा नियमावली अध्यादेश	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 17652 (1999) निर्णित दिनांक 31.8.99	2000 ई.एस.सी. 653 इला. (1)	विजय पाल सिंह प्रति उपकुलपति महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय	क्या विश्वविद्यालय परीक्षाफल को इस आधार पर रोक सकता है कि याची ने पूर्व माध्यमा अंग्रेजी, हाई स्कूल के समकक्ष वैदिक विद्या पीठ बदायुं एवं इंटर उ.प्र.बोर्ड से किया हो जो कि हाई स्कूल के समक्ष बाद में पता लगा कि नहीं है । इस प्रकार क्या विश्वविद्यालय परीक्षाफल रोक सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	बगैर जांच पड़ताल के विश्वविद्यालय कैसे इस तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पूर्व, मध्यमा अंग्रेजी हाई स्कूल के बराबर नहीं है जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा यू.पी.बोर्ड से दी हो तब इस बात का औचित्य नहीं रहता है कि बी.ए. प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने देने के बाद शुद्ध तकनीकी आधार पर परीक्षाफल घोषित न किया जाये ।
497.	इला.वि.वि. प्रथम परिनियम 16.24	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 48622 (1999) निर्णित दिनांक 27.1.2000	2000 ई.एस.सी. 855 (डी.बी.) (2) इला.	प्रोफेसर चंद्र प्रकाश झा प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 16 के अंर्तगत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष उचित है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की अनुसंशा की गई है ?	तदनुसार	नहीं	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आयु सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्र सरकार ने सोच विचार के बाद विभिन्न स्वतंत्र निकायों से विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की अनुसंशा की थी । न्यायालय ने 62 से 65 वर्ष तक पुनः रोजगार देने की अनुसंशा की है ।

498.	28(4) गोरखपुर विश्वविद्यालय 1956 अधि., 60(ई), 60(जी)	सेकेण्ड अपील नं. 26 (1998) निर्णित दिनांक 1.3. 2000	2000 ई.एस.सी. 789 (इला) (2)	शेषनाथ त्रिपाठी प्रति प्रबंध समिति एवं अन्य	1. क्या स्वामीदयानंद डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता पद पर 1971 में नियुक्ति होने पर क्या अनुमोदन आवश्यक था ? 2. क्या सरकार ऐसे व्यक्ति को वेतन देने के लिए बाध्य है जो यह साबित करने में असफल रहा हो कि वह महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहा है ?	अस्वीकार	नहीं	1. सन् 56 के गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो नियुक्ति के पूर्व या पश्चात् प्रवक्ता पद पर कुलपति का अनुमोदन आवश्यक करता हो सन् 73 का अधिनियम भूतलक्षी नहीं है अतः उसके प्रावधान लागू नहीं होगें । 2. राज्य सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनुदान रूपी वेतन नहीं देगी जब तक की उसकी विधिवत नियुक्ति प्रमाण सहित सिद्ध न हो जाये रिकार्ड से यह साबित नहीं हो पाया कि सन् 1971 में याची को चयन समिति में चयनित किया अतः वह वेतन पाने का अधिकारी नहीं है ।
499.	31	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 19445 (1999) निर्णित दिनांक 11.5. 99	2000 ई.एस.सी. 1084 (डी.बी.) (2) इलाहाबाद	डॉ.जगदीश प्रसाद प्रति यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	क्या कार्मस के विभागाध्यक्ष कार्यपरिषद के उस आदेश को चुनौती दे सकते है । जिसके द्वारा उनके पास निर्देशक एग्रो इकॉनामिक रिसर्च सेन्टर का अतिरिक्त भार पदेन पास में था ।	अस्वीकार	नहीं	निदेशक का कार्य कोई नियमित नहीं था बल्कि अतिरिक्त भार था जो याची से लेकर किसी दूसरे को देने का पूर्ण अधिकार परिषद के पास था ।

500.	अुच्छेद 226 एवं उ.प्र. उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 741 (1999) निर्णित दिनांक 19.2. 2000	2000 ई.एस.सी. 1117 (डी.बी.) (2) इलाहावाद	गोरखनाथ एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या आयोग लिखित परीक्षा के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन मांग सकता है?	तदनुसार	हां		आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है और अपने निर्णय स्वयं ले सकती है तथा न्यायिक पुर्नविलोकन केवल सीमित अवस्था में ही किया जा सकता है ।
501.	31 एवं प्रथम परिनियम मेरठ वि.वि. संख्या 13.20	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18701 (1999) निर्णित दिनांक 23.2. 2000	2000ई.एस.सी. 917 (डी.बी.) (2) इला.	शिक्षक संघ सनातन धर्म पी.जी.कॉलेज प्रति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ	क्या महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में राधा रायजादा के केस में प्रतिपादित सिद्धांत की वरिष्ठ अध्यापक को साधारणतया प्राचार्य पद पर नियुक्त करना चाहिए, लागू होगा ?	तदनुसार	हां		साधारणतया जब तक कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य नहीं आ जाता है तब तक राजा रायजादा के केस में प्रतिपादित सिद्धांत की महाविद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक स्थानापन्न प्राचार्य के रूप में कार्य करता रहेगा, यह सिद्धांत न्याय के अनुरूप है तथा इसे स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रयोग में लाना चाहिए ।
502.	35	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 6829 (1996) निर्णित दिनांक 22.2. 2000	2000 ई.एस.सी. 915 (डी.बी.) (2) इला.	डॉ.आर.बी. अग्निहोत्री प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या स्पष्ट अभिव्यक्त प्रावधान न होने पर सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है ?	स्वीकार	नहीं		उच्चतम न्यायालय ने भागीरथी जेना के केस में व्यवस्था दी है कि जब तक स्पष्ट प्रावधान न हो तब तक सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चल सकती ।

503.	इला.वि.वि. प्रथम परिनियम संख्या 8.10, 8.11, 16.4 एवं 16.7	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 18525 (2000) निर्णित दिनांक 9.5. 2000	2000 ई.एस.सी. 1387 (डी.बी.) (2) इलाहाबाद	डॉ.सुशील गुप्ता प्रति कार्यपरिषद इला. वि.वि. एवं अन्य	क्या बिना अनुशासन समिति की संस्तुति के वि.वि.के पत्राचार संस्थान के निदेशक का निलंबन कार्यपरिषद कर सकती है ?	स्वीकार	नहीं	चूंकि परिनियम संख्या 8.10 में अनुशासन समिति को गठित नहीं किया गया और बगैर उसके अनुसंशा के विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद निलंबन आदेश पारित नहीं कर सकती अन्यथा कार्यपरिषद द्वारा पिक एवं चूज की स्थिति आ सकती है ।
504.	उ.प्र.उ.शिक्षा सेवा आयोग अधि. 3, 6, 9, 11, 12 13 व 14 तथा धारा 2 निगम अधि. 1975	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 23685 (1997) निर्णित दिनांक 28.2. 2000	2000 ई.एस.सी. 925 इला. (डी.बी.) (2)	सूरजपाल साक्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या स्नातक या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्यों के चयन की प्रक्रिया जो कि उच्च न्यायालय के आदेश पर तेज गति से निपटाई गई को कतिपय शिकायतें मिलने पर राज्य सरकार निलंबित करके जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है ?	स्वीकार	नहीं	उच्च शिक्षा आयोग के प्रावधान राज्य सरकार को ऐसी जांच के लिए अधिकृत नहीं करते हैं तथा यह स्पष्ट रूप से आयोग की स्वायत्तशासी कार्यप्रणाली में छेड़छाड़ है जो विधिअनुमन्य नहीं है राज्य सरकार का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है ।

505.	विश्वविद्यालय अधिनियम प्रवेश संबंधी नियम संवद्ध महाविद्यालय, नियम 15(1)	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 48834 (1999) निर्णित दिनांक 25.1. 2000	2000 ई.एस.सी. 861 इला. (2)	सुमन उपाध्याय प्रति उपकुलपति वीरबहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल जौनपुर	क्या बी.टी या एल.टी. किये हुए छात्र एम. एड. में प्रवेश के अधिकारी हैं ?	स्वीकार	हां	1983 की प्रवेश नियमावली में बी.टी. या एल.टी. को बी.एड. डिग्री के समकक्ष ही माना गया है अतः विश्वविद्यालय एम.एड. प्रवेश में अर्हता न मानने पर त्रुटि कर चुका है ।
506.	13, 2(13), 16–डी, 57, 58 एवं 68 तथा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 51047 (1999) निर्णित दिनांक 10.1. 2000	2000 ई.एस.सी. 870 इलाहाबाद (2)	प्रबंध समिति ए.के.कॉलेज प्रति उ.प्र.राज्य	क्या प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कुलपति प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं ?	स्वीकार	नहीं	अगली प्रबंध समिति के गठित होने तक पुरानी प्रबंध समिति ही कार्य करती रहेगी । धारा 57 के अंतर्गत राज्य सरकार ही अधिकृत है कि वह दिये गये आधार पर अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर सके इससे पूर्व सुनवाई आवश्यक है ।
507.	राज्य वि.वि. अधि. तथा संविधान का अनु. 226	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 12405 (2000) निर्णित दिनांक 20.4. 2000	2000ई.एस.सी. 1162 इला. (2)	दिनेश कुमार पटैल प्रति इला. वि.वि.	क्या छात्र स्नातक प्रथम वर्ष के कोर्स में विषयों के परिवर्तन की अर्जी देकर परीक्षा देने तक केवल मौखिक आदेश पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है और इन विशेष परि स्थितियों में क्या उसका परीक्षा फल रोका जा सकता है ?	स्वीकार	नहीं	परिवर्तित विषयों में परीक्षा की अनुमति प्रदान करके विश्वविद्यालय ने एक प्रकार से विषय परिवर्तन की प्रार्थना स्वीकार कर ली जो लिखित आदेश न होने के पश्चात् भी अपरोक्ष रूप से प्रभावी है ।

508.	2(सी) (4) उ. प्र.लोक सेवा अधिनियम 94	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 3116 (1999) निर्णित दिनांक 17.4. 2000	2000 ई.एस.सी. 1185 (डी.बी.) (2)	डॉ.जगदंबा सिंह प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या प्रोफेसर का पद "सार्वजनिक सेवाऐं एवं पद" के अंर्तगत आता है और क्या विपिन अग्रवाल के मुकदमें में उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर के पद को 1994 के निर्णय बाहर रखा है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय डॉ. दीनानाथ शुक्ल के विरूद्ध है ?			पूर्ण पीठ को मामला भेजा गया है जिसका फेसला अभी तक नहीं आया है ।
509.	मेरठ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम संख्या 23.2, 23.1, 23.3, 23.4 तथा विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 35	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 16510 (2000) निर्णित दिनांक 2.5. 2000	2000 ई.एस.सी. 1390 (इला.) (2)	प्रबंध समिति आर.पी.जी. कॉलेज प्रति डी.आई.ओ. एस.मुजफ्फर नगर एवं अन्य	क्या गैर शैक्षणिक कर्मचारी संबंध महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित करने के आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पोषणीय है ?	तदनुसार	हां	क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक को अपील तय करने का अधिकार क्यों नहीं है यह दिखा पाने में वे असमर्थ रहे अतैव अपील निर्णय हेतु पुनः उनके पास भेज दी गई ।

510.	उ.प्र.उ.शि.से. आयोग धारा 33 एवं एस. एस. विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम	स्पेशल अपील नं. 304 (1997) निर्णित दिनांक 2.12. 99	2000 ई.एस.सी. 1440इलाहावाद (डी.वी.) (2) लखनऊ बेंच	परमानंद पांडे एवं अन्य प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अन्य आचार्य जो सन् 1971 में नियुक्त किये गये थे विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम जो 26.12.78 से प्रभावी हुये के अंर्तगत न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता न होने के आधार पर सेवा से हटाया जा सकता है ?	स्वीकोर	नहीं	विश्वविद्यालय के परिनियम भूतलक्षी नहीं हे अतः उसमें निर्धारित नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भूतलक्षी न होने के कारण प्रभावी नहीं होगी इस आधार पर पूर्व में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षा सेवा से नहीं हटाये जा सकते हैं और सेवा से हटाना पूर्णतः मनमाना एवं विधिविरूद्ध है ।
511.	45	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 3728 (2000) निर्णित दिनांक 25.5. 2000	2000 ई.एस.सी. 1942 इलाहाबाद (3)	अर्चना श्रीवास्तव प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या छात्र का प्रवेश फीस लेने के बाद विश्वविद्यालय से फार्म खो जाने के कारण निरस्त किया जा सकता है?	स्वीकार	नहीं	विश्वविद्यालय की अपनी गलती के लिए छात्र को दंडित नहीं किया जा सकता फीस जमा करने की रसीद की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा गया अतः वह सही है और छात्र का प्रवेश उचित एवं वैध है ।

512.	48	स्पेशल अपील नं. 240 (2000) निर्णित दिनांक 6.6. 2000	2000 ई.एस.सी. 1745 (डी.वी.) (3)	महेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी प्रति उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय	क्या एम.ए.द्वितीय का परीक्षा फल एम.ए. प्रथम के बैक पेपर के परीक्षाफल तक न घोषित करना नियम विरूद्ध है ?	अस्वीकार	नहीं	एम.एम.प्रथम वर्ष में गलती से अंक पत्र में याची को पास दिखा दिया गया बाद में गलती पता लगने पर याची को एम. एम. द्वितीय के साथ ही एम.ए. प्रथम के बैक पेपर देने की आज्ञा दी गई छात्र को यह मालुम था कि विश्वविद्यालय की त्रुटि होने के कारण भूल सुधार प्रक्रिया में उसे पुनः एम. ए.प्रथम की परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी गई जो उचित है अतः बैक पेपर का रिजल्ट आने तक द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल न घोषित करना विधि अनुमन्य है ।

513.	बुंदेलखंड वि. वि. के परिनियम	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 26992 (2000) निर्णित दिनांक 12.6. 2000	2000 ई.एस.सी. 1743 इला. (3)	एन.एन. श्रीवास्तव प्रति उपकुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से 62 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर करना उचित है ?	अस्वीकार	नहीं	वि.वि. अनुदान आयोग की सिफारिश केवल उन मामलों में प्रभावी होगी जहां पर कि शिक्षक अनुभवी एवं विशिष्ट ख्याति प्राप्त हों । प्रोफेसर चंद्र प्रकाश झा के निर्णय में खंड पीठ में उच्चतम न्यायालय की, टी.वी.जॉर्ज के मुकदमें की व्यवस्था को उद्धृत करते हुये सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा 60 वर्ष करने की सिफारिश की है पर इससे यह साबित नहीं होता है कि प्राध्यापक का अनुभव वर्तमान बढ़ते हुए ज्ञान विस्तार से मेल खाता है अथवा नहीं संचार माध्यमों एवं संचार क्रांति के युग में नये ज्ञान एवं नई सृजन शक्ति युक्त प्राध्यापकों की आवश्यकता है जिसमें पुरानी पीढ़ी निश्चित रूप से अवरोध पैदा करती है अतः जब तक शिक्षक उत्तरदायित्व के वहन करने लायक न हो सेवा निवृत्त की सीमा बढ़ाना उचित नहीं होगा।

514.	48 धारा 51, 52 अध्यादेश एवं अध्याय 34 विश्वविद्यालय कैलेंडर	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 16304 (2000) निर्णित दिनांक 1.5. 2000	2000 ई.एस.सी. 1603 इला. (3)	अरविंद कुमार उपाध्याय प्रति इलाहाबाद वि.वि.एवं अन्य	क्या इला. वि.वि. के पत्राचार संस्थान द्वारा बी.ए. एव बी.कॉम. के प्रवेश एवं परीक्षा उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गठन हो जाने के बाद नये अध्यादेश के संदर्भ मे कराना उचित है ?	अस्वीकार	नहीं	नये अध्यादेश के प्रभावी होने के एचात जो विद्यार्थी 25.11. 99 के पश्चात् दाखिला ले चुके हैं वे पिछले सत्र के नियमित छात्रों के साथ परीक्षा देने के अधिकारी नहीं होंगें । इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय को पत्राचार संस्थान संबंधी सब कार्य सौंपना चाहता है ।
515.	68	स्पेशल लीव पिटीशन नं. 8071 (1998) निर्णित दिनांक 26.7. 2001	2001 ई.एस.सी. 64 (एस.सी.) (1)	क्रांतेश प्रति चांसलर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं अन्य	क्या निम्नतम शैक्षणिक अर्हताऐं न होने के बाद भी महाविद्यालय के प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति व्यक्ति कुलपति का अनुमोदन न मिलने पर भी कार्यरत रह सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	प्रवक्ता पद पर प्रबंध समिति ने गैर कानूनी ढंग से उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जिसके पास निम्नतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी मामला प्रबंध समिति की ओर से कुलपति की अनुमति न मिलने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय तक गया बाद में प्रवक्ता पद पर नियुक्त व्यक्ति ने भी इस आदेश को चुनौती दी जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर अस्वीकार हुई ।

516.	परिनियम राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत एवं वार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एडवोकेट एक्ट 1961 के अंर्तगत बनाये गये ।	सी.एम.डब्लू.पी. नं.48183 (2000) निर्णित दिनांक 7.12. 2000	2001 ई.एस.सी. 48 (डी.वी.) इला. (1)	प्रबंध समिति दयानंद लॉ कॉलेज प्रति उ.प्र.राज्य एवं अन्य	क्या! बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिशास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा देने के बहाने विश्वविद्यालय के विधि संकाय एवं संबद्ध विधि महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के मानक तय कर सकता है ?	अस्वीकार	नहीं	अधिवक्ता अधिनियम तथा विश्वविद्यालय अधिनियम के मध्य कोई भी अंतर विरोध नहीं है अतः असंगता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दोनो अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न परिस्थितियों के लिये बनाये गये हैं । विधि शिक्षा के मापदंड तय करने का कुछ अधिकार तो बार काउंसिल को अवश्य होगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि वे बाहरी तत्वों को विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के लिये मापदंड करने के अधिकारी बनायें ।
517.	35	सी.एम.डब्लू.पी. नं. 43156 (2000) निर्णित दिनांक 19.1. 2001	2001 ई.एस.सी. 303 (डी.बी.) (1) इलाहाबाद	डॉ. देवकीनंदन शर्मा प्रति निदेशक उच्च शिक्षा इलाहाबाद	क्या संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में अर्हता की मानक एवं पात्रता निदेशक उच्च शिक्षा निश्चित करेंगें ?	तदनुसार	हां	पात्रता संबंधी आदेश करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक ही सक्षम अधिकारी हैं और इसको तय करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक के पास मामला उच्च न्यायालय ने वापस भेज दिया ।

अध्याय
सप्तम

सप्तम अध्याय

उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड संभाग तथा बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के न्यायिक प्रकरणों का वृत्त इतिहास

1. बुन्देलखंड संभाग, एक परिचय
2. विश्वविद्यालय की स्थापना
3. न्यायिक प्रकरणों का वृत्त इतिहास
4. न्यायिक प्रकरणों का विवरण

1. बुन्देलखंड संभाग, एक परिचय

बुन्देलखंड संभाग उ.प्र. के अंतर्गत अविकसित तथा पिछड़ा क्षेत्र है । झांसी इस संभाग का केन्द्रीय स्थान है, यहां सेना, रेल, डाकतार विभाग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, थर्मल पॉवर स्टेशन, राज्य सूती मिल एवं चारागाह संस्थान आदि अनेक केन्द्रीय व प्रदेश सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं ।

विश्व इतिहास में भी झांसी का ऐतिहासिक एवं सांस्कृति महत्व है । वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की यह नगरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम सोपान रण स्थली रही है । इसके चतुर्दिक म.प्र. के पार्श्ववर्ती भागों में चंदेलवंशीय मूर्तिकला और वास्तु कला में उपमेय खजुराहो, ओरछा, टीकमगढ़, दतिया के राज निवास, शिवपुरी की वनसंपदा, बालाजी का सूर्य मंदिर तथा सागर, ग्वालियर जैसे सांस्कृतिक एवं राजनैतिक महत्व के दर्शनीय स्थल भी हैं जिनकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा और कला कृतियां आज भी विश्व के पर्यटन की केन्द्र बिन्दु बनी हुई हैं । झांसी अपनी कला, संस्कृति और साहित्य में भी एक अद्‌भुत संगम तीर्थ है । झांसी के किले में परकोटे पर बने द्वार और खिड़कियां राजा गंगाधर राव की समाधि आदि ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय है । धर्म और दर्शन का आभास लक्ष्मीताल स्थित काली मंदिर, लक्ष्मी मंदिर एवं गणेश बाजार स्थित गणेश मंदिर से मिल सकता है । गणेश मंदिर रानी लक्ष्मी बाई जी के जीवन काल में ही संस्कृति, और नृत्य, संगीत तथा नाट्‌य कला का अद्‌भुत संगम था जहां स्वयं महाराजा गंगाधर राव भी मनोरंजन करते थे । साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त एवं उपन्यास सम्राट वृन्दावन लाल वर्मा झांसी जनपद की ही देन है । देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के यज्ञ में पावन आहुति देने वाले क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के अनन्य सहयोगी हिन्दी के विद्वान मनीषी डॉ. भगवानदास और श्री सदाशिवराव मलकापुरकर भी झांसी की ही देन रहे हैं, हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद्र भी इसी नगरी के निवासी थे ।

2. विश्वविद्यालय की स्थापना

झांसी शहर सम्भाग या मुख्यालय होने के कारण शिक्षा का केन्द्र रहा है । यहां शिक्षा के माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर के क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।

उ.प्र.शासन की अधिसूचना संख्या 4881/15–60–33/74 दिनांक 26.8.75 के

द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना झांसी में की गई । तत्समय बुंदेलखंड संभाग में 6 जनपद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं ललितपुर इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थे । वर्तमान समय में 7 जनपद तथा दो संभाग झांसी तथा चित्रकूट इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं ।

तत्समय इस विश्वविद्यालय में 13 महाविद्यालय संबद्ध थे । माह सितम्बर में रूड़की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं देश के विख्यात वैज्ञानिक डॉ. वहीदउद्दीन मलिक ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में तथा डॉ. प्रकाश नारायण अवस्थी ने प्रथम कुलसचिव के पद को ग्रहण किया एवं दायित्व संभाला । डॉ. मलिक के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने अपने कार्य का शुभारंभ किया । उस समय न तो भवन ही था और न ही पर्याप्त साधन थे । प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय का स्वरूप एक संबद्ध विश्वविद्यालय का था । 1986–87 में इस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इस विश्वविद्यालय ने आवासीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है । वर्तमान में 13 राजकीय कॉलेज, 13 अशासकीय महाविद्यालय तथा 13 स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत महाविद्यालय संबद्ध हैं । इस समय विश्वविद्यालय में 38 संस्थान हैं तथा 132 शैक्षिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं ।

उन्नतिशील विचारधारा से ओत प्रोत जब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बड़ा संबंल प्रदान किया जाता है इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में तो यही हो रहा है । सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सार्वभौम गणराज्य यह भारत वर्ष है । भारत का संविधान है । बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की सीमा में प्रवेश करके शैक्षिक वातावरण को छूने के साथ ही संविधान की उक्त गरिमा से युक्त भारत वर्ष की परंपरा की खुशबू महसूस होने लग जाती है ।

संवैधानिक परंपरा को आगे बढ़ाकर 'प्रोजेक्ट करने याने प्रकाश कीर्ण करने का दायित्व यहां पर सिर्फ विद्यार्थी अथवा समस्त श्रेणी के कर्मचारी गणों के कंधों पर ही नहीं सम्पूर्ण मन प्राणों की चेष्टा से वाइस चांसलर से लेकर समस्त शिक्षकों का भी प्रतिलक्षित होता है' ।

विश्वविद्यालय का अपना एक गुरू गंभीर रूप, स्वरूप एक गरिमामय आधारशिला होती है और वही तो ज्ञान का सूर्य बनकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाली स्थिति होती है जो यहां पर है । ऐसा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और ऐसे हैं यहां पर शिक्षक और इन सबसे निर्मित यहां का भव्य वातावरण । यह सब तीव्रतर गति से निरंतर उन्नति कर रहा है । यहां पर समस्त क्रियाकलाप उन्नति, उन्नति और उन्नति, अतिशीघ्र उन्नति की ओर कदम बढ़ाते दिखते हैं ।

3. न्यायिक प्रकरणों का वृत्त इतिहास

इस विश्वविद्यालय के स्थापना के तीन वर्ष बाद पहला वाद श्री गजबहादुर प्रति उ.प्र.शासन (190/1977) दायर हुआ जिसमें प्रतिपक्ष रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव थे । यह वाद वरिष्ठता को लेकर दायर किया गया था, जो कि अंतत वादी की याचिका बलहीन होने के कारण पोषणीय नही रहा तथा न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया ।

इस समय विश्वविद्यालय में लगभग 398 वाद चल रहे हैं । सन् 1983 से लेकर 1996 तक कुल 108 वाद पोषित हुये हैं जिनका विवरण निम्नवत हैं :–

क्रमांक	वर्ष	वाद संख्या
1.	1983	11
2.	1984	24
3.	1985	05
4.	1986	07
5.	1987	08
6.	1988	24
7.	1989	17
8.	1990	13
9.	1991	18
10.	1992	12
11.	1993	115
12.	1994	37
13.	1995	06
	कुल	297

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 15 वर्षों में, 1983 से 1995 तक के कुल 297 वाद दायर हुये । ये वाद प्रबंध समितियों, महाविद्यालयों, प्राध्यापकों एवं कुलपति के अधिकार एवं पाठ्यक्रम समितियों, परीक्षाओं तथा छात्रों से संबंधित थे ।

माननीय कुलपति श्री प्रभाकांत शुक्ल के द्वारा प्राचार्य की सेवा समाप्ति का अनुमोदन दे देने के पश्चात उसे वापस सेवा में ले लिये जाने का विवाद कुछ बहुत ही दिलचस्प रहा है । सारी न्यायिक प्रक्रिया ही अजीबोगरीब स्थिति में थी । परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की वैधता पर भी वाद पोषित किये गये जिनमें कुछ विचार हेतु स्वीकार हुये तथा कुछ बलहीन होने के कारण निरस्त भी हुये ।

4. न्यायिक प्रकरणों का विवरण

1983 से लेकर 1996 तक के सभी वादों का विवरण निम्नानुसार सारणी में दर्शाया गया है:–

क्रमांक	वाद संख्या	वाद प्रकाशन	वाद विवरण
1.	567	87	राम सूरत, कुलसचिव प्रति एस.प्रभाकांत शुक्ला
2.	611	87	जे.पी.यादव प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
3.	638	87	बाबूराम कनोजिया प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
4.	740	87	डॉ. पी.एन.जैन प्रति डॉ.रामजी लाल कुलपति
5.	758	87	प्रमोद कुमार गुप्ता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
6.	782	87	हर्ष सूद प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
7.	20992	87	सुधीर कुमार खेवरिया
8.	554	88	बाबूराम कनोजिया प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
9.	625	88	आर.के.पांडे प्रति कुलाधिपति
10.	164	87	अरविंद कुमार प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
11.	10	88	डॉ.वी.एस.जैन

12.	145	88	जगदीश गौतमी
13.	624	88	राजकमल मिश्रा
14.	124	88	राज कमल मिश्रा
15.		88	राज कमल मिश्रा
16.	3930	84	सरकार प्रति घनश्याम बिहारी पांडे
17.	3920	84	सरकार प्रति एस.दिनेश त्रिपाठी
18.	4185	84	सरकार प्रति हरगोविंद सिंह
19.	4171	84	सरकार प्रति फूलचंद सिंह
20.	183	88	डॉ. श्रीमति गार्गी
21.	203	88	डॉ.श्रीमति गार्गी
22.	760	88	कु.कामना कपूर
23.	142	88	राज कमल मिश्रा
24.	106	88	अमृत लाल
25.	698	88	हुकुमचंद्र अग्रवाल
26.	35	89	हरिमोहन वर्मा एवं अन्य
27.	7	89	हरिमोहन वर्मा
28.	63	89	पी.सी.जैन
29.	20642	88	डॉ. ए.के.सक्सेना
30	695	89	रामसूरत
31.	98	89	रामसूरत
32.	155	88	शांति देवी प्रति उ.प्र.सरकार
33.	156	88	सुरेन्द्र सिंह प्रति उ.प्र.सरकार
34.		88	रामनाथ प्रति उ.प्र.सरकार
35.		88	जगजीत सिंह कलसी प्रति उ.प्र.राज्य
36.	9	89	के.एल.मलिक
37.	15939	94	मोहनजी गुप्ता प्रति उ.प्र. सरकार
38.	273	83	सत्यदीन शिवहरे

39.	458	93	मुकेश सिंघल
40.	133	91	रीतेश शर्मा
41.	161	91	नीरज जोजफ
42.	24	91	प्रदीप भटनागर
43.	31947	90	प्रबंध समिति अर्तरा कॉलेज
44.	13409	91	रीतेश शर्मा
45.	12550	91	रीतेश शर्मा
46.	89	91	नीरज जोजफ
47.	18912	91	डॉ.एस.एन.श्रीवास्तव
48.	23543	91	डॉ. एस.सी.क्षत्रीय
49.	26230	91	डॉ. आर.के.सिंह
50.	281	91	बाबू लाल एवं अन्य
51.	1699	91	उमेश दत्त गौतम
52.	25971	90	जगदीश गौतमी
53.	31896	90	जी.एस.रिछारिया
54.	829		अशोक कुमार ओमहरे
55.	19573	89	रामसूरत, पूर्व कुलसचिव
56.	17765	89	संजीव नेल्सन सिंह
57.		89	सूर्यक्रांत डिप्टी लाइब्रेरियन
58.	117	89	श्याम सुन्दर मिश्रा
59.	9082	88	कु.रीतू जैन
60.	113	90	कमलेश कुमार शर्मा
61.	119	90	ज्ञान सागर रिछारिया
62.	291	90	रामसूरत
63.	136	89	श्याममनोहर लोहिया प्रति ओमप्रकाश
64.	3124	89	डॉ. जितेन्द्र कुमार

65.	12533	88	लखन लाल बड़ौलिया
66.	18418	88	डॉ. आर.एस.खरे
67.	9535	89	कु.रेखा मिश्रा
68.	6713	89	डॉ. सतीश चंद्र एवं अन्य
69.	23904	89	प्रवीण कुमार सक्सेना
70.	24970	89	एच.वी.सक्सेना
71.	10764	88	सोहन लाल शर्मा
72.	197	85	प्रेम नारायण पालीवॉल
73.	12099	90	आर.एस.शास्त्री
74.	13751	90	डॉ.एस.वी.श्रीवास्तव
75.	3090	89	प्रबंध समिति अर्तरा कॉलेज
76.	7827	89	अशोक श्रीवास्तव
77.	22521	88	कु.रजनीबाला शर्मा एवं अन्य
78.	613	88	बी.आर.कनोजिया
79.	10944	88	बी.आर.कनोजिया
80.	14900	90	विनीत सक्सेना
81.	18876	90	सूर्यकांत
82.	90	91	मोनिका गुप्ता
83.		90	संजय वर्मा
84.		90	नंदन सिंह
85.	8812	91	प्रबंध समिति अर्तरा कॉलेज
86.		91	श्याम सुन्दर मिश्रा प्रति कुलपति
87.	1407	91	श्याम सुन्दर मिश्रा प्रति कुलाधिपति
88.	24736	91	श्रीमति पुष्पलता निगम
89.	3369	91	श्याम नारायण तिवारी
90.	22802	92	बुंदेलखंड कॉलेज

91.	36205	91	श्रीमति सुशील पाठक
92.	262	92	जे.पी.यादव
93.	264	92	दिनेश कुमार
94.	24302	92	मंशा राम जाटव
95.	32571	92	अजर अली
96.	6	91	कु.शक्ति श्रीवास्तव
97.		92	नीरज प्रकाश शर्मा
98.	40444	92	कु.आस्था अग्रवाल
99.	37660	92	हरदेव सिंह रावत
100.	4818	92	कर्मचारी संघ
101.	4064	92	कु.नीलिमा गुप्ता
102.	2997	93	भीम प्रकाश त्रिपाठी
103.	3050	93	जे.पी.किरणधारी
104.		93	कैविएट
105.	2502	92	सुरेन्द्र सिंह आदि
106.	89	93	राय धनी सिंह
107.	76	93	सौरभ मिश्रा
108.	97	93	अजय सिंह एवं अन्य
109.		93	कु.गरिमा गुप्ता
110.	996	93	कु.सुमनलता वर्मा
111.		93	कु.सुनीता मिश्रा
112.	805	93	सरनजीत सिंह
113.	11086	93	दिलीप सिंह
114.		93	संजीव कुमार
115.		93	दिनेश प्रसाद सिंह
116.	997	93	निकुंज कुमार
117.		93	होम प्रिया इस्सर एवं अन्य

118.		93	नवीन सिंह
119.		93	कु.संगीता राय
120.	12954	93	तरूण कुमार
121.		93	विकास राय
122.	27845	92	डॉ. श्रीमति सुशीला पाठक
123.	कैविएट	94	डॉ. गार्गी प्रति यू.पी.सिंह
124.	14	93	स्टूडेंट यूनियन
125.	30955	93	योगेश कुमार सिंह
126.		93	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रति पियूष वशिष्ठ
127.		93	डॉ. सी.पी.दीक्षित
128.		94	श्रीमति उर्मिला बबेले
129.	139	94	कु.रचना गुप्ता
130.	2837	94	कु.उर्मिला बबेले
131.	S.L.P.	96	कु.रेखा निगम
132.	S.L.P.	96	विशाल अग्रवाल
133.	S.L.P.	96	राजेश कुमार
134.	S.L.P.	96	सुनीता मिश्रा
135.	6532	93	कु.रेखा मिश्रा एवं अन्य
136.	6126	93	अशोक सिंह एवं अन्य
137.	9613	93	कु.प्रीति निगम
138.	9614	93	कु.राजुल वशिष्ठ
139.	6521	93	शिवेन्द्र सिंह निरंजन
140.	6522	93	सत्य प्रकाश खरे
141.	9508	93	भगवान लाल एवं अन्य
142.	6519	93	भारत सिंह एवं अन्य
143.	9155	93	प्रकाश चंद्र

144.	9401	93	रामसेवक शर्मा एवं अन्य
145.	9534	93	कु. सुनीता गोस्वामी
146.	9539	93	रामानंद तिवारी
147.	9537	93	रमेश चंद्र
148.	9532	93	श्रीमति लीला आहुजा
149.	9460	93	कु.विनय गुप्ता
150.	5154	93	महेश चंद्र उपरैती
151.		93	ओम प्रकाश लोहार
152.	1143	93	श्रीमति उर्मिला नरवरिया
153.	112	93	कु. सुचिता गुप्ता
154.	134	93	कु.रचना गुप्ता
155.	132	93	कु.मनीषा गुप्ता
156.	80	93	प्रताप सिंह अहिरवार
157.	54	93	धीरेन्द्र कुमार दुबे
158.	201	93	कु.निशा नरवरिया
159.	473	92	ब्रजेश कुमार
160.	1358	93	संदीप अग्रवाल
167.	1359	93	निरूपम अवस्थी
168.	1360	93	अमिताभ श्रीवास्तव
169.	1320	93	विपिन कुमार मिश्रा
170.	1305	93	सुशील कुमार गुप्ता
171.	40633	94	विशाल अग्रवाल
172.	1322	93	मोहम्मद अब्दुल रहमान
173.		93	सचिन उपाध्याय
174.	1330	93	अजय किशोर
175.	1317	93	मंदीप सिंह
176.		93	उत्पल रस्तोगी

177.	1355	93	छात्र संघ
178.	60434	94	कु.रेखा निगम
179.	1277	93	कु.पूजा टंडन
180.	1276	93	कु.शालिनी टंडन
181.	1328	93	प्रतीक मेहरोत्रा
182.	1361	93	कु.अभिलाषा शर्मा
183.	1362	93	अरविन्द कुमार
184.	1319	93	कु.रूचि गोयल
185.	1318	93	मुरलीधर छावड़ा
186.	1329	93	संजीव सोनिया
187.	212	93	पियूष वशिष्ठ
188.	60640	94	राजेश कुमार
189.	1364	93	राजेश वीरपनी
190.	19450	93	जयप्रकाश
191.		93	ब्रजेन्द्र सिंह
192.	19383	93	मयंक श्रीवास्तव
194.	1712	93	कु.प्रमिला कालरा
195.	1713	93	मुसाहिद अली
196.	1714	93	कौशल कांत मिश्रा
197.	1321	93	विपुल गोयल
198.	171	93	कु. सुनीता मिश्रा
199.	1890	93	रीतेश कुमार
200.		93	मोहम्मद इस्लाम
201.		93	सुरजीत सिंह सेन गुप्ता
202.		93	यशवंत राम
203.	1873	93	हरिशंकर मिश्रा
204.	35699	94	मानिकचंद शर्मा

205.	36009	94	गांधी कॉलेज उरई
206.	160	94	क्रांतिवेद
207.	39578	94	जे.एल.एन.कॉलेज, बांदा
208.	227	94	संजय कुमार नायक
209.		94	विकास राय
210.	2745	93	विपिन सिंह चौहान
211.	4783	95	अब्दुल अजमल
212.	63	94	प्रतियाश गोपाल
213.	31	95	हुकुम चंद्र अग्रवाल
214.	15	95	कु.रचना गुप्ता
215.	4	95	अब्दुल अजमल
216.	13695	95	योगेश पांडे
217.	19767	95	संवेश कुमार त्यागी
218.	6491	93	डॉ. सुशील कुमार
219.		93	गजेन्द्र कुमार सिंह
220.	177	94	शिवाजी मालवीय
221.	1876	93	योगेश कुमार
222.	1877	93	जय प्रकाश
223.	43	94	हरिमोहन वर्मा एवं अन्य
224.	6299	94	राहुल चौहान
225.	40	94	अरूण कुमार
226.	26	94	राम कुमार गुप्ता
227.	40	94	रत्ना सोलंकी
228.	41	94	कु. रीतू महेश्वरी
229.	एफ.ए.	94	राजीव श्रीवास्तव
230.		94	संत प्रकाश सिंह
231.		94	कु. गरिमा गुप्ता

232.	105	95	प्रतिमा श्रीवास्तव
233.		94	सरमन कुमार शुक्ला आदि
234.	499	94	भगवान लाल
235.	14711	94	डॉ. आर.के.सिंह
236.	22685	94	कु. रत्ना सोलंकी
237.		94	जे.पी.लिखधारी
238.	84	94	कु. सुमित्रा गुप्ता
239.		94	कु.सुमित्रा गुप्ता
240.		94	जे.पी.लिखधारी
241.	219	94	पुष्पेन्द्र सिंह एवं अन्य
242.	467	94	श्रीमति निर्मला ठाकुर
243.	192	94	कु. पूनम राठौर
244.	193	94	कु.अनामिका जैन
245.	167	94	अब्दुल अज़मल
246.	32750	94	प्रबंध समिति अर्तरा कॉलेज
247.	222	93	श्रीमति उर्मिला बबेले
248.	400	93	श्रीमति प्रतिमा श्रीवास्तव
249.	16412	93	अरविन्द कुमार यादव
250.		93	हरि मोहन यादव
251.		93	कु. अंशुल
252.		93	कु.शिवानी
253.		93	विकास स्वरूप
254.		93	मोहम्मद अकरम
255.		93	ऋषि कुमार सिंह
256.		93	कुमार चौहान
257.	19379	93	कुमारी शिवाजी मालवीय
258.	57714	93	यूनूस खान

259.	34	93	कु.शालिनी टंडन
260.		93	अनिल कुमार अग्रवाल
261.		93	आशु अग्रवाल
262.		93	कु.शिखा दत्ता एवं अन्य
263.	43578	93	ब्रजेश कुमार
264.	43711	93	बंश प्रताप सिंह
265.	43712	93	धीरेन्द्र दुबे
266.	37	93	आशीष मेहरोत्रा
267.	38	93	आशीष मेहरोत्रा
268.	2753	93	कु. रूचि त्रिपाठी
269.		93	कु.संगीता राय
270.	43043	93	कु. सुहेल अखतर
271.	1990	93	आशीष मेहरोत्रा
272.	1	94	राजीव श्रीवास्तव
273.		93	अतुल मोहन
274.	45431	93	जगदीश प्रसाद
275.	142	93	जे.पी.लिखधारी
276.	323	94	अजय कुमार वर्मा
277.	37383	94	कु.अर्पणा त्रिपाठी
278.	38578	94	संजीव कुमार श्रीवास्तव
279.	39365	94	ब्रजभूषण
280.	39099	94	कु.अल्पना कौशिक
281.		94	कु.कमलेश कुमारी एवं अन्य
282.	631	94	ब्रज बिहारी त्रिवेदी एवं अन्य
283.	632	94	श्रीमति किरण एवं अन्य
284.	633	94	ब्रजेन्द्र कुमार दीक्षित एवं अन्य
285.	628	94	कु.अर्चना मिश्रा एवं अन्य

286.	630	94	कु. पूनम
287.	618	94	प्रेमलता अग्रवाल
288..	619	94	हरि प्रसाद मिश्रा
289.	620	94	कु. वंदना
290.	621	94	उमादेवी
291.	624	94	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
292.	560	94	मंजू देवी
293.	607	94	श्रीमति शशिकला
294.	610	94	श्रीमति इंद्रा बाजपेयी
295.	613	94	धर्मेन्द्र मिश्रा
296.	616	94	रत्नेश उपाध्याय
297.	615	94	श्रीमति अर्चना चतुर्वेदी
298.	623	94	श्रीमति सुषमा देवी एवं अन्य
299.	626	94	मंजूलता प्रति घनश्याम
300.	40174	94	राघवेन्द्र प्रताप तिवारी एवं अन्य
301.	206	94	उदय प्रताप सिंह
302.	1410	95	भरत सिंह निरंजन
303.	3643	95	डॉ. जे.डी.सिंह
304.	307	95	अमृत लाल
305.	5015	95	विजय विक्रम एवं अन्य
306.	200	94	राजेश कुमार
307.	7446	95	सुनील कुमार साहू
308.	8251	95	विनय कुमार वार्ष्णेय
309.	123	95	कु. रूचि अग्रवाल
310.	9562	95	ब्रजेश कुमार सिंह
311.	462	95	कु. रचना गुप्ता
312.	10846	95	हरि मोहन वर्मा एवं अन्य

313.	182	95	मोहम्मद रफीक खान
314.	361	95	संजीव श्रीवास्तव
315.	360	95	कु. कल्पना कौशिक
316.		95	कु. स्मिता सागर
317.	33	95	अमिताभ बाजपेयी
318.		95	विजय विक्रम सिंह एवं अन्य
319.	293	95	रत्नेश उपाध्याय
320.	211	95	अमिताभ बाजपेयी
321.	307	95	कु. मनीषा
322.	93	95	श्याम लाल
323.	119	95	इन्द्रा बाजपेयी
324.	262	95	सैयद नुरूल हसन
325.	225	95	श्रीमति प्रेमवती
326.	S.L.P.	95	अजय कुमार वर्मा
327.	19762	95	मृदलेश सिंह
328.	4	95	दीपक राय
329.	432	95	दीपक राय
330.	29547	95	कांतिवेद
331.	457	95	अजय उपाध्याय
332.	20069	95	डॉ. हरिशंकर शुक्ल प्राचार्य बांदा
333.	198	95	संजीव कुमार
334.	33642	95	प्रबंध समिति, गांधी कॉलेज उरई
335.	194	95	कु. स्मृति भटनागर
336.	S.L.P.	95	प्रबंध समिति गांधी कॉलेज, उरई
339.	36937	95	आशुपाल सिंह
340.	34184	95	प्रदीप कुमार पालीवाल
341.	आर.11	96	जे.पी.लिखधारी

342.	S.A.103	96	स्मृति भटनागर
343.	36	96	अंशुपाल सिंह
344.	33905	95	अनिल कुमार
345.	6829	96	डॉ.आर.पी.अग्निहोत्री
346.	4611	96	विजय पाल
347.	2945	96	अभिषेक तिवारी
348.	51	96	संजीव कुमार जैन
349.	3374	96	राम नरेश यादव
350.	11639	96	आकांक्षा चौरसिया
351.	17286	96	जगदीश प्रसाद मिश्र

अध्याय
अष्टम

अष्टम अध्याय

निष्कर्ष एवम् सुझाव

1. निष्कर्ष
    1. विश्वविद्यालय से संबधित निष्कर्ष
    2. प्रबंध तंत्रों से संबंधित निष्कर्ष
    3. शिक्षकों/प्राचार्यों से संबंधित निष्कर्ष
    4. छात्रों से संबंधित निष्कर्ष
    5. कर्मचारियों से संबंधित निष्कर्ष
    6. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित निष्कर्ष
    7. सामान्य विविध निष्कर्ष

2. सुझाव :–
    1. विश्वविद्यालय से संबंधित सुझाव
    2. प्रबंध तंत्रों से संबंधित सुझाव
    3. शिक्षकों/प्राचार्यों से संबंधित सुझाव
    4. छात्रों से संबंधित सुझाव
    5. कर्मचारियों से संबंधित सुझाव
    6. विविध/सामान्य संबंधित सुझाव

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिये शिक्षा अपरिहार्य है । राष्ट्र की खुशहाली, उन्नति तथा उसकी समृद्धि शिक्षा के विकास द्वारा आंकी जाती है । शिक्षा एक निवेश है । उच्च शिक्षा व्यक्ति के उन्नयन के द्वार खोलती है । उच्च शिक्षा का संचालन तथा नियमन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा किया जाता है । स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में 05 विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षक छात्र थे ।

स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का द्रुत गति से विकास हुआ है । प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोग, राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियां तथा कुलपतियों एवं अन्य शिक्षा विदों की संस्तुतियों के आलोक में सम्पूर्ण उ.प्र. राज्य के विश्वविद्यालयों पर, रूड़की विश्वविद्यालय तथा गोविन्द वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, को छोड़ते हुये, क्रियान्वयन हेतु एक विस्तार पूर्ण विधेयक तैयार किया गया । यह विधेयक विधान परिषद द्वारा 17.5.1973 में पारित किया गया परन्तु विधान सभा का सत्र न होने के कारण विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका । राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व कार्यरत मंत्रीमंडल ने यह निर्णय लिया कि वह विधेयक अध्यादेश के रूप में लागू किया जाये । तदनुसार यह विधेयक अध्यादेश के रूप में 12.6.1973 से लागू किया गया तथा 18.6.1973 से लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित किया गया गया ।

उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10.6.1973) को लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 1921, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम 1926, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1956, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1965 तथा कानपुर/मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम 1965, निरसित करते हुये 25 सितम्बर 1973 से अस्तित्व में आया । तीन दशक पूर्व से आज तक उच्च शिक्षा के नियमन हेतु 26 संशोधनों के साथ 14 अध्यायों, 76 धाराओं तथा अनेक उपधाराओं सहित प्रभावी है जिसका विवरण निम्न है :–

अध्याय	विषय	धारा संख्या	मूल धाराऐं
1	प्रारंभिक	2	
2.	विश्वविद्यालय	6	3 से 7
3.	निरीक्षण तथा जांच	1	
4.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	11	9 से 18
4क.	सामान्य परिषद और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड	3	18क से 18ग
5.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	12	19 से 30
6.	अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें	8	31 से 36
7.	संबद्धता तथा मान्यता	8	37 से 44
8.	प्रवेश तथा परीक्षाऐं	5	45 से 48
9.	परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम	5	49 से 53
10.	वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा	3	54 से 55 क
11.	उपाधि, महाविद्यालयों का विनियमन	5	56 से 60
11क.	उपाधि, महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय	9	60क से 60ज
12.	शास्तियां तथा प्रक्रिया	3	61 से 63
13.	प्रकीर्ण	8	64 से 70
14.	संक्रमण कालीन उपबंध	7	71 से 76

यह अधिनियम विश्वविद्यालय, प्रबंध तंत्र, कार्यपरिषद, विधा परिषद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कर्तव्य, प्राध्यापकों की नियुक्तियां तथा सेवा शर्तें, छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा आदि पर प्रकाश डालता है । ठोस तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के प्रावधानों से भी प्रावधानित है । महाविद्यालय तथा स्वशासित महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रावधान भी इसके अंर्तगत आते हैं । शोधार्थी द्वारा इस अधिनियम के न्यायिक निर्णयों का विवेचन और विश्लेषण किया गया है जिस पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं –

क. **विश्वविद्यालय से संबंधित निष्कर्ष :—**

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने, चतुर्दिक विकास करने तथा उच्च शिक्षा को प्रदान करने का केन्द्र है । प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालय आवासीय रूप धारण कर चुके हैं । विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा प्राधिकारी ही उच्च शिक्षा स्तर बनाये रखने में अपना योगदान देते है । इनका योगदान सतत तथा निर्बाध गति से हो इस संबंध में जो भी वाद उच्च न्यायालय के समक्ष आये हैं वे प्रायः इन पदों की योग्यता, प्रोन्नति तथा चयन प्रक्रिया के बारे में है ।

कुलाधिपति प्रदेश का राज्यपाल होता है । धारा 68 के अंर्तगत कुलपति के निर्णयों के विरूद्ध वह संदर्भ में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुये निर्णय प्रदान करता है और उसका यह निर्णय अंतिम होगा । किन्तु कुलाधिपति का निर्णय अर्द्धन्यायिक होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को पोषणीय करते हुये निर्णय देता है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकांशतः मामले अनुकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण निरस्त कर दिये जाते हैं । कभी—कभी कुछ मामले ऐसे भी आये हैं जिन्हे वैकल्पिक उपचार व्यवस्था के बाद भी विधायी गंभीरता को देखते हुये गृहण कर लिया गया है ।

कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होता है । वह विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होता है । कुलपति की नियुक्ति को लेकर अनेक वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये हैं । कुलपति का पद कहीं न कहीं विवाद में फंस गया है । कुलपति की चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये, कुलाधिपति भी इस संबंध में सहायता करने वाली समिति में शासन या उसके प्रतिनिधियों का कोई स्थान या दखलंदाजी न होने दे, जिससे विश्वविद्यालय में गुटबाजी और राजनैतिक दांवपेंच जैसे कार्यों के लिये जगह न हो ।

कुलपति के अधिकारों के और अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है कुलपति द्वारा अपनी शक्तियां धारा 13(2) के अंर्तगत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के खाते सीज करने हेतु पारित आदेश पारित किये क्योंकि प्रबंध तंत्र तथा प्राचार्य दोनो हाथों से संपत्ति लूट रहे थे लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कुलपति के

आदेश पर रोक लगा दी और यह कारण दिया कि कुलपति को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के खाते सीज करने का अधिकार नहीं है । कुलपति को अपने दिये गये निर्णय का पुर्नवीक्षण करने का अधिकार नहीं है, कुलपति कोई आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा तथा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देगा ।

प्रति उपकुलपति की नियुक्ति का प्रावधान और अधिक स्पष्ट होना चाहिये, उसका चयन किस प्रकार किया जाये इस प्रक्रिया को निश्चित किया जाना चाहिये । वित्त अधिकारी के अवकाश पर जाने पर वित्त अधिकारी की नियुक्ति नियमानुसार कुलपति द्वारा नहीं की जाती है ।

कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होता है, कुलसचिव की अच्छी सेवा तथा प्रतिकूल प्रविष्ठि न होने पर अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति नहीं की जा सकती है ।

विधा परिषद द्वारा कराये गये प्रवेश नियम वैधानिक हैं । न्यायालय द्वारा उपकुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव को विश्वविद्यालय का अधिकारी स्वीकार किया गया है ।

विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों, उपाचार्यों तथा आचार्यों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपरिषद के पास है । इन पदों पर कुलपति द्वारा की गई नियुक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय में असंवैधानिक करार दिया है ।

इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय प्रति डॉ. राज किशोर त्रिपाठी, ए.आई.आर. 1977 (एस.सी.), पृष्ठ 615 में यह व्यवस्था दी है कि कुलपति स्थाई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं और यह शक्ति केवल कार्य परिषद को प्राप्त है ।

2. **प्रबंध तंत्र से संबंधित निष्कर्ष :–**

उच्च न्यायालय के समक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा महाविद्यालयों

के प्रबंध तंत्र से संबंधित अनेक वाद प्रस्तुत हुये हैं । अधिकतर ये विवाद चुनाव, प्रबंधा समिति का कार्यकाल, प्रबंध समिति की मान्यता तथा प्रशासक की नियुक्ति से सबंधित हैं । रजिस्ट्रेशन सोसायटी के क्रियाकलाप भी इस पर प्रभाव डालते हैं ।

अधिनियम की धारा 2(13) के अंर्तगत मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये हैं । मान्यता की शर्तें स्पष्ट न होने के कारण विश्वविद्यालय कभी–कभी मनमानी कार्यशैली अपनाते हैं । अतः इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ।

प्रबंध तंत्र का गठन परिनियमावली के दिये गये प्रावधानों के अनुसार होता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रबंध तंत्र को 'नॉन स्टेच्युटरी बॉडी' घोषित कर दिया है अतः अधिकतर वाद दीवानी न्यायालयों में जाते हैं । चूंकि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है और इस लंबी प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, इसके प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किया जाये ताकि प्रबंध समितियां महाविद्यालयों की संपत्ति तथा अर्थ व्यवस्था को चौपट न कर सके । प्रबंध तंत्र का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है ।

वी.के. बिसारिया के निर्णय में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रबंधा तंत्र के चुनाव में पूर्व नियुक्त शिक्षक रिश्तेदारों के कारण अयोग्यता नहीं होती, उच्चतम न्यायालय ने ई.सी. मेरठ कॉलेज के केस को यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रबंध तंत्र की अयोग्यता संबंधी प्रावधान भूतलक्षी हैं, ये प्रावधान विद्यालय के कर्मचारियों के मध्य भेदभाव न उत्पन्न हो सके इसलिए बनाये गये हैं ।

3. शिक्षकों / प्राचार्यो से संबंधित निष्कर्ष :–

किसी भी स्थाई पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति अस्थाई नहीं की जायेगी तथा अस्थाई पद पर स्थाई नियुक्ति की जा सकेगी । 25.9.74 के पूर्व शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । उच्चतर शिक्षा आयोग से पूर्व नियुक्तियों का कुलपति द्वारा अनुमोदन अपरिहार्य तथा आज्ञापक है ।

दूसरे विश्वविद्यालयों में की गई सेवा का लाभ उनके वरिष्ठता निर्धारण में प्रदान किया जायेगा । प्रदेश के बाहर की गई सेवा का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

विश्वविद्यालय में नियुक्तियां कार्य परिषद द्वारा की जाती हैं । यहां परिनियमावली में प्रदत्त प्रावधानों में शैक्षिक अर्हता तथा चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्तियां की जा सकती हैं । इनके विरूद्ध की गई नियुक्तियां विधिमान्य नहीं है महाविद्यालयों में नियुक्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं । शैक्षिक योग्यता में शिथिलता का अधिकार चयन समिति को है । चयन करते समय लम्बे अनुभव को भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिये । प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध को मान्यता देने का अधिकार चयन समिति को है इस पर अन्य कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता ।

सेवा निवृत्त प्राध्यापकों तथा प्राचार्यों को उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि इस शर्त पर नहीं दी जा सकती कि उन्होने मकान आदि रिक्त नहीं किया है ।

प्राचार्य को शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया है अतः एक जुलाई के बाद सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को सत्र के अंत का लाभ अर्थात आगामी 30 जून तक होगा । प्राचार्य सेवानिवृत्ति के बाद भी 30 जून तक कार्य करते रहेंगें । वरिष्ठतम प्राध्यापक प्राचार्य पद पर कार्य करने मात्र से प्राचार्य पद के वेतन का अधिकारी नहीं होता है । प्राचार्य पद रिक्त होने पर 3 माह तक प्रबंध समिति किसी भी शिक्षक को प्राचार्य नियुक्त कर सकती है । तत्पश्चात् आयोग द्वारा प्राचार्य नियुक्त न होने पर वरिष्ठतम प्राध्यापक ही प्राचार्य के दायित्वों को वहन करेगा तथा उनका अधिकारी होगा । शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही होगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सेवानिवृत्ति आयु अभी 62 वर्ष शासन द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है । विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में प्रदत्त संविदा की शर्तें प्रत्येक शिक्षक तथा प्राचार्य पर लागू समझी जायेगी तथा उनका उल्लंघन किसी भी पक्ष द्वारा असंवैध ाानिक माना जायेगा ।

चंद्रशेखर मिश्रा के निर्णय में उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा स्तर की पवित्रता बनाये रखने हेतु व्यवस्था देते हैं कि शिक्षक की सेवा समाप्ति के आदेश के

पूर्व सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है ।

वी.के.अग्रवाल के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि नियुक्ति के समय की अर्हता को बाद की न्यूनतम अर्हता के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

4. छात्रों से संबंधित निष्कर्ष :—

छात्रों के अधिकतर मामले प्रवेश, परीक्षा, अनुचित साधनों के प्रयोग, पुनर्मूल्यांकन तथा छात्र संघ से संबंधित ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ।

प्रवेश का सम्पूर्ण अधिकार कुलपति/प्राचार्य को है, वह किसी भी प्रवेश को कारण बताते हुए निरस्त कर सकता है । अगर छात्र का प्रवेश फ्रॉड आदि के कारण न हुआ हो और छात्र ने अपनी परीक्षा दे भी दी है तो उसका परीक्षाफल नहीं रोका जा सकता है । परीक्षा समिति किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित करने का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुये कर सकती है । परीक्षा में अनुचित साधन प्रयुक्त करने वाले छात्र को भी उचित कारण देते हुये दंडित किया जा सकता है । मनमाने तरीके से लिया गया निर्णय खंडित तथा निरस्त किया जा सकता है । छात्र संघ से संबंधित याचिकाऐं पोषित एवं स्वीकार इसलिए की जा सकती है कि वह अधिनियम के अंतर्गत है । 'स्क्रूटनी' को पुनर्मूल्यांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह अच्छा होगा कि छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन तथा महाविद्यालय प्रशासन के आंतरिक मामलों में शिरकत करने दी जाये ।

वंदना तिवारी के केस में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्री को बराबरी के आधार पर मान्यता दी जा सकती है । एल.टी. और बी.टी. को बी.ए. के समकक्ष स्वीकार किया गया है तथा एम.एड. की डिग्री को परास्नातक स्तर स्वीकार किया गया है ।

रघुनाथ द्विवेदी के निर्णय में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि कुलपति छात्र संघों के चुनावों के मामले में अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखते है तथा इन चुनावों के संबंध में याचिका पोषणीय है ।

5. कर्मचारियों से संबंधित निष्कर्ष :—

कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार विश्वविद्यालय में, तृतीय श्रेणी के कार्यपरिषद को तथा चतुर्थ श्रेणी के कुलपति को है इसी प्रकार महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी की नियुक्ति प्रबंध तंत्र के द्वारा तथा चतुर्थ श्रेणी की प्राचार्य द्वारा की जा सकती है इनके अतिरिक्त किसी के द्वारा की गई नियुक्तियां विधिमान्य नहीं है । अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियों का अनुमोदन अपरिहार्य तथा आज्ञापक है, ये नियुक्तियां राजकीय महाविद्यालयों में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य द्वारा की जा सकती है । यह नियुक्तियां तभी विधिमान्य समझी जायेंगी जब वह अनुमोदित हो केवल अनुमोदित नियुक्तियों के वेतन की जिम्मेदारी शासन की है ।

बी.एन.पाण्डेय के केस में दिये गये निर्णयानुसार कर्मचारियों के वेतन का भार राज्य सरकार पर है । महाविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों संबंधी प्रावधानों पर व्यवस्था देते हुये उच्च न्यायालय ने ए.ए.अंसारी के वाद में कहा है कि इससे महाविद्यालय के प्रबंधन में दखलंदाजी नहीं होती है ।

विश्वविद्यालय में लिपिक वर्ग में की गई नियुक्तियों में प्रोन्नति पाने का अधिकार है, लेकिन अधिनियम में इनका प्रावधान नहीं है । केन्द्रीय–कृत सेवाओं के कारण इन पर शासन का नियंत्रण अधिक है । कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अधिकार केवल नियुक्तिकर्ता को है । अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति या सेवा समाप्ति की कार्यवाही विधिमान्य नहीं है । प्रत्येक आदेश जिसका क्रियान्चयन हो जाता है वह समाप्त हो जाता है ।

6. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित निष्कर्ष

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 मे हुई थी । इस विश्वविद्यालय का स्वरूप 1986 तक सम्बद्ध महाविद्यालयों का था, 1987 में इसने आवासीय रूप धारण किया ।

1977 में इस विश्वविद्यालय में प्रथम वाद 90/1977 श्री ज़न बहादुर मिश्र द्वारा अपनी वरिष्ठता को लेकर, जन बहादुर प्रति उ.प्र.राज्य, 9 सितम्बर 1977 को किया गया इसका निर्णय इनके विरूद्ध रहा है ।

तत्पश्चात् अब तक विविध प्रकरणों पर 1894 वाद दायर हो चुके हैं ये वाद वरिष्ठता, सेवा शर्तों, प्राचार्यों की सेवा समाप्ति सत्र के अंत तक, कुलपति के निर्णय के विरूद्ध, कुलपति द्वारा अपने आदेश का पुनर्वीक्षण करने पर, कर्मचारियों तथा प्राध्यापकों की सेवा समाप्ति तथा छात्रों के प्रवेश, परीक्षा दल एवं छात्र संघ के चुनाव आदि से संबंधित रहे हैं ।

7. सामान्य विविध निष्कर्ष :-

डॉ. टहलयानी के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 66 के संदर्भ में व्यवस्था दी कि गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में विश्वविद्यालय का निर्णय गुण-अवगुण के आधार पर प्रभावित नहीं होगा ।

श्रीमति सुधा सिंह के केस में कुलाधिपति के क्षेत्राधिकार की सीमा तय की गई है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्णय में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अंर्तगत किये गये कार्यों पर दीवानी न्यायालय में वाद स्थापना प्रतिबंधित है ।

सुझाव

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तीन दशक पूर्व अर्थात 25.9.1974 को अस्तित्व में आया था तब लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी का स्वरूप संबद्ध का था । आज सभी विश्वविद्यालयों का स्वरूप आवासीय हो चुका है । सहायता अनुदान प्रणाली भी बदल चुकी है । उच्च शिक्षा आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, दूर शिक्षा तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से ओतप्रोत है । प्रदेश में इस समय 567 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, 64 संस्थान तथा 132 पाठ्यक्रम संचालित हैं ।

इस शोध के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों तथा व्यवस्था को देखते हुये निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं :-

1. अधिनियम की धारा 218 में प्रबंध समिति की मान्यता को पारदर्शी करने हेतु

स्पष्ट प्रावधान किये जायें ।

2. कुलपति के पद पर शिक्षा विदों को ही नियुक्त किया जाये तथा इस नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाया जाये ।

3. वित्त अधिकारी के अवकाश पर जाने पर अगले वित्त अधिकारी की नियुक्ति प्रावधानों के अनुरूप की जाये ।

4. परीक्षा नियंत्रक का पद समाप्त कर दिया जाये और यह पूर्ववत कुलसचिव के पास ही रखा जाये ताकि परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो ।

5. कुलपति का पद रिक्त होने पर कुलपति के पद का कार्यभार प्राचार्य को न सौंपकर विश्वविद्यालय में नियुक्त वरिष्ठतम आचार्य को कुलपति पद का भार दिया जाये ।

6. प्रति कुलपति के नियुक्ति हेतु कुलपति की मर्जी पर न छोड़कर स्पष्ट प्रावधान बनाये जायें ।

7. 'सभा' की निर्वाचन प्रणाली को अधिक विनियमित तथा पारदर्शी बनाया जाये।

8. प्राध्यापकों की नियुक्ति में भारतीय मूल के अतिरिक्त विदेशी मूल के नागरिक को नियुक्त करने का प्रावधान अधिनियम में दिया जाये ।

9. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपने निर्णय दें ।

10. उच्च शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण बंद किया जाये । स्ववित्त पोषित योजना के अंर्तगत संचालित विविध पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाये, मान्यता देते समय प्रयोग शालाओं, कक्षा–कक्षों, फर्नीचर, उपकरण तथा उनकी रख रखाव के सत्यापन हेतु अधिनियम में प्रावधान किये जायें ।

11. स्ववित्त पोषित योजना के अंर्तगत कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताऐं, चयन प्रक्रिया, वेतनमान तथा पेंशन आदि की सुविधा हेतु अधिनियम में प्रावधान किये जायें ।

12. वेतन निर्धारण/वितरण व्यवस्था का क्रियान्वयन अधिनियम में प्रभावी ढंग से करने की व्यवस्था की जाये, रीडर/प्रोफेसर पद पर व्यक्तिगत प्रोन्नति योजना के तहत नियुक्ति को अधिक कारगर बनाने हेतु अधिनियम में प्रावधान किये जायें ।

13. प्राचार्यों तथा शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु अधिनियम में प्रावधान किये जायें ।

14. प्रबंध तंत्रों के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष से अधिक किसी भी दशा में न हो इसके प्रावधान स्पष्ट किये जायें ।

15. विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति जर्जर है, इसे सुधारने हेतु अधिक आर्थिक अनुदान देने के प्रावधान किये जाने चाहिये ।

16. परीक्षा संचालन तथा सत्र नियमन के प्रावधान किये जायें, और किसी भी दशा में सत्र अनियमित करने देने के किसी प्रयास को सफल न होने दिया जाये । ऐसे विश्वविद्यालय के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान स्पष्ट किया जाये ।

17. परीक्षा समिति के अधिकार और अधिक व्यापक तथा स्पष्ट किये जायें ।

18. कुलपति को छः माह हेतु, अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति हेतु प्रावधान स्पष्ट किये जायें ।

19. कुलपति के अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्व समीक्षा करते हुये उनमें बढ़ोत्तरी की जाये ।

20. प्रत्येक विश्वविद्यालय में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये और उसका

नियंत्रण उपकुलसचिव स्तर के अधिकारी के अधीन हो ।

21. शोध अध्यादेशों, परिनियमों तथा विनियमों में आज की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किये जायें ।

22. कुलपति द्वारा प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षिक व्यवस्था के सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की संरचना के लिए अधिनियम में प्रावधान किये जायें ।

23. अधिनियम की धारा 36 को अधिक प्रभावी बनाया जाये, इसको क्रियान्वित करने हेतु समय सीमा निश्चित की जाये । सेवा निवृत्त प्राध्यापकों/उपाचार्यों/आचार्यों तथा प्राचार्यों की नियुक्ति किसी प्रशासनिक पद पर नहीं की जायें इसके प्रावधान स्पष्ट हों ।

परिशिष्ट–1

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों की सूची

क्रमांक	(क) सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	1887
2.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1921
3.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	1927
4.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1957
5.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1958
6.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	1965
7.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	1965
8.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी	1974
9.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	1975
10.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1975
11.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	1975
12.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1987
	(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
1.	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1916
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1921
3.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,	1989

लखनऊ

(ग) मुक्त विश्वविद्यालय

1.	राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय,	
1988—99		
	इलाहाबाद	
	(घ) कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	
1.	आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजावाद	1974
2.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर	1974
	(ड) डीम्ड विश्वविद्यालय	
1.	दयालबाग एजूकेशनल शिक्षण संस्थान दयालबाग, आगरा	1981
2.	पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, बरेली	1983
3.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, सारनाथ वाराणसी	1989
4.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद	2000
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद	2000
6.	भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ	2001

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, बी.डी. एवं खरबंदा, जे.सी. : एजूकेशन केसेस, इलाहाबाद एजूकेशन ऑफिस (1981)

2. अग्रवाल एस.बी. : डिफिकल्टीज इन एजूकेशन रिसर्च इन इंडिया, शिक्षा वाल्यूम पेज–4

3. अग्रवाल एस.डी. : लॉ ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यू.पी. भाग 1 एवं 2 मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ–1982

4. इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसो. सेन्टेनरी वाल्यूम(1973) : को–मेमोरेशन वाल्यूम 1975

5. इलाहाबाद लॉ जर्नल : इलाहाबाद लॉ जर्नल आफिस 1975 से 2002 तक

6. इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट : इलाहाबाद लॉ पब्लिशिंग हाउस 1974 से 2002 तक

7. इलाहाबाद वीकली रिपोर्टर : इलाहाबाद वीकली रिपोर्टर आफिस सोहबतिया बाग 1978 से 2002

8. बैनर्जी, अतुल : दि लॉ ऑफ एजूकेशन इंस्टीट्यूशन कल्याणी पूर्ण प्रकाशन

9. बूच, एम.बी. : ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन वाल्यूम 1, 2 एवं 3

10. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय : एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एजूकेशन इन इंडिया

11. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1949

12. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय : शिक्षा आयोग 1966 का प्रतिवेदन

13. दत्त, यू.सी. : एजूकेशनल सर्वे ऑफ उ.प्र. द इंडिया प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

14. दयाल, आर : डिस्प्लीनरी प्रोसीडिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन, ईस्टर्न बुक कंपनी पब्लिकेशन, लखनऊ

15. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया एक्टस : 1858, 1915 और 1935

16. हैंड बुक ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज : झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय

17. हाई कोर्ट :
1. सेन्टेनरी, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद कमेमोरेशन भाग 1 एवं 2 (1966 एवं 1968)
2. यू.पी. स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973
3. बेयर एक्ट 1988
4. यू.पी. लोकल बॉडीज एंड एजूकेशनल केसेसे, इलाहाबाद इंडियन लॉ पब्लिकेशन्स 1980 से 2002 जुलाई
5. सुप्रीम कोर्ट केसेसे

18. जगदीश स्वरूप : कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भाग–2 इलाहाबाद डांडेलवाल पब्लिकेशन्स 1985

19. कपिल, एच.के. : अनुसंधान विधियां

20. कोठारी, डी.एस. : सम आस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटी एजूकेशन दिल्ली –यू.जी.सी. 1962

21. लोकल एक्टस : इलाहाबाद लॉ पब्लिशर्स 1984

22. मल्होत्रा पी.एल. : भारत में विद्यालयीन शिक्षा –वर्तमान स्थिति एवं भावी आवश्यकताएें, नई दिल्ली एन.सी.ई.आर.टी.–1986

23. माथुर, आई.एस. : द कम्पलीट डाइजेस्ट ऑफ केसेसऑन यू.पी.स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1952–1989 लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च –1989

24. मैसी एम.डब्लू. एवं अन्य : द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, न्यूयार्क द ओडेसी प्रेस

25. मिश्रा आत्मानंद : शिक्षा कोष, कानपुर ग्रंथम प्रकाशन

26. मिक, ए.एस. : आफीसर्स कम्पेनियन, लखनऊ, ईस्टर्न बुक कंपनी 1979

27. राजभाषा, (विधायी) आयोग : विधि शब्दावली, विधि मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली, प्रबंधक प्रकाशन, सिविल लाइन्स

28. श्रीमाली के.एल. : प्रॉब्लम्स ऑफ एजूकेशन इन इंडिया पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार 1961

29. शाह ए.बी. : हायर एजूकेशन इन इंडिया नई दिल्ली पापुलर प्रकाशन

30. स्याल, बी.एफ. : एजूकेशन इन उ.प्र. माया प्रकाशन, लखनऊ

31. सिंह, अमरीक : हॉयर एजूकेशन इन इंडिया पापुलर प्रकाशन नई दिल्ली.

32. श्रीवास्तव एवं पांडे : डाइजेस्ट ऑफ उ.प्र. लोकल बॉडीज एंड एजूकेशनल केसेस 1980–1986 1987–2002 इंडियन लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद

33. रमन बिहारी लाल : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याऐं

34. शर्मा आर.ए. : शिक्षा अनुसंधान लॉयल बुक डिपो मेरठ

35. सुखिया, एस.पी. एवं अन्य : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व विनोद पुस्तक भंडार, आगरा

36. सोढी, एच.एस. : स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट लखनऊ पब्लिशिंग हाउस

37. स्वामी आर. नारायण : द क्विन क्विनियल डाइजेस्ट 1981 से 1985 तक भाग 4 मद्रास लॉ जर्नल ऑफिस 1989

38. तिवारी आर.आर. : बुंदेलखंड दर्शन,

39. उच्च शिक्षा की प्रगति : इलाहाबाद उच्च शिक्षा निदेशालय 1992 से 1998 तक

40. उ.प्र.स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 : इलाहाबाद हिन्द पब्लिशिंग हाउस

41. V.D.Mahajan : Ancient India Allahabad Law Agency

42. N.V. Paranjape : Indian Legal and Constitutional History, Central Law Agency Allahabad

43. J.K.Mittal : Indian Legal and Constitutional History, Central Law Agency Allahabad

44. Agrawal S.B. : The Third Indian year book of Education, New Delhi, N.C.E.R.T.-1968

45. Anderson Duston & others : Thesis assignment writing
New Delhi , Wiley Eastern Ltd.
1970

46. Ary Doland & others : Introduction to research in education

47. Bhatnagar R.P. & other : Education Administration Merrut
Loyall Book Depot-1986

48. Buch M.B. : A survey of research in education
Baroda, Centre of Advance study of
psychology and education-1974

49. Buch M.B. : Second survey of research in education
1972-1978
Baroda, Society of Educational research
development 1979

50. Buch M.B. : Third survey of research in education
1978-1983

51. Buch M.B. : Forth survey of research in education
1982-1986 Vol. 1 & 2 New Delhi
N.C.E.R.T.-1991

52. Buch M.B. : Fifth survey of research in education
1990 Vol. 1 & 2 New Delhi
N.C.E.R.T.

53. Good Curter M. : Dictionary of education, New York
M.C., Grawhill Book Company
Vol. 3 - 1973

54. Shah, A.B. : Higher Education in India
Lalwani Publishing House, Bombay

55. Yadav M.S. : Educational research